लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 22 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XXII contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 26, मंगलवार, 19 दिसम्बर, 1972/28 अग्रहायण, 1894 (शक)

No. 26, Tuesday, December 19, 1972/Agrahayana 28, 1894 (Saka)

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
502	इन्दौर-चित्तौड़गढ़ मीटर गेज को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Indore-Chitaurgarh Metre Gauge into Broad Gauge Line	1
503	राज्यों के लिये हलके डीजल तेल का कोटा निश्चित करने का आधार	Criteria for Fixing the Quota of Light Diesel oil to States	3—4
505	भारतीय रेल विद्युत कर्मचारी संघ द्वारा जनरल मैनेजर, पश्चिमी रेलवे को अभ्यावेदन देना	Representation by Bhartiya Rail Vidyuta Karamchari Sangh to General Manager, Western Railway	4—5
507	खुर्दा रोड डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) के रेल कर्मचारियों को द्वितीय वार तूफान अग्रिम राशि का दिया जाना	Grant of Second Cyclone Advance to Railway Employees, Khurda Road Division (South Eastern Railway)	
508	पोंग बांध से विस्थापित हुए लोगों के बारे में राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए पुनर्वास नियम	Rehabilitation Rules notified by Rajasthan Government Regarding Pong Dam Oustees	6
509	राजस्थान नहर परियोजना का कार्य	Work on Rajasthan Canal Project	6
511	रिहन्द बांध में दरार	Breach in Rihand Dam	9
512	विद्युत परियोजनाओं के लिये आवश्यक उपकरणों का निर्माण करना	Manufacture of Equipment needed for Power Projects	10
513	रेलवे लाइनों पर कंक्रीट के स्लीपरों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव	Proposal regarding Provision of concrete Sleepars on Railway Track	13
514	भारतीय रेलवे में काम कर रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिक	Pakistani Nationals working in Indian Railways	15
516	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाए जाने वाले चार उर्वरक कारखानों के निर्माण के लिये जापानी फर्मों से ली गई तकनीकी सहायता	Technical Assistance obtained from Japanese Firms for Building four Fertilizer Plants by Engineers India Limited	15—16

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न का सभा में उस सदस्य ने स्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
517	रेलवे प्रयोक्ताओं का बीमा करने की योजना Insurance Scheme for the Users of Railways	17
	प्रश्नों के लिखित उत्तर **WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
501	माल तथा यात्री यातायात में वृद्धि Increase in Freight and Passenger Traffic	18
504	हल्दिया उर्वरक उद्योग-समूह की स्थापना में विलम्ब Delay involved in Setting up Ha dia Fertiliser Complex	19
506	राज्यों द्वारा पांचवीं योजना में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लक्ष्य Target fixed by states for production of Additional power during fifth plan	19
510	रेलवे कार्यालय का पठानकोट से जम्मू स्थानान्तरण Shifting of Railway Office from Pathankot to Jammu	20
515	बिजली बचत समिति की सिफारिशें Recommendation of Power Economy Committee	20
518	गण्डक कोसी तथा अन्य नदी घाटी परियोजनाओं से सिंचाई किये जाने वाले क्षेत्र Irrigation of Areas through Gandak, Kosi and other River Valley Projects	21
519	ट्रेवल एजेंस एजेंसियों और रेलवे पास होल्डरों द्वारा अत्यधिक सीटें आरक्षित करवाया जाना Cornering of Accommodation by Travel Agencies and Railway Pass Holders	21—22
520	ट्रेन एग्जामिनरों का वेतन मान बढ़ाया जाना Upgrading of Pay Scales of Train Examiners	2
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4850	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा Engineering Services Examination conducted by UPSC	22
4851	दिल्ली क्षेत्र में रूट रिले इंटरलाकिंग सिस्टम (उत्तर रेलवे) पर हजरत निजामुद्दीन तिलक ब्रिज दया बस्ती रेलवे स्टेशनों पर कर्मचारियों की नियुक्ति Posting of staff at Hazarat, Nizam. uddin, Tilak Bridg e, Daya Basti-in Delhi area on Route Relay Interlocking system (Northern Railway)	23
4852	भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कृषि इंजीनियर स्नातकों की प्रबन्ध प्रशिक्षणार्थियों के रूप में भर्ती Recruirtment of Agricultural Engineering Graduates as Management Trainees by FCI	23
4853	रेलवे अधिकारियों के लिये आरक्षण कोटे का औचित्य Justification for Reservation Quota for Railway Officers	23—24
4854	राजग्राम स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर मैसर्स राजगांव स्टोर कं० (प्रा०) लिमिटेड को सप्लाई किए गए बैगन Wagons supplied to M/S Rajgaon Store Co. (P) Limited at Rajgram Station (Eastern Railway)	24
4855	रेल तेल कम्पनियों द्वारा इंधन तेल के मूल्य में वृद्धि किया जाना और ईधन तेल पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना Increase in fuel oil price by oil companies and setting up fertiliser plants based on fuel oil	24
4856	खाना पकाने के काम आने वाली गैस के मूल्यों के कमी Reduction in prices of cooking gas	24—25

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4857	इंजीनियर्स इंण्डिया लिमिटेड में कृषि इंजीनियरों की संख्या	Strength of Agricultural Engineers in Engineering India Limited	25
4858	अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर ऐसोसिएशन द्वारा रेल मंत्री को ज्ञापन दिया जाना	Memorandum by All India Station Masters Association to Railway Minister	25
4859	दिल्ली से केरल को सीधी रेल सेवा	Direct Train Service to Kerala from Delhi	25
4860	उड़ीसा में तालचेर तापीय बिजली घर के विस्तार की योजना	Scheme for Extension of Talcher Thermal Power Station in Orissa.	25—26
4861	राजस्थान में उर्वरक उद्योग समूह की स्थापना	Setting up Fertiliser complex in Rajasthan	26
4862	मुंडका हाल्ट स्टेशन पर मासिक सीजन टिकट बेचने की व्यवस्था	Arrangement for issuing monthly Season Ticket at Mundka Halt	26
4863	रोहतक-दिल्ली सेक्शन पर 2 डी० के० आर० रेलगाड़ी में भीड़ का कम किया जाना	Easing of over crowding in 2 LKI Train on Rohtak-Delhi Section	26-27
4864	बहादुरगढ़ और रोहतक के बीच दोहरी रेलवे लाइन	Double Railway Line between Bahadurgarh and Rohtak	27
4865	नांगलोई-बहादुरगढ़ दोहरी रेलवे लाइन पर यात्री यातायात	Passenger traffic on Nangloi-Bahadurgarh double track	27
4866	भारतीय रेलों में जलपान की व्यवस्था करने वाले अनुसूचित जातियों / जन जातियों के ठेकेदार	Refreshment contractors belonging to Scheduled Castes/Tribes in Indian Railways	28
4867	गिरि नदी पर भण्डारण बांध की स्वीकृति	Sanction of a Storage Dam across Giri River	28
4868	एक सीट के लिये दो बार आरक्षण शुल्क वसूल करना	Charging of Reservation Fees of a seat twice	29
4869	इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) की टिकट निरीक्षण शाखा के कुछ अधिकारियों के विरूद्ध जांच	Enquiry against certain officials of Ticket checking Branch of Allahabad Division (Northern Railway)	29—30
4870	फतहपुर रेलवे स्टेशन पर अल्पाहार कक्ष के ठेकेदार से प्रतिभूति की वसूली	Recovery of Security Money from Refreshment Room Contractor at Fatehpur Railway Station	30
4871—2	आर० डी० जे० और 341 अप रेल गाड़ियो का इस्माइला हारयाणा और मुंडका हाल्ट स्टेशनों पर न रुकना	Skipping over of Ismaila Haryana and Mundka Halts by 2 RDJ and 341 UP Trains	30
4872	दिल्ली स्थित सिविल और सेशन न्यायालयों के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची	Seniority List of employees of civil and Sessions courts, Delhi	30

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4873	रेलवे में विभागीय खानपान व्यवस्था का चयनात्मक आधार पर विस्तार	Selective Extension of Departmental catering on Railways	31
4874	नई दिल्ली में टिकटों की चोर-बाजारी के आरोपों की जांच	Investigation in to charges of black marketing in tickets in New Delhi	31
4875	दिल्ली में टिकटों की बिक्री के लिये रेलवे द्वारा नियुक्त की गई एजेंसियां	Agencies appointed by Railways for Sale of Tcikets in Delhi	31—32
4876	व्यास-सतलुज लिंक परियोजना में भ्रष्टाचार	Corruption in Beas-Sutlej link Project	32
4877	बोंगईगाँव में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह	Petro-Chemicals complex at Bongaigaon	32—33
4878	सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बिजली सप्लाई करने के लिये राज्य विद्युत बोर्ड को सहायता	Assistance to State Electricity Board for supply of Electricity in drought Prone Areas	33
4879	दक्षिण पूर्व रेलवे के भाद्रक और रानीताल स्टेशनों के बीच वैगन तोड़ने वाले 16 व्यक्तियों की गिरफ्तारी	Arrest of Sixteen Wagon Breakers between Bhadrak and Ranital Railway Stations of South Eastern Railway	33
4880	पठानकोट के समीप हाइडल चैनल (अपर वाड़ी दोआब नहर) पर खर्च की गई धन राशि	Expenditure incurred on the Hydel Channel (Upper Bari Doab Canal) near Pathankot	34
4881	रेलवे अधिकारियों तथा कर्मचारियों के स्थानान्तरण की नीति	Policy of transfer of Railway officers and Emplo ees	
4882	भारतीय उर्वरक निगम के नई दिल्ली मुख्यालय में महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार	Alleged misbehaviour with Ladies in New Delhi Head Office of FCI	34—35
4883	धर्मनगर (त्रिपुरा) को जाली नामों से सामान बुक किया जाना	Booking of Goods in Fictitious Names for Dharamnagar (Tripura)	35
4884	बंगला देश को अशोधित तेल सप्लाई करने के लिये जहाज चार्टर करने के तरीके से नौवहन महानिदेशक की असहमति	Disagreement of Director General of Shipping with method for Chartering Ships for supply of Crude Oil to Bangladesh	35
4885	डेरी-आना-सोन से बरवाडीह और गोमोह के रास्ते कलकत्ता तक सीधी एक्सप्रैस ट्रेन	Through Express Train from Debri-on-Sone to Calcutta via Barwadih and Gomoh	35
4886	प्लास्टिक उद्योग के लिये लाइसेंस जारी करना	Issue of licence for plastic Industry	36
4887	पालियस्टर स्टेपल फाइबर प्लांट की स्थापना का निर्णय	Decision to set up a Polyster Staple Fibre Plant	36
4888	रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों को अपने मूल कार्यालयों में वापस भेजना	Reversion of Senior Officers of Railway Board to their Parent Service	36

अता० प्र०संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4889	सरकार द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सेवाएं पाइप लाइन जांच आयोग को उपलब्ध कराना	Putting the services of CBI at the disposal of Pipe Line Enquiry Commission by Government	37
4890	बड़ौदा के निकट स्टीरीन और पाली स्टीरीन परियोजनाओं की स्थापना	Setting up of Styrene and Polystyrene projects near Baroda	37
4891	लोको संगचल स्टाफ द्वारा सीधी कार्यवाही की धमकी	Dir ct Action Threat by Loco Running Staff	37—38
4892	दिल्ली में स्लम न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मालिकों और किरायेदारों के मुकदमें	Landlord Tenant Cases Pending in Slum Courts in Delhi	38
4893	एन्टी बायटिक दवाइयों के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Aid to States for Antibiotic Medicines	38
4894	खम्बात की खाड़ी में तेल की खोज के लिये जापान से सेल्फ प्रौपेल्ड प्लेटफार्म	Self propelled platform from Japan for Off Shore Exploration in Gulf of Combay	38
4896	पूर्वी तट पर तूफान से बचाव के लिये स्थायी निर्माण कार्य	Construction of Permanent Cyclone Protection Work on East Coast	39
4897	बम्बई में आयोजित हुए बार एसोसियेशन के सम्मेलन में दिये गये सुझाव	Suggestion made at the Conference of Bar Association held in Bombay	39
4898	मैसूर के गावों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages in Mysore	40
4899	पहले ठेकेदारों द्वारा की जाने वाली खान-पान व्यवस्था को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना	Taking over of Catering Services by Govt. which were handled by contractors previously	40
4900	सहारनपुर-मुरादाबाद रेलवे लाइन पर कांठ स्टेशन का लूटा जाना	Looting of Kanth Station on Saharanpur-Muradabad Railway Line	40
4901	दिल्ली और उत्तर प्रदेश को लाइट डीजल आयल की सप्लाई करना	Supply of Light Diesel Oil io Delhi and Uttar Pradesh	40—41
4902	रासायनिक उर्वरकों की कमी	Shortages of Chemical Fertilisers	41
4903	ग्रामीण लोगों के लिये द्रुत और सरल न्यायालयों की योजना	Scheme for speedy and simplifie Courts for rural people	41
4904	असम और गुजरात में हाइड्रो-कार्बन गैसों का नष्ट होना	Wastage of Hydro Carbon Gases in Assam and Gujarat	41
4905	ईरान से अमोनिया का आयात	Import of Ammonia from Iran	42
4906	अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के इलैक्ट्रिक डिपार्टमेंट में मास्टर क्राफ्ट और फिटर के चयन को रद्द करना	Cancellation of Selection of Master Craft and Fitter in Electric Department, Ajmer Division (Western Railway)	43

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4907	कटक में सहायता प्राप्त रेलवे होस्टल में सीटों का बढ़ाया जाना	Increase in seats in Railway subsidised hostel in Cuttack	43
4908	रेलवे कर्मचारियों के लिये पुरी में विकास गृह	Holiday Home at Puri for Railway Employees	43—45
4909	बडोग कालका-शिमला लाइन में रेलवे कैंटीन का कार्यकरण	Working of Railway canteen at Barog-Kalka-Simla Line	44
4910	भारतीय उर्वरक निगम में इंजीनियर स्नातकों और गैर इंजीनियर स्नातकों के वेतनमानों में अन्तर	Differences in the pay scales of Engineering graduates and non-engineering graduates in FCI	44
4911	भारतीय उर्वरक निगम में आगे पदोन्नति से वर्जित किये गये गैर इंजीनियरिंग स्नातक	Non-Engineering Graduates debarred from further promotions in FCI	44
4912	कालका रेलवे स्टेशन पर लगी आग के बारे में जांच	Enquiry into fire at Kalka Railway Station	45
4913	भूतपूर्व कम्पनियों और भूतपूर्व देशीय राज्यों के सेवा-निवृत्त रेलवे कर्मचारियों के दावों का निपटान	Settlement of claims of retired employees of ex-company managed and ex-Indian State Railways	45
4914	उत्तर रेलवे में राजस्थान के लोगों को रोजगार के अवसर	Employment Opportunities to People of Rajasthan in Northern Railway	45
4915	रतलाम डिवीजन के खण्डवा अजमेर सेक्शन पर मेलगाड़ी का चलाया जाना	Introducting of Mail Train on Khandwa-Ajmer Section of Ratlam Division	46
4916	मध्य प्रदेश में कोरबा और अमरकण्टक स्थित बड़ी विद्युत परियोजनाओं का विस्तार	Expansion of Major Power Projects at Korba and Amar Kantak in Madhya Pradesh	46
4917	अजमेर-खण्डवा सेक्शन पर प्रथम श्रेणी के डिब्बों में कांच अटेंडैंट की व्यवस्था	Provision of Coach Attendent in First Class Compartments on Ajmer Khandwa Section	47
4918	सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों तथा राज्यों द्वारा पारित किये गये कानूनों का अनुवाद	Translation of Important Judgements of Supreme Court and Laws enacted by the States	47
4919	आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में गजुलाडिन्ने परियोजना	Gujuladinne Project in Kurnool District Andhra Pradesh	48
4920	श्री वरदराज स्वामी परियोजना के मंजूर न किये जाने के विरोध में आन्ध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में ग्रामीणों द्वारा भूख-हड़ताल	Fasts by Villagers in Kurnool District of Andhra Pradesh anainst non-sanctioning of Sri Varadaraja Swamy Project	48
4921	"अपनी वैगन खरीदो योजना" के अन्तर्गत आने वाले उद्योग	Names of Industries to be covered under "own Your Wagon Scheme"	49

अता० प्र० संख्या / U. S Q. Nos.	विषय / SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4922	नई रेल गाड़ी चलाये जाने का प्रस्ताव / New Trains proposed to be introduced	49
4923	उत्तर प्रदेश में अधिक क्षमता वाले बिजली घर की स्थापना / Setting up of High Power Station in U.P.	50
4924	शार्टफाल इन रेलवे फ्रेट ट्रेफिक (रेलवे के माल यातायात में कमी) / Shortfall in Railway Freight Traffie	50
4925	बिहार के ग्रामों का विद्युतीकरण / Electrification of Villages in Bihar	50
4926	कोजीकोड कोचीन एक्सप्रैस के चलने के स्थान का बदला जाना / Shifting the Starting Point of Kozhikode Cochin Express	51
4927	करुणागपल्ली और कायनकुलम के बीच मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना / Derailment of a Goods Train between Karanagapalli and Kayankulam	51
4928	बरास्ता गुरुवायूर त्रिचुर के कुट्टीपुरम तक तक रेलवे लाइन / Railway Line from Trichur to Kuttipuram Via Suruvayoor	51
4929	विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए समितियों की स्थापना / Setting up of Committees to Examine various aspects of Power Sector	52
4930	माल तथा यात्री यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकता का पूरा करना / Meeting the Growth of Heavy Goods and Passenger Traffic	53
4931	विजयवाड़ा डिवीजन (दक्षिण मध्य रेलवे) में सिगनल एवं दूर संचार के कर्मचारियों के लिये स्वीकृत मापदण्ड / Approved Yardstick for S & T Staff in Dijyawada Division (South Central Railway)	53
4932	विजयवाड़ा डिवीजन (दक्षिण मध्य रेलवे) और दिल्ली एवं फिरोजपुर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में मैकेनिकल सिगनल मन्टेनस की नियुक्ति / Posting of M.S.Ms. in Vijayawada Division (South Central Railway) and Delhi and Ferozepur Division (Northern Railway)	54
4933	रेलवे समय सारिणों में प्रकाशित विज्ञापनों से रेलवे प्रशासन को हुई आय / Earnings from Advertisements Published in Railway Time Tables by Railway Administration	54
4934	पतरातु और बरौनी के विद्युत उत्पादक केन्द्रों के सम्बन्ध में जांच आयोग / Enquiry Commission for Patratu and Barauni Power Generating Centres	54
4935	सोनीपत पानीपत से दिल्ली के लिए दोहरी रेलवे लाइन / Doubling of Rail Line from Sonepat/ Panipat to Delhi	55
4936	बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भूमि की सिंचाई / Irrigation of Lands in Bihar, U.P. and Madhya Pradesh	55
4937	धनबाद में आल इण्डिया रेलवे कामर्शियल क्लर्क्स एसोसियेशन ईस्टर्न जोन का पांचवा वार्षिक सम्मेलन / Fifth Annual Conference of All India Railway Commercial Clerks' Association Eastern Zone at Dhanbad	55

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4938	भ्रष्टाचार का सामना करने के लिये धनबाद नगर कांग्रेस के मंत्री द्वारा भूतपूर्व रेलवे मंत्री को दिया गया अभ्यावेदन	Representation by Secretary, Dhanbad Town Congress to the former Railway Minister regarding steps to fight Corruption	56
4939	भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों की संख्या	Strength of Station Masters and Assistant Station Masters on Indian Railways	56
4940	नेपाली क्षेत्र में पश्चिम कोसी नहर का पूरा होना	Completion of Western Kosi Canal in Nepalese Territory	57
4941	रेल व्यवस्था में बंगला देश को सहायता देने में संलग्न इंजीनियर और कर्मचारी	Engineers and Employees at Work to help Bangladesh in Railway System	57
4942	दक्षिण पूर्व रेलवे की किरिन्दुल कोट्टावलसाह लाइन के कर्मचारियों को क्वार्टर और चिकित्सा सुविधायें देना	Quarters/Medical facilities for Staff on Kirindul Kottavalsah Line (South Eastern Railway)	57
4943	रावी नदी पर थीन बांध के निर्माण के सम्बन्ध में जम्मू में मुख्य मंत्रियों की बैठक	Meeting of Chief Ministers in Jammu regarding Thein Dam on Ravi River	58
4944	पौंग बांध के संबंध में राजस्थान द्वारा मांगी गयी केन्द्र की मध्यस्था	Central Mediation in Pong Dam issue sought by Rajasthan	58
4945	फरका होकर दिल्ली और राजस्थान तक आसाम मेल चलाना	Introduction of Assam Mail via Farakka upto Delhi and Rajasthan	58—59
4946	आन्ध्र प्रदेश में कास्टिक सोडा, तरल क्लोराइन और हाइड्रो क्लोरिक एसिड का उत्पादन करने के लिये आवेदन पत्र	Application for Manufacture of Caustic Soda, Liquid Chlorine and Hydro Chloric Acid in Andhra Pradesh	60
4947	पेट्रोल और मिट्टी के तेल का आयात	Import of Petrol and Kerosene Oil	61
4948	कर्मचारियों की हड़तालों और अन्य लोगों के आंदोलनों के परिणामस्वरूप रेलवे विभाग को हानि	Loss to Railways due to employees strike and agitation by others	61
4949	औषधि उद्योग में तीव्र विकास दर	Faster growth rates in drug industry	60—61
4950	दिल्ली और नई दिल्ली के रेलवे स्टेशनों को नया रूप देना	Giving face lift to Delhi and New Delhi Stations	61
4951	कटिहार (उत्तर सीमांत रेलवे) के एक बड़े ठेकेदार के मंत्री द्वारा दिए गये आश्वाशन का उल्लंघन कर के खानपान लाइसेंस का नवीकरण	Renewal of catering Licence of big contractor of Katihar (N. F. Railways) in violation of assurance given by Minister	61
4952	अतिरिक्त कार्य भार के कारण कार्यालय कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि	Increase in Ministerial staff due to additional workload	61—62
4953	समान सुविधायें उपलब्ध करने पर क्वार्टरों का समान किराया लेना	Equal rent of quarters for equal facilities provided therein	62—63

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4954	मील-भत्ता देने के लिए धीमी गति की गाड़ियों के वर्गीकरण का मानदण्ड	Criteria of classifying slow moving train for grant of mileage allowance	63
4955	दक्षिण रेलवे कोट्टाराकारा और पूनालूर स्टेशनों पर आरक्षण संबंधी प्रबन्ध	Reservation arrangements at Kottarakara and Punalur Stations (Southern Railway)	63
4956	केरल में बिजली के उत्पादन पर व्यय हुई धनराशि	Amount spent for power generation in Kerala	63—64
4957	केरल में इदिक्की पनबिजली परियोजना का निर्माण	Construction of Idikki Hydel Project in Kerala	64—65
4958	बड़ी सिंचाई परियोजना के लिए केरल को सहायता	Assistance to Kerala for Major irrigation Projects	65
4959	केरल में भूमि की सिंचाई	Irrigation of land in Kerala	65—66
4960	दामोदर घाटी निगम का पुनर्गठन	Reorganisation of Damodar Valley Corporation	66
4961	रेलवे के सिगनल व दूर संचार विभाग के क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूलों में सुविधायें	Amenities in Zonal Training Schools of Signal and Telecommunication Department of Railways	66
4962	माल ढुलाई के लिये भारतीय रेलवे द्वारा माल डिब्बों की खरीद	Purchase of wagons by Indian Railways for Transportation of Goods	66—67
4963	जबलपुर गोंडिया छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Jabalpur Gondia narrow gauge into broad gauge line	67
4964	मैसर्स ग्लक्सो लेबोरेटरीज मैसर्स, बोहरिंगर नील्ल और मैसर्स सीबा की विदेशी साम्य पूंजी में वृद्धि और इनके द्वारा प्रत्यावर्तित धन राशि	Increase in foreign equity capital and amount repatriated by M/s Glaxo Laboratories M/s Bochinger Knool and M/s CIBA	67
4965	औषध निर्माता विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभों को अपने देशों को भेजे जाने पर रोक	Restriction on repatriation of profits on foreign drugs manufacturing firms	63
4966	मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरीज को उत्पादन विवरण प्रस्तुत करने से छूट	M/s Glaxo laboratories exempted from furnishing production returns	69
4967	मैसर्स विथ लेबोरेटरीज मैसर्स सेन्डोज, मैसर्स सिनामिड (इंडिया) लिमिटेड तथा मैसर्स मर्क, शार्प एण्ड ढोम की विदेशी इक्विटी पूंजी में वृद्धि	Increase in Foreign equity capital of M/s Wyeth Laboratories, M/s Sandoz, M/s Cynamid (I) Ltd. and M/s Merk, Sharp and Dhome	69—70
4968	राजस्थान की सिंचाई योजनाओं के लिए राशि	Funds for Irrigation Schemes of Rajasthan	70—71

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4969	एशिया 72 मेले में रेलवे मंडप पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Railway pavillion in Asia 72 Fair	71
4970	जीवाणुनाशक औषधियों (एन्टी बायोटिक्स) का उत्पादन	Manufacture of Antibiotics Drugs	71—72
4971	कैंसर के इलाज के लिये दवाईयां बनाना	Manufacture of Medicines to Cure Cancer	72
4972	डब्ल डैकर रेल यात्री डिब्बों का निर्माण	Manufacture of double Decker Railway coaches	73
4973	आई० डी० पी० एल० ऋषिकेश के कर्मचारियों को कम अन्तरिम राहत दिया जाना	Less Payment of Interim Relief to the Employees of IDPL Rishikesh	73—74
4975	कलकत्ता में भूमिगत रेलवे के लिए मिट्टी का परीक्षण	Soil Test for Tube Railway in Calcutta	74
4976	औषध मूल्यों में वृद्धि और उस पर नियंत्रण के उपाय	Increase in Drug Prices and Steps taken to check it	74—75
4977	सरकारी और गैर सरकारी उर्वरक संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता और उनमें वास्तविक उत्पादन	Installed Capacity and Actual Production in Public and Private Sector Fer-er Plants	75—77
4978	औषधियों का उत्पादन तथा आयात तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए की गई कार्यवाही	Production and Import of Drugs and steps taken to achieve Self-Sufficiency	77—79
4979	माल डिब्बों के उपयोग को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव	Proposal to Rationalise Wagon Utilisation	79
4980	इन्सपेक्टर आफ वर्क्स धनबाद (पूर्व रेलवे) के बंगलों के साथ की भूमि को स्थानीय दुकानदारों को देना	Allotment of Land adjacent to Bunglow of Inspector of Works Dhanbad to Local Shopkeeper (Eastern Railway)	79—80
4981	तेल कम्पनियों द्वारा खाना आदि पकाने के काम आने वाली गैस के नये उपभोक्ताओं के नामों का पंजीकरण बन्द करना	Stopping Registration of New Consumers for Cooking Gas by Oil Companies	80
4982	लीबिया से कच्चे तेल की सप्लाई के संबंध में समझौता	Agreement for Supply of Crude from Libya	80
4983	मीठापुर में टाटा द्वारा एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करना	Setting up of a Fertilizer Plant at Mithapur by Tata	80—81
4984	दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के कर्मचारियों के वेतन से मजूरी का काटा जाना	Deduction of Wages from the Salaries of Employees of DESU	
4985	उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा में बिजली की कमी	Power Shortage in States of Uttar Pradesh, Punjab and Haryana	81—82

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4986	राजग्राम स्टेशन पर रेलगाड़ियों का रोका जाना	Holding up of Trains at Rajgram Station	82
4987	भारतीय उर्वरक निगम के कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए इसकी उच्च श्रेणियों में अधिक अनुशासन की आवश्यकता	Need for Greater Discipline in the Higher Echelons of F.C.I. to Improve Performance	82
4988	भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्ध-निदेशक (उत्पादन तथा विपणन) के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C.B.I. Enquiry against Managing Director (Production and Marketing) of FCI	82—83
4989	समस्तीपुर, बनारस तथा इज्जतनगर (पूर्वोत्तर रेलवे) के कर्मचारियों को यात्रा भत्ता, समयोपरि भत्ता तथा रात्रि ड्यूटी भत्ते की बकाया राशि का भुगतान न किया जाना	Non payment of Arrears of T.A., O.T. and Night Duty Allowance to Employees of Samastipur, Banaras and Izatnagar (North Eastern Railway)	83
4990	समस्तीपुर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टरों के कार्य के घंटे	Duty Hours of Asstt. Station Masters Samastipur Division (North Eastern Railway)	83
4991	समस्तीपुर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टरों को मकान किराया भत्ता न दिया जाना	Non Payment of H.R A. to Assistant Station Masters, Samastipur Division (North Eastern Railway)	84
4992	पाण्डेय आयोग के प्रतिवेदन के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही	Follow up Action on Findings of Pandey Commission Repost	81
4993	गोरखपुर उर्वरक कारखाने की हाल की हड़ताल में राजनैतिक दलों का हाथ	Political Parties involved in Recent Strike of Gorakhpur Fertiliser Factory	84
4994	लक्ष्मी वर्कशाप तथा कोटा वर्कशाप (पश्चिम रेलवे) के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों का चयन तथा उनकी पदोन्नति	Selection and Promotion of S.C. & S.T. Employees in Laxmi Workshop and Kotah Workshop (Western Railway)	84
4995	कोटा (पश्चिम रेलवे) के रेल कर्मचारियों के लिये चयन बोर्ड का गठन	Composition of Selection Board for Railway Employees at Kotah (Western Railway)	8
4996	कोटा रेलवे वर्कशाप के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Quarters to Employees of Railway Workshops at Kotah	85
4997	ग्राम विद्युतीकरण निगम के कार्यालय के कर्मचारी	Employees in the Office of Rural Electrification Corporation	85—86
4998	नई दिल्ली से हावड़ा तक चलने वाली डीलक्स रेल गाड़ी में तृतीय श्रेणी का यात्री डिब्बा	Third Class Bogie in Delux Train from New Delhi to Howrah	86

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4999	आसाम मेल तथा कालका मेल में श्रेणी वार डिब्बों की संख्या	Number of Bogies in Assam Mail and Kalka Mail, Class-wise	86
5000	जम्मू रेलवे स्टेशन पर बुक स्टाल का ठेका	Book Stall contract at Jammu Railway Station	86—87
5001	कृत्रिम धागे का उत्पादन	Production of Synthetic Fibre	87
5002	दावा अनुभाग, दावा अधीक्षक कार्यालय सिकन्दराबाद (दक्षिण मध्य रेलवे) के कार्यालय कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि	Increase in Strength of Ministerial Staff of Claims Section, Claims Superintendent Office Secunderabad (South Central Railway)	87—88
5003	जोनल रेलवे के कार्मिक अधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदन	Representation from Personnel Officers of Zonal Railways)	88
5004	सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों में उत्पादन क्षमता का कम उपयोग	Low Capacity Utilisation of Fertiliser Plants in Public Sector	88
5005	उर्वरक सयंत्रों में यूरिया का उत्पादन	Production of Urea at Fertiliser Plants	88—89
5006	राजस्थान में तेलशोधक कारखाने की स्थापना	Setting up of Oil Refinery in Rajasthan	89
5007	ईराक में रेलवे लाइन का निर्माण	Construction of Railway line in Iraq	89
5008	डिवीजनल रेलवे कर्मचारी समन्वय समिति, धनबाद (पूर्व रेलवे) के तत्वाधान में रेल कर्मचारियों का प्रदर्शन	Demonstration by Railway employees under the auspices of Divisional Railway Employees Coordination Committee Dhanbad (Eastern Railway)	89
5009	तबादले की समान नीति के लिये कर्मचारी एसोसिएशनों की मांगें	Demand of Employees Associations of uniform policy of tsansfers	90
5010	पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन की माँगों की क्रियान्विति	Implementation of demands of North Eastern Railway Mazdoor Union	90
5011	भीलवाड़ा (राजस्थान) में मेजा फीडर परियोजना के लिये स्वीकृत धन राशि	Amount sanctioned for Meja feeder project in Bhilwara (Rajasthan)	90—91
5012	रेलवे के सतर्कता संगठन द्वारा दिल्ली और नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के आरक्षण कार्यालयों की अचानक जांच	Surprise checks by Vigilance Organisation of Railways of Raservation Offices at Delhi and New Delhi Stations (Northern Railway)	91
5013	उर्वरकों के वितरण में हेराफेरी करने के सम्बन्ध में बिहार सरकार द्वारा भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्ध निर्देशक को कानूनी नोटिस दिया जाना	Legal Notice served on Managing Director of F.C.I. by Bihar Government for Bungling in Distribution of Fertilisers	91—92
5014	रेलवे से चोरी गयी वस्तुओं का रेलवे सुरक्षा बल तथा राज्य पुलिस के कर्मचारियों के पास से बरामद होना	Recovery of Stolen Goods from R.P.F. and State Police	92
5015	मध्य प्रदेश के छतीसगढ़ क्षेत्र में नई रेलवे लाइनें	New Railway lines in Chattisgarh region of Madhya Pradesh	92

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
5016	मध्य प्रदेश की तवा परियोजना पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Tawa Project of Madhya Pradesh	92—93
5017	भुसावल डिवीजन (मध्य रेलवे) के कर्मचारियों को बिना बारी के मैडिकल आधार पर क्वार्टरों का आबंटन	Out of Turn Allotment of Quarters on Medical Grounds to Employees of Bhusaval Division (Central Railway)	93
5018	चौथी योजना में अप्रैल 1972 तक सेंट्रल रेलवे के विकास पर व्यय	Expenditure on Development of Central Railways upto April 1972 during Fourth Plan Period	93
5019	क्षेत्रीय प्रबन्धकों को और अधिक अधिकार देना	Delegation of Powers to Zonal Managers	93—94
5020	राजस्थान के जैसलमेर जिले में तेल की खोज	Exploration of Oil in Jaisalmer District of Rajasthan	94
5021	दक्षिण एक्सप्रैस के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने में लगने वाले समय में कमी करना	Reducing the Running Time of Dakshin Express	94
5022	आंध्र प्रदेश से कुनटाला पन बिजली योजना	Kuntala Hydro Electric Scheme from Andhra Pradesh	94
5023	रेलवे बोर्ड के सतर्कता निरीक्षक के विरुद्ध जांच	Inquiry against Vigilence Inspector of Railway Board	94—95
5025	उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में गाजियाबाद के रेलवे कर्मचारियों को दूषित पानी सप्लाई किया जाना	Polluted Water Supplied to Railway Employees of Ghaziabad, Delhi Division (Northern Railway)	95
5026	उत्तर रेलवे की स्टोर्स ब्रांच में तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण	Fixation of Seniority of Class III Staff of Stores Branch, (Northern Railway)	95
5027	इलाहाबाद तथा दिल्ली डिवीजन रेलवे (उत्तर) में संगचल कर्मचारियों को विश्राम एवम् विश्राम एवजी भत्ता	Rest to Running Staff and Breach of Rest Allowance in Allahabad and Delhi Divisions (Northern Railway)	95—96
5028	भैरोंगढ़ में मालगाड़ी तथा पैट्रोल ले जाने वाली एक स्पेशल मालगाड़ी के बीच टक्कर	Collision between a Goods Train and a Petrol Special at Bhairongarh	96
5029	नई दिल्ली स्टेशन के पार्सल कार्यालय को पुराने किस्म की ठेलियों का सप्लाई किया जाना	Supply of Out dated Hand barrows at New Delhi Station Parcel Office	96—97
5030	नई दिल्ली स्टेशन को ट्रांजिट स्टेशन घोषित किया जाना	Declaration of New Delhi Station as Transit Station	97
5031	भारतीय तेल निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में डीजल की सप्लाई	Supply of Diesel in Rural Area by I.O.C.	97

अता० प्र० संख्या U. S Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
5032	इलाहाबाद के लोकोशैड के अत्यन्त कुशल फिटरों द्वारा अभ्यावेदन दिया जाना	Representation from Fitters of Loco Shed, Allahabad	97
5033	केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा कलकत्ता में दामोदर घाटी निगम के कार्यालय से फाइलें जब्त किया जाना	Seizure of DVC Files by C.B.I. in Calcutta	98
5034	उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में सीनियर ग्रुप इंस्पैक्टर, स्पेशल टिकट एक्जामिनर के पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिये आंरक्षण	Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for Posts of Senior Group Inspectors, Special Ticket Examiners, Delhi Division (Northern Railway)	98
5035	तीसरे दर्जे के यात्रियों की भारी भीड़-भाड़ वाली रेलवे लाइनें	Lines having heavy rush of rd Class Passengers	99—100
5036	सिंचाई आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये की गई कार्यवाही	Steps taken for Implementation of Rec·mmendation of Irrigation Commission	100
5037	नर्मदा, कृष्णा, तथा गोदावरी नदियों पर सिंचाई परिनोजनायें	Irrigation Projects set up on Narmada, Krishna and Godawari Rivers	100 101
5038	उत्तर रेलवे के डिवीजन सुपरिटेंडेंट कार्यालय, इलाहाबाद में बारी-बारी ड्यूटी लगाने (रोटेशन) की नीति का क्रियान्वयन	Implementation of Rotation Policy in Divisional Superintendent's Office, Allahabad (Northern Railway)	101
5039	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ग्रामों में बिजली लगाया जाना	Electrification of Villages by Rural Electrification Corporation	101—1!2
5040	वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्कशाप का विस्तार	Expansion of Diesel Locomotive Workshop at Varanasi	102—103
5041	माल पर कम वसूल की गई बकाया राशि	Outstanding Amount of Undercharge on Consignment	103
5042	विदेशी तेल कम्पनियों की संख्या तथा उनमें लगी पूंजी	Number of Foreign Oil Companies and Capit il Invested therein	103—104
5043	रेलवे स्टेशनों पर नलकूपों से पेयजल का प्रबन्ध	Arrangement of Drinking Water through Tubewells at Railway Stations	104
044	इलाहाबाद डिवीजन मे माल डिब्बा पर परिचालन सम्बन्धी प्रतिबन्ध और उनकी बुकिंग सम्बन्धी प्राथमिकता का उल्लंघन	Operational Registration and Infringent of Priority in wagon booking (Allahabad Division)	104 –105
5045	दिल्ली स्थित विदेश यातायात लेखा कार्यालय (पश्चिम रेलवे) के कर्मचारियों का उच्च ग्रेड में वेतन निर्धारित करते समय विशेष वेतन का ध्यान में रखा जाना	Special pay taken into account while fixing up in higher grades, FTA Office Delhi (Western Railway)	105—106
5046	पश्चिम रेलवे के लेखा विभाग में ग्रेड एक के क्लर्कों का स्थायी किया जाना	Confirmation of Clerks, Grade I Accounts, Department, Western Railway	106

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
5047	उड़ीसा में रेंगाली और भीमकुण्ड परियोजनाओं के स्थलों में परिवर्तन के लिये अभ्यावेदन	Representation for change of sties for Rengali and Bhim Kund Projects in Orissa	106
5048	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा आंध्र प्रदेश के गांवों में बिजली लगाने के लिये ऋण की मंजूरी	Loan sanctioned for electrification of villages of Andhra Pradesh by Rural Electrification Corporation	106
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	107
	हाथरस, उत्तर प्रदेश में एक हरिजन छात्र की हत्या का समाचार	Reported murder of a Harijan Student in Hathras, Uttar Pradesh	107
	श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh	107
	श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	107
	नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under Rule 377	113
	उत्तर वियतनाम पर अमरीकी द्वारा हाल ही में की गई बमबारी	Recent Bombardment on North Vietnam by USA	113
	सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House	114—117
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	117
	याचिका का प्रस्तुत किया जाना	Presentation of Petition	118
	श्री बी० के० दास चौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	118
	खान (संशोधन) अधिनियय	Mines (Amendment) Bill	118
	प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाया जाना संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन	Extension of Time for presentation of Report of Joint Committee	118
	कार्य मंत्रणा समिति के 21वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Twenty-first Report of Business Advisory Committee	119
	मुल्की नियम विधेयक-पुरःस्थापित	Mulki Rules Bill-Introduced	120—122
	रिचर्डसन एण्ड क्रड्डास लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) विधेयक-पुरःस्थापित	Richardson and Cruddas Limited (Acquisition and Transfer of Undertaking) Bill-Introduced	122
	मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) विधेयक-पुरःस्थापित	Mysore State (Alteration of Name) Bill-Introduced	122
	रुग्ण कपड़ा उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक	Sick Textile Undertakings (Taking over of Management) Bill	122
	पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची और खंड 1	First Schedule, Second Schedule & Clause 1	123
	श्री नटवरलाल पटेल	Shri Natwarlal Patel	123
	श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	123

श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	125
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	125
श्री तारकेश्वर पांडे	Shri Tarkeshwar Pandey	125
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	125
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra	125
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to Pass, as amended	126
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	126
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S, M. Banerjee	126
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	127
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra	127
भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक	Indian Traiff (Amendment) Bill	128
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	128
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George	128
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	129
श्री के० बालदंडायुतम	Shri K. Baladhandayutham	129—130
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	130
खंड 2 और 1	Clause 2 and 1	131
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	131
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George	131
रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों के बारे में संकल्प	Resolution Re. Recommendations of Railway convention Committee	131
श्री मोहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	131
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagdish Bhattacharyya	132
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa	133
फरीदाबाद स्थित गुरु गोविन्द सिंह मेडिकल कालेज के बारे में चर्चा	Discussion on Guru Gobind Singh ical College at Faridabad	133
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय	Dr. Laxminarain Pandeya	133
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	134
श्री बसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	135
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	136
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	136
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	136
श्री अनन्त प्रसाद शर्मा	Shri A. P. Sharma	137
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur	137
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate	137
श्री आर० डी० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	137
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit	138—140

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 19 दिसम्बर, 1972/28 अग्रहायण, 1894 (शक)
Thursday, December 19, 1972/Agrahayana 28, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर दो मिनट पर समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker In The Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Conversion of Indore-Chittaurgarh Metre Gauge into Broad Gauge Line

*502. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether a decision has been taken to carry out survey in regard to the conversion of Indore-Chittaurgarh metre gauge Railway line into broad gauge Railway line ;

(b) if so, the salient features thereof ? and

(c) the time by which this survey work is likely to be completed ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Phool Chand Verma : Mr. Speaker Sir, I would like to know the reasons for which the decision in regard to the conversion of Indore-Chittaurgarh metre gauge Railway line into broad gauge Railway li e has been taken in the negative ? I would also like to know whether the Government have received any memorandum or representations from the people of that area ? If so, the reasons for rejecting them ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : चित्तौरगढ़-इन्दौर सैक्शन के विभिन्न सब-सैक्शनों की विद्यमान क्षमता वर्तमान तथा प्रत्याशित यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्यत: पर्याप्त हैं और चित्तौरगढ़ यार्ड में अतिरिक्त सुविधाओं, चार क्रासिंग स्टेशनों, तीन स्टेशनों में अतिरिक्त लूपों और तीन स्टेशनों में लूपों के विस्तार आदि की व्यवस्था करके सस्ती लाइन क्षमता निर्माण द्वारा वर्तमान क्षमता में आवश्यक वृद्धि की जा रही है । रतलाम में वाहनान्तरण सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है । हम वर्तमान व्यवस्था को बदलने से पूर्व उसका अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं । अभी हम मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने पर इसलिए भी विचार नहीं कर रहे हैं कि इससे उत्तर-दक्षिण मीटर गेज लाइनों में बाधा पड़ेगी ।

Shri Phool Chand Verma : Mr. Speaker Sir, The train on Indore-Chittaurgarh metre

gauge line is a passenger train which runs at a very low speed and halts at several stopages and also much hooliganism is seen on this line. A spokesman of Railway Board visited Ratlam and he had stated in a Press conference that this line was soon being converted into broad gauge line and that the Railway Ministery has taken a decision in this regard. I would like to know from the Hon. Minister whether such announcements made by the officials are only to mislead people or they are based on some facts. Today Hon. Minister is denying that any such decision has been taken by the ministry. So I would like to know whether any action is proposed to be taken against the officer concerned who had made such a misleading statement in the Press conference. Moreover, Shri Hanumanthaiya former Railway Minister had also given an assurance in the House that all the metre gauge lines of the country will be converted into broad gauge lines. I would like to know whether this line is covered under that scheme.

श्री टी० ए० पाई : मेरे अधिकारी जो वक्तव्य देते हैं सदस्यों को उसकी अपेक्षा मेरे वक्तव्य पर विश्वास करना चाहिए कि हम क्या कार्यक्रम अपनाने जा रहे हैं। यह कहना बहुत कठिन है कि क्या वस्तुतः मेरे अधिकारी ने ऐसा कोई वक्तव्य दिया है। मैं तब तक इसे मानने के लिए तैयार नहीं जब तक मुझे वह दिखाया नहीं जाता।

Shri Phool Chand Verma : Mr. Speaker Sir, I was present at the Press Conference when the said spokesman had made the above statement and this appeared in the press also, but the Hon. Minister is denying it now. I do not quite understand whose statement is true, the Hon. Minister's or his officer's.

Shri Atal Bihari Vajpayee ; If the Hon, Minister says that what his officer had said was not true, it may mean something but when he says, that we should not believe what his officers say then it means that he has no any faith in his officers.

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय को ऐसा नहीं कहना चाहिए था।

श्री टी० ए० पाई : इस सम्बन्ध में दो या तीन आरोप लगाये गये हैं। मेरे अधिकारी ने एक वक्तव्य दिया जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। यह सच हो सकता है और सच नहीं भी हो सकता है। मुझे यहाँ केवल इतना ही कहना है कि जब मुझसे इस बारे में प्रश्न किया गया है तो उस सम्बन्ध मैंने जो बात कही है वह अधिक विश्वसनीय है।

Shri Bhagirath Bhanwar : Hon. Minister has told the House that there is no scheme to convert this Railway line into broad gauge Railway line. There is a Military Cantt at Mhow and earlier Shri Hanumanthaiya had informed the House that action is being taken to convert the metre gauge Railway line into broad gauge line between Indore and Mhow.

Mr. Speaker : What is your question.

Shri Bhagirath Bhanwar : I want to know that if there is no scheme to convert the whole metre guage line into broad guage line then whether any scheme to convert the Indore-Mhow metre guage line into broad guage line is under consideration of the Govt.

श्री टी० ए० पाई : इन्दौर और माहू के बीच के सैक्शन को जो कि 21 किलोमीटर है, बड़ी लाइन मे बदलने पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अजमेर-खण्डवा दक्षिण और अजमेर तथा चित्तौरगढ़ के बीच के उत्तर-दक्षिण लिंक के एक भाग को जिसकी दूरी 186 किलोमीटर है, दिल्ली-अहमदाबाद मीटर गेज को बड़ी लाइन में बदलने के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षण के एक भाग के रूप में जिसके सम्बन्ध में पहले उल्लेख किया जा चुका है, सामानान्तर ब्रॉड गेज लाइन बनाने के प्रश्न की जांच की जा रही है। इस सम्भावना को देखते हुए हो सकता है कि चित्तौरगढ़-इन्दौर सैक्शन को बदलने का कार्य न किया जाय।

श्री माधुर्य्य हालदार : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मीटर गेज को ब्राड गेज या नैरो गेज

को मीटर गेज लाइनों में बदलने की अपेक्षा नई लाइनें शुरू करने पर अधिक बल दिया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इन्दौर-चित्तौरगढ़ सैक्शन को बदलने के बारे में है आप उस प्रश्न को नया मोड़ दे रहे हैं ।

श्री माधुर्य्य हालदार : इनकी कोई नीति होनी चाहिए ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker Sir, Former Railway Minister Shri Hanumanthaiya had declared that all the metre guage lines will be converted into broad guage lines. I would like to know from the Hon. Minister as to how much work has been done in this regard ? What amount has been spent on these works so far and when will be the conversion work of Indore and Ajmer line will be undertaken ?

श्री टी० ए० पाई : मुझसे पहले के रेलवे मन्त्री ने यह घोषणा की थी कि धीरे-धीरे सभी मीटर गेज लाइनों को ब्राँड गेज लाइनों में परिवर्तित कर दिया जाएगा । परन्तु 24000 किलोमीटर गेज लाइन हैं और स्वाभाविक है इस पूरी लाइन को ब्राड गेज में बदलने में लम्बा समय लगेगा । हम पूरे चल स्टाक को रद्द करके इस कार्य को प्रारम्भ नहीं कर सकते । परन्तु जहां भी यातायात में अवरोध हैं वहां वाहनान्तरण क कारण होने वाली रुकावटों को दूर करने, विलम्ब को दूर करने तथा मीटर गेज पर गाड़ी चलाने पर आने वाली अधिक लागत को कम करने के लिए, यातायात सुचारू रूप से चलाने के लिए और यातायात में होने वाली प्रत्याशित वृद्धि के लिए उपयुक्त क्षमता की व्यवस्था करने के लिए मीटर गेज को ब्राड गेज में बदला जायेगा ।

यह निश्चित किया गया था कि चौथी योजना के दौरान 24000 किलोमीटर में से 3200 किलोमीटर को 230 करोड़ रुपये की लागत से बदला जाये । इन्दौर-चित्तौरगढ़ लाइन 3200 किलोमीटर में नहीं आती ।

Criteria for fixing the Quota of Light Diesel Oil to States

*503. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Central Government allot quota of Light diesel oil to the States ;

(b) if so, the criteria for fixing this quota ; and

(c) the State-wise, break-up in this regard ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायनमंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी, नहीं विभिन्न क्षेत्रों में मांगों के आधार पर उपभोक्ताओं को सीधे वितरण किया जाता है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Shri Mahadeepak Singh Shakya : Hon. Minister has told that the distribution of light diesel oil is made to consumers on the basis of Demands. But the fact is that all the Depots of light diesel oil are confined only to the big cities whereas this oil is used in big cities as well as in the small cities and towns also. When the rural go to buy diesel oil they have to pay exhorbitent price and they get adulterated oil. I would like to know whether Hon. Minister proposes to take any action against such exploitation so that the rural population gets light diesel oil without any adulteration ?

श्री एच० आर० गोखले : यह कहना सच नहीं है कि हल्के डीजल तेल की सप्लाई की व्यवस्था केवल बड़े शहरों में ही है । वस्तुतः इस तेल के उपभोग रूप में इतनी अधिक विभिन्नता है कि हमें सभी क्षेत्रों में, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं, इसके उपभोग के लिए मांग के अनुरूप व्यवस्था करनी पड़ती है । यह बिजली की उपलब्धता, अच्छे या बुरे मानसून, रेलवे सुविधा जैसी अनेक

बातों पर निर्भर करता है। इसलिए मांग की पूर्ति के लिए, विशेषकर ग्रामीण जनता की माँग की पूर्ति के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में "बैरल आउटलैट्स" की व्यवस्था की गई है ताकि ग्रामीण जनता को हल्के डीजल आयल की सप्लाई की जा सके।

Shri Mahadeepak Singh Shakya : Mr. Speaker Sir I would like to know from the Hon. Minister whether he has received any such complaints that Petroleum or Kerosene oil is being mixed with the light diesel oil, and if so, what action has been taken against the persons concerned ? Whether it is a fact that the former Hon. Minister had received such complaints and if so, what steps are being taken to stop and eliminate such practises ?

Mr. Speaker : Hon. Member's question was regarding criteria for fixing this quota and statewise break up not about anything being mixed in the diesel oil.

श्री के० एस० चावड़ा : मैं यह जानना चाहता हूं कि गुजरात राज्य ने हल्के डीजल तेल की कितनी माँग की थी और सरकार ने वर्ष 1972 के लिए उस मांग की किस सीमा तक पूर्ति की है ?

श्री एच० आर० गोखले : मैंने अपने उत्तर में पहले बताया था कि वर्ष प्रति वर्ष के उपभोग ढांचे में इतनी अधिक विभिन्नता होने के कारण तेल का नियतन राज्य-वार कोटा के आधार पर नहीं किया जाता। एक वर्ष के अन्दर ही कभी बहुत अधिक मांग हो जाती है तो कभी एक दम से मांग गिर जाती है। (अन्तर्बाधा) इस लिये यह बताना असम्भव है कि अमुक राज्य को इतना मिलेगा और अमुक को इतना।

श्री के० एस० चावड़ा : उसकी मांग कितनी थी ?

श्री एच० आर० गोखले : मेरे पास अभी आँकड़े नहीं हैं।

श्री बी० के० दास चौधरी : क्या सरकार ने सप्लाई की स्थिति में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई की स्थिति में, सुधार करने के लिए कोई विशेष योजना बनाई है जिससे गाँवों के लोगों को जब भी आवश्यकता पड़े उन्हें डीजल तेज सप्लाई किया जा सके ? अधिकतर मामलों में गांवों में लोगों को पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पा रही है। कुछ व्यापारी इससे खूब पैसा बना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप श्री शक्य के प्रश्न को ही दुहरा रहे हैं।

श्री एच० आर० गोखले : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं।

श्री राजा कुलकर्णी : राज्यों के अतिरिक्त क्या सरकार कुछ संगठनों या उद्योगों को सीधे सप्लाई भी करती है ? और यदि हाँ, तो किन-किन को ?

श्री एच० आर० गोखले : मेरे उत्तर के अन्दर यह प्रश्न भी आ जाता है। हम उपभोक्ताओं को सप्लाई करते हैं। उद्योग भी एक उपभोक्ता है। स्वाभाविक है कि उद्योग को भी सप्लाई किया जाता है।"

भारतीय रेल विद्युत कर्मचारी संघ द्वारा जनरल मैनेजर, पश्चिमी रेलवे को अभ्यावेदन देना

*505. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल विद्युत कर्मचारी संघ ने अपने पत्र संख्या बी० आर० वी० के० एम०/ ब्राँच/री /2/72 / दिनांक 6-7-72 द्वारा जनरल मैनेजर, पश्चिमी रेलवे को और पत्र संख्या बी० आर० वी० के० एस० /1/ रीप / 8-72 दिनांक 17-8-72 द्वारा रेल मन्त्री को अभ्यावेदन दिए हैं जिसमे वर्ष

1970 में आयोजित की गई ई० एल० एफ० (एच० एस०) टी० एल० ग्रेड 130-212 रुपये के ट्रेड टेस्ट को रद्द करने की माँग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका सार क्या है; और

(ग) इनमें उल्लिखित प्रत्येक मामले पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : जी हां। मुख्य विवाद यह था कि परीक्षा के लिए कर्म चारियों को वरिष्ठता के क्रम में नहीं बुलाया गया था, जिसके फलस्वरूप वरिष्ठ कर्मचारियों में होते हुए कनिष्ठ कर्मचारी पदोन्नति पा गए।

(ग) विवाद को गलत पाया गया।

श्री सोमचंद सोलंकी : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि उन्हें भेजे गये अभ्यावेदनों में से किन पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं आपका प्रश्न समझ नहीं सका···

अध्यक्ष महोदय : कृपया कुछ देर के लिए बैठ जायें। मेरे विचार में आप उपयुक्त व्यक्ति नहीं दूसरे सोलंकी कहां हैं ?

श्री सोमचन्द सोलंकी : मैं 50 प्रतिशत सोलंकी हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बड़े वाले सोलंकी हैं ·

खुर्दा रोड डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) के रेल कर्मचारियों को द्वितीय बार तूफान अग्रिम राशि का दिया जाना

*507. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण पूर्व रेलवे की खुर्दा रोड डिवीजन के रेल कर्मचारियों को दूसरी बार तूफान अग्रिम राशि मन्जूर की है

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कर्मचारी के लिए कितनी अग्रिम राशि मंजूर की गई है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :(क) जी हां।

(ख) प्रत्येक कर्मचारी को तीन महीने के वेतन के बराबर अग्रिम स्वीकार्य है किन्तु यह राशि 500 रुपये से अधिक नहीं होगी तथा इसकी वसूली 24 महीनों में समान किश्तों में की जायेगी। लेकिन शर्त यह है कि यदि बाढ़/तूफान के सम्बन्ध में पहले लिए गये अग्रिम में से कोई रकम वसूल न हुई हो तो उसका समायोजन कर लिया जाय।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अर्जुन सेठी : मैं मन्त्री महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने कर्मचारियों को अग्रिम राशि दी है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा मानदण्ड क्यों अपनाया जो अन्य विभागों द्वारा अपनाए गये मानदण्ड से भिन्न था।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हमने इन व्यक्तियों को सहायता देने के लिए भिन्न मानदण्ड नहीं अपनाया। प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत देने के लिए अन्य विभागों द्वारा अपनाया जाने वाला मानदण्ड ही हमने भी अपनाया है।

पोंग बांध से विस्थापित हुए लोगों के बारे में राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए पुनर्वास नियम

*508. **श्री नारायण चंद पाराशर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोंग बांध से विस्थापित हुए लोगों के बारे में गत अगस्त में केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल सचिव द्वारा दिए गये पंचाट का उल्लंघन करते हुए राजस्थान सरकार ने अभी हाल में कुछ पुनर्वास नियम अधिसूचित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो पुनर्वास नियमों के बारे में राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना का मूल पाठ क्या है, और

(ग) क्या राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों के बीच 'विस्थापितों' और परिवार की जिस परिभाषा के बारे में सहमति हो गई थी, उसे बहुत बदल दिया गया है; और यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : जी, हाँ। नियमावली के कुछ प्रावधान कैबिनेट सचिव की बिल्कुल सलाह के अनुसार नहीं थे। नियमावली में दिए गये शब्दों 'विस्थापितों" और "परिवार" की परिभाषा में कुछ भिन्नता थी किन्तु दोनों सरकारों के अधिकारियों का इस पर मतैक्य हो गया है और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त सुझावों के औपचारिक रूप से शीघ्र ही स्वीकृत हो जाने की सम्भावना है।

प्रोफेसर नारायण चंद पाराशर : माननीय उपमन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न के (क) भाग का उत्तर "हां" में दिया है परन्तु भाग (ख) में मेरा प्रश्न विशेष रूप से यह है : "यदि हां, तो पुनर्वास नियमों के बारे में राजस्थान सरकार.....मेरा अनुरोध है कि वे राजस्थान सरकार की अधिसूचना का ठीक-ठीक पाठ दें क्योंकि इससे हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों का भाग्य जुड़ा है।

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० के० एल० राव) : "हां" इसलिए कहा गया था कि अब उन नियमों में संशोधन कर दिया गया है। उसके बाद दोनों राज्यों के अधिकारियों की बैठक हुई और उन्होंने मिलकर नियमों में संशोधन किया और अद्यतन नियम शीघ्र ही प्रकाशित किए जायेंगे। तब हम उन नियमों को बता पायेंगे। जो नियम सशोधित कर दिये गये हैं उन्हें देने से क्या लाभ ?

प्रोफेसर नारायण चंद पाराशर : उन नियमों को ही देने अत्यन्त उपयोगी है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोग इस बात से बहुत उत्तेजित हैं कि पहले इस सम्बन्ध मे समझौता किया गया था परन्तु वह भंग कर दिया गया और अब नये नियम बनाये जा रहे हैं। सभा को यह जानकारी लेने का अधिकार है और मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है, और नियमों में किस तरह के परिवर्तन किए गये हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि ये परिवर्तन मंत्रीमण्डल सचिव के फैसले के विरुद्ध थे। मैं यह जानना चाहता हू कि ये परिवर्तन क्या हैं और अधिसूचना का ठीक ठीक पाठ क्या है।

डा० के० एल० राव : सभा को विश्वास में न लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि सदस्य चाहेगें तो मैं उन नियमों को सभा-पटल पर रख दूंगा।

राजस्थान नहर परियोजना का कार्य

*509. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर परियोजना का कार्य निश्चित समयानुसार नहीं चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राजस्थान के विभिन्न भागों में अकाल की स्थिति को देखते हुए, इस कार्य की गति तेज करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) राजस्थान नहर परियोजना पर कार्य अनुसूची के अनुसार चल रहा है। परियोजना का प्रथम चरण चौथी योजना अवधि के अन्त तक काफी हद तक पूरा हो जायेगा। चरण दो के कार्य उसके पश्चात् हाथ में लिए जायेंगें।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

डा० कर्णी सिंह : सभी इस बात से अवगत हैं कि राजस्थान के रेगिस्तानी भाग को प्रत्येक तीन वर्षों में से एक वर्ष अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ता है और इस बात की ओर सभा का ध्यान कई बार दिलाया जा चुका है कि राजस्थान में अकाल का स्थाई हल सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि कार्य की गति धीमी नहीं हुई है परन्तु मुझे यह पता चला है कि छोटे-छोटे ठेकेदारों द्वारा कार्य पूरा न किए जाने के कारण कार्य की गति धीमी हो गई है।

क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरणों तथा लिफ्ट चैनल के तीन चरणों के लिए कोई समय-बाधित कार्यक्रम बनाया है जिससे यह सदन कार्य की प्रगति के बारे में पूरी पूरी जानकारी रख सके और अब से कार्य की प्रगति पर निगरानी भी रख सके ?

डा० के० एल० राव : राजस्थान नहर परियोजना का कार्य तेजी से होना चाहिए था। क्योंकि यह देश के बहुत बुरे क्षेत्र में है और इस परियोजना द्वारा इस क्षेत्र को समृद्ध क्षेत्र में परिवर्तित किया जा सकता था और इसलिये मुझे अफसोस है कि इस परियोजना को पूरा करने में विलम्ब हो गया है। अभी तक केवल वित्तीय ससाधन ही एकमात्र कारण थे और वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार हम पहले चरण को 1973-74 तक और दूसरे चरण को 1978-79 तक पूरा करने की आशा करते हैं।

डा० कर्णी सिंह : उन्होंने मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया जो कि लिफ्ट चैनल कार्य के बारे में है। मैंने लिफ्ट चैनल के चरणों के बारे में पूछा था। क्या मैं जान सकता हूं कि सिंचाई और बिजली मंत्रालय की अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति में संसद सदस्यों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुपालन में क्या सरकार का इस नहर के कार्य को अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किये गए कार्य से माननीय मन्त्री महोदय सन्तुष्ट हैं ?

डा० के० एल० राव : कार्यक्रम के अनुसार इसे अब तक पूरा हो जाना चाहिये था परन्तु आशा की जाती है कि अब यह 1973-74 में पूरा हो जाएगा। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, यह प्रश्न अनेक बार उठा है। केन्द्र ने अभी तक कोई सिंचाई परियोजना राज्य सरकार से अपने हाथ में नहीं ली है और राजस्थान नहर परियोजना भी नहीं ली जा सकती। परन्तु इस सम्बन्ध में हम यह कर सकते हैं कि इस कार्य के लिये जिसकी ओर मैंने उनके पहले के प्रश्न के उत्तर में संकेत दिया था हम पर्याप्त धन उपलब्ध करा सकते हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : उन्होंने वित्तीय कठिनाइयों के बारे में बताया है। इसका सम्बन्ध राज्य सरकार से है या केन्द्र सरकार से ? यदि इसका सम्बन्ध राज्य सरकार से है तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या विशेष उपाय सुझाये जा रहे हैं ?

डा० के० एल० राव : यह दोनों से सम्बन्धित हैं। ऐसी सिंचाई परियोजनाओं में राज्य योजना के अधीन धन की व्यवस्था की जाती है और केन्द्र सरकार राज्य योजना के अतिरिक्त भी कुछ वित्तीय सहायता दे सकती है। दुर्भाग्यवश राज्य और केन्द्र दोनों ही द्वारा पर्याप्त, धन उपलब्ध नहीं कराया जा सका। जैसा कि मैंने आपको बताया है प्रथम चरण अब काफी आगे है और आशा है कि चौथी योजना के अन्त तक यह चरण पूरा हो जाएगा।

Shri Bibhuti Mishra : Like Rajasthan canal project, Gandak Project, Kosi Project and Narmada Project are also facing the financial difficulties. I would like to know whether the Central Government propose to take over the work of these projects and complete them so that we donot have to beg food grains from abroad. Whether government propose to take over these projects with a view to solve the problem of scarcity of food grains ?

डा० के० एल० राव : यह केन्द्र या राज्य द्वारा परियोजना को अपने हाथ में लेने का इतना अधिक प्रश्न नहीं है, क्योंकि राजस्थान नहर और गण्डक परियोजनाओं का कार्य बड़े अच्छे संगठनों के हाथ में है। जैसा कि मैंने कहा है, प्रश्न यह है कि हम इन विभिन्न परियोजनाओं के लिये कितने धन की व्यवस्था कर सकते हैं। जब पांचवी पंचवर्षीय योजना पर जब यहां विचार किया जायगा तो सदस्य अपनी राय दे सकते हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : At least Rs. 150 crores are still needed for the completion of Rajasthan canal project. Our Government is providing only Rs. 5 crores a year for the project which in reality comes to only about Rs. 2 crores because of the rise in prices.

I would like to know from the Hon. Minister that how far his assurance is going to be fulfilled ? What steps does he propose to take to complete this work expeditionsly ?

डा० के० एल० राव : दूसरे चरण के लिये 75 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और यदि यह कार्य 5 वर्ष में पूरा किया जाना है तो 15 करोड़ रुपये की वार्षिक की व्यवस्था करनी होगी। मुझे आशा है कि पाँचवी योजना में हम इसके लिये कुछ धन की व्यवस्था कर सकेंगे।

श्री पीलू मोदी : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस वर्ष सूखा पड़ने के कारण क्या सरकार ने इन सिंचाई परियोजनाओं के लिये, जिनसे हमारी खाद्य समस्या का स्थाई समाधान हो सकता है, अधिक धन आवंटित करने के प्रश्न पर फिर से विचार किया है और क्या सरकार इस योजना के अन्य शीर्षों के व्ययों से कुछ धन सिंचाई के लिए, जैसे राजस्थान परियोजना तथा उनके अन्य परियोजनाओं के लिये जिनकी ओर अभी श्री विभूति मिश्र ने ध्यान दिलाया था, देने के सम्बन्ध में उच्चस्तर पर कोई बातचीत कर रही है।

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य इस बात से अवगत होंगे कि छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए 150 करोड रुपये की व्यवस्था की गई थी। इस वर्ष बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है परन्तु मेरे विचार से पांचवी योजना में इन बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के सम्बन्ध में यथोचित ध्यान दिया जाएगा।

प्रश्न 511 के सम्बन्ध में

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न श्री विक्रम महाजन। माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

श्री प्रबोध चक्र : क्या मैं आपकी अनुमति से यह प्रश्न पूछ सकता हूं ? क्योंकि मैंने भी इसी

प्रकार के प्रश्न की सूचना दी थी पर श्री विक्रम महाजना का स्वीकृत हो गया और मेरा प्रश्न स्वीकृत नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अन्तर्गत ऐसा नहीं किया जा सकता। जब हम दूसरे दौर पर पहुंचेंगे तब यदि माननीय सदस्य को श्री विक्रम महाजन से इसका अधिकार मिल जाता है तो मैं अनुमति दे सकता हूं अभी नहीं ये ही नियम हैं।

Breach in Rihand Dam

*511. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Irrigation & Power** be pleased to state :

(a) whether the Southern bricks of Rihand dam have been breached ;

(b) whether the repair work on the breaches has been undertaken and whether the repairs will solve the problem permanently ; and

(c) if not, the permanent measures proposed to be taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation & Power (Shri B. N. Kureel) : (a) to (c) No, Sir. There is no breach in the Rihand Dam. There is, however a crack along the road near the middle of the road on the top of the Rihand Dam. This crack is probably due to loading of the cantilever on the downstream side. The damage has been inspected by Techaical Experts and repairs will be undertaken shortly. The repairs will be of a permanent nature.

Dr. Laxminarayan Pandeya : Hon. Minister has said in the first part of his reply that there is no breach but there after he says that there is a crack.

Mr. Speaker : He has said that the crack is on the top and not below.

Shri Hukam Chand : Which is more important ?

Dr. Laxminarayan Pandeya : You have said that there is no breach ; however, there is a crack. I would like to know what are the reasons responsible for this crack, whether major or minor, according to the technicians ? According to the technicians repairs can not solve the problem permanently but you say that it is possible. What are the reasons for such contradictary statements and whether you will able to find a solution of the permanent nature ?

सिंचाई और बिजली मन्त्री (डा० के० एल० राव०) : टूटना और बात है दरार और बात है यदि रिहन्द बांध टूटता तो पूरा बिहार जल-प्लावित हो जाता। वस्तु रिहन्द बांध में वास्तव में हुआ यह है कि लैम्प पोस्ट आदि लगाने के लिये केन्टिलीवर लगाकर इस प्रकार का प्रबन्ध किया गया है जिसमें नीचे से कोई सहारा देने की आवश्यकता न पड़े जैसे कि हम प्राय: चलचित्र गृहों में देखते हैं जिनमें ऊपर की बालकनी या कुछ भाग बिना नीचे के किसी सहारे के खड़ा रहता है। केन्टिलीवर लगाकर इस प्रकार का प्रबन्ध बिजली की बत्तियाँ लगाने के लिये वहां किया गया है। ऐसे निर्माण कार्य के लिये बाहर निकले हुए भाग को मजबूत बनाने के लिये पहले से तैयार छड़ों आदि के सहारे बनाया जाता है। मैंने उन्हें स्वयं नहीं देखा है लेकिन मेरे पास उनके बारे में रिपोर्ट आई है। कारण कुछ भी हो मेरा अपना विचार यह है कि बिजली की बत्तियां लगाने वाले खण्डों में यथेष्ट सम्भाल का प्रबन्ध नहीं किया गया है और अब जबकि इस बारे में हमें मालूम हो गया है हम उस भाग की मरम्मत का काम शुरू कर सकते हैं जिसके लिए हमें केवल इतना ही करना होगा कि इस हिस्से को दुबारा रखकर समुचित सहारा दे दें। मैंने केन्द्रीय जल और बिजली आयोग के इन्जीनियरों से कहा है कि वे मुझे बताए कि क्या क्या उपाय किये जाने चाहिए। यह बहुत कठिन काम नहीं है और इसे किया जा सकता है और मुझे आशा है कि इसे अगले कुछ महीनों मे पूरा कर दिया जायगा।

Dr. Laxminarayan Pandeya : Whether such cracks have appeared at other places as well because of which there is apprehension of serious danger to Rihand Dam ?

डा० के० एल० राव : जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा है दरार सड़क के ऊपरी भाग पर 18 इंच की गहराई तक पड़ी है जहां से कैण्टीलीवर बाहर को निकला हुआ है। मुझे पता चला है कि इसके परिणामस्वरूप एलीवेटर शैफ्ट में भी कुछ दरारें पड़ी हैं। उनकी भी जांच की जा रही है लेकिन मेरा निवेदन है कि ये दोनों ही चीजें कोई बहुत गम्भीर नहीं हैं।

Hukam Chand Kachwai : Have you made enquiries as to whether at the time of construction defects were left out in it or the material used was not of the required standard ? Will you also enquire as to who is to be blamed for this and will you punish the guilty ? How much will be the cost of repairs ?

डा० के० एल० राव : मैं साफ कहूँ तो मुझे इस दरार के बारे में तब तक पता नहीं था जब तक यह प्रश्न नहीं आया। इसके बारे में जानकारी मिलने के बाद अब मैंने अपने इंजीनियरों से कहा है कि वे सुधार के उपाय खोजें। यह दरार इतनी गम्भीर नहीं है कि इसके लिए कोई जांच आवश्यक हो। लेकिन माननीय सदस्य ने जब यह प्रश्न उठाया ही है तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह मालूम करे कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है।

विद्युत-परियोजनाओं के लिए आवश्यक उपकरणों का निर्माण करना

*512. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत परियोजनाओं के लिए आवश्यक उपकरणों की मांग को पूरा करने में स्वदेशी निर्माता असमर्थ हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : **(क) और (ख)** : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) : देशी निर्माताओं से उत्पादन संयंत्र और उपस्कर की सप्लाई की देरी के परिणामस्वरूप विद्युत परियोजनाओं के प्रचालन में विलम्ब हुआ है। देश में भारी बिजली का सामान निर्मित करने वाले उद्योग तथा मुख्य संयंत्र के लिए भारी कास्टिंगस और फ्रोजिंगस तथा विशिष्ट आनुषंगिक संयत्रों को सप्लाई करने वाले फोडर उद्योग अभी भी वृहद् तथा नये किस्म के संयंत्रों के निर्माण को हाथ में लेने के लिए तैयारी की प्रारम्भिक अवधि में हैं। इसलिए अधिकतम प्रयत्न करने पर भी वे विद्युत् सैक्टर की आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं।

निर्माण शक्यता को यथाशीघ्र सम्भव बढ़ाने के लिए कई पग उठाए गए हैं–इसके अतिरिक्त यदि कोई ऐसे विशेष मामले अथवा विशेष स्थितियाँ हों, जहाँ पर देश में निर्मित उपस्कर के समय पर मिलने की सम्भावना न हो, तब अन्य स्रोतों से इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने की सम्भाव्यताओं पर भी विचार किया जाएगा।

श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी : वक्तव्य में जो कारण दिए गए हैं उनके अतिरिक्त क्या यह सत्य है कि देशी निर्माताओं द्वारा सप्लाई की गई सामग्री आयातित सामग्री की अपेक्षा अधिक मंहगी है और घटिया किस्म की है।

डा० के० एल० राव : जी नहीं। देशी निर्माताओं की सामग्री काफी अच्छी है। प्रश्न केवल यही है कि उसका निर्माण पहली बार किया जा रहा है इसलिए उसके बनने में और आने में कुछ देरी होगी। लेकिन जहां तक किस्म का प्रश्न है वह काफी अच्छी है।

श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी : क्या मंत्रालय यह अनुभव करता है कि केवल देश में ही निर्माण पर निर्भर रहने से पांचवीं योजना के लक्ष्य पूरे नहीं हो पायेंगे और क्या औद्योगिक विकास मंत्रालय और योजना आयोग का भी यही विचार नहीं है। यदि हाँ, तो उक्त दोनों विभाग इसके क्या कारण बताते हैं ?

डा० के० एल० राव : यह सही है कि पांचवी योजना में हम देश की आवश्यकता पूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन करना चाहते हैं। हमारा विचार है कि लगभग दो करोड़ किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाय जो 1974 में हमारे बिजली उत्पादन से लगभग दुगना होगा। इसके लिए बहुत से अतिरिक्त उपकरणों को लगाने की आवश्यकता होगी। चूंकि उपकरणों की अपेक्षा बिजली उत्पादन का अधिक महत्व है चाहे वे देशी उपकरण हों या विदेशी अतः हमें आवश्यक उपकरण प्राप्त करने के प्रश्न पर बड़ी सावधानी से विचार करना होगा चाहे उन्हें देशी स्रोतों से प्राप्त किया जाना हो या विदेशों से। इस प्रश्न पर हम इन दिनों विचार कर रहे हैं। मंत्रियों की एक समिति इसके लिए बना दी गई है जिसके अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के सम्बद्ध विभाग के माननीय मंत्री हैं। जब दो या तीन महीने में उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी तब मंत्रालय इस निश्चय पर पहुँच जाएगा कि कितने उपकरण बाहर से मंगाने की आवश्यकता होगी और कितने का उत्पादन देश में ही किया जा सकेगा।

प्रोफेसर मधु दण्डवते : कोयले की मांग में 4 प्रतिशत वृद्धि और तेल की मांग में 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि दर है और तेल के लिए हमें आयात पर निर्भर करना पड़ता है इसलिए क्या हमें बिजली परियोजनाओं के विस्तार और इस कार्य के लिए उपकरण प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होगी ? यदि होगी तो, हम उस कठिनाई को कैसे दूर करेंगे ?

डा० के० एल० राव : मोटे तौर पर ये परियोजनायें पानी और कोयले की सहयता से संचालित होती हैं। इस देश में तेल पर आधारित परियोजनायें हम नहीं चला रहे हैं। इन परियोजनाओं में प्रायः बहुत ही कम तेल की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रश्न केवल कोयले और पानी की उपलब्धि का है। हमें आशा है कि अगले कुछ दशकों में ये दोनों ही हमारे पास यथेष्ट मात्रा में होगें। हमारे पास कोयले के यथेष्ट भण्डार हैं, वे हमारी आवश्यकता से भी अधिक हैं और हमारे यहां पर बिजली परियोजनायें भी काफी हैं इसलिए मैं नहीं सोचता कि अगली कुछ योजनाओं के लिए कोयले या पानी पर आधारित विभिन्न उपकरणों से सम्बन्धित कोई कठिनाई पैदा होगी।

श्री नवल किशोर सिन्हा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश के औद्योगिक और कृषि विकास के लिए बिजली का होना एक बुनियादी आवश्यकता है क्या मंत्री महोदय सदन को यह आश्वासन देंगे कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में इस बात की पूरी-पूरी व्यवस्था की जायेगी कि देशी निर्माता जनित्रों आदि की पूर्ति पर कोई रोक नहीं लगाएंगे और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बिजली पैदा करने का लक्ष्य, जो अभी 400 लाख किलोवाट निर्धारित किया गया है, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक येन-केन प्रकारेण पूरा कर लिया जायेगा।

डा० के० एल० राव : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है किन्तु जब तक मुझे समिति की रिपोर्ट नहीं मिलती और मैं देशी निर्माताओं के साथ इस विषय में और आगे बातचीत नहीं कर लेता तब तक मैं इस विषय में विस्तार से कुछ कहने में असमर्थ हूँ। किन्तु मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि बिजली की परियोजनाएं इस प्रश्न से अधिक महत्वपूर्ण हैं कि हम जनित्र देश में खरीदें या उनका आयात करें।

श्री राम सहाय पांडे : हम भोपाल हैवी इलेट्रिकल्स पर इतना ज्यादा धन इसीलिए खर्च करते

हैं कि सभी उपकरण देश में ही प्राप्त हो सकें। बिजली की परियोजनाओं के लिए टरवाइन आदि जैसे जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है क्या भोपाल हैवी इलेट्रिकल्स उनकी पूर्ति संतोषजनक रूप से कर देता है ? भोपाल इलेक्ट्रिकल्स से बिजली की परियोजनाओं के लिए कौन-कौन से उपकरण प्राप्त हो रहे हैं ?

डा० के० एल० राव : भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स वाले प्रश्न का सम्बन्ध पहले वाले एक प्रश्न से था।

जहां तक भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स से प्राप्त होने वाले उपकरणों की किस्म का सम्बन्ध है, वे काफी अच्छी किस्म के हैं। केवल सुपुर्दगी में कुछ विलम्ब की बात है। सुपुर्दगी लेने से पहले हमें उपकरणों की ढलाई, गडाई जैसी बातों को देखना होता है। हमें इन कठिनाइयों को दूर करना है। इस उद्योग में बहुत ज्यादा धन लगाना पड़ता है। घाटे से बचना पड़ता है। लेकिन यदि इस प्रकार होने वाले विलम्ब से बचना हो तो हमें उपकरणों का आयात करना पड़ेगा इस सन्दर्भ में हमें निजी निर्माताओं को पूरी सहायता देनी पड़ती है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है देश में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के कामों की अनदेखी कर दी जाए। इसलिए मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि समिति की रिपोर्ट मिलने पर ही स्थिति का सही पता चल सकेगा।

श्री राम सहाय पांडे : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैंने एक सीधा और खास प्रश्न पूछा था। हम भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स पर इतनी बड़ी रकम खर्च करते हैं किन्तु तब भी उससे उपकरणों की सप्लाई नहीं मिल पाती। मंत्री महोदय केवल विलम्ब की ही रट लगाए जा रहे हैं। कभी वह धन की कमी की बात करते हैं और कभी विलम्ब की। भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स पर इतनी भारी रकम खर्च करने के बावजूद भी उसका काम ठीक क्यों नहीं है ?

डा० के० एल० राव : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है ··

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय मेरी ओर ध्यान देंगे ? वह मेरी बात की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा विचार है कि मंत्री महोदय को आपके संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं और आप इसका उत्तर पाने के लिए जोर डाल रहे हैं।

Dr. Govind Das Richhariya : I want to know whether the Govt. of Uttar Pradesh had requested the Central Govt. to give them approval for importing machines ; and if so, whether the Hon'ble Minister has given the approval ?

डा० के० एल० राव : यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मशीनों का आयात करने की प्रार्थना की थी ··

अध्यक्ष महोदय : भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स के बारे में मैंने अभी विनिर्णय दिया है। अब सदस्य अपने राज्य के बाबत पूछ रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मंत्री महोदय का ज्ञान इतना व्यापक है कि वह उत्तर देने से इन्कार नहीं करते। लेकिन मुझे तो यह देखना होता है कि प्रश्न संगत भी है या नहीं।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार उन परियोजनाओं के लिए मशीनों का आयात करेगी जिनका काम मशीनों के अभाव में रुका पड़ा है जिससे बिजली की भारी कमी हो रही है और उद्योग एवं कृषि, दोनों का विकास नहीं हो पा रहा है ? उदाहरण के लिए निचली सिलेरू परियोजना का काम टरबाइनों के अभाव में रुका पड़ा है। क्या सरकार ऐसे मामले में उपकरणों के आयात का निर्णय करेगी ताकि ऐसी परियोजनाओं का काम पूरा हो सके जैसे कि सरकार ने रासायनिक खाद के मामले में आयात करने का निश्चय किया है ?

डा० के० एल० राव : हो सकता है कि निचली सिलेरू परियोजना का काम धन के अभाव में रुका पड़ा हो किन्तु यह बात नहीं कि पैसा है ही नहीं। आंध्र सरकार के पास इतना पैसा तो है ही कि काम समय पर पूरा हो सकता है। मशीनें निर्माण स्थल पर पहुंच गई हैं जब मशीनें निर्माण स्थल पर पहुंच जाती है तो काम शुरू किया जाता है। किन्तु इमारती निर्माण कार्यों के लिए राज्य सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं है और हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि परियोजना के काम में राज्य की किस प्रकार सहायता की जाय।

Shri Phool Chand Verma : Is the Hon'ble Minister aware, as just state by Hon'ble Member Shri R. S. Pandey, that the Capital outlay of Heavy Electricals, Bhopal is Rs. 56 crore, its accumulated loss is Rs. 70 crore ? Is it not a fact that the electrical equipments are not supplied in time because the Heavy Electricals, which is changed with the duty of manufacturing electrical equipments is continuously incurring losses ? And if so, the action proposed to be taken by Govt. in this regard ?

डा० के० एल० राव : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह प्रश्न औद्योगिक विकास मंत्रालय से किया जाना चाहिए क्योंकि हैवी इलेक्ट्रिकल्स भोपाल औद्योगिक विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। हम उनकी सप्लाई की हुई मशीनों को खरीदते हैं। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ।

रेलवे लाइनों पर कंक्रीट के स्लीपरों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव

*513. †**श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे लाइनों के नीचे इस समय बिछे लकड़ी के स्लीपरों के स्थान पर कंक्रीट के स्लीपर बिछाने का है;

(ख) ये कंक्रीट के स्लीपर गाड़ियों के अधिक तेज चलने में किस सीमा तक सहायक होंगे;

(ग) कंक्रीट के ये स्लीपर कितने टिकाऊ हैं; और

(घ) पहला प्रयोग किस लाइन पर किया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) केवल बड़ी लाइन के कुछ खण्डों में कंक्रीट स्लीपर इस्तेमाल करने का विचार है। लकड़ी के स्लीपरों का भी, जहां तक वे उपलब्ध होंगे, इस्तेमाल किया जायेगा।

(ख) रेल-पथ में कंक्रीट के स्लीपरों का इस्तेमाल करके रेल-पथ की दृष्टि से लगभग 160 किलोमीटर तक की रफ्तार से गाड़ियां चलाने की अनुमति दी जा सकती है।

(ग) और (घ) : कंक्रीट स्लीपर की आयु सामान्यत: 50 वर्ष मानी गयी है। दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता को मिलाने वाले मुख्य मार्गों पर कंक्रीट स्लीपर लगाने का विचार है।

Shri Nawal Kishore Sharma : It appears from the reply of the Hon'ble Minister that the decision to use concrete sleepers has been taken because of the shortage of wooden sleepers. In this connection I want to know whether the concrete sleepers will cost less than wooden sleepers. Whether the Hon'ble Minister wants to replace wooden sleapers by concrete sleepers on all the railway lines or on few railway lines ? There is already shortage of cement in the country. Therefore, has the Hon'ble Minister assured the availability of current for the construction of sleepers ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : लकड़ी के स्लीपरों का प्रति किलोमीटर मूल्य 16,800 रुपये है और कंक्रीट के स्लीपरों का 17,500 रुपये। देश में सीमेंट और लकड़ी दोनों की कमी है। एक का प्रयोग दूसरे के स्थान पर नहीं किया जा सकता। कंक्रीट के स्लीपरों का लगभग 50 साल तक प्रयोग किया जा सकता है जबकि लकड़ी के स्लीपरों का प्रयोग 12 से 15 साल तक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि हमें रेलमार्ग का आधुनिकीकरण करना है और गाड़ियों की गति को बढ़ाना है तो हमें कंक्रीट के स्लीपरों का प्रयोग करना होगा किन्तु निकट भविष्य में लकड़ी के स्लीपरों को कंक्रीट के स्लीपरों द्वारा उतनी तेजी से नहीं बदला जा सकेगा जितना कि हम चाहते हैं।

श्री बी० के० दास चौधरी : कंक्रीट के स्लीपर महंगे हैं यद्यपि उनका प्रयोग 50 साल के लगभग किया जा सकता है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सीमेंट की कमी है क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं, कि यदि सीमेंट के बजाय स्टील के स्लीपर बनाये जाएं तो उस पर कितना खर्च आयेगा या क्या उन्होंने इस प्रश्न की जांच की है ?

श्री टी० ए० पाई : स्टील के स्लीपर की लागत 16,800 रुपये बैठती है जबकि कंक्रीट के स्लीपर की लागत 17,500 रुपये है। किन्तु हमें स्टील के स्लीपर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सके — मेरा विचार है कि हमें साल में मुश्किल से पांच या छः लाख स्टील के स्लीपर मिल सकते हैं। जहां रेलमार्ग का विद्युतीकरण कर दिया गया है उन लाइनों के लिये कुछ विशेष कारणों से स्टील के स्लीपर उपयुक्त नहीं रहेंगे।

श्री वसन्त साठे : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी विशेष रेल-मार्ग जैसे बम्बई-पूना या दिल्ली-बम्बई या दिल्ली-कलकत्ता पर कंक्रीट के स्लीपर लगाने का कोई समय-बद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ? क्या कंक्रीट स्लीपर लगाने का कोई ठोस कार्यक्रम बनाया गया है ?

श्री टी० ए० पाई : 16,000 किलोमीटर दूरी वाले मुख्य ट्रक मार्गों बम्बई-दिल्ली, दिल्ली-कलकत्ता और कलकत्ता-मद्रास और 8,000 किलोमीटर दूरी वाली अन्य मुख्य मार्गों में लकड़ी के स्लीपरों के स्थान पर कंक्रीट के स्लीपर लगाने में 4 अरब 80 करोड़ रुपये लागत आयेगी और इस काम को एकाएक शुरू करना संभव नहीं है। जब नये स्लीपर लगाने होते हैं तो हम लकड़ी के स्थान पर कंक्रीट के स्लीपर लगाते हैं। किन्तु हम दिल्ली-हावड़ा जैसे कुछ मार्गों पर प्राथमिकता के आधार पर यह काम करना चाहते हैं ताकि उन मार्गों पर गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के लिये अन्य विकास कार्य किये जा सकें।

श्री वसंत साठे : यह काम आप कब तक पूरा करेंगे ?

श्री टी० ए० पाई : दिल्ली-हावडा मार्ग का काम आगामी पांच वर्षों में पूरा किया जायेगा। अन्य मार्गों पर यह कार्यवाही करना संभव नहीं है।

श्री किरुतिनन : पहले-पहल इस प्रयोजन के लिए कितनी रकम खर्च करने का विचार है और क्या गैर-सरकारी फर्मों को कंक्रीट स्लीपर बनाने के लिये आर्डर दे दिए गए हैं या कंक्रीट स्लीपरों का निर्माण सरकारी कारखानों में किया जायेगा ?

श्री टी० ए० पाई : इस समय गया, झाँसी, दिल्ली और मद्रास की चार फर्में और बम्बई की एक फर्म कंक्रीट के स्लीपर सप्लाई कर रही हैं। कुल 10 लाख स्लीपरों की सप्लाई की गई है। हमारा विचार है कि उत्पादन केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाए। नागपुर में रेल विभाग भी एक कारखाना खोल रहा है।

Shri Pannalal Barupal : Mr. Speaker with due apologies to you I would say that the Hon'ble Minister is an expert in economic matters but he is not an expert in Engineering. The Engineers will devise some method of corruption. Can the Hon'ble Minister give any guarantee that there would not be any corruption in cement and the cement meant for the construction of sleepers would not be sold in black market ? At present all the cement in Rajasthan which is priced at Rs. 11/- per bag is being sold in black market. At Rajasthan canal site all the cement is being sold in black market. There is nothing but corruption preventing in that area.

Steps should be taken to obviate the recurrence of such incidents in the construction of concrete sleepers as there is shortage of cement in the country. It appears that there would be black market in cement. Inferior quality of cement would be used in the construction of sleepers, the sleepers would crumble, there would be derailments and consequently many passengers would die.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Railway Deptt. would buy concrete sleeper after due testing as to whether it contains the due quantity of cement, stone and iron. Sleepers would be purchased only after due verification.

Pakistani Nationals Working in Indian Railways

†*514. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government propose to make certain changes in the Rules to ensure that Pakistani nationals are not appointed to any post on the Railways in future; and

(b) if so, the nature of changes proposed ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी नहीं। रेलवे के वर्तमान नियम पर्याप्त हैं।

Shri M. S. Purty : Will the Hon'ble Minister be pleased to state the rule under which Pakistani nationals cannot be appointing to any post in Railways ? Whether Govts. have any such information that some Pakistani nationals are already working in the Railways ? If so, what is the relation of Govt. thereto ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : नियुक्ति से पूर्व आवेदक को अपनी राष्ट्रीयता की घोषणा करनी होती है और उसकी घोषणा का सत्यापन पुलिस और सिविल अधिकारियों द्वारा किया जाता है। जहां तक सरकार की जानकारी है इस समय रेल विभाग में दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पाकिस्तानीराष्ट्रिक कहा जा सकता है। उनमें से एक बंगला देश का है और इसलिये उसकी राष्ट्रीयता अनिश्चित है, दूसरा ईसाई है जिसने गृह मंत्रालय को अपनी नागरिकता से नियमित करने के लिये आवेदन भेजा हुआ है। यदि माननीय सदस्य के पास कोई और जानकारी है तो वह कृपया मुझे दे दें।

अध्यक्ष महोदय : जहाँ तक बंगला देश का सम्बन्ध है, बंगला देश की राष्ट्रीयता निश्चित है, अनिश्चित नहीं, अगला प्रश्न पूछिए।

श्री जी० विश्वनाथ : जो उत्तर मन्त्री महोदय ने दिया है उसके बारे में पक्की तरह मालूम नहीं था। इसलिए मैं चाहता हूं कि वे स्पष्ट उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : बंगला देश की राष्ट्रीयता निश्चित है, अनिश्चित नहीं। मैंने मन्त्री महोदय के उत्तर को पहले ही सुधार लिया है।

इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा बनाए जाने वाले चार उर्वरक कारखानों के निर्माण के लिए जापानी फर्मों से ली गई तकनीकी सहायता

*516. †**श्री राजदेव सिंह** :

श्री एम० एस० पुरती :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चार उर्वरक कारखानों के निर्माण के लिये सरकारी क्षेत्र के डिजाइन उपक्रम इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड की कतिपय जापानी फर्मों से तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिये अनुमति प्रदान कर दी है,

(ख) यदि हां, तो क्या लगभग दो दशकों से इस कार्य में लगे होने पर भी इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड की तकनीकी जानकारी अब भी उर्वरक कारखाने का निर्माण करने के लिये पर्याप्त नहीं है; और

(ग) क्या ये चारों कारखाने किसी विशेष प्रकार के होते हैं किस कारण विदेशी जानकारी प्राप्त की जा रही है।

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) (क) **से** (ग) **तक** : एक विवरण पत्र जिसमें आवश्यक सूचना दी गई है संलग है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र में एक इन्जीनियर्स संस्थान, इन्जनीयर्स इण्डिया लि० ने उचित स्थानों पर, एक जापानी कम्पनी के साथ मिलकर, पांच उर्वरक कारखानों के निर्माण के लिये सुझाव प्रस्तुत किये हैं। यह इस आधार पर है कि शहरी वित्तीय आवश्यकतायें जापान से उपलब्ध ऋण सहयोग से पूरी की जायेंगी। प्रस्ताव में तटीय स्थानों पर दो कारखानों, जिनमें प्रत्येक में प्रतिदिन 1300 टन अमोनिया का उत्पादन होगा, और देश के भीतरी भागों में तीन कारखानों, जिनमें प्रत्येक में प्रतिदिन 900 टन अमोनिया का उत्पादन होगा, के निर्माण का विचार है। सभी पांच कारखाने कच्चे माल के रूप में ईंधन तेल पर आधारित हैं।

जापानी कम्पनी का सहयोग कारखानों के आकार तथा प्रयोग में लायी जाने वाली प्रौद्योगिकी और प्रायोजना के पूरी होने की निश्चित अवधि को विचार में रख कर लिया जा रहा है। प्रयोग में लाई जाने वाली कार्य प्रणाली अधिकतर वैसी ही होगी जैसी भारत में निर्माणाधीन कारखानों में प्रचलित।

1965 में अपने आरम्भ से इन्जीनियर्स इण्डिया लि० मौलिक रूप से विस्तृत डिजाइन इन्जीनियरिंग के क्षेत्र में और प्रोसेस प्लांट की प्राप्ति के लिये काम कर रहा है। वर्तमान कारखानों के सम्बन्ध में उनका उत्तरदायित्व इसी प्रकार का होगा। ऐसे सभी मामलों में यन्त्रों का निर्माण और संभरण की प्राप्ति दूसरे विक्रेताओं व निर्माताओं से इन्जीनियरिंग कम्पनी द्वारा दिये गये विस्तृत डिजाइन विशेष विवरण के अनुसार की जाती है।

श्री राजदेव सिंह : जापान से सहयोग क्या जापान से उपलब्ध होने वाली अपेक्षित ऋण सहायता को ध्यान में रखकर किया जा रहा है ?

श्री एच० आर० गोखले : जापानी ऋण की उपलब्धता के कारण नहीं बल्कि जापानी ऋण मिलने की संभावना पर सहयोग किया जा रहा है, यह उन कारणों में से एक है जिनके कारण इन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

श्री राजदेव सिंह : क्या पांचों संयंत्रों को लगाने के स्थानों का अन्तिम रूप से निर्णय हो गया है और उनको पूरा करने का समय-बद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ?

श्री एच० आर० गोखले : अभी उसका अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। यदि इन प्रस्तावों को स्वीकार किया गया तो इसमें यह व्यवस्था है कि ढाई साल के अन्दर काम पूरा हो जाएगा।

रेलवे प्रयोक्ताओं का बीमा करने की योजना

*517. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के प्रयोक्ताओं का और विशेषकर यात्रियों का बीमा करने का प्रस्ताव कब लागू किया जायेगा; और

(ख) उपरोक्त प्रस्ताव की अब क्या स्थिति है और उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) (क) **और** (ख) : श्रीमन्, यात्रियों का बीमा करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि यह प्रस्ताव किस ओर से आया और क्या इस सम्बन्ध में यात्री संघ (पैसेन्जरस असोसिएशन) के विचारों को ध्यान में रखा गया है ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : यह प्रस्ताव मंत्रालय की ओर से ही आया है। हमने यात्री संघ (पैसेन्जरस असोसिएयन) से सलाह नहीं ली है, हमें पहले इसका निर्णय करना है कि इसका ब्यौरा क्या होगा।

श्री एस० सी० सामन्त : इस मामले में अन्य किन-किन संस्थाओं की सलाह ली जायेगी ?

श्री टी० ए० पाई : इस योजना से यात्रियों को काफी लाभ होगा। बीमे का लाभ उन्हीं को मिलता है जो जोखिम उठाते हैं या जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। इसलिए अब इस मामले में किसी से सलाह लेना सम्भव नहीं है।

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

टेलीविजन पर क्रिकेट मैच का दिखाया जाना

1. †**श्री शशि भूषण** :

श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, भारत और एम० सी० सी० के बीच 20 दिसम्बर, 1972 से दिल्ली में खेले जाने वाले प्रथम अधिकृत क्रिकेट टैस्ट मैच को टेलीविजन पर दिखाने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री : धर्मवीर सिंह (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : अब इस से कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं उठना चाहिए।

Shri Shashi Bhushan : Mr. Speaker Sir, first of all I thank the Govt. on behalf of the Cricket-fans. But would the Govt. arrange to show us cricket match on T. V. in Central Hall as was done earlier ?

श्री धर्मवीर सिंह : हमें यह व्यवस्था करने में बहुत प्रसन्नता होगी।

Mr. Speaker : Please make the request regarding Central Hall to me and not to the Hon'ble Minister. I will not accede to the request, if the request is made to the Hon'ble Minister.

---

†अ० सू० प्र० संख्या

Shri Shashi Bhushan : I also thank you for taking so much interest in us.

Mr. Speaker : I shall arrange this time also. Atleast you would be present in the House.

एक माननीय सदस्य : सदन में गणपूर्ति नहीं रहेगी ।

श्री एस० एम० बनर्जी : 20. 21 और 22 तारीख को हम संसद में उपस्थित रहेगे और टैस्ट मैच नहीं देख सकेंगे । कम से कम हम टेलीविजन पर मैच देख सकेंगे ।

Shri Inderjit Gupta : Your permission is needed for installation of T. V. in the Central Hall.

Mr. Speaker : There is no need of permission. You instal the T.V. I would welcome it. If possible instal T. V. in every room.

Shri Shashi Bhushan : How much royalty the Govt. is paying to the cricket control Board for telecasting the cricket match ?

श्री धर्मवीर सिंह : पहले दिल्ली क्रिकेट असोसिएशन को, जो इस सम्बन्ध में नियंत्रक प्राधिकरण है, यह भय था कि इससे उनके टिकटों की बिक्री कम होगी किन्तु अब उन्होंने दिल्ली क्रिकेट असोसिएशन के प्रेजिडेंट श्री ब्रह्म प्रकाश मेहरा के कहने पर टेस्ट मैच का टी० वी० प्रसारण करने की अनुमति दे दी है और इसके लिए हमने उन्हें 25,000 रुपये देना स्वीकार कर लिया है ।

श्री फतेहसिंह राव गायकवाड : क्या यह रकम इसी टेस्ट श्रृंखला के लिए या स्थायी तौर पर दी जानी तय की गयी है ?

श्री धर्मवीर सिंह : यह व्यवस्था केवल दिल्ली के टैस्ट मैच के बारे में की गई है ।

श्री बसंत साठे : क्या बम्बई टैस्ट मैच के लिए भी यह सुविधा दी जायेगी ?

श्री धर्मवीर सिंह : हम इस बात पर विचार करेंगे ।

श्री समर गुह : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सत्र के दौरान केवल यही एक अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार किया गया है । क्या यह इतना महत्वपूर्ण, इतना अत्यावश्यक और गम्भीर किस्म का है ?

Shri Hukam Chand Kachwai : Notices of Question more important than there are given but they are not admitted.

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

माल तथा यात्री यातायात में वृद्धि

*501. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** :

श्री के० लकप्पा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल तथा यात्री यातायात गत 20 वर्षों में दो गुना हो गया है;

(ख) क्या रेल यातायात में वृद्धि के बावजूद रेल विभाग को होने वाले लाभ में आनुपातिक वृद्धि नहीं हुई है, और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई०) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) 1965-66 तक रेलें ब्याजदेय पूंजी पर निर्धारित दर से लाभांश के बाद लाभ दिखाती रही हैं। बाद के 5 वर्षों में लाभांश के भुगतान के बाद सचालन के परिणाम में घाटा रहा। 1971-72 में स्थिति फिर बदल गयी।

1965-66 से रेलों की वित्तीय स्थिति में ह्रास के कारण इस प्रकार रहे हैं :

(i) किराये और भाड़े में जो वृद्धि की गयी, वह कर्मचारियों की मजदूरी और ईंधन, रेल भण्डार और उपस्कर की लागत में वृद्धि के कारण परिचालन की निरन्तर बढ़ती हुई लागत के अनुरूप नहीं थी।

(ii) 1965-66 के बाद यातायात की मात्रा प्रत्याशित स्तर तक नहीं बढ़ी।

हल्दिया उर्वरक उद्योग समुह की स्थापना में विलम्ब

*504 **श्री समर गुह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में हल्दिया उर्वरक उद्योग समूह की स्थापना में निहित मामलों पर शीघ्र निर्णय लेने में सरकार असफल रही है,

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और उर्वरक संयंत्र में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा, और

(ग) क्या इस कारण हल्दिया उर्वरक परियोजना के लिए नियत विदेशी मुद्रा भी लौटानी पड़ी है ?

विधि और याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : जी नहीं, मुख्यतः उत्पादन के जटिल पैटर्न तथा सरकार के भारी निवेश के कारण हल्दिया परियोजना की स्थापना से सबधित विभिन्न बातों को निपटाने में समय लग गया है। आशा है कि इस संयन्त्र में 1976 के प्रारम्भ में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जायेगा।

(ग) जी नहीं।

Target fixed by States for Production of Additional Power During Fifth Plan

*506. **Dr. Govind Dass Richharia** : Will the Minister of **Irrigation & Power** be pleased to state :

(a) the targets fixed by the various States for the production of additional power during the Fifth Five Year Plan and the break-up of figures in respect of hydro power, thermal power and atomic power, separately; and

(b) the number of projects to be set up under the Central Government and their proposed targets ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) & (b) : The targets fixed by the various States for production of additional power during the Fifth Five Year Plan have yet to be finalised. The Union Ministry of Irrigation and Power has drawn up a power development programme for the Fifth Five Year Plan envisaging an addition of 21.8 million kw of generating capacity during the Plan period for the whole country.

The State-wise/Region-wise additions proposed, showing the hydro-thermal and nuclear capacities separately is enclosed at Annexure. **[Placed in Library See No. L.T. 4074/72]**

The projects to be taken up under Central Sector are also shown therein. The Sixth Conference of State Irrigation and Power Ministers held in June, 1972 has endorsed this Power Development Plan and recommended its implementation. While specific projects are already being processed for inclusion in the Fifth Plan, the targets for the Fifth Plan as such have not so far been finalised by the Planning Commission.

रेलवे कार्यालय का पठानकोट से जम्मु स्थानान्तरण

*510. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे संदेशन मुख्यालय को पठानकोट (पंजाब) से जम्मू स्थानान्तरित किया जा रहा है, और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और स्थानान्तरण पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिजली बचत समिति की सिफारिशें

*515 : **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित बिजली बचत समिति की सिफारिशें लागू कर दी गई हैं, और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव): **(क) और (ख)** : जी हां। विद्युत बचत समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(i) सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय ने इन महत्वपूर्ण सिफारिशों पर कार्य किया है :

(एक) लम्बी अवधि के लिये विद्युत आयोजन शुरू कर दिया है तथा 1971-81 के लिये दशाब्दी (विद्युत-जनन) योजना तैयार की जा चुकी है।

(दो) क्षेत्रीय आधारों पर लाभ पहुंचाने के लिए केन्द्र ने तीन जल-विद्युत परियोजनाओं नामश: जम्मू-कश्मीर, में सलाल, हिमाचल प्रदेश में बैरा-सियूल और मणिपुर में लोकतन्त्र का कार्यान्वयन आरम्भ कर दिया है।

(तीन) क्षेत्रीय ग्रिड तार-जालों के, जो कि अन्तत: राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड बनाने में सहायक होंगे, समेकित प्रचालन में तीव्रता लाने के लिए उपाय पहले ही किये जा चुके हैं।

(चार) केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के एक पूर्णकालिक संस्थान के रूप में पुनर्गठन करने और वास्तव में विद्युत सप्लाई उद्योग की पुनर्संरचना के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(पांच) 1971-81 की दशाब्दी योजना में अभिज्ञात स्कीमों का अनुसंधान कार्य आरम्भ कर दिया है।

(छ:) जल-विद्युत ऊर्जा विकास पर बल दिया जा रहा है। पांचवीं योजना में कई जल-विद्युत परियोजनाओं को आरम्भ करने का प्रस्ताव है, जिससे जल-विद्युत प्रतिष्ठापित क्षमता में पांचवीं और छटी योजनाओं में पर्याप्त वृद्धि हो जाएगी।

(सात) प्रचालन और अनुरक्षण कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना/विस्तार किया जा रहा है।

(आठ) केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में अभिकल्प तथा इन्जीनियरी संगठन को सुदृढ़ किया जा रहा है।

(2) जल-विद्युत तथा ताप-विद्युत केन्द्रों में बचत तथा कुशलता में सुधार लाने सम्बन्धी और विद्युत सप्लाई में विश्वसता तथा पारेषण और वितरण में हानियों को कम करने से सम्बद्ध स्कीमों को कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों आदि को निर्दिष्ट कर दिया है।

(3) ईंधन उपलब्धता, कोयला-वाशरियों के उत्पादनों के समुपयोजन तथा उनका मूल्य-निर्धारण, ताप विद्युत केन्द्रों को कोयला ले जाने के लिए रेल-एक्कों को चालू करने सम्बन्धी कुछ सिफारिशों की, सम्बद्ध मन्त्रालयों के साथ परामर्श करके, जांच की जा रही है।

Irrigation of Areas Through Gandak, Kosi and other River Valley Projects

*518. **Shri Madhukar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether after the completion of Gandak, Kosi and other river valley projects in progress, there would still be some areas left in Bihar which would not be irrigated through canals ;

(b) if so, the acreage of such land ; and

(c) the schemes chalked out by Government to irrigate such areas ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) to (c) : The geographical area of Bihar State is 17.39 m.ha. According to the land utilisation statistics (relating to 1969-70, the latest year for which details are available) the net area sown is 8.40 m. ha. Taking into account area sown more than once in a year the total cropped area is 11.06 m. ha. The corresponding net and gross irrigated area from all sources (major, medium, minor) were 2.23 m. ha. and 2.74 m. ha. respectively.

The ultimate irrigation potential by major and medium irrigation schemes in Bihar has been assessed as 4.5 m. ha. The irrigation potential of all the major and medium schemes (including pre-plan) taken upto March, 1972, on their full completion will be 3.6 m. ha., which will mean an achievement of 90% of the ultimate possibilities, as assessed at present. The potential created upto March, 1972, from these schemes is 1.72 m.ha. and the balance works which are under execution will be carried into 1973-74 and the Fifth and subsequent Five Year Plans, as may be necessary. The State Government are contemplating the early completion of these ongoing schemes. To cover the remaining 0.9 m. ha., various specific schemes are under examination/detailed investigation. The schemes under examination in Central Water and Power Commission would cover 0.4 m. ha. and those still under detailed investigation in Bihar would cover 0.5 m. ha.

ट्रैवल एजेंसियों और रेलवे पास होल्डरों द्वारा अत्यधिक सीटें आरक्षित करवाया जाना

*519. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में सीटों का आरक्षण जो अब तक 10 दिन पहले होता था अब 30 दिन पहले कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह व्यवस्था किन-किन रेलगाड़ियों के लिए की गई है;

(ग) इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप यात्रियों को क्या लाभ होगा; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि ट्रैवल एजेंसियों और रेलवे के पास होल्डर काफी सीटें पहले से ही आरक्षित करवा लेते हैं; यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है कि किराया देने वाले वास्तविक यात्रियों को उचित अवधि के भीतर, जैसे अब 10 दिन की अवधि निर्धारित थी, सीटें उपलब्ध हो सकें ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : **(क) और (ख)** : जी हां। 15-11-1972 से एक महीने के

लिए दूसरे दर्जे, तीसरे दर्जे और तीसरे दर्जे के वातानुकूल कुर्सीयान में अग्रिम बुकिंग के लिए समय सीमा 10 दिन से बढ़ा कर 30 दिन और पहले दर्जे के वातानुकूल में 640 किलोमीटर तक दूरी के लिए तथा पहले दर्जे के लिए 20 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गयी थी, चूंकि संसद् सदस्य श्री कृष्ण कांत की अध्यक्षता में बनी आरक्षण एवं बुकिंग संबंधी समिति चाहती थी कि इस सम्बन्ध में रेलों द्वारा एक अध्ययन किया जाये । यह प्रयोग सभी गाड़ियों के बारे में किया गया था ।

(ग) और (घ) : अभी इस प्रयोग के परिणामों का अध्ययन किया जाना है और उस अध्ययन का परिणाम आरक्षण एवं बुकिंग संबंधी समिति को बता दिया जायेगा । गैर-मान्यता प्राप्त यात्रा एजेंसियों तथा दूसरे समाज-विरोधी तत्वों द्वारा शायिकाएं और सीटें हथिया लिये जाने के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं । यह शिकायतें भी आरक्षण एवं बुकिंग सम्बन्धी समिति के नोटिस में लायी जायेंगी । यह प्रयोग 14-12-1972 को बंद कर दिया गया था और यात्रियों को गाड़ियों में नियमानुसार, अर्थात 15-11-72 से पहले मौजूद नियमों के अनुसार अपने अग्रिम आरक्षण कराने की अनुमति है ।

Upgrading of Pay-Scales of Train Examiners

*520. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Railway Board had sent a circular to the General Managers of the Zonal Railways on the 30th October last in regard to upgrading of initial pay-scales of Train-Examiners ; and

(b) if so, the gist thereof and the reasons for upgrading the pay scales ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Yes, Sir.

(b) The circular is for implementation of the decision that the lowest grade of Train Examiners, viz. Rs. 180-240, should be abolished and that the existing staff working in that grade should be placed en-mas e in grade Rs. 205-280 with effect from 1. 11. 1972.

Consequent upon re-organisation of the cadre of Train Examiners with effect from 1. 4. 1966, the grade of Rs. 180-240 was allotted solely for staff promoted from the ranks of artisans. These promotees made several representations that while they were performing the same type of work as other Train Examiners, they were put to a hardship by being placed in the lower grade. Having regard to the fact that the types of wagons and coaches of late have become more and more sophisticated, it was felt that there was justification for placing them in the scale Rs. 205-280. This also incidentally brought the initial scale of pay of Train Examiners at par with the initial scale of pay of other Supervisory staff in technical branches.

संघ लोके सेवा आयोग द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा

4850. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग सिविल मैकेनिकल और इलैक्ट्रिकल/टैलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरों के चयन के लिए इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा नाम की प्रतियोगी परीक्षा प्रति वर्ष आयोजित करता है;

(ख) क्या कृषि इंजीनियरिंग स्नातकों को इस परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाता है जबकि विभिन्न विभागों में ऐसे इंजीनियरों की मांग है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि इंजीनियरिंग स्नातकों को इस संयुक्त परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति देने का है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली क्षेत्र में रुट रिले इन्टरलाकिंग सिस्टम (उत्तर रेलवे) पर हजरत निजामुद्दीन तिलक ब्रिज दया बस्ती रेलवे स्टेशनों पर कर्मचारियों की नियुक्ति

4851. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब दिल्ली क्षेत्र में हजरत निजामुद्दीन तिलक ब्रिज, दयाबस्ती में "रुट रिले इंटरलाकिंग सिस्टम" आरम्भ किया गया था, तो क्या इन स्टेशनों के रख-रखाव के लिए सिग्नल और दूर संचार विभाग के लिए विभिन्न श्रेणियों के कितने कितने कर्मचारियों की मंजूरी दी गई थी; और

(ख) क्या रखरखाव के लिये कर्मचारियों को मंजूर शुदा संख्या में नियुक्त किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : **(क) और (ख)** : तीन मार्ग रिले अन्तर्पाशन संस्थानों के चालू होने के बाद निर्माण कर्मचारियों द्वारा उनका अनुरक्षण किया जा रहा है क्योंकि कुछ छोटे बचे हुए निर्माण कार्य पूरे किये जा रहे हैं । इन संस्थानों के अनुरक्षण के लिए अतिरिक्त कर्मचारी रखने के प्रस्ताव को रेल प्रशासन द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कृषि इंजीनियर स्नातकों को प्रबन्धक प्रशिक्षणार्थियों के रूप में भर्ती

4852. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक निगम अनेक प्रबन्धक/तकनीकी प्रशिक्षणार्थियों की प्रतिवर्ष भर्ती करता है ;

(ख) गत तीन वर्षों में ऐसे कितने प्रशिक्षणार्थी भर्ती किये गये और भर्ती करने का तरीका क्या है;

(ग) क्या उर्वरक निगम ने गत तीन वर्षों में कृषि मशीनरी और औजारों से सम्बद्ध सेवाओं के लिये कृषि इंजीनियर स्नातक प्रबन्ध प्रशिक्षणार्थियों के रूप में भर्ती किये थे; और

(घ) यदि हां, तो उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : **(क) से (घ)** : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे अधिकारियों के लिये आरक्षण कोटे का औचित्य

4853. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मुख्य मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों में दोनों अप और डाऊ न जैसे ग्रेड ट्रंक, सदर्न एक्सप्रेस, कलकत्ता मेल, बम्बई मेल, फ्रंटियर मेल तथा अन्य रेलगाड़ियों में सीट प्राप्त करने के लिए भारी मांग और लम्बी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए वातानुकूलित, प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी के डिब्बों में विशेष पासों/पी० टी० ओ० से यात्रा करने वाले रेलवे अधिकारियों के लिए कोई कोटा आरक्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मुख्य मेल और एक्सप्रेस गाड़ी में कितने स्थान आरक्षित किये जाते हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं जबकि यात्री जो किराया देते हैं स्थान प्राप्त करने से असमर्थ रहते हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) आरक्षण के मामले में पासधारियों को कोई तरजीह नहीं दी जाती है ।

राजग्राम स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर मैसर्स राजगांव स्टोर कं० (प्रा०) लिमिटेड को सप्लाई किए गए वैगन

4854. **डा० सरदीश राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में (वर्षवार) राजग्राम स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर मैसर्ज राजगांव स्टोर कं० (प्रा०) लिमिटेड को कितने खाली वैगन दिये गये;

(ख) क्या यह सप्लाई प्रबन्धकों और रेलवे के बीच हुए समझौते के अनुसार है; और

(ग) क्या खाली वैगन की सप्लाई घट गई है और यदि हां, तो क्यों ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) 4527 माल डिब्बे 1970 में, 2677 माल डिब्बे 1971 में और 2275 माल डिब्बे 1972 में (30 नवम्बर तक) ।

(ख) प्रबन्धकों और रेलवे के बीच हुए करार में उन्हें प्रतिदिन सप्लाई किये जाने वाले माल डिब्बों की संख्या की कोई शर्त नहीं है ।

(ग) जी हां । पिछले दो वर्षों से पश्चिम बंगाल की कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति के कारण माल डिब्बों की समग्र उपलब्धता पर दुष्प्रभाव पड़ा है । सीमित उपलब्धता के अन्तर्गत विभिन्न वस्तुओं की मांगों को उनके तुलनात्मक महत्व और उनकी अग्रता के अनुसार पूरा किया जा रहा है ।

रेल तेल कम्पनियों द्वारा ईंधन तेल के मूल्य में वृद्धि किया जाना और ईंधन तेल पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

4855. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त विश्व में तेल कम्पनियों ने ईंधन तेल के मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो कब तक और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या सरकार ने नेफ्था की अपेक्षा ईंधन तेल पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने सम्बन्धी अपने निर्णय पर पुनः विचार किया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : हल्के ईंधन तेल (भट्टी के तेल) को सम्मिलित करते हुए, कुछ समय पहले सभी उत्पादों के मूल्यों में कुछ वृद्धि हो गई थी । यह मौसमी वृद्धि है और इससे संभरण सामग्री के रूप में यथासंभव ईंधन तेल पर सभी आगामी उर्वरक संयंत्रों को आधारित करने के सरकार के निर्णय में पुनरीक्षण करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

खाना पकाने के काम आने वाली गैस के मूल्यों में कमी

4856. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाना पकाने के काम आने वाली गैस के मूल्यों में कमी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का सारांश क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : तरल गैस, जिसे, जब यह घरेलू ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है, एल पी जी अथवा कुकिंग गैस भी कहते हैं, का मूल्य 1-8-1972 के सरकार द्वारा उन्हीं आधारों पर, जो प्रपुंज शोधित पेट्रोलियम उत्पादों के बारे में अपनाये गये थे, अर्थात् शोधनशाला के बाहर मूल्य निर्धारित करने से, पर निर्धारित किया गया हैं । झड़े, उपभोक्ता के लिये विक्रय मूल्य विपणन प्रभार एजेंट का कमिशन, विक्रय कर आदि को जोड़ने के बाद निर्धारित किया जाता है । मूल्य के इस निर्धारण से कुछ स्थानों पर उपभोक्ताओं के विक्रय मूल्यों में कमी हुई है और कमी की सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि तेल कम्पनियों द्वारा पहले मूल्य किस तरह निर्धारित किये गये थे और उक्त आधारों पर अब इसका पुनः निर्धारण किया है । कुकिंग गैस के मूल्य का हाल ही में युक्तिकरण किया गया है और कुकिंग गैस के मूल्य में और कमी करने के लिए सरकार इस समय किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

इंजीनियर्स इंण्डिया लिमिटेड में कृषि इंजीनियरों की संख्या

4857. **श्री दामोदर पांडे** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में कृषि इंजीनियरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कृषि इंजीनियरों की संख्या कितनी है;

(ग) स्नातक कृषि इंजीनियरों को क्या प्रोत्साहान और प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(घ) इन इंजीनियरों की भर्ती का तरीका क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इंजीनियर इन्डिय. लि० के कर्मचारी वर्ग में कोई कृषि इंजीनियर नहीं है ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर ऐसोसिएशन द्वारा रेल मंत्री को ज्ञापन दिया जाना

4858. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर एसोसिएशन ने 29 नवम्बर, 1972 को नई दिल्ली में उनको कोई ज्ञापन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है जिसमें मागें तथा उन पर सरकार की प्रतिक्रिया बतायी गयी है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4075/72**]

दिल्ली से केरल को सीधी रेल सेवा

4859. **श्री वयालार रवि** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार दिल्ली और अन्य उत्तरी नगरों से केरल को कुछ सीधी रेल गाड़ियां चलाने का है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : जी हाँ, 26-1-1973 से नयी दिल्ली और कोच्चिन/मंगलूरु के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली एक जनता एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का विचार है ।

उड़ीसा में तालचेर तापीय, बिजली घर के विस्तार की योजना

4860. **श्री एल० एम० जोजफ** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) हाल में योजना आयोग ने उड़ीसा के तालचेर में तापीय बिजली घर का विस्तार करके इसे राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने को योजना का अनुमोदन किया है, और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : योजना आयोग ने हाल ही में उड़ीसा में तालचर ताप विद्युत केन्द्र के विस्तार, जिसमें 3,840.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 110 मेगावाट प्रति यूनिट क्षमता की दो विद्युत-जनन यूनिटें लगाना सम्मिलित है, को पांचवीं योजना में चालू करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। विद्युत जनन लागत 5.24 पैसे प्रति यूनिट होना प्रत्याशित है।

Setting up Fertilizer Complex in Rajasthan

4861. **Shri M. C. Daga** : Will the Minisier of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government of Rajasthan have asked the Central Government to set up fertilizer complex in Rajasthan ;

(b) if so, on what basis and the reaction of the Central Government thereto :

(c) whether the Central Government have appointed the General Manager, F. C. I. as Chairman of the Expert Committee and asked the Committee to submit a report on the subject; and

(d) if so, the time by which its report would be received ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) ; (a) & (b) On a request from the Govt. of Rajasthan in regard to the setting up of a fertilizer complex based on the pyrites and rock phosphate deposits in the State, a Working Group was set up by the Govt. of India to look into the feasibility of setting up of a fertilizer complex in Rajasthan. The Working Group has indicated the possibility of establishing such a complex in Rajasthan.

(c) and (d) No Sir. However, a team of Engineers of the Fertilizer Corporation of India visited Rajasthan, some time back, in this connection. A Technoeconomic Feasibility Report regarding the establishment of the fertilizer complex in Rajasthan will be prepared after firm data on the economic availability of basis raw materials like pyrites, rock phosphate and essential utilities become available from studies which are already under way.

मुंडका हाल्ट स्टेशन पर मासिक सीजन टिकट बेचने की व्यवस्था

4862. **श्री डी० के० पंडा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहतक-दिल्ली सैक्शन पर मुंडका हाल्ट स्टेशन पर मासिक सीजन टिकट बेचने की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण दैनिक यात्रियों को अपने मासिक सीजन टिकट अन्य स्टेशनों से लेने पड़ते हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिए मुंडका पर मासिक सीजन टिकट बेचने की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हाँ।

(ख) मासिक सीजन टिकटें जारी करने के लिए एक बुकिंग क्लर्क को हर बुधवार को मुंडका हाल्ट स्टेशन पर भेजने की व्यवस्था की गयी है।

रोहतक दिल्ली सैक्शन पर 2 डी के आर रेलगाड़ी में भीड़ का कम किया जाना

4863. **श्री डी० के० पंडा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहतक दिल्ली सैक्शन पर 2 डी के आर रेलगाड़ी में अत्यधिक भीड़ होती है और यात्रियों को बहुत असुविधा होती है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस रेलगाड़ी में भीड़ को कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) अप्रैल, 1972 की गणना के अनुसार 2 डी के आर रोहतक-दिल्ली-सफदरजंग शटल के उपयोग के विश्लेषण से मालूम हुआ है कि शकूरबस्ती-दिल्ली-किशनगंज खण्ड पर मामूली भीड़-भाड़ रहती है ।

(ख) इस गाड़ी में स्थान बढ़ाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इस गाड़ी में पहले से ही अधिक म अनुमत संख्या में डिब्बे लगाये जा रहे हैं ।

बहादुर गढ़ और रोहतक के बीच दोहरी रेलवे लाइन

4864. **श्री डी० के० पडा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहादुरगढ़ और रोहतक के बीच दोहरी रेलवे लाइन बनाने का काम निर्धारित समय के अनुसार नहीं चल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) बहादुरगढ़ और सांपला के बीच दोहरी रेलवे लाइन के कब तक पूरी हो जाने और यातायात के लिए खुल जाने की आशा है ।

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) यह काम कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ?

(ग) अक्टूबर, 1973 तक ।

नांगलोई बहादुरगढ़ दौहरी रेलवे लाइन पर यात्री यातायात

4865. **(श्री डी० के० पंडा)** : क्या रेल मन्त्री नांगलोई और बहादुरगढ़ तथा बहादुरगढ़ और रोहतक के बीच दोहरी रेलवे लाइन बिछाने के बारे में 9 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5431 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नांगलोई बहादुरगढ़ दौहरी रेलवे लाइन को निर्धारित समय के अनुसार अर्थात् जुलाई, 1972 को माल यातायात के लिये खोल दिया था जैसा कि उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में कहा गया था,

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ग) उपरोक्त लाइन को यात्री यातायात के लिए कब तक खोला जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं । इसे 3-10-1972 को खोला गया था ।

(ख) प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण दो महीने का विलम्ब हुआ ।

(ग) फरवरी, 1973 ।

भारतीय रेलों में जलपान की व्यवस्था करने वाले अनुसूचित जातियों । जनजातियों के ठेकेदार ।

4866. **श्री ए० एस० कस्तूरे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलों में, जौनवार, जलपान की व्यवस्था करने वाले ठेकेदारों की कुल संख्या कितनी है और अनुसूचित जातियों। अनुसूचित जनजातियों के ठेकेदारों की संख्या कितनी है और

(ख) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों को ठेका देने में कोई प्राथमिकता दी जाती है ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) रेलों में क्षेत्रवार खानपान और विक्रय ठेकेदारों की कुल संख्या तथा अनुसूचित जातियों। जनजातियों के ठेकेदारों की संख्या नीचे दी गई है :

क्षेत्र का नाम	ठेकेदारों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों, जनजातियों के ठेकेदारों की संख्या।
मध्य	317	18
पूर्व	429	38
उत्तर	986	36
पूर्वोत्तर	622	17
पूर्वोत्तर सीमा	609	68
दक्षिण	480	1
दक्षिण-मध्य	264	11
दक्षिण-पूर्व	212	20
पश्चिम	1373	45

(ख) अनुसूचित जातियाँ/जनजातियों के प्रार्थियों को $\frac{1}{2}$ यूनिट तक के ठेके तरजीही आधार पर आबंटित किये जाते हैं बशर्ते वे इस काम के लिए हर तरह से अन्यथा योग्य हों। यूनिट से अधिक के बड़े ठेकों के मामले में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के प्रार्थियों को केवल उसी हालत में तरजीह दी जाती है जब वे ऐसे ठेकों का सन्तोषजनक ढंग से प्रबन्ध करने की योग्यता में अन्य ठेकेदारों के समान पाये जाते हैं।

गिरि नदी पर भण्डारण बांध को स्वीकृति

4867. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गिरि नदी पर एक भण्डारण बांध बनाने की स्वीकृति दी है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है और इससे क्या-क्या लाभ होंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : **(क) और** (ख) : हिमाचल प्रदेश सरकार गिरि बाटा जल-विद्युत परियोजना का निर्माण कर रही हैं जिसमें जतेउन पर एक बराज और माजरी पर 60 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता वाले एक विद्युत केन्द्र और 6.24 किलोमीटर सुरंग का प्रतिष्ठापन सम्मिलित है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 13 करोड़ रुपये है।

बाटा नदी के दक्षिण तथा वाम तटों पर पाउंटा घाटी में 10530 एकड़ क्षेत्र की खरीफ में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए माजरी विद्युत केन्द्र के टेल-रेस जल का उपयोग करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव किया है जिस पर 98.4 लाख रुपये व्यय होंगे। इस परियोजना के

सम्बन्ध में राज्य सरकार से मांगी गई कुछ सूचना की अभी प्रतीक्षा की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर इस परियोजना की स्वीकृति करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

गिरि नदी के ऊपर एक जलाशय बांध के लिए कोई भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अथवा प्राक्कलन अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं ।

एक सीट के लिए दो बार आरक्षण शुल्क वसूल करना

4868. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों से तीसरी श्रेणी के प्रत्येक शयन स्थान के लिए प्रति रात्रि 4.50 रुपये लेने के बाद भी, जिसमें 0.50 रुपये बैठने के स्थान के लिए भी शामिल है, वे ही सीटें रात्रि में अन्य यात्रियों को दे दी जाती है और शयन स्थान वाले यात्रियों को ठीक 9.00 बजे रात को बैठने के स्थान छोड़ने पर बाध्य किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसी सीट के लिए दो बार शुल्क क्यों वसूल किया जाता है, और

(ग) क्या इस बारे में रेलवे प्रयोक्ताओं से शिकायतें मिली हैं और यदि हाँ, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई०) : **(क) और (ख)** : सोने के लिए स्थान की व्यवस्था केवल 21.00 बजे से 6.00 बजे तक के लिए की जाती है जिन यात्रियों का 2-टियर वाले तीसरे दर्जे के शयन यानों में आरक्षण किया जाता है उन्हें 4.50 रुपए का भुगतान करने पर रात के समय में शायिकायें और दिन के समय बैठने की सीटें आवटित की जाती हैं । रात के समय ऐसे यात्रियों द्वारा खाली की गई सीटें 21.00 बजे और 6 00 बजे के बीच यात्रा के लिए अन्य टिकटधारियों को दूसरे दिन 50 पैसे प्रति सीट अदा करने पर आवंटित कर दी जाती हैं। यह फीस यह सुनिश्चित करने के लिए ली जाती है कि स्थान का उपयोग सदाशयी यात्रियों द्वारा किया जाय और शयनयान में भीड़ भाड़ न हो ।

(ग) कुछ अभ्यावेदन मिले थे लेकिन वर्तमान प्रणाली में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा जाता ।

इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) की टिकट निरीक्षण शाखा के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध जांच

4869. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मन्त्री इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) की टिकट निरीक्षण शाखा के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध जांच के बारे में 21-3-1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 867 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद स्थित डिवीजनल अधीक्षक के कार्यालय के मुख्य निरीक्षक (टिकट) और वाणिज्यिक शाखा के क्लर्क के विरुद्ध जांच पूरी कर ली गई है,

(ख) यदि हां, तो जाच का क्या परिणाम निकला है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) यदि नहीं, तो जांच को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : **(क) से (ग)** : फाइल खो जाने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच द्वारा ये दोनों कर्मचारी प्रत्यक्षत: जिम्मेदार पाये गये थे जिसके बाद उन दोनों के विरुद्ध रेल कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियमों के अधीन कार्यवाही की गई थी । क्लर्क के विरुद्ध लगाये गये आरोप

अन्ततः स्थापित नहीं हो पाये इसलिए उसके विरुद्ध मामला अब फाइल किया जा चुका है। अनुशासन और अपील नियमों के अधीन मुख्य निरीक्षक (टिकट) के विरुद्ध की जाने वाली जांच अन्तिम स्थिति में है इसलिए ऐसी संभावना है कि उसके विरुद्ध जो मामला है उसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जा सकेगा।

फतहपुर रेलवे स्टेशन पर अल्पाहार कक्ष के ठेकेदार से प्रतिभूति की वसूली

4870 **श्री एम० एस० बनर्जी** : क्या रेल मन्त्री फतहपुर रेलवे स्टेशन पर अल्पाहार कक्ष के ठेकेदार द्वारा प्रतिभूति जमा कराने के बारे में 28 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1289 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है जिन्होंने प्रतिभूति की राशि वसूल नहीं की, और

(ख) क्या अब यह राशि ठेकेदार से वसूल कर ली गई है और यदि नहीं, तो इसे वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हाँ।

(ख) नोटिस जारी कर दिए जाने के बावजूद ठेकेदार ने प्रतिभूति की राशि का भुगतान नहीं किया है। अतः रेलवे को देय राशि की वसूली के लिए ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

2 आर० डी० जे० और 341 अप रेलगाड़ियों का इस्माईला हरियाणा और मुंडका हाल्ट स्टेशनों पर न रुकना

4871, **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 और 28 नवम्बर, 1972 को 2 आर० डी० जे० और 341 अप रेलगाड़ियाँ इस्माइला हरियाणा और मुंडका (एस० पी० आर० सैक्शन पर फ्लैग स्टेशन) पर नहीं रुकी थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है जिससे ऐसी घटनायें पुनः न हों ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई०) : (क) जी नहीं। 28-11-72 को केवल 341 अप गाड़ी मुंडका हाल्ट पर नहीं रुकी थी।

(ख) इस चूक के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

दिल्ली स्थित सिविल और सेशन न्यायालयों के कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची

4872. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **विधि और न्याय मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली ने अपने कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची अलग बना रखी है और सिविल तथा सेशन न्यायालय, दिल्ली के कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सिविल तथा सेशन न्यायालय, दिल्ली के कर्मचारियों के साथ यथाशीघ्र न्याय करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : **(क) और (ख)** : उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद

229 के अधीन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा की जानी अपेक्षित है, जिसे वह निदेशित करे। दूसरी ओर, सिविल और सेशन न्यायालयों में कर्मचारियों की नियुक्तियां अनुच्छेद 309 के अधीन की जाती हैं और अधीक्षक के पद के सिवाय उनके मामले में नियुक्ति प्राधिकारी जिला और सेशन न्यायाधीश होता है। इसलिए, उच्च-न्यायालय के और सिविल और सेशन न्यायालयों के कर्मचारियों के लिए पृथक् ज्येष्ठता सूचियां रखनी पड़ती हैं, क्योंकि वे पृथक् काडर के होते हैं।

किन्तु, पृथक् काडरों के होने से सिविल और सेशन न्यायालयों के कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होता है। सिविल और सेशन न्यायालयों में भी उच्च श्रेणी लिपिक और अधीक्षक जैसे उच्च पद हैं, जिन पर नियुक्तियां सिविल और सेशन न्यायालय के कर्मचारियों में से ही की जाती हैं। और फिर, दिल्ली उच्च न्यायालय के नए बनाये गये नियमों के अधीन, उच्च न्यायालय में रीडरों, निजी सचिवों और कनिष्ठ अनुवादकों के पद, सामान्यतः चयन से भरे जाने होते हैं, जिसके लिए सिविल और सेशन न्यायालयों के अपेक्षित अर्हताओं वाले कर्मचारी वैसे ही अर्हतायें रखने वाले उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के समान ही पात्र होते हैं।

रेलवे में विभागीय खानपान व्यवस्था का चयनात्मक आधार पर विस्तार

4873. **श्री शशि भूषण** : क्या रेल मन्त्री दिनांक 1 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न सख्या 327 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागीय खानपान व्यवस्था का चयनात्मक आधार पर विस्तार करने के बारे में कोई निर्णय ले लिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई): **(क) और (ख)** : विभागीय खान-पान व्यवस्था के चयन परक विस्तार के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है। जब कभी यह मालूम होता है कि ठेकेदार संतोषप्रद सेवा जुटाने में सफल नहीं हुए या गाड़ी के पैन्ट्री यान से पका-पकाया भोजन परोसने के लिए स्टेशनों पर आधार पाकशालायें स्थापित करना आवश्यक है, तो विभागीय खान-पान व्यवस्था आरम्भ करने का विचार किया जाता है।

नई दिल्ली में टिकटों की चोर बाजारी के आरोपों की जाँच

4874. **श्री शशि भूषण** : क्या रेल मन्त्री टिकटों की चोरबाजारी के आरोपों पर नई दिल्ली में गिरफ्तारी के बारे में 1 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 329 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल पुलिस ने इस बीच उपरोक्त मामले की जांच पूरी कर ली है,

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है, और

(ग) यदि नहीं, तो जाँच पूरी करने में और कितना समय लगेगा ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : **(क) से (ग)** : इस मामले की अभी भी जांच पड़ताल की जा रही है और आशा है, इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा :

दिल्ली में टिकटों की बिक्री के लिए रेलवे द्वारा नियुक्त की गई एजेंसियां

4875. **श्री शशि भूषण** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा दिल्ली में रेलवे टिकटों की बिक्री के लिए और रेलवे में आरक्षण की व्यवस्था करने के लिये बनाई गई या नियुक्त की गई एजेंसियां की संख्या कितनी है,

(ख) उन लोगों के नाम क्या हैं जिन्हें ये एजेंसियां दी गई हैं और इन एजेंटों के साथ किए गये करार की शर्तें क्या हैं, और

(ग) इन एजेंटों को टिकटों और आरक्षण पर कितना कमीशन दिया जाता है ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) दिल्ली और नई दिल्ली क्षेत्र में सात सिटी बुकिंग एजेंसियां और चार पर्यटक एजेंसियां हैं जिनकी नियुक्ति यात्री टिकटों की बिक्री के लिए रेलों द्वारा की गई है। सिटी बुकिंग एजेंसियाँ तीसरे दर्जे की सायिकाओं के आरक्षण की भी व्यवस्था करती हैं।

(ख) और (ग) : एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4076/72]

ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना में भ्रष्टाचार

4876. **श्री शशि भूषण**: क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 दिसम्बर, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया कि 182 करोड़ रुपये की ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और यह है कि इसके कार्यकरण, विशेषकर खरीददारियों और निर्माण-कार्यों की उच्चस्तरीय जांच से अनेक अनियमितताओं का पता लग सकता है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जायेंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : ब्यास परियोजना विभाग द्वारा निर्माण कराई जा रही है, और वहाँ कोई ठेकेदार नहीं हैं। वहां निरीक्षण तथा गुण योग्यता नियन्त्रण के लिए एक अलग संगठन है और वहां कोई निम्न स्तर का कार्य नहीं किया जा रहा है। जहां तक मशीनों तथा फालतू पुर्जों के क्रय करने का सम्बन्ध है, वहां एक केन्द्रीय क्रय संगठन है तथा सभी क्रय का अनुमोदन ब्यास नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उचित प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

यह परियोजना दस साल से भी अधिक समय से निर्माणाधीन है तथा गम्भीर प्रकृति की कोई ऐसी कमी पर अनियमितता ध्यान में नहीं आई जिसके लिए जांच की आवश्यकता हो।

बोंगई गाँव में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह

4877. **श्री लरूण गोगोई** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोंगई गांव में पैट्रो-रसायन उद्योग समूह के निर्माण में कोई प्रगति नहीं हुई है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) (क) और (ख) : जी नहीं। डी० एम० टी० के निर्माण के लिए प्रक्रिया का मूल्यांकन भूमि का अर्जन

पानी तथा मिट्टी के सर्वेक्षण आदि परियोजना से सम्बन्धित प्रारम्भिक कार्य शुरू किए जा चुके हैं। इस उद्योग समूह की शीघ्र कार्यान्विति के लिए सरकार बहुत ध्यान दे रही है।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बिजली सप्लाई करने के लिए राज्य विद्युत बोर्ड को सहायता

4878. **श्री ई० ग्रो० विखेपाटिल** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने (1) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सामान्य दरों से आधीदरों पर बिजली सप्लाई करने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों को सहायता देने, और (2) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बिजली उपभोक्ताओं को वार्षिक अनिवार्य प्रभार से छूट देने के प्रश्न पर विचार किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) :

(क) और (ख) : सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में निम्न दरों पर विद्युत की व्यवस्था करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को सीधी सहायता देने की केन्द्र के पास कोई स्कीम नहीं है। बहरहाल, ग्राम विद्युतीकरण निगम, पिछड़े क्षेत्रों में ग्राम विद्युतीकरण के लिए राज्य बिजली बोर्डों को रियायती शर्तों पर धन उपलब्ध करता है। किसी क्षेत्र को "पिछड़ा क्षेत्र" वर्गीकृत करने के लिए नियत मानदण्डों में से सूखा-प्रवणता भी एक है।

अधिकतर राज्यों में, जब भी सूखा स्थितियां होती हैं और न्यूनतम उपभोग गारण्टी की सीमा तक पम्पसेटों के समुपयोजन के लिए कूपों में पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं होता, उपभोक्ताओं को, न्यूनतम उपभोग गारंटी प्रभारों में राहत दी जाती है।

दक्षिण पूर्व रेलवे के भाद्रक और रानीताल स्टेशनों के बीच वैगन तोड़ने वाले 16 व्यक्तियों की गिरफ्तारी

4879. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता कि दक्षिण पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड़/खड़गपुर डिवीजन के भाद्रक और रानीताल रेलवे स्टेशनों के बीच 16 वैगन तोड़ने वालों को ग्रो० सी० आर० पी० एफ०/बी० एच० सी० और इन्सपैक्टर/आर० पी० एफ०-सी० टी० सी० द्वारा चोरी करते और सामान उठाते हुए पकड़ा गया,

(ख) यदि हां, तो आर० पी० एफ० द्वारा उनसे पकड़े गए सामान का ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस क्षेत्र में बड़ा तनाव है, यदि हां, तो गुण्डों से रेलवे स्टाफ की रक्षा हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हाँ। 28-11-72 को भद्रक स्थित रेलवे सुरक्षादल के कर्मचारियों द्वारा उन्नीस व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे।

(ख) उनके पास से लोहे की 68 कलईदार पाइपें, लोहे की 32 छड़ें और 3 बैयरिंग स्प्रिंग पकड़ी गई थीं।

(ग) स्थिति सामान्य है। फिर भी, रेल कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं।

भद्रक-रानीताल खण्ड में कर्मी दलों और परेषणों की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा दल द्वारा

लोहे और इस्पात के परेषणों और अनाज की ढुलाई करने वाली मालगाड़ियों पर मार्गरक्षी की व्यवस्था कर दी गई है ।

पठानकोट के समीप हाइडल चैनल (अपर बाड़ी दोआब) पर खर्च की गई धनराशि

4880. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पठानकोट के समीप हाइडल चैनल (अपर बाड़ी दोआब नहर) के लिए मूलत: कितनी राशि खर्च होने का अनुमान था, उसमें से कितनी खर्च की गई है और उसके पूरा होने तक कुल कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बंजनाथ कुरील) : अपर बाडी दोआब नहर जल विद्युत स्कीम (चरण-एक) की मूल अनुमानित लागत 583.77 लाख रुपये थी । इस परियोजना पर मार्च, 1972 तक 1718.19 लाख रुपये व्यय हुए और परियोजना को पूर्ण करने के लिए 1739.99 लाख रुपये के व्यय होने की सम्भावना है ।

रेलवे अधिकारियों तथा कर्मचारियों के स्थानान्तरण की नीति

4881. **श्री लालजी भाई :**

श्री महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972 की संसद सदस्यों की उनके मन्त्रालय की सलाहकार समिति के लिए ज्ञापन की मद संख्या 12.3 पर कोई निर्णय लिया गया है जोकि रेलवे अधिकारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी निश्चित नीति के बारे में हैं;

(ख) ऐसे गुड्स क्लर्क, पार्सल क्लर्क और टिकट कलक्टर दिल्ली क्षेत्र में कितने हैं जिनका यही बने रहना स्पष्ट 'रक्षात्मक जोखिम' है और जिनके आचरण की जांच हो रही है; और

(ग) लोक हित में इन श्रेणियों के स्टाफ के स्थानान्तरण सम्बन्धी स्वीकृत सिद्धान्त लागू न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (टी० ए० पांई) : (क) रेल मन्त्रालय के लिए संसद सदस्यों की परामर्श समिति की उल्लिखित बैठक में, श्रेणी I और II के रेल के अधिकारियों और श्रेणी III और IV के रेल कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली नीति की स्थिति बता दी गयी थी ।

(ख) और (ग) : इन कर्मचारियों में से किसी को लगाये रखने से कोई 'सुरक्षा जोखिम' नहीं होता । तथापि दिल्ली क्षेत्र के 67 वाणिज्य कर्मचारियों के आचरण की जाँच-पड़ताल की जा रही है और जैसा आवश्यक समझा जायेगा, सम्बन्धित प्रशासनिक प्रधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जायेगी ।

भारतीय उर्वरक निगम के नई दिल्ली मुख्यालय में महिलाओं के साथ कथित दुरव्यवहार

4882. **मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय उर्वरक निगम के नई दिल्ली मुख्यालय में महिलाओं के साथ दुव्यवहार के बारे में एक संसद-सदस्य से शिकायते मिली है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या आरोप लगाए गए हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) (क) से (ग) : यद्यपि इस सम्बन्ध में कुछ रिपोर्ट प्राप्त हुई है किन्तु कोई विशेष आरोप प्राप्त नहीं हुये हैं। क्योंकि ये आरोप सामान्य प्रकार हैं; सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही संभव नहीं है।

धर्मनगर (त्रिपुरा) को जाली नामों से सामान बुक किया जाना

4883. **श्री दशरथ देव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विभिन्न स्थानों से धर्मनगर (त्रिपुरा) को समान से भरे हुए माल डिब्बे जाली नामों से बुक किये गये थे,

(ख) क्या ये वस्तुयें जैसे ही धर्मनगर में पहुंची, चोरी छिपे बंगला देश को भेज दी गई थीं।

(ग) यदि हां, तो पुलिस ने ऐसे कितने मामले पकड़े है और कितने मामलों में दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है, और

(घ) रेलवे के माल डिब्बों में जाली नामों से सामान बुक किये जाने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) धर्मनगर को जाली नामों से बुक किये गये माल का कोई मामला रेल प्रशासन के नोटिस में नहीं आया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) **और** (घ) : भाग (ख) और (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बंगला देश को अशोधित तेल सप्लाई करने के लिए जहाज चार्टर करने के तरीके से नौवहन महानिदेशक की असहमति

4884. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन महानिदेशक ने बंगला देश को अशोधित तेल सप्लाई करने के लिए जहाज चार्टर करने के तरीके से असहमति प्रकट की है, और

(ख) यदि हां, तो उसने क्या एतराज उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : **(क) और (ख)** : जहाजरानी के महानिदेशक द्वारा इस विषय में उठायी गयी आपत्तियों का तथा भारतीय तेल निगम द्वारा उन पर स्पष्टीकरण का संक्षेप दर्शाने वाला एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4077/72]**

डेरी-आना-सोन से बरवाडीह और गोमोह के रास्ते कलकत्ता तक सीधी एक्सप्रेस ट्रेन

4885. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डेरी-आन-सोन से बरवाडीह और गोमोह के रास्ते कलकत्ता तक सीधी एक्स प्रेस/डाकगाड़ी न चलाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : मार्गवर्ती खण्डों पर लाइन क्षमता और कलकत्ता क्षेत्र में टर्मिनल क्षमता के अभाव में बरवाडीह और गोमो के रास्ते डेहरी-आन-सोन और कलकत्ता के बीच सीधी तेज गाड़ी चलाने का औचित्य नहीं है और न ही ऐसा करना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक है।

प्लास्टिक उद्योग के लिए लाइसेंस जारी करना

4886. **श्री राजदेव सिंह :**

श्री सोमचन्द सोलंकी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थर्मोप्लास्टिक के कच्चे माल की कमी से प्लास्टिक का निर्माण करने वाले एककों और मशीन का निर्माण करने वाले उद्योगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है ।

(ख) क्या वर्तमान उत्पादन कर्त्ता उद्योगों का विस्तार करने के लिए इच्छुक नहीं है तथा नये उद्यमकर्त्ता आगे नहीं आ रहे हैं ।

(ग) यदि हां, तो क्या उसके लिए वर्ष 1970-7. में अथवा उसके बाद कोई नये लाइसेंस जारी किये गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) प्लास्टिक का निर्माण करने वाले उद्योग को कुछ समय से प्लास्टिक के कच्चे माल की कुछ कमी का सामना करना पड़ रहा है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

पालियस्टर स्टेपल फाइवर प्लांट की स्थापना का निर्णय

4887. **श्री मानसिंह भौरा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सरकारी क्षेत्र में पालियस्टर स्टेपल फाइवर प्लांट लगाने के अपने पहले के निर्णय को बदल कर अब इसे संयुक्त क्षेत्र में लगाने का निर्णय किया है ।

(ख) यदि हाँ, तो इस निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग यह नया निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार ने प्रतिवर्ष 30,000 मीटरी टन पोलियस्टर फाइवर (तन्तु) की क्षमता सहित एक पेट्रो-केमिकल उद्योग समूह का वोंगई गांव में स्थापना का निर्णय लिया है । यह केन्द्रीय सरकार की सरकार क्षेत्रीय प्रायोजना है । प्रतिवर्ष 6000 मीटरी टन पोलिएस्टर स्टैप्ल फाइवर के निर्माण के लिए पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम को एक आशय पत्र जारी किया गया है । निगम की वतमान योजना के अनुसार इस संयन्त्र की साम्य पूंजी में बुनकरों की सहकारी सोसायटियां साझेदार होंगी ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं होता ।

रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों को अपने मूल कार्यालयों में वापस भेजना

4888. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड में उप-सचिव से ऊंचे पद के कितने अधिकारी दिल्ली में पांच वर्ष से अधिक समय से कार्य कर चुके हैं,

(ख) उनके नाम तथा पदनाम क्या हैं, और

(ग) क्या उन्हें अपने-अपने मूल रेलवे विभागों अथवा सेवा में वापस भेजने की किसी कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) चार

(ख)	नाम	पदनाम
1.	श्री के० वी० कस्तूरी रंगन	अपर सदस्य, कार्मिक
2.	श्री जे० डी० मलहोत्रा	अपर सदस्य, बिजली इन्जीनियरी
3.	श्री के० एस० ए० पदमानाभन	निर्देशक, वित्त
4.	श्री पी० एस० महादेवन	निर्देशक, स्थापना (विशेष)

(ग) चूंकि सम्बन्धित अधिकारियों ने अभी अपने-अपने वर्तमान पद के कार्यकाल को पूरा नहीं किया है इसलिए उन्हें उनकी मूल रेलवे पर वापस भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Putting the Services of C.B.I. At the Disposal of Pipe Line Enquiry Commission by Government

4889. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the Committee set up for helping the Pipe Line Enquiry Commission had requested the Commission to approach the Central Government for the services of the senior officers of C.B.I. ; and

(b) if so, the extent of co-operation extended by the Central Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) As requsted by the Pipelines Inquiry Commission the services of two officers of the Central Bureau of Investigation, one of the rank of Deputy Inspector General of Police and the other of the rank of Deputy Superintendent of Police, were placed at the disposal of the Commission.

बड़ौदा के निकट स्टीरीन और पाली स्टीरीन परियोजनाओं की स्थापना

4890 **श्री राम भगत पसवान** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने बड़ौदा के निकट स्टीरीन और पाली स्टीरीन परियोजनाओं की स्थापना की स्वीकृति दे दी है, और

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लोको संगचल स्टाफ द्वारा सीधी कार्यवाही की धमकी

4891. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 नवम्बर, 1972 के 'हिन्दू' में डायरेक्ट एक्शन थ्रेट वाई लोको रनिंग स्टाफ शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार क्या कदम उठाएगी ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) दक्षिण और दक्षिण मध्य रेलवे पर हाल में जिन लोको रनिंग कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी उनके प्रतिनिधियो ने 21.10.72 को कुछ मांगें प्रस्तुत कीं । संलग्न विवरण में इन मांगों की सूची दी जाती है जिसमें प्रत्येक मांग के सम्बन्ध में टिप्पणी भी दी गयी है । **[ग्रंथालय में रखा गय /देखिए सख्या एल० टी० 4078/72]**

दिल्ली में स्लम न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मालिकों और किरायेदारों के मुकदमे

4892. **श्री अमरनाथ चावला** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1972 के अन्त तक दिल्ली के स्लम न्यायालयों में मालिकों और किरायेदारों के कुल कितने मुकदमे अनिर्णीत पड़े थे ;

(ख) क्या इनको शीघ्र निपटाने के लिए इन न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी और कब तक ; और

(घ) यदि नहीं, तो बकाया पड़े मामले निपटाने और उनका शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जाएंगे ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) 1968

(ख) **तथा (ग)** : इन न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है । किन्तु यदि मुकदमों की संख्या और बढ़ गई तो और न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

(घ) इन मुकदमों को यथाशीघ्र निपटाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं ।

Central Aid to States For Anti Biotic Medicines

4893. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the total additional amount provided by the Central Government to the State Governments for antibiotic medicines during the year 1971-72 as compared to that provided during the 1970-71 ; and

(b) the statewise break-up thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) (a) **and** (b) : The information is being collected and will be laid on the table of the House in due course.

खम्बात की खाड़ी में तेल की खोज के लिए जापान से सेल्फ-प्रोपेल्ड प्लेटफार्म

4894. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** :

श्री समर गुह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने जापान से एक सेल्फ-प्रोपेल्ड प्लेटफार्म प्राप्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्लेटफार्म कहां पर स्थापित किया जायेगा ;

(ग) क्या आयोग ने नवम्बर, 1972 में खम्बात की खाड़ी में तेल की खोज सम्बन्धी कार्य आरम्भ किया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रारम्भ में बम्बई हाई क्षेत्र में पहले अपतट गहरे कुएं के व्यधन के लिए उक्त क्षेत्र में प्लेटफार्म को स्थापित किया जायेगा ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी तट पर तूफान से बचाव के लिए स्थायी निर्माण-कार्य

4896. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कराइकल से सुन्दरबन तक के पूर्वी तट पर तूफान से बचाव की स्थायी निर्माण व्यवस्था करने का है;

(ख) क्या इन निर्माण-कार्यों के उपबन्ध को पांचवीं योजना में प्राथमिकता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इन मुख्य निर्माण-कार्यों की कुल लागत का क्या अनुमान है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तामिलनाडु की राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात और ज्वारीय बाढ़ों द्वारा हुई क्षति को कम करने के लिए पांचवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु तात्कालिक कार्यों के प्रस्ताव बनाए जाएं और इन कार्यों के लिए धन की आवश्यकता बताई जाए ताकि पाँचवीं योजना में उचित प्रावधान किया जा सके । प्रस्ताव अभी राज्य सरकारों से प्राप्त होने हैं ।

बम्बई में हुए बार एसोसियेशन के सम्मेलन में दिये गये सुझाव

4897. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 नवम्बर, 1972 को बार एसोसिएशन का बम्बई में सम्मेलन हुआ था;

(ख) क्या सम्मेलन में न्यायपालिका में मौलिक परिवर्तन करने के लिए सुझाव दिये गये थे ;

(ग) सम्मेलन में अन्य किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या क्या निर्णय किये गये; और

(घ) सरकार से क्या-क्या सिफारिशें की गई और इस बारे में सरकार क्या की प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (घ) : जी हां । भारतीय बार एसोसिएशन का एक सम्मेलन बम्बई में 18–20 नवम्बर, 1972 के दौरान हुआ था । सम्मेलन में "विधि-विलम्ब", "विधि की नैतिकता" और "नैसर्गिक न्याय" जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया था; सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि न्यायापालिका में मौलिक सुधारों के लिए सुझाव दिए गए थे या नहीं । एसोसिएशन ने सरकार से अभी तक कोई सिफारिश नहीं की है ।

मैसूर के गांवों का विद्युतीकरण

4898. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत चालू वर्ष में मैसूर राज्य में कितने गांवों में बिजली लगाई जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बंजनाथ कुरील) : जैसाकि मैसूर राज्य विद्युत बोर्ड ने सूचित किया है, ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमों के अन्तर्गत 1972–73 के दौरान मैसूर में 343 ग्राम विद्युतीकृत करने का कार्यक्रम है। इसमें से 68 ग्राम विद्युतीकृत हो चुके हैं।

Taking over of Catering Services by Government which were handled by Contractors previously

4899 **Shri Mahadeepak Singh Shakya** ; Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway Catering Services in the country which were given to private contractors previouly, but which have now been taken over by Government; and

(b) the reasons for taking them over by Government ?

The Minister of Railways (Shri T. A Pai) : (a) 95 Refreshment Rooms, 16 Restaurants, dining car services on 1 pair of trains, and 256 vending services which were managed previously by private contractors have been taken over and are managed departmentally.

(b) Departmental catering by the Railways was introduced on the recommendation of a High Powered Committee on Catering in the year 1954. This Committee, inter-alia, recommended that departmental catering should be introduced on the Zonal Railways where it did not exist so as to set up a standard for the contractors to follow.

Looting of Kanth Station on Saharanpur-Muradabad Railway Line

4900. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Kanth Station on Saharanpur Muradabad Railway line of Northern Railway was looted by some miscreants as reported in the 'Hindustan Times' dated the 23rd November, 197.;

(b) whether the Police Officers have not been able to arrest the culprits; and

(c) if so, the action taken in this regard

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Yes. On the night of 17/18-11-72 a dacoity was committed at Kanth Railway Station on Saharanpur-Muradabad line of Northern Railway.

(b) Two persons have been arrested by the police, and vigorous & efforts are being made to arrest the two absconding ersons.

(c) Investigations continue.

Supply of Light Diesel Oil to Delhi and Uttar Pradesh

4901. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the quantity of Light Diesel Oil supplied to Delhi State is more than the quantity supplied to Uttar Pradesh; and

(b) if so, the extent by which it is more and the reasons for supplying less quantity of light diesel oil to Uttar Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

रासायनिक उर्वरकों की कमी

4902. **श्री समर गुह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्षों के दौरान रासायनिक उर्वरकों की सम्भावित कमी के जिसका संकेत फर्टीलाइजर एसोसियेशन आफ इण्डिया द्वारा हाल ही में दी गई चेतावनियों में मिलता है, बारे में सरकार ने कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उर्वरकों की अल्प और दीर्घकालीन आवश्यकताओं के बारे में सरकार किन निष्कर्षों पर पहुँची है; और

(ग) इन जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा किये जाने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : **(क) और (ख)** : जी हां। उर्वरक पर सरकार द्वारा गठित किया गया कार्यकारी दल इस उद्योग के विकास से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं का, विशेष रूप से पांचवीं योजना अवधि के दौरान उर्वरक की मांगों को पूरा करने हेतु उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाये जाने वाले उपायों के बारे में, अध्ययन कर रहा है।

(ग) देश में नये उर्वरक कारखानों की स्थापना और जहां कहीं सम्भव हो, वर्तमान कारखानों के विस्तार द्वारा उर्वरकों के उत्पादन के लिए क्षमता को बढ़ाने हेतु उपाय अपनाए गये हैं अथवा अपनाए जा रहे हैं ये उपाय उन उपायों, जो वर्तमान यूनिटों में उत्पादन की वृद्धि के लिए निरन्तर आधार पर अपनाए जा रहे हैं, से अतिरिक्त उपाय हैं।

ग्रामीण लोगों के लिए द्रुत और सरल न्यायालयों की योजना

4903. **श्री समर गुह** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण लोगों के लिए द्रुत और सरल न्यायालयों की एक योजना के सम्बन्ध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हाल ही में दिये गये एक वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : **(क) से (ग)** : सम्बन्धित वक्तव्य के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। विवरण मालूम किया जा रहा है और जानकारी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

असम और गुजरात में हाइड्रो-कार्बन गैसों का नष्ट होना

4904. **श्री समर गुह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम और गुजरात के तेल-क्षेत्रों में तेल के कुओं के बाहरी सिरे पर उच्च सान्द्रता वाली हाइड्रो-कार्बन गैसें जलकर नष्ट हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितने मूल्य की और कितनी गैस नष्ट हो जाती है;

(ग) क्या उर्वरकों के उत्पादन के लिए ये गैसें कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जा सकती हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन प्राकृतिक हाइड्रो-कार्बन गैसों का प्रयोग करने के लिए सरकार ने कोई योजना तैयार की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : प्राकृतिक गैस के कुल उत्पादन की कुछ प्रतिशतता उड़ा दी जाती है, इसकी मात्रा हर वर्ष भिन्न भिन्न होती है। वर्ष 1971–72 के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की लगभग 100 लाख रुपये के मूल्य की लगभग 151 मिलियन घन मीटर गैस उड़ाई गई। इसी प्रकार 1971 के कैलैंडर वर्ष में आयल इंडिया लि० ने लगभग 81 लाख रुपये के मूल्य की लगभग 594 मिलियन घन मीटर गैस उड़ाई। (मूल्यों का परिकलन ग्राहकों से इस समय ली जाने वाली कीमतों के आधार पर किया गया है।)

(ग) जी हां।

(घ) असम में, प्राकृतिक गैस का अधिकाँश उत्पादन आयल इंडिया लि० द्वारा किया जाता है और उपलब्ध मात्रा विभिन्न उपभोक्ताओं, विशेष रूप से भारतीय उर्वरक निगम, की आवश्यकताओं में पूर्वानुमानित वृद्धि को पूरा करने के लिये वचनबद्ध की गई है। आयल इंडिया लि० इसकी उपभोक्ताओं को सप्लाई करने से पहले इस गैस से एल पी जी निकालने की सम्भाव्यता की जांच भी कर रहा है। असम में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उत्पादित की जा रही गैस की छोटी सी मात्रा में से अधिकांश बिक्री के लिये वचनबद्ध की जा चुकी है और कुछ मात्रा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अपने कार्यों के लिये इस्तेमाल की जाती है। औद्योगिक उपभोक्ता न होने के कारण शेष गैस उड़ानी पड़ती है। तथापि, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग गैस की सप्लाई के लिये निकटवर्ती क्षेत्रों में सम्भाव्य उपभोक्ताओं के साथ बात-चीत कर रहा है।

गुजरात में, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी की जरूरतों को पूरा करने के लिये गैस की सप्लाई कर रहा है और इंडियन फारमैज फर्टिलाइजरर्स काओपरेटिव लिमिटेड द्वारा उर्वरकों के आगामी उत्पादन के लिये प्रतिदिन 7.5 लाख घन मीटर गैस के लिये वचन भी दिया है। गुजरात में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उड़ाई जाने वालीं गैस अधिकांशत: कम व दबाव की है और आयोग सम्भाव्य उपभोक्ताओं को सप्लाई करने के लिये इस गैस को सम्पीडित करने के लिये कोम्प्रशर्ज स्थापित करने के प्रबन्ध कर रहा है। गैस की कुछ मात्राएं उन क्षेत्रों पर भी उड़ाई जाती है जो इस समय उत्पादन की प्रारम्भिक अवस्था में हैं। क्योंकि ये क्षेत्र अभी विकसित हो रहे हैं, इन क्षेत्रों से गैस की पूरी सम्भाव्यताओं का अभी तक पता नहीं लगा है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग जब इन सम्भाव्यताओं का मूल्यांकन कर लेगा तब वह इस गैस की विभिन्न उपभोक्ताओं को बिक्री करने की वचनबद्धता करने की स्थिति में हो जायेगा।

ईरान से अमोनिया का आयात

4905. **श्री समर गुह** :

श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 नवम्बर, 1972 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में इंडियाज पैनी-वाइस एण्ड पौंड फूलिश पालिसी टूवर्डज ईरान' (ईरान के प्रति 'गंवार गन्ना न दे भेली भले दे दे' वाली भारत की नीति) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि ईरान से तरल अमोनिया के आयात के बारे में अनुपयुक्त बातचीत के कारण भारत का स्थान चीन द्वारा लिया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो अमोनिया के आयात के लिए ईरान से जो बातचीत की गई है उसका ब्यौरा क्या है; तथा वर्तमान स्थिति क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : **(क) और (ख)** : जी हां, अमोनिया के आयात के लिए ईरान के साथ बातचीत प्रगति पर है।

अजमेर डिवीजन (पश्चिमी रेलवे) के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में मास्टर क्राफ्ट और फिटर के चयन को रद्द करना

4906. **श्री प्रवणसिंह सोलंकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चयन से पूर्व कर्मचारियों को पाठ्य-क्रम न दिये जाने के कारण पश्चिमी रेलवे की अजमेर डिवीजन के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में ग्रेड 175-240 रु० (ए) के मास्टर क्राफ्ट फिटर का चयन रद्द घोषित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां तो पाठ्य-क्रम को उपलब्ध कराये बिना ही चयन करने के क्या कारण है ;

(ग) वर्ष 1969 से अजमेर डिवीजन के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में कितने ट्रेड टेस्ट आयोजित किये गये और क्या प्रत्येक ट्रेड टेस्ट के पूर्व पाठ्य-क्रम दिया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो पहले आयोजित किये गये ट्रेड टेस्टों को इसी आधार पर रद्द न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां। 175-240 रु० के ग्रेड में मास्टर क्रैफ्ट फिटर (ट्रेन लाइटिंग) के लिए गये ट्रेड टेस्ट को अन्तिम रूप देने से पहले ही रद्द कर दिया गया क्योंकि अधीनस्थ कर्मचारियों के पास पाठ्य-क्रम उपलब्ध नहीं था।

(ख) अजमेर के मण्डल अधीक्षक को इस बात की जानकारी नहीं थी कि अधीनस्थ कर्मचारियों के पास पाठ्य-क्रम उपलब्ध नहीं था।

(ग) **और** (घ) : 175-240 रु० के ग्रेड में मास्टर क्रैफ्ट फिटर के लिए पहले कोई ट्रेड टेस्ट नहीं लिया गया था क्योंकि अजमेर मण्डल में यह कोटि नयी शुरू की गयी थी। अन्य कोटियों के लिए पाठ्य क्रम उपलब्ध कराये जाते हैं। अतः पहले आयोजित किये गये ट्रेड टेस्टों को रद्द किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

कटक में सहायता प्राप्त रेलवे होस्टल में सीटों का बढ़ाया जाना

4907. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कटक के सहायता प्राप्त रेलवे होस्टल में सीटों को बढ़ा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाइयां हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) सीटों की संख्या 49 से बढ़ाकर 52 कर दी गयी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे कर्मचारियों के लिए पुरी में "विश्राम गृह"

4908. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों के लिए पुरी से एक "विश्राम गृह" खोलने के एक प्रस्ताव पर

सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कठिनाई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) **और** (ख) : पुरी में इस समय दो अवकाश गृह पहले से ही हैं। एक पूर्व रेलवे के अधीन और दूसरा दक्षिण पूर्व रेलवे के अधीन। पुरी में एक और अवकाश गृह खोलने का कोई और प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

बडोग कालका-शिमला लाइन में रेलवे कैंटीन का कार्यकरण

4909. **श्री नारायण चन्द पाराशर**, क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षो से बड़ोग कालका शिमला लाइन में रेलवे कैंटीन काम नहीं कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) **और** (ख) : रेलवे की बकाया रक़म का भुगतान न करने के कारण बडोग रेलवे स्टेशन पर मेसर्स संत सिंह एण्ड क० के भोजनालय का ठेका उत्तर रेल प्रशासन द्वारा 30-6-70 को समाप्त कर दिया गया था। विगत दो वर्षों के दौरान कोई उपयुक्त ठेकेदार नियुक्त नहीं किया जा सका क्योंकि इस ठेके को लेने लिए कोई नहीं आया।

लेकिन, एक नया ठेकेदार चुना जा चुका है और उसने 11-10-72 से बडोग में भोजनालय चलाना प्रारम्भ कर दिया है।

भारतीय उर्वरक निगम में इंजीनियर स्नातकों और गैर-इंजीनियर स्नातकों के वेतनमानों में अन्तर

4910. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम में जनरल फोरमैन सहायक संयन्त्र अभियन्ता के रैन्क तक इन्जीनियर स्नातकों और गैर इन्जीनियर स्नातकों के वेतन मानों में अन्तर है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) **और** (ख) : इंजीनियर स्नातकों एवं गैर इंजीनियर स्नातकों के वेतनमान पूर्णतया एक जैसे नहीं हैं। तथापि, इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि उन कर्मचारियों जो अनुरूपी अथवा एक जैसी जिम्मेवारियां निभाते हैं, को लगभग एक जैसा पारिश्रमिक मिले, ये वेतनमान उपयुक्त ढंग से बनाये जाते हैं।

भारतीय उर्वरक निगम में आगे पदोन्नति से वंजित किये गये गैर इंजीनियरिंग स्नातक

4911. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **पैट्रलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के कुछ तकनीकी विभागों में (उदाहरणार्थ उत्पादन तथा संधारण) गैर-इंजीनियरिंग स्नातकों का जनरल फौरमैन के पद से परे पदोन्नत किया जाना वर्जित है जब कि कुछ अन्य तकनीकी विभागों जैसे औद्योगिक इंजीनियरिंग और सामग्री प्रबन्धक में उन्हें इस पद से आगे पदोन्नत किया जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) **और** (ख) : सामान्य

रुप में, भारतीय उर्वरक निगम के विभागों, विशेष रूप से उत्पादन एवं संधारण विभागों से, जनरल फोरमेन के स्तर के पश्चात पदोन्नति के लिए नान-ग्रैजुएट इंजीनियर पात्र नहीं है । इन दोनों विभागों में इन स्तरों पर उच्च डिग्री की इंजीनियरिंग निपुणता आवश्यक है । किन्तु उन व्यक्तियों, जो या तो विज्ञान में स्नातक है या जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ हैं तथा उच्च स्तरीय उत्तर दायित्वों को संभालने में अपने आप योग्य सिद्ध किया है के मामले में छूट दी गई है और दी जा रही है ।

कालका रेलवे स्टेशन पर लगी आग के बारे में जांच

4912. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालका रेलवे पर पर कुछ महीने पूर्व लगी आग के बारे में कोई जांच की गई है, और

(ख) यदि हां, तो इस जाँच के निष्कर्ष क्या हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : **(क) और (ख)** : अप्रैल, 1971 में कालका रेलवे स्टेशन पर शाकाहारी भोजनालय में आग लगने की घटना हुई थी जिसकी जांच अधिकारियों की एक समिति ने की थी । उसने उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि यह बिजली की चिनगारी के कारण लगी आकस्मिक आग की घटना थी और इसके लिए किसी को भी जिम्मेवार नहीं ठहराया गया ।

भूतपूर्व कम्पनियों और भुतपूर्व देशीय राज्यों के सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारियों के दावों का निपटान

4913. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सरकार को आल इडिया रिटायर्ड रेलवेमेन्स फेडरेशन, बम्बई से एक ज्ञापन मिला है जो सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों विशेषकर भूतपूर्व कम्पनियों और भूतपूर्व देशीय राज्यों के रेल कर्मचारियों के दावों के बारे में हैं, और

(ख) यदि हां, तो ये दावे निपटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) इन दावों की जाँच की गयी है और उनका औचित्य नहीं पाया गया है ।

उत्तर रेलवे में राजस्थान के लोगों को रोजगार के अवसर

4914. **डा० कर्ण सिंह** :

श्रीमती कृष्ण कुमारी (जोधपुर) :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के मुख्य प्रधान कार्यालय इलाहाबाद और दिल्ली में स्थित हैं और यहां के अधिकारियों द्वारा अधिकाँश नियुक्तियां उत्तर प्रदेश और दिल्ली के उम्मीदवारों में से की जाती हैं,

(ख) क्या उक्त रेलवे क्षेत्र के बीकानेर और जोधपुर जिलों से केवल 10 प्रतिशत रिक्त पद ही इन जिलों के उम्मीदवारों से भरे जाते हैं, और

(ग) यदि हां, तो राजस्थान के पिछले जिलों के व्यक्तियों के लिए रोजगार अवसरों में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : **(क) से (ग)** : उत्तर रेलवे का मुख्यालय नयी दिल्ली में स्थित

उत्तर रेलवे पर कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक रेल सेवा आयोग इलाहाबाद में स्थित है। राजस्थान के लिग दो रेल सेवा आयोग हैं जिनमें से एक इलाहाबाद में है जो उत्तर रेलवे के लिए भर्ती करता है। और दूसरा बम्बई में है जो पश्चिम रेलवे के लिए भर्ती करता है। ये आयोग राजस्थान राज्य के उम्मीदवारों की सुविधा के लिए राजस्थान के महत्व पूर्ण केन्द्रों पर लिखित परीक्षा/साक्षात्कार की व्यवस्था करते हैं। रेलों पर काम करने वाले बीकानेर और जोधपुर जिलों के व्यक्तियों की ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है क्योंकि रेले जिलावार या राज्य वार आंकड़े नहीं रखती।

राजस्थान और गुजरात से प्राप्त अभ्यावेदनों और अन्य सम्बद्ध कारणों को देखते हुए सरकार ने पश्चिम और मध्य रेलों की सेवा करने वाले रेल सेवा आयोग के मुख्यालय को बम्बई से हटाकर नागपुर में रखने के अपने पहले के विनिश्चय पर पुनर्विचार किया है और उसने यह विनिश्चय किया है कि आयोग बम्बई में ही बना रहेगा।

Introducing of Mail Train on Khandwa-Ajmer Section of Ratlam Division

4915. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether no Mail train operates on Khandwa-Ajmer section of Ratlam Division and the number of passenger trains operating there at present is so inadequate that a large number of passengers are compelled to travel by buses ;

(b) whether army and C.R P. Centres at Neemuch, Mhow and Naseerabad are located on the said section and representations have been received by Government for operating a mail train on the said route ; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) No mail train is operating on Khandwa-Ajmer Metre Gauge Section of Ratlam Division of the Western Railway. This section is, at present, served by 2 pairs of direct trains namely 71 Up/72 Dn. Which runs as express trains between Ajmer and Ratlam and as Fast Passenger trains between Ratlam and Khandwa and 69 Up/701 Dn. which runs as Fast Passenger trains between Ajmer and Ratlam and as ordinary passenger trains between Ratlam and Khandwa. Besides, a number of sectional trains are also available on this route. The present train services are considered adequate to serve the existing quantum of traffic on this route.

(b) Yes.

(c) Conversion of any of the existing trains into a fast train by way of withdrawal of some of the existing stoppages would not be desirable as the same would be resented by the present users. Apart from the lack of through traffic justification, the introduction of a new fast train on the Khandwa-Ajmer section is not operationally feasible for want of spare line capacity on sections enroute.

Expansion of Major Power Projects at Korba and Amar Kantak in Madhya Pradesh

4916. **Dr. Laxmi Narayan Pandeya** :
Shri C. T. Dhandapani :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether permission to expand two major power projects at Kobra and Amar Kantak in Madhya Pradesh has been given ;

(b) if so, the expenditure to be incurred thereon ; and

(c) the time by which the expansion work is likely to be completed thereon and the percentage of increase in power production of Madhya Pradesh as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) The Planning Commission have recently accorded their approval to expand Korba and Amarkarntak Power Stations in Madhya Pradesh by one unit of 120 MW at each of the stations. This is in addition to one unit of 120 MW at Korba, approval for which was accordep in

August 1971 and on which the works are already in hand.

(b) The estimated expenditure for recent extensions at Korba and Amarkantak Power Stations is Rs. 1835.95 lakhs and Rs. 1861.47 lakhs, respectively. For expansion in hand at Korba, the estimated cost is Rs. 1822.42 lakhs.

(c) The commissioning dates for these stations are scheduled as under :

(i) First 120 MW set at Korba —1974-75

(ii) Second 120 MW set at Korba —1976-77

(iii) 120 MW set at Amarkantak —1977-78

These expansions will increase the installed generating capacity in Madhya Pradesh by 47.6%.

Provision of Coach Attendants in First Class Compartments On Ajmer-Khandwa Section

4917 **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Coach Attendents have not been provided in First Class Compartments on Ajmer-Khandwa Section of Ratlam Division ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether the duties of conductors are at present performed by the attendants who are not competent to perform such duties ; and

(d) the time by which this deficiency would be removed ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : **(a) & (b)** Coach Attendants are provided only in first class corridor coaches and not in all first class coaches. First class corridor coaches running on Ajmer-Khandwa Section have been provided with Coach Attendants.

(c) Coach Attendants render necessary assistance to passengers of their coach. Conductors are provided in addition to Coach Attendants only on important mail and express trains.

(d) The existing arrangements are considered adequate.

Translation of Important Judgmenes of Supreme Court and Laws enacted by the States

4918. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of Law and Justice be pleased to state :

(a) whether the official Language Commission has made arrangements for providing official translation of Judgments of the Supreme Court and the laws enacted by the various State Governments into English, Hindi and the regional languages ; and

(b) if so, the number of Acts translated into Hindi, English and regional languages so far ?

The Minister of state in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : **(a) and (b)** The Legislative Department of the Ministry of Law and Justice has been publishing since April 968 a monthly law journal entitled "Uchchatama Nyayalaya Nirnaya Patrika" containing the Hindi translations of the reportable judgments of the Supreme Court. The Government of India has no proposal or scheme under consideration for publishing translations of the judgments of the Supreme Court in the regional languages So far as the translation of State Laws is concerned, the Official Language (Legislative) Commission is responsible, in terms of the Government Resolution constituting it, to arrange for the translation of all Acts passed and Ordinances promulgated in any State into Hindi, if the texts of such Acts or Ordinances are in a language other than Hindi. The Commission is not responsible for the translation of the State Laws into English or the regional languages. The Commission is at present preoccupied with the translation of Central Laws in Hindi and the regional languages. As soon as

this work is over, it will be possible for it to consider arrangements for the translation of State Acts and Ordinances into Hindi, if the texts of such Acts or Ordinances are in a language other than Hindi.

आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में गजुलादिन्ने परियोजना

4919. **श्री के० कोडण्डा रामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में गजुलादिन्ने परियोजना की राशि मूल अनुमानों और संशोधित अनुमानों के अनुसार कितनी कितनी है और योजना के कब तक पूरे हो जाने की संभावना है,

(ख) परियोजना के प्रारम्भ होने से अब तक इस पर कितना व्यय प्रति वर्ष होता रहा है, और

(ग) क्या उक्त परियोजना के वर्ग 1980 तक पूरे हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) गुजुलद्दीन परियोजना योजना आयोग द्वारा 1966 में 96·36 लाख रुपये की लागत पर स्वीकृत की गई थी । आंध्र प्रदेश सरकार ने एक संशोधित परियोजना प्राक्कलन भेजा है जिसकी लागत अब 254 लाख रुपये है ।

(ख) परियोजना पर वर्ष-वार परिव्यय इस प्रकार है :

	लाख रुपये
1969–70	2.53
1970–71	13.18
1971–72 (प्रत्याशित)	20.00
1972–73 (प्रस्तावित)	40.00

(ग) पाँचवीं योजना में, गुजुलद्दीन परियोजना जैसी चालू स्कीमों को पूर्ण करने के लिए उच्च प्राथमिकता देना प्रस्तावित है ।

श्री वरदराज स्वामी परियोजना के मंजूर न किये जाने के विरोध में आन्ध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में ग्रामीणों द्वारा भूख-हड़ताल

4920. **श्री के० कोडण्डा रामो रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की इस बात की जानकारी है कि वरदराज स्वामी परियोजना को केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूरी न दिये जाने के विरोध में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के आत्माकुर में 19 नवम्बर 1972 के निकटवर्ती ग्रामों के निवासियों ने बारी-बारी से भूख हड़ताल और क्षेत्र के तीन प्रमुख व्यक्तियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है,

(ख) क्या यह परियोजना कृष्णा जल न्यायाधिकरण के अन्तर्गत नहीं आती, और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) वरदराज स्वामी परियोजना संघर्ष समिति ने सूचित किया है कि बारी-बारी से भूख हड़ताल 19 नवम्बर से शुरू की गई है ।

(ख) प्रस्तावित वरदराज स्वामी परियोजना कृष्णा बेसिन में पड़ती है, जिसके संबन्ध में जल विवाद अब, एक न्यायाधिकरण के पास न्यायनिर्णयण के लिऐ प्रस्तुत है। इसलिए कृष्णा बेसिन में किसी भी सम्बन्ध राज्य की कोई नदी सिंचाई परियोजना स्वीकृत नहीं की जा रही है।

(ग) सिंचाई और विद्युत मंत्री जनवरी, 1973 में उस क्षेत्र का दौरा करने का विचार कर रहे हैं और समिति के नेताओं से आग्रह किया गया कि वे आन्दोलन और भूख हड़ताल को समाप्त कर दें।

'अपनी वैगन खरीदो' योजना के अन्तर्गत आने वाले उद्योग

4921. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री वी० के० दास चौधरी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा आरम्भ की जाने वाली "अपनी वैगन खरीदो" योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से उद्योग आयेंगे ; और

(ख) वैगनों का अधिकाधिक उपयोग किये जाने तथा लदाई, उतराई में अनावश्यक विलम्ब को दूर करने में यह योजना कहां तक सहायक सिद्ध होगी ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) मैसर्स इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड को तरल अमोनिया टंकी माल डिब्बों के सम्बन्ध में निजी स्वामित्व की एक योजना विचाराधीन है। तरल पैट्रोल, गैस आदि जैसे विशिष्ट उत्पादन के परिवहन के लिए अन्य विशेष पाइप के टंकी माल डिब्बों के लिए ऐसी योजना लागू करने की सम्भाव्यता की जांच की जा रही है।

"अपने कैटनरों के मालिक बनिस" एक योजना भी बनायी गयी है। इस योजना की मुख्य बातें ये हैं : कैटनर रखने वालों को प्रोत्साहन के रूप में भाड़े में छूट देना, कैटनरों के आमान और अभिकल्प का रेलों द्वारा अनुमोदन, रेलों द्वारा कैटनरों की सप्लाई की गारन्टी और इस योजना को उन मार्गों पर लागू करना जहां कटैनर सेवाएं पहले से परिचालित हो रही हैं।

(ख) इस योजना से उद्योगों को अपने विशेष उत्पादन के परिवहन के लिए विशेष टाइप के माल डिब्बों के एकान्तिक उपयोग की गारन्टी का एक साधन उपलब्ध हो जायेगा। इस योजना से यह सुनिश्चित हो जायेगा कि उनके उत्पादन और विपणन पर ऐसी विशिष्ट परिवहन के अभाव पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा साथ ही मालिकों के लिए एक प्रोत्साहन भी निहित है कि माल डिब्बों का अविलम्ब लदान किया जाये और खाली किया जाये ताकि अपने निवेश पर उन्हें अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हो सके।

नई रेलगाड़ी चलाये जाने का प्रस्ताव

4922. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ लाइनों पर नई गाड़ियां चलाये जाने का विचार है ; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी गाड़ियां चलाने का विचार है और उन गाड़ियों के नाम क्या हैं तथा ये गाड़ियां कब चलाई जायेंगी ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) नयी दिल्ली और कोच्चिन हार्बर टर्मिनस/मंगलूर के बीच 26-1-1973 से सप्ताह में दो बार चलने वाली एक जोड़ी जनता एक्सप्रेस और कासगंज तथा मथुरा के बीच एक जोड़ी सवारी गाड़ियां शीघ्र ही चलायी जायेंगी।

उत्तर प्रदेश में अधिक क्षमता वाले बिजली घर की स्थापना

4923. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के निकट अधिक क्षमता वाले बिजलीघर की स्थापना करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस पर कितनी राशि व्यय होने की सम्भावना है और क्या बिजलीघर विदेशी सहयोग से स्थापित किया जायेगा अथवा बिना किसी विदेशी सहयोग के; और

(घ) उक्त बिजली घर से उत्तर प्रदेश की आवश्यकता किस हद तक पूरी होगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : **(क) और (ख)** : मिर्जापुर जिले में ओबरा में 200–200 मेगावाट के तीन यूनिटों का एक ताप-विद्युत केन्द्र योजना आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया है । 200–200 मेगावाट के दो अतिरिक्त यूनिटों द्वारा केन्द्र की क्षमता बढ़ाने के लिए एक और प्रस्ताव भी है । इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) स्वीकृत स्कीम की अनुमानित लागत 89.89 करोड़ रुपये है । विद्युत केन्द्र को स्थापित करने में कोई विदेशी सहयोग प्राप्त नहीं किया जा रहा है ।

(घ) जिस प्रकार स्कीम अब स्वीकृत हुई है इससे उत्तर प्रदेश ग्रिड को 600 मेगावाट विद्युत मिलेगी ।

"शार्टफाल इन रेलवे फ्रेट ट्रैफिक" (रेलवे के माल यातायात में कमी)

4924. **श्री एम० कतामुतु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अक्तूबर, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स में' "शार्टफाल इन रेलवे फ्रेट ट्रैफिक" (रेलवे के माल यातायात में कमी) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हाँ । अनुमान की अपेक्षा कमी थी अन्यथा जुलाई, 72 में ढोये गये प्रारम्भिक यातायात से राजस्व की जो प्राप्ति हुई वह पिछले वर्ष की जुलाई से अधिक थी ।

(ख) अनुमान की अपेक्षा जो कमी थी वह अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित असामान्य कारण से भी थी :

(i) प्रथम पक्ष के दौरान बम्बई-बड़ोदा खण्ड पर टूट-फूट ।

(ii) बम्बई मण्डल में कर्षणशक्ति में खराबी ।

(iii) दामोदर घाटी निगम से बिजली की सप्लाई में बार-बार विफलता जिसे पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों के गाड़ी परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना ।

Electrification of Villages ia Bihar

4925. **Shri M. S- Purty** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state

the number of Adivasi and backward villages in Bihar proposed to be electrified during the current year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : As intimated by Bihar State Electricity Board, it is proposed to electrify 407 Adivasi/Backward villages in Bihar during 197 -73.

कोजीकोड-कोचीन एक्सप्रेस के चलने के स्थान का बदला जाना

4926. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तेल्लीचरी नगरपालिका (केरल) द्वारा पारित एक संकल्प मिला है जिसमें कोजीकोड-कोचीन एक्सप्रेस के चलने का स्थान कोजीकोड से बदलकर कन्नानूर करने के लिए सरकार से अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) 47 डाउन/48 अप कोच्चिन हार्बर-कालीकट एक्सप्रेस गाड़ियों का चालन क्षेत्र कण्णनोर तक बढ़ाने का अनुरोध यातायात की दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया ।

करूणागल्ली और कायनकुलम के बीच मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना

4927. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में करूणागपल्ली और कायनकुलम के बीच हाल ही में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप अनुमानत: कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां । दुर्घटना 25-11-1972 को हुई ।

(ख) 25-11-1972 को जब मालगाड़ी नं० 4214 अप दक्षिण रेलवे के कोल्लम-एर्णाकुलम मीटर लाइन के इकहरे खण्ड पर करूनागपल्लि और कायनकुल्लम स्टेशनों के बीच जा रहीं थी तो गाड़ी के इंजन से छठे से 19वें तक के 14 माल डिब्बे पटरी से उतर गये । इस दुर्घटना में कोई मरा या घायल नहीं हुआ ।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 15,100 रुपये की क्षति का अनुमान लगाया गया है ।

बरास्त गुरुवायूर त्रिचूर से कुट्टीपुरम तक रेलवे लाइन

4928. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिचूर जिले के विभिन्न स्थानों के निवासियों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिस में बरास्ता गुरुवायूर-त्रिचूर और कुट्टीपुरम के बीच एक रेलवे लाइन का निर्माण करने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस का सार क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार का निर्णय क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग) : गुरुवायूर के रास्ते कुट्टिपुरम और तिरुच्चूर के बीच रेल सम्पर्क की व्यवस्था करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । चूंकि ये दोनों स्थान रेल द्वारा पहले से जुड़े हुए हैं, गुरुवायूर होकर भी दूसरे रेल सम्पर्क की वित्तीय दृष्टि से सक्षम होने की

सम्भावना नहीं है । अतः इस रेल सम्पर्क के निर्माण के लिए फिलहाफ कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए समितियों की स्थापना

4929. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने कितनी समितियों की नियुक्ति की है; और

(ख) इस बारे में मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : **(क) और (ख)** : देश में विद्युत सेक्टर के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए 1970, 1971 और 1972 के वर्षों के दौरान सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित समितियां स्थापित की गई थीं :-

1. ग्रामीण विद्युतीकरण पर संसद् के सदस्यों की समिति :

समिति इस बात पर एक मत थी कि ग्राम विद्युतीकरण निगम को आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता देकर उन राज्यों के ग्राम विद्युतीकरण की गति में तेजी लाने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिये जहां प्रगति धीमी रही है और देश के प्रत्येक राज्यों में ग्रामीण विद्युतीय सहकारिताएं स्थापित की जाएं और उन राज्यों में ऐसी सहकारिताओं को स्थापित करने में प्राथमिकता दी जाए जहां प्रगति अखिल भारतीय औसत से कम हो ।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न वोल्टता की स्थिति में सुधार लाने में विद्युत सप्लाई के भंग होने को न्यूनतम करने के लिए समिति ।

समिति की सिफारिशें ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई के सभी पहलुओं से संबंध रखती हैं जिनमें योजना, निर्माण और प्रचालन तथा रख-रखाव शामिल हैं । यह भी सुझाव दिया गया है कि उपस्करों का मानकीकरण किया जाय और कुछ पहलुओं में रीच सम्बन्धी अध्ययन किया जाय ।

3. तेल कोयला फार्यारिंग से बायलरों के रूपान्तर पर समिति :

समिति ने यह सुझाव दिया था कि अहमदाबाद इलैक्ट्रीसिटी कम्पनी के साबरमती 'सी' ताप केन्द्र और धुवारण ताप केन्द्र के प्रथम चरण का बिना ज्यादा धन खर्च किये कोयला फार्यरिंग में बदला जा सकता है । बरौनी ताप केन्द्र के सम्बन्ध में इसे कोयला फायरिंग में बदलने के लिए कार्य-वाही आरम्भ कर दी गई है । जहां तक ट्राम्बे ताप केन्द्र का सम्बन्ध है समिति ने यह नोट किया है कि कुछ यूनिट तो कोयला फार्यरिंग के लिए ही अभिकल्पित की गई थीं और अगर एच एच एस पिच मिलती रही तथा शेष यूनिटों को कोयला फार्यरिंग में बदलने की जरूरत नहीं ।

4. पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत जमन कार्यक्रम की आवश्यकओं को पूरा करने के लिए विद्युत उपस्कर की सप्लाई के लिए देशी निर्माण क्षमता की पर्याप्तता की जांच करने के लिए समिति :

समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

5. विद्युत सप्लाई के सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के द्वारा अनुभव कठिनाइयों की जांच करने के लिए श्री बैजनाथ कुरील, सिंचाई और विद्युत उपमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय विद्युत सलाहकारी परिषद द्वारा स्थापित समिति :

समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

6. मिनी विद्युत उपक्रमों के राष्ट्रीयकरण पर समिति :

समिति ने यह सुझाव दिया है कि मिनी लाइसेंसदार उपक्रमों को अपने हाथ में ले लिया जाय ।

माल तथा यात्री यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकता का पूरा करना

4930. **श्री राजदेव सिंह :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वर्षों में माल तथा यात्री यातायात की अत्यधिक वृद्धि का सामना करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) क्या इन मार्गों को पूरा करने के लिए सरकार का विचार अधिक एक्सल भार और अधिक दूरी तक चल सकने वाले तेज रफ्तार इंजनों वाली लम्बी तथा तेज रफ्तार गाड़ियां चलाने का है ; और

(ग) क्या सरकार ने सार्वजनिक सुविधाएं देने तथा मार्ग में माल की चोरी को रोकने के लिए किसी योजना पर विचार किया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : रेलों की पांचवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के सम्बन्ध में कार्रवाई जारी है । इसके अलावा, सम्बन्धित मार्गों पर लाइन क्षमता बढ़ाने के साथ ही अपेक्षाकृत लम्बी/भारी माल और सवारी गाड़ियां डीजल/बिजली इंजनों से चलायी जायेंगी । अपेक्षाकृत अधिक ढुलाई की क्षमता वाले सवारी डिब्बे चलाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

(ग) रेलें प्रतिवर्ष लगभग 4 करोड़ रुपये रेल उपयोगकर्ताओं की सुविधाओं पर खर्च करती हैं । मार्गस्थ माल की उठाई-गीरी रोकने के लिए सतत प्रयास किये जा रहे हैं ।

विजयवाड़ा डिवीजन (दक्षिण मध्य रेलवे) में सिगनल एवं दूर संचार कर्मचारियों के लिए स्वीकृत मापदण्ड

4931. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री सिगनल और दूर संचार कर्मचारियों के लिए स्वीकृत मापदण्ड के बारे में 18 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3121 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक जोनल रेलवे में सिगनल और दूर संचार कर्मचारियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मापदण्ड होता है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निर्धारित मापदण्ड की विशिष्ट बातों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे के विजयवाड़ा डिवीजन की मुख्य लाइन पर सिगनल और दूर-संचार विभाग के निरीक्षकों के पदों का दर्जा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं बढ़ाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनका दर्जा कब तक बढ़ा दिये जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : जी नहीं ।

कर्मचारियों की स्वीकृति स्थानीय परिस्थितियों और किये जाने वाले काम की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है ।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

विजयवाड़ा डिवीजन (दक्षिण मध्य रेलवे) और दिल्ली एवं फिरोजपुर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में मेकैनिकल सिगनल मेन्टेनर्स की नियुक्ति

4912 **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड पत्र सं० पी० सी०-68/एफ० ई० 2/4 दिनांक 9 नवम्बर, 1971 के अनुसार बड़े यार्डों और एस० एल० गैंगों में 175-240 रुपये के ग्रेड के मेकैनिकल सिगनल मेन्टेनर्स की नियुक्ति होनी आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा डिवीजन और उत्तर रेलवे के दिल्ली और फिरोजपुर डिवीजनों में इस ग्रेड के मेकैनिकल सिगनल मेन्टेनर्स की नियुक्ति की जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस असंगति के कब दूर हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) रेलवे बोर्ड के 9 नवम्बर, 1971 के पत्र सं० पी सी-68/एफ ई-2/4 के अनुसार यांत्रिक सिगनल अनुरक्षण और मरम्मत गैंगों के अध्यक्षों को 175-240 रुपये का वेतनमान दिया जाता है। बड़े जंक्शन यार्डों के कार्यभारी यान्त्रिक सिगनल अनुरक्षकों को, जिनके पास 1150 सिग० और दूर० यूनिटों के समतुल्य या अधिक कार्यभार होता है और जो अप और डाउन सभी दिशाओं में प्रतिदिन 56 गाडियां सम्हालते हैं, केवल 130–212 रुपये का वेतनमान दिया जाता है।

(ख) और (ग) : दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाडा मण्डल में यांत्रिक सिगनल अनुरक्षकों के चार पद विद्यमान हैं। उत्तर रेलवे के दिल्ली और फिरोजपुर मण्डलों में विभिन्न ग्रेडों में यांत्रिक सिगनल अनुरक्षकों के पदों की व्यवस्था के प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, प्रगति और तेज की जा रही है। फिर भी, उत्तर रेल प्रशासन को कहा जायेगा कि वह इसे यथाशीघ्र कार्यान्वित करे।

रेलवे समयसारिणियों में प्रकाशित विज्ञापनों से रेलवे प्रशासन को हुई आय

4933. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय स्तर पर रेलवे बोर्ड और क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय रेलवे प्रशासन द्वारा समयसारिणी को छापने से, छपाई लागत, कागज के मूल्य, प्रशासनिक तथा सम्पादन लागत, ढुलाई तथा बिक्री लागत आदि समेत सभी स्तरों पर आने वाली लागत की दृष्टि से लाभ होता है अथवा हानि;

(ख) यदि उनका प्रकाशन लाभ पर हो रहा है तो प्रत्येक मामले में कितना लाभ होता है; और यदि नहीं, तो प्रत्येक में कितनी हानि होती है और इस हानि को कम करने के लिए क्या योजना बनाई गई है; और

(ग) प्रत्येक मामले में विज्ञापनों से वास्तव में कितना धन प्राप्त होता है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : **(क) से (ग)** : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

Enquiry Commission for Patratu and Barauni Power Generating Centres

4934. **Shri Madhukar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Central Government are aware that Bihar Government had appointed an Enquiry Commission to enquire into the serious faults which had developed in the boilers at Patratu and Barauni Power Generating Centres :

(b) if so, whether Central Government have collected information in regard to the progress made by the said Commission ; and

(c) if so, the present stage of the enquiry ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) ; (a) Yes, Sir. The Bihar Government have appointed a Commission of Enquiry under the Chairmanship of Shri K. L. Vij to enquire into the working of Thermal Power Stations in Bihar.

(b) & (c) : The enquiry is under progress.

सोनीपत/पानीपत से दिल्ली के लिए दौहरी रेलवे लाइन

4935. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री सोनीपत/पानीपत से दिल्ली तक दोहरी रेलवे लाइन के बारे में 10 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न सं० 7390 और 16 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 204 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सर्वेक्षण प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : उत्तर रेलवे द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भूमि की सिंचाई

4936. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी प्रकार के सिंचाई साधनों से बिहार में केवल चार प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में पांच प्रतिशत और मध्य प्रदेश में एक प्रतिशत फसली भूमि की सिंचाई होती है; और

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रलाय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, नहीं । भूमि समुपयोजन आंकड़ों के अनुसार (1969—70, अद्यतन वर्ष जिसके ब्यौरे उपलब्ध हैं, के लिए) सभी परियोजनाओं (वृहद्, मध्यम और लघु) द्वारा समग्र सिंचित क्षेत्र कुल फसली क्षेत्र का बिहार में लगभग 25 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 35 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 7 प्रतिशत है ।

(ख) इस कार्य के लिए, योजना में उपलब्ध किए जा सकने वाले वित्तीय ससाधनों के अनुरूप फसली क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए, सम्बधित राज्यों से कई वृहद्, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण और आयोजन किया जा रहा है ।

Fifth Annual Concerence of All India Railway Commercial Clerks, Association, Eastern Zone at Dhanbad

4937. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether the 5th Annual Conference of the All India Railway Commercial Clerks Association East Zone was held in Dhanbad on 24th—25th September last ;

(b) if so, whether a 25-point resolution adopted at the said Conference was submitted to Government ; and

(c) if so, the gist thereof and the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) A list of demands made in the 25-point resolution adopdted by the Associa-

tion together with the Government's reaction thereto is given in the enclosed statement. **[Placed in Library See No. L. T. 4079/72]**

भ्रष्टाचार का सामना करने के लिए धनबाद नगर कांग्रेस के मंत्री द्वारा भूतपूर्व रेलवे मंत्री को दिया गया अभ्यावेदन

4938. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद नगर कांग्रेस (नई) के मंत्री का जिलाधीश धनबाद के नाम 22 अप्रैल, 1972 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसकी एक प्रति भूतपूर्व रेल मंत्री को भेजी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो रेलवे विभाग में विद्यमान भ्रष्टाचार का सामना करने वाले सक्रिय कार्यकर्त्ताओं को तंग किये जाने तथा मारपीट, जिसमें जीवन का खतरा भी है, से सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) मन्त्रालय ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया है विशेषकर उस भ्रष्टाचार को, जिसके लिए रेलवे कर्मचारियों से सहयोग मांगा था तथा जिसमें लोगों ने सहयोग दिया था ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) ऐसा कोई अभ्यावेदन मिला प्रतीत नहीं होता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उच्चाधिकार समितियों की सिफारिशों के अनुपालन में, जिन्होंने भ्रष्टाचार की समस्या पर विचार किया था, प्रत्येक क्षेत्रीय रेलों तथा रेलवे बोर्ड में सर्वसम्पन्न सतर्कता संगठन काम कर रहे हैं। सतर्कता संगठन द्वारा भ्रष्टाचार और अनाचार की शिकायतों की जांच करने और अनाचार का पता लगाने उद्देश्य से संगठन द्वारा अचानक निरोधात्मक जांच करने के पिछले कुछ वर्षों में उपायों और क्रियाविधि का विकास किया गया। सतर्कता संगठन अकेले तथा विशेष पुलिस स्थापनाओं के साथ संयुक्त रूप से ऐसी जांच करते हैं, जिनके साथ वे सम्पर्क बनाये रखते हैं। कार्मिक विभाग के केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सतर्कता संगठनों के लिए भ्रष्टाचार विरोधी काम के वार्षिक कार्यक्रम बनाये जाते हैं। 1971–72 के दौरान 12,000 से भी अधिक निरोधात्मक जांच की गयी। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों के सावधान हो जाने से अत्यधिक बचत हुई और प्रचलित कार्य विधियां और अनाचार की त्रुटियों को सुधारा गया। ऐसी जांचों के दौरान नियमों और विनियमों में पायी गयी त्रुटियों को सुधार ने उद्देश्य से मेद्य खण्डों पर, जहां भ्रष्टाचार को संभावना रहती है, संगठित जांच निरन्तर की जाती रहेगी। भ्रष्टाचार और अनाचार के संबंध में यथार्थ शिकायतों तथा यथार्थ सूचना पर सतर्कता संगठन द्वारा कार्रवाई की जाती है। इसमें यह लिहाज नहीं किया जाता कि किस अधिकारी के विरुद्ध शिकायत की गयी है उसका ओहदा और दर्जा क्या है और न तो यह ध्यान रखा जाता है कि शिकायत करने वाले का ओहदा क्या है।

2. भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाने के संबंध में कर्मकारों और कर्मचारियों के सहयोग का सदैव स्वागत है। चोरियों और उठाईगीरी को कम करने के उद्देश्य से कुछ ही समय पहले रेल प्रशासनों को आदेश भेजे गये हैं कि वे कर्मचारियों और कर्मकारों के सहयोग को सूची बद्ध करें।

भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों की संख्या

4939. **रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलवे में,

डिवीजन-वार और ग्रेड-वार स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों की संख्यक कितनी है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4080/72**]

नेपाली क्षेत्र में पश्चिम कोसी नहर का पूरा होना

4940. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाली क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर के लिए वास्तव में कितनी भूमि अधिगृहीत की गई है तथा वास्तव में कितने मील नहर खोदी गई है तथा इसके कब तक पूर्ण होने का कार्यक्रम है; और

(ख) क्या भारतीय क्षेत्र में अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का अन्तिम रेखांकन तथा तत्संबंधी ब्यौरा तैयार कर लिया गया है; और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैंजनाथ कुरील) : (क) नेपाल में 34 किलोमीटर लम्बी एक रीच में से 19 किलोमीटर लम्बाई में 245 एकड़ भूमि का अधिग्रहण 19 नवम्बर, 1972 को किया गया था । मुख्य नहर की खुदाई अभी 21 नवम्बर, 1972 को ही आरम्भ की गयी है । नेपाल में पश्चिमी नहर को 1975 तक पूरा करना अनुसूचित है ।

(ख) जी नहीं । भारतीय क्षेत्र में इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य प्रगति पर हैं ।

रेल व्यवस्था में बंगला देश को सहायता देने में संलग्न इंजीनियर और कर्मचारी

4941. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगला देश में रेलवे व्यवस्था के पुनिर्निर्माण के विभिन्न परियोजनाओं में कितने रेलवे कर्मचारी और इंजीनियर कार्य कर रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : लगभग 400 ।

दक्षिण पूर्व रेलवे की किरिन्दुल कोट्टावलसाह लाईन के कर्मचारियों को क्वार्टर और चिकित्सा सुविधायें देना

4942. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दक्षिण-पूर्व रेलवे को किरुन्दुल-कोट्टविलसाह लाइन के कर्मचारियों की शोचनीय स्थिति की जानकारी है;

(ख) क्या उनमें से अधिकांश कर्मचारियों को क्वार्टर, चिकित्सा तथा पेय जल संबंधी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) आवश्यक सुविधायें शीघ्र उपलब्ध करने के बारे में कर्मचारियों को अनेक बार दिये गये आश्वासनों को पूरा करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग) : रेल प्रशासन को क्वार्टरों, चिकित्सा संबंधी सुविधाओं और पेय जल की कमी के सन्दर्भ में कर्मचारियों की समस्याओं की जानकारी है । स्थिति इस प्रकार है :

क्वार्टर : इस लाइन के कर्मचारियों के लिए टाइप I के 1241 और टाइप II के 489 क्वार्टर बनाये गये । धन की उपलब्धता के अनुसार निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर और भी अधिक

क्वार्टरों के निर्माण की योजना बनायी जा रही है ।

चिकित्सा संबंधी सुविधायें : इस लाइन पर चार सर्वसम्पन्नस्वास्थ्य यूनिटें हैं जिनमें कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है ।

पानी की व्यवस्था : गर्मी के मौसम में कुओं के सूख जाने से कुछ स्टेशनों पर पानी की कमी थी । समुचित व्यवस्था की जा रही है ।

रावी नदी पर थीन बांध के निर्माण के संबंध में जम्मू में मुख्य मंत्रियों की बैठक

4943. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**

श्री भानसिंह भौरा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रावी नदी पर थीन बांध के निर्माण के संबंध में जम्मू में पंजाब, हरियाणा हिमाचल प्रदेश और जम्मू और काश्मीर के मुख्य मंत्रियों की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने परियोजना को स्वीकृति दे दी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) परियोजना को तब ही स्वीकृत किया जा सकता है जब कुछ अन्तर्राज्यीय पहलुओं पर संबद्ध राज्यों के साथ निर्णय हो जाये । इन पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए दिसम्बर, 1972 के अन्तिम सप्ताह में एक बैठक हो रही है ।

पोंग बांध के सम्बन्ध में राजस्थान द्वारा मांगी गयी केन्द्र की मध्यस्थता

4944. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने पोंग बांध के सम्बन्ध में केन्द्र से मध्यस्थता करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के अनुरोध का सारांश क्या है और इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : **(क) और (ख)** : राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि के आबंटन के लिए विस्थापितों को पात्रता के प्रश्न पर राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बीच विचारों में भिन्नता थी । दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने इच्छा प्रकट की कि यह मामला मंत्री-मण्डल सचिव को सलाह देने के लिए भेजा जाए जिसको कार्यान्वयन करने के लिए वे सहमत हो गये । मंत्री-मंडल-सचिव की सलाह प्राप्त हो चुकी है तथा उसे दोनों राज्यों ने मान लिया है ।

फरक्का होकर दिल्ली और राजस्थान तक आसाम मेल चलाना

4945. **श्री वाई ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का होकर दिल्ली और राजस्थान तक सीधी बड़ी लाइन की आसाम मल चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या मारवाड़ी व्यापारी समिति, शीशनगंज बाजार (पुरवा) ने इस संबंध में कोई ज्ञापन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। लेकिन मारवाड़ी मर्चेन्ट्स कमेटी, किशनगंज बाजार (पूर्णिया) से एक अभ्यावेदन मिला है।

(ग) यह विनिश्चय किया गया है कि असम मेल का मार्ग बदलकर उसे फरक्का के रास्ते लम्बे मार्ग से न चलाया जाये। मार्ग के खण्डों पर लाइन क्षमता तथा नयी दिल्ली/दिल्ली में टर्मिनल सुविधाओं के अभाव के कारण दिल्ली और असम के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से भी व्यावहारिक नहीं है। दिल्ली स्टेशन पर इस गाड़ी को लेने के लिए टर्मिनल सम्बन्धी सुविधाएं पर्याप्त न होने के कारण फिलहाल असम को दिल्ली से चलाना या वहां समाप्त करना भी व्यावहारिक नहीं है।

आंध्र प्रदेश में कास्टिक सोडा, तरल क्लोराइन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन करने के लिए आवेदन

4946. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश में (1) कास्टिक सोडा, (2) तरल क्लोराइल और (3) हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन करने हेतु औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां. तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : **(क) और (ख)** : कास्टिक सोडा, तरल क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के विनिर्माण के लिए आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना हेतु निम्नलिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं : उनके मुख्य ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

प्रार्थी का नाम	मद का विनिर्माण	क्षमता जिसके लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है
1. मैसर्स साहूजैन लि० नई दिल्ली	कास्टिक सोडा	33,000 मीटरी टन/प्रतिवर्ष
	तरल क्लोरीन	28,050 ,, ,,
2. मैसर्स खंडवालकेरोअल्लायस	कास्टिक सोडा	30,000 ,, ,,
लि० बम्बई	क्लोरीन	25,500 ,, ,,
3. मैसर्स अतुल ड्रग्ज हाउस लि०	कास्टिक सोडा	36,500 ,, ,,
बम्बई	क्लोरीन (तरलीकृत)	27,000 ,, ,,
	हाइड्रोक्लोरिक एसिड	16,425 ,, ,,

(ग) जी नहीं।

पैट्रोल और मिट्टी के तेल का आयात

4947. **श्री नरेन्द्र सिंह :**

श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच महीनों में विदेशों से कितना पेट्रोल और मिट्टी का तेल आयात किया गया तथा इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : पेट्रोल का आयात नहीं किया जाता है । मई से सितम्बर, 1972 तक पांच महीनों की अवधि के दौरान आयात की गई मिट्टी के तेल की मात्रा 312,000 मीटरी टन थी, जिसका मूल्य 7.43 करोड़ रुपये था ।

कर्मचारियों की हड़तालों और अन्य लोगों के आंदोलनों के परिणामस्वरूप रेलवे विभाग को हानि

4948. **श्री नरेन्द्र सिंह :**

श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे को 1 जनवरी, 1971 से अब तक रेलवे कर्मचारियों की हड़तालों और अन्य लोगों के आन्दोलनों के परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है, और

(ख) भविष्य में रेलवे सम्पति की सुरक्षा के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) रेल कर्मचारियों की हड़ताल के कारण 1-1-71 से, मुख्यत: राजस्व की हानि के रूप में, रेलों को लगभग 2.5 करोड़ रुपये की हानि हुई । दूसरों द्वारा किये गये आंदोलनों के कारण रेल सम्पत्ति को जो हानि हुई उसके संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) (i) राज्य पुलिस/राज्य सरकारों के साथ निकट संपर्क रखा जायेगा ।

(ii) रेल सम्पति को नष्ट करने के संबंध में दण्ड को और अधिक कड़ा बनाने के उद्देश्य से 1890 के भारतीय रेल अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

(iii) रेल सम्पत्ति की सुरक्षा संबंधी सामान्य ड्यूटी के अलावा, राज्य पुलिस के साथ मिलकर रेलों पर कानून और व्यवस्था की स्थिति से अधिक कारगर ढंग से निपटने के लिये रेलवे सुरक्षा दल का पुनर्गठन किया जा रहा है ।

औषधि उद्योग में तीव्र विकास दर

4949. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने औषधि उद्योग के तीव्र विकास के लिये कोई विशेष उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हां, उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : **(क) और (ख)** : यथाशीघ्र

आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के विचार से सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि औषध उद्योग सहित सभी उद्योगों में उत्पादन की गति में तीव्रता लाई जाए । इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए, फरवरी 1970 में लाइसेंस नीति का पुनर्रीक्षण किया गया था और 1972 में क्षमता के पूर्णतया प्रयोग के संबंध में नीति अपनाई गई । योजना आयोग जो इस समय पांचवीं योजना के निर्माण में व्यस्त है, ने औषध एवं भेषज पर एक कार्यकारी दल की स्थापना की है । यह दल विस्तृत तरीके से इस विषय पर विचार करने, उद्योग के महत्व का मूल्यांकन करने, पांचवी योजना को तैयार करने और इससे संबंधित सभी समस्याओं को निपटाने का कार्य करेगा ।

दिल्ली और नई दिल्ली के रेलवे स्टेशनों को नया रूप देना

4950. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और नई दिल्ली के रेलवे स्टेशनों को नया रूप देने और यात्रियों को सुधरी हुई सुविधाएं देने के संबंध में कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ।

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां :

(ख) दिल्ली और नयी दिल्ली स्टेशनों पर सेवा इमारतों के परिमार्जन और आधुनिकीकरण के लिए एक जोरदार अभियान चलाया गया है ताकि यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जा सकें और परिवेश को स्वास्थ्यवर्धक और स्वच्छ बनाया जा सके । इस अभियान में स्टेशनों के फर्श, रोशनी, प्रसाधनों, भोजनालयों, पेय जल, सामान्य सफाई व्यवस्था आदि में सुधार के काम भी शामिल हैं । अधिकांश काम पूरा हो चुका है और शेष काम निकट भविष्य में पूरा कर दिया जायेगा ।

Renewal of catering Licence of big contractors to Katihar (N. F. Railway) in violation of assurance given by Minister

4951. **Shri Bhola Manjhi :**
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Shri Gulzari Lal Nanda, the former Minister of Railways, had made an announcement in Parliament on the 8th and 12th December 1970 that catering in the North Frontier Railway will be made departmental;

(b) whether licences of big contractors of Katihar in North Frontier Railway have been renewed for another period of three years in violation of the said assurance; and

(c) if so, the reasons therefor and the persons responsible for it ?

The Minister of Railways (Shai T. A. Pai) : (a) Shri Nanda had stat d that he would try to have departmental catering at Katihar station on the Northeast Frontier Railway. On a further examination, it was then decided not to extend departmental catering at Katihar.

(b) The contracts of th existing contractors of Katihar have been renewed for three years with effect from 1.10.1972.

(c) As indicated above, on further examination it was then decided not to extend complete departmental catering at Katihar. Some complaints from Members of Parliament have been received. The matter is under active consideration.

अतिरिक्त कार्यभार के कारण कार्यालय कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि

4952. **श्री भोला मांझी** :

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के सभी विभागों में हाल ही के वर्षों में लगभग सभी वर्गों के गैर कार्यालय कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है जिससे कार्यालय कर्मचारियों का कार्यभार बढ़ गया है;

(ख) क्या कार्यालय कर्मचारियों की संख्या में अनुपातत: वृद्धि नहीं की गई है जिसके परिणाम स्वरूप उनका कार्यभार बढ़ गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार कार्यालय कर्मचारियों की संख्या में अनुपातत: वृद्धि करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) रेलों पर हाल के वर्षों में कर्मचारियों की संख्या में केवल उपन्तिक वृद्धि हुई है ।

(ख) रेलों पर कार्मिक शाखाओं में कर्मचारियों की व्यवस्था वास्तविक अपेक्षाओं के आधार पर की जाती है जिसमें कार्य विधि के सरलीकरण तथा कम्प्यूटीकरण जैसे उपाय लागू किये जाने पर भी ध्यान दिया जाता है ।

(ग) कार्मिक शाखाओं के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाता है और जहाँ औचित्य होता है अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है ।

समान सुविधायें उपलब्ध करने पर क्वार्टरों का समान किराया लेना

4953. **श्री भोला मांझी :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाईप 'बी' टाईप '2' और 'के' के रेलवे क्वार्टरों का किराया पूर्वी रेलवे में अब तक समान ही था, अर्थात् 22.44 रुपये;

(ख) क्या 'के' टाईप के कुछ क्वार्टरों के बाहर की ओर बरामदा है और टाईप '2' के क्वार्टरों में बिजली के पंखे और बाहरी बरामदे भी हैं ;

(ग) क्या मई, 1971 से क्वार्टरों का किराया कुर्सी (प्लिन्थ) क्षेत्रफल के आधार पर नियत किया गया है और ऐसा करने से टाईप '2' और टाईप 'के' के क्वार्टरों का भी, जिनमें बाहरी बरामदा नहीं है, वही किराया नियत किया गया है, हालांकि उनमें समान सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) क्या बाहरी बरामदे वाले 'के' टाईप क्वार्टरों का किराया '2' के उन क्वार्टरों से अधिक है, जिनमें बिजली के पंखे लगे हुए हैं; और यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार समान सुविधाओं वाले क्वार्टरों का समान किराया लेने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) 22.44 रुपये का मानक किराया केवल ऐसे दो कमरों वाले बिजली युक्त क्वार्टरों के लिए निर्धारित किया गया था जिनकी कुर्सी का क्षेत्रफल 601 से 900 वर्ग फुट तक हो, (चाहे क्वार्टर किसी टाइप का हो) और यह किराया 1–10–64 से 30-9-70 तक की अवधि के लिए लागू था ।

(ख) जी हां, कुछ मामलों में ।

(ग) किराया निर्धारित करने का आधार मई, 1971 से संशोधित नहीं किया गया ।

(घ) बाहरी बरामदों वाले या बिना बरामदों वाले क्वार्टरों और छत में लगे पखे वाले या बिना पंखे वाले क्वार्टरों में कोई अंतर नहीं रखा गया और न यह व्यावहारिक ही है । दो कमरों वाले सभी

क्वार्टरों में हर साल एक चरण बद्ध कार्यक्रम के अनुसार छत के पंखे लगई जा रहे हैं बशर्ते धन उपलब्ध हो ।

मील भता देने के लिए धीमी गति की गाड़ियों के वर्गीकरण का मानदण्ड

4954. **श्री भोला मांझी :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगचल कर्मचारियों को दिये जा रहे मील-भते की दर उसके यात्रा भते की दर से कम है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) संगचल कर्मचारियों को 'शार्ट सैक्शन' पर कितना मील भत्ता देय होता है जब कि 40 किलोमीटर के सैक्शन पर 8 घंटे और उससे अधिक समय लगता है ; और

(ग) किसी गाड़ी को "धीमी गति की गाड़ी" घोषित करने का मानदण्ड क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) रनिंग कर्मचारियों को दिये जाने वाले मील भते में यात्रा भत्ते के तत्व के अलावा प्रोत्साहन या वेतन का तत्व भी होता है । अतः, बतौर नियम के, रनिंग कर्मचारियों के मील भत्ते की दरें, समान वेतन पाने वाले गैर-रनिंग कर्मचारियों के यात्रा भत्ते की दरों से अधिक हैं ।

(ख) जब 40 कि० मी० से कम के फेरों पर काम करने वाले रनिंग कर्मचारी दिन की पूरी ड्यूटी में 80 कि० मी० से अधिक पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें, उनके द्वारा पूरी को गयी वास्तविक दूरी के दुगुने के आधार पर परिकलित मील भत्ते का भुगतान किया जाता है जिसमें न्यूनतम 120 कि० मी० प्रतिदिन दिया जाता है ।

(ग) नियमानुसार फुटकर द्रुत पारवहन गाड़ियों और शटिंग गाड़ियों (पिक अप या खण्डीय) सहित केवल यानान्तरण सड़क यानों को धीमी गति वाली गाड़ियां माना जाता है ।

दक्षिण रेलवे के कोट्टाराकारा और पूनालूर स्टेशनों पर आरक्षण संबंधी प्रबंध

4955. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में क्विलोन जिले के कोट्टाराकारा और पूनालूर रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण संबंधी प्रबंध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस मांग को कब तक पूरा किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) इन स्टेशनों पर स्थान आरक्षण करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में बिजली के उत्पादन पर व्यय हुई धनराशि

4956. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल राज्य में बिजली के उत्पादन पर केन्द्रीय सरकार ने कुल कितना धन खर्च किया तथा उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन पर यह धन व्यय हुआ; और

(ख) केरल राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) विद्युत परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपने योजना-परिव्यय के अन्तर्गत की जाती है। राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता समग्र राज्य-योजनाओं के लिए ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती हैं तथा ये विकास के किसी विशेष शीर्ष या परियोजना से सम्बद्ध नहीं होती। केरल में चौथी योजना के दौरान निर्माणाधीन विद्युत-जनन स्कीमों के नामों, 1968-69 के अन्त तक किया गया वास्तविक व्यय, चौथी योजना परिव्यय तथा 1969-70, 1970-71, 1971-72 के दौरान वास्तविक व्यय और 1972-73 के दौरान प्रत्याशित व्यय का विवरण संलग्न है।

(ख) 1971-72 के दौरान केरल में विद्युत की प्रतिव्यक्ति खपत 71 यूनिट होने का अनुमान लगाया गया है।

विवरण

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में निर्माणाधीन विद्युत-जनन स्कीमों और अनुमानित लागत, किए गए व्यय आदि का विवरण

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत लाख रुपयों में	1968-69 के अन्त तक व्यय लाख रुपयों में	चौथी योजना परिव्यय लाख रुपयों में	1971–72 में वास्तविक व्यय लाख रुपयों में	1972-73 के दौरान प्रत्याशित व्यय लाख रुपयों में
संतत स्कीमें					
1. पेन्नियार जलविद्युत	629.60	629.60	कुछ नहीं	3.00	कुछ नहीं
2. इदिक्की जलविद्युत	8000.00	2065.88	4445.00	2727.00	1400.00
3. शोलायार जलविद्युत	749.00	737.25	10.00	7.98	—
4. सबरोगिरि जल विद्युत	4283.00	3772.84	105.00	140.08	5.00
5. कुट्टियाडी जल-विद्युत	970.00	685.88	175.00	238.88	35.00
नई स्कीमें					
1. इदमलायर* बहुद्देश्यीय	1596.70 (विद्युत भाग)		—	104.00	25.00
2. सायलेंट घाटी जलविद्युत	2488.00	—	140.00	—	10.00
			4875·00	3220.94	1475.00

केरल में इदिक्की पनबिजली परियोजना का निर्माण

4957. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

* स्कीमें अभी तक औपचारिक रूप से निर्माण के लिए स्वीकृत नहीं की गईं।

(क) केरल में इदिक्की पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार ने अब तक कितनी राशि स्वीकृत की है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से किसी तकनीकी सहायता के लिए भी अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) इद्दिकी जल विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत 68.20 करोड़ रुपये है और चतुर्थ योजना के लिए 44.45 करोड़ रुपये का और 1972-73 के लिए 11.00 करोड़ रुपये का प्रावधान है ।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग, परियोजनाओं के विभिन्न चरणों के दौरान राज्य के अधिकारियों को जब भी उन्हें जरूरत पड़ती है उन्हें अपेक्षित तकनीकी सहायता देता है और उनका मार्ग दर्शन करता है ।

बड़ी सिंचाई परियोजना के लिए केरल को सहायता

4958. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार को कितनी मदद दी ;

(ख) परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में परियोजनाओं के लिए 35 लाख की विशेष अतिरिक्त राशि की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह समग्र राज्य योजनाओं के लिए होती है और किसी विशेष विकास शीर्ष या परियोजना से सम्बद्ध नहीं होती ।

केरल के लिए योजना परिव्यय 1971-72 और 1972-73 के लिए क्रमश: 60 करोड़ रुपये और 64 करोड़ रुपये था जिसमें केन्द्रीय सहायता क्रमश: 35 करोड़ रुपये और 33.95 करोड़ रुपये थी । इसमें से राज्य सरकार ने बृहद् और मध्यम सिंचाई सेक्टर के लिए क्रमश: 5.25 करोड़ रुपये और 5.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया ।

(ख) केरल सरकार के अधीन सात वृहद् सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है । चूंकि राज्य सरकार इन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था न कर सकी, ये परियोजनाएं कई वर्षों तक चलती रहीं । इनमें छः परियोजनाएं पांचवीं योजना में तथा कल्लाडा परियोजना छठी योजना में पूर्ण होनी प्रत्याशित है ।

(ग) और (घ) : केरल सरकार ने इस वर्ष बृहद् और मध्यम सिंचाई सेक्टर में अपने कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए योजना ढांचे से बाहर 3 करोड़ रुपये की एक विशेष केन्द्रीय सहायता माँगी थी। संसाधनों की स्थिति में तंगी होने के कारण इस आग्रह को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया ।

केरल में भूमि की सिंचाई

4959. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में चालू वर्ष में कितने हैक्टेयर भूमि की सिचाई होगी ; और

(ख) गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष सिंचित भूमि में कितनी वृद्धि हुई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : 1971-72 के दौरान उत्पन्न 11000 हेक्टेयर की अतिरिक्त शक्यता के प्रति केरल में बृहद् तथा मध्य सिंचाई परियोजनाओं से 1972-73 के दौरान 21000 हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई शक्यता प्राप्त करना प्रत्याशित है ।

दामोदर घाटी निगम का पुनर्गठन

4960. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम का पुनर्गठन करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : दामोदर घाटी निगम के वृत्तिमूलक पुनर्गठन का प्रश्न सिंचाई उद्देश्यों के लिए तिल्लैया और कोनार बांधों से जल का समुपयोजन करने के लिए बिहार सरकार के प्रस्ताव के साथ अन्तर्सम्बद्ध है । नई दिल्ली में 11 अगस्त, 1972 को हुई बैठक में, पश्चिम बंगाल तथा बिहार के मुख्य मंत्रियों द्वारा ऊपर कहे दूसरे प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया था । दोनों मुख्य मंत्रियों द्वारा यह सहमति हुई थी कि विभिन्न मामलों, जिन पर उनमें मतभेद है, का विस्तार से अध्ययन करने के लिए दोनों राज्यों के अधिकारियों का एक संयुक्त दल स्थापित किया जाए । दल की रिपोर्ट की रोशनी में इस मामले पर आगे विचार-विमर्श करने के लिए मुख्य मंत्री बाद में मिलेंगे । दल की बैठकें हो रही हैं । पुनर्गठन प्रस्ताव पर आगे प्रगति, उपर्युक्त अध्ययनों के परिणाम आने के उपरांत ही होगी ।

Amenities in Zonal Training Schools of Signal and Telecommunications Department of Railways

4961. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether proper housing facilities, adequate drinking water facilities and public conveniences are provided in the hostels for trainee-employees in the various Zonal Training Schools of the Signal and Tele-communications Department of Railways;

(b) whether proper arrangements for payment of their salaries during the training period exists there;

(c) the rates of rent charged in these Training Schools at each place indicating the reasons for charging this rent; and

(d) the policy of Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha:

Purchase of Wagons by Indian Railways for Transportation of Goods

4962. **Shri Hukam Chand Kachwai** , Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of wagons proposed to be purchased by the Indian Railways during the current financial year for transportation of goods in the country; and

(b) the estimated price per wagon ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (b) Against the orders placed approximately 12,000 wagoas in terms of four-wheelers are expected to be delivered during the current financial year (1972-73).

(b) The estimated average price of a wagon (four-wheeler unit) is about Rs. 44,000/—.

जब्बलपुर गोंडिया छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदलना

4963. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने जब्बलपुर-गोंडिया छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदलने सम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को दिया है ; और

(ख) किन किन अन्य लाईनों के बारे में केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को आश्वासन दिये हैं और उनके निर्माण में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है । फिर भी चालू सर्वेक्षण के काम को शीघ्र करने और लाइन की आर्थिक सक्षमता का मूल्यांकन करने का पूरा प्रयास किया जायेगा ताकि इस सम्बन्ध में शीघ्र विनिश्चय किया जा सके ।

मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरीज, मैसर्स बोहिन्गर नील और मैसर्स सीबा की विदेशी साम्य पूंजी में वृद्धि और इनके द्वारा प्रत्यावर्तित धन राशि

4964. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरीज, मैसर्स बोहिन्गर नील और मैसर्स साइबा की प्रारंभिक और वर्तमान विदेशी साम्य पूंजी क्या है;

(ख) विदेशी साम्य पूंजी में वृद्धि विदेशों से अतिरिक्त पूंजी निवेश द्वारा प्राप्त की गई है अथवा भारत में उनके लाभों में से;

(ग) इन कम्पनियों ने गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार, कितनी धनराशि (1) लाभांश, (2) तकनीकी जानकारी की फीस, (3) स्वामित्व के रूप में प्रत्यावर्तित की है; और

(घ) इन कम्पनियों की आरक्षित निधि इस समय क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) **और** (ख) : वर्तमान प्रदत्त साम्य पूंजी, प्रदत्त पूंजी में से बनाये बोनस के मामले और प्रदत्त पूंजी में से विदेशी (निगमित) साझेदारी की रकम के बारे में सूचना इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

कम्पनी का नाम	प्रदत्त शेयर पूंजी (ईक्विटी)	प्रदत्त पूंजी में से बनाये गये बोनस के मामले	प्रदत्त पूंजी में से विदेशी (निगमित) साझेदारी की रकम
ग्लैक्सो लेबोरेटोरीज (इण्डिया) लि०	720.00	360.00	540.00
बोहरिंगर नौल्ल लि०	60.00	25.00	28.80
सीवा आफ इंडिया लि०	487.50	412.50	316.87

प्रारम्भिक विदेशी साम्य पूंजी के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) इन कम्पनियों द्वारा विदेश में भेजे गये धन का ब्यौरा इस प्रकार है :–

		1969	1970	1971
गलैक्सो लेबोरेटीरीज (इंडिया) लि०				
	लाभांश	62.51	62.51	24.46
	रायल्टीज	42.24	36.57	—
	तकनीकी जानकारी	—	—	7.96
बोहरिंगर नौल्ल लि०				
	लाभांश	—	—	—
	रायल्टीज	—	—	—
	तकनीकी जानकारी	—	—	—
सीवा आफ इंडिया लि०				
	लाभांश	19.94	19.94	35.88
	रायल्टीज	—	—	—
	तकनीकी जानकारी	—	—	—

(ख) आरक्षित निधि के वर्तमान आकार के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

औषध निर्माता विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभों को अपने देशों को भेजे जाने पर रोक

4965. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एब्बोट्स' फाईजर, ग्लैक्सो, साईबा, तथा अन्य औषध निर्माता विदेशी कम्पनियों द्वारा, जिन्होंने पिछले वर्षों में बहुत अधिक लाभ कमाये हैं, लाभों को अपने देशों को भेजे जाने पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : **(क) और (ख)** : औषध उद्योग के धन निवेश को सम्मिलित करते हुये भारत में अपने धन निवेश पर अनिवासियों द्वारा अर्जित किये गये मुनाफों एवं लाभांशों को विदेश भेजने की इजाजत सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार दी जाती है । इस नीति के अनुसार, मुनाफों एवं लाभांशों को विदेश भेजने की इजाजत सामान्य रूप से उन पर भारतीय करों की अदायगी के बाद दी जाती है । तथापि, 100 प्रतिशत विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों के बारे में यदि लाभांशों के घोषित किये जाने से आरक्षित निधि से धन निकालना पड़ता हो तो निम्नलिखित बातों पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया की तसल्ली हो जाने पर धन को विदेश भेजने की सुविधा दी जायेगी :

(i) कि आरक्षित निधि में से धन लाभांश को पिछले पांच वर्षों की औसत अथवा प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत, इन दोनों में से जो भी अधिक हो, पर बनाये रखने के लिये निकाला गया है;

(ii) कि आरक्षित निधि में से निकाला गया धन कुल प्रदत्त पूंजी एवं वर्ष के शुरू में कम्पनी की निबार्ध आरक्षित निधियों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है;

(iii) कि धन निकालने के पश्चात् बची हुई निबार्ध आरक्षित निधियों में बकाया रकम कुल प्रदत्त पूंजी तथा उपरोक्त (ii) में उल्लिखित आरक्षित निधियों के 15 प्रतिशत से कम नहीं है।

मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरीज को उत्पादन विवरणी प्रस्तुत करने से छूट

4966. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरीज को तकनीकी विकास के महा निदेशालय तथा सरकार को उत्पादन विवरणी प्रस्तुत करने की छूट दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन विशेष परिस्थितियों में किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह छूट भारतीय फर्मों को देने की भी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं। मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरीज (इण्डिया) लि० द्वारा तकनीकी विकास महा निदेशालय को औषधियों एवं भेजन की मासिक उत्पादन विवरणियां नियमित रूप से प्रस्तुत की जा रही हैं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स विथ लेबोरेटरीज, मैसर्स सैन्डोज, मैसर्स सिनामिड (इंडिया) लि० तथा मैसर्स मर्क, शार्प एण्ड ढोम की विदेशी इक्विटी पूंजी में वृद्धि

4967. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स विथ लेबोरेटरीज, मैसर्स सैन्डोज मैसर्स सिनामिड (इंडिया) लि० तथा मैसर्स मर्क शार्प एण्ड ढोम की प्रारम्भिक विदेशी इक्विटी पूंजी कितनी थी तथा अब कितनी है ;

(ख) क्या विदेशी इक्विटी पूंजी में वृद्धि विदेशों से अतिरिक्त पूंजी निवेश के कारण हुई है अथवा भारत में अर्जित लाभ से ;

(ग) गत तीन वर्षों में इन कम्पनियों द्वारा वर्षवार (1) लाभांश (2) तकनीकी जानकारी शुल्क (5) स्वामित्व के रूप में कितनी राशि बाहर भेजी गई ; और

(घ) इन कम्पनियों की इस समय आरक्षित निधि कितनी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : **(क) और (ख)** : वर्तमान प्रदत्त साम्य पूंजी, प्रदत्त पूंजी में से बनाये गये बोनस के मामले और प्रदत्त पूंजी में से विदेशी (निगमित) साझेदारी की रकम के बारे में सूचना इस प्रकार है :

(लाख रुपयों में)

कम्पनी का नाम	प्रदत्त शेयर पूंजी	प्रदत्त पूंजी में से बनाये गये बोनस मामले	प्रदत्त पूंजी में से विदेशी (निगमित) साझेदारी की रकम
(1)	(2)	(3)	(4)
वेयथ लेबोरेटरीज लि०	75.00	शून्य	55.50

सेन्डोज इंडिया लि०	150.00	शून्य	90.00
सायनमिड लि०	70.15	,,	45.60
मर्क शार्प एण्ड डोहमे आफ इंडिया लि०	180.00	,,	108.00

प्रारम्भिक विदेशी साम्य पूंजी के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) इन कम्पनियों द्वारा विदेश में भेजे गये धन का ब्यौरा इस प्रकार है :

	1969	1970	1971
बेयथ लेबोरेटरीज लि०			
लाभाँश	—	4.19	4.19
रायल्टी	—	—	—
तकनीकी जानकारी	—	—	—
सेन्डोज इंडिया लि०			
लाभांश	8,54	—	9.27
रायल्टी	—	—	—
तकनीकी जानकारी	—	—	—
सायनमिड इंडिया लि०			
लाभांश	24.10	24.10	12.05
रायल्टी	—	—	—
तकनीकी जानकारी	—	—	—
मर्क शार्प एण्ड डोहमे आफ इंडिया लि०			
लाभांश	28.54	21.20	13.05
रायल्टी	—	—	—
तकनीकी जानकारी	—	—	—

(घ) आरक्षित निधि के वर्तमान आकार के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Funds for Irrigation Schemes of Rajasthan

4968. **Shri M. C. Daga)** : Will the Minister of **Irrigation & Power** be pleased to state :

(a) the funds provided by the Central Government during the last three years for irrigation schemes of Rajasthan as also the names of the irrigation projects which are pending with Government for approval and since when; and

(b) the additional funds demanded by Rajasthan from the Centre for completing those irrigation projects in the State which are in progress at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation & Power (Shri B. N. Kureel) : **(a) & (b)** : Central assistance to States Plans is in the form of block loans and grants and is not related to any sector or project, The Fourth Plan outlay of Rajasthan is Rs. 302 crores out of whlch central assistance is Rs. 220 crores.

The Government of Rajasthan had made a request for special assistance to accelaerate works on thr Rajasthan Canal. Rs. 6.2 crores were provided by the Centre from 1969-70 to 1971-72, and Rs. 3.5 crores have been agreed to be provided in 1972-7?, as a special case, outside

the State Plan framework. In addition to above an amount of Rs. 5.85 crores has also been agreed to for Beas Unit I during 1972-73. The Government of Rajasthan had also made a request for special assistance of Rs. 60 lakhs for the Gurgaon Canal project during 1972-73 outside the State Plan. It was not found possible to accede to this request.

Two medium sehemes viz. Panchana project (received in April 1971) and Wagli project (received in December 1971) are under technical examination.

Expenditure incurred on Railway Pavilion in Asia '72 Fair

4969. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the total capital expenditure incurred by Government on the Pavilion set up by the Railway Department in the Asia '72 Fair;

(b) the daily expenditure being incurred thereon; and

(c) the main items which were to be exhibited there and whether these have been exhibited ?

The Minister of Railways (Shri T A. Pai) : (a) Nearly Rs. 39.27 lakhs are likely to be spent on the pavilion set up by the Ministry of Railways in Asia '72 Fair. This is not Capital expenditure but is chargeable to Revenue-Demand No. 9-Misc. Expenses.

(b) Rs. 1,380 per day, for maintenance of the Pavilion.

(c) A list of items which have been exhibited is at Annexure A. [**Placed in Library. See No. L.T. 4081/72**] These exhibits were selected by a Committee set up in the Railway Board's office, with Deputy Minister as Chairman.

Manufacture of Antibiotic Drugs

4970. **Shri M C Daga** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is not possible to produce in the country some important antibiotics which are more useful than those produced at present and which have to be imported at present; and

(b) if so, what are the names of such anti-biotics ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) **and (b)** : The antibiotics produced in the country at present are the essential ones. These are :

(i) Penicillin

(ii) Streptomycin

(iii) Tetracyclines

(iv) Amphotericin

(v) Neomycin Sulphate

(vi) Nystatin

(vii) Erythromycin

While the indigenous production in respect of some of these is adequate to meet the internal demands, some are also supplemented through imports. Projects are also under implementation to meet the entire requirements out of indigenous production. Name of the antibiotics whose requirements are now met entirely through imports are given below :

(i) Bacitracin

(ii) Polymixin

(iii) Kanamycin

(iv) Lincomycin

(v) Gentamycin

(vi) Ampicillin and other Synthetic Penicillins.

(vii) Cycloserin

Schemes for the manufacture of Kanamycin and Ampicillin are under implementation. Future requirements of all essential/important bulk drugs including antibiotics are being assessed to determine the need for establishing capacities for their manufacture in the country, during the Vth Plan period.

Manufacture of Medicine to Cure Cancer

4971. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the names of essential drugs which are being imported at present and the value of the drugs imported last year;

(b) whether no drug used for treatment of diseases like cancer, is manufactured in the country and these have to be imported every year; and

(c) if so, the time by which Government would be able to manufacture these drugs in the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) A statement showing some of the important drugs which have been imported during 1971-72 and their value is attached.

(b) While most of the anti-cancer drugs are presently being imported, some e. g. Endoxan are being produced in the country based on imported bulk drugs.

(c) Proposals for the basic manufacture of two anti-cancer drugs have been received and are under examination. It is hoped that these bulk drugs would be produced locally in the near future.

Sl. No.	Items	Imports/Rs. 1971-72
1.	Penicillin & Sodium, Potassium etc.	62,61,857
2.	Streptomycin	170,09,884
3.	Tetracyclines	119,52,749
4.	Chloramphenical and its esters	216,39,196
5.	Sulpha drugs	211,18,686
6.	Pethidine Hel	70,101
7.	Grisecfulvin	22,94,450
8.	Ertythromycin	118,61,613
9.	Cycloserine D Tartarate	16,70,852
10.	Cyclophosphamide	4,77,200
11.	Isulins	32,41,450
12.	Chlorocuin salts	76,43,300
13.	Dexamethasone	37,99,504
14.	Triamcinolene	12,81,535
15.	Eolic Acid	9,36,666
16.	Pentothenates and panthonal	15,66,280
17.	Vitamin B I	56,98,913
18.	Vitamin B6	34,26,712

19.	Vitamin C	33,9 ,950
20.	Methyl Depa	8,31,183
21.	Ambicillin	20,26,686
22.	Furosemide	29,13,859
23.	Indemethacin	49,58,823
24.	Prenylamine Lactate	13,00,755
25.	Pyrazinanide	9,97,344
26.	Xanthinal Nicolinate	8,40,914
27.	Analgin	56,65,850

डबल डेकर रेल यात्री डिब्बों का निर्माण

4972. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डबल-डैकर यात्री डिब्बों के बनाये जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यात्रियों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जाने के लिये इनका प्रयोग करने की कोई योजना है ; और

(ग) इन डिब्बों को कब तक उपयोग में लाये जाने की आशा है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । यात्रियों में अत्यधिक लोकप्रिय कम दूरी वाली कुछ गाड़ियों में चयन के आधार पर, इन डिब्बों का उपयोग करने का विचार है ।

(ग) लगभग तीन वर्ष में बड़ी लाइन के तीन प्रोटोटाइप डबल डैकर डिब्बे उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है ।

आई० डी० पी० एल० ऋषिकेश के कर्मचारियों को कम उद्यम अन्तरिम राहत दिया जाना

4973. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० डी० पी० एल ऋषिकेश के कर्मचारियों को दी गई में अन्तरिम राहत में से 27 रुपये की कटौती की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) क्या इस कटौती के कारण कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं । मार्च, 1970 से, इंडियन ड्रग्ज एण्ड फामस्युटिकल्स लि० के कर्मचारियों की कुल परिलब्धियों में तदर्थ आधार पर वृद्धि की गई थी जैसा कि नीचे बताया गया है । प्रबंधकों ने अपने कर्मचारियों को 1 अगस्त, 1972 से अतिरिक्त राहत दी है जो इस प्रकार है :

वेतनस्तर	आई डी० पी० एल द्वारा 1-3-72 को की गई तदर्थ वृद्धि	1 अगस्त, 1972 से दी गई अतिरिक्त राहत
(1)	(2)	(3)
रुपये	रुपये	रुपये
85 से नीचे	27·50	1·50

(1)	(2)	(3)
85–209	27·50	13·50
210–499	27·50	22·50
500–1250	45·00	15·00

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस बारे में किसी भी यूनियन से हड़ताल का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कलकत्ता में भूमिगत रेलवे के लिये मिट्टी का परीक्षण

4975. **डा० रानेन सेन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में भूमिगत रेलवे के लिये मिट्टी परीक्षण का कार्य आरंभ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) पन्द्रह प्रतिशत ।

औषध मूल्यों में वृद्धि और उस पर नियंत्रण के उपाय

4976. **श्री वयालर रवि** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि औषधियों और भेषजों के मूल्य में हाल ही में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई और इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : **(क) और (ख)** : औषधों एवं दवाइयों के मूल्य औषध (नियंत्रण मूल्य) आदेश 1970 के अन्तर्गत नियंत्रित किये जाते हैं और मूल्यों में वृद्धि किये जाने की अनुमति उक्त आदेशों के अन्तर्गत दी जाती है, प्रपुंज औषधों/कच्चे माल की लागत में वृद्धि होने के कारण केवल जहां आवश्यक हो ।

1972 में प्रपुंज औषधों के मूल्यों में की गई वृद्धि की सीमा इस प्रकार है :

1. इन्सुलिन	4900 रुपये/एम० यू० से	6680 रुपये/एफ० यू० तक
2. आई ओ डोक्लोर हाइड्रोक्सीक्विनोलिन (8 हाइड्रोक्सी किवनोलिन से)	62.14 रुपये/प्रति कि० ग्राम से	75.94 रुपये/प्रति कि० ग्राम तक
3. (क) विट बी. 1 एच सी एल (इजैक्टेब्ल ग्रेड)	382 रुपये/प्रति कि० ग्राम से	430 रुपये/प्रति कि० ग्रा० तक
(ख) बी० 1 मोनोनिट्रेट	382 रुपये/प्रति कि० ग्राम से	433 रुपये/प्रति कि० ग्रा० तक

कारखाने के बाहर लागत में वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप, कुछ सूत्रयोगों के मूल्यों में उस सीमा तक जिस सीमा तक अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कारखाने के बाहर की लागत में वृद्धि हुई है संशोधन भी किया गया है ।

उनमें से कुछ के उदाहरण इस प्रकार है :

	रु०	रु०
1. इन्सुलिन प्लेन 10 मि० लि०	4.69	5.69
40 यूनिटस/मि० लि०		
80 यूनिटस/मि० लि०	9.00	11.00
इन्सुलिन प्रोटामिन जैड एन 10 मि० ग्राम	5.62	6.72
40 यूनिटस/मि० लि०		
इन्सुलिन लेन्टे 10 मि०लि०		
40 यूनिट्स/मि०लि०	7.00	8.20
इन्सुलिन एन पी ए मि० लि०	6.56	7.76
2. सल्फा क्विन्ज बेइल 60 ग्राम	3.24	3.37
3. ईम्रोपिल टेबलिट		
100% 10 टी स्ट्रिप	29.21	33.72
बी./डायस्टेस 100 टेबलिट	5.34	5.69
काम्पाउंड टेबलिट 500 टेबलिट	21.63	23.37
4. शीको माल्टीन इलिक्सिट		
170 मि. लि.	2.40	3.94
450 मि. लि.	5.40	6.80
5. लेम्परीन कैपस 100 केपस	95.00	100.00
6. सेलविजोन एक्सपटोरेन्ट		
100 मि० लि०	4.69	4.91
500 मि० लि०	17.29	18.49
सेलविजोन ड्राप्स 10 मि० लि०	4.25	4.34
सिंकेशन ड्राप्स 10 मि० लि०	4.10	4.17
7. रालक्राइजाइम 10 × 10 टी स्ट्रिप	11·50	13.39

सरकारी और गैर-सरकारी उर्वरक संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता और उनमें वास्तविक उत्पादन

4977. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के संयंत्रों में उर्वरकों के उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता क्या है और गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार हर संयंत्र में उर्वरकों का वास्तविक उत्पादन कितना हुआ;

(ख) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों की गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार, लाभ-दायकता क्या थी;

(ग) सरकारी तथा गैर-सरकारी संयंत्रों को गत तीन वर्षों में अलग-अलग, वर्ष-वार, कुल कितना लाभ हुआ; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों की स्थापित क्षमता के कम उपयोग के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण पत्र में दे दी गई है ।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्वरक संयंत्रों में हुआ शुद्ध लाभ एवं सकल लाभ इस प्रकार था :

लाख रुपयों में (पूर्ण अंकों में)

	1971–72	1970–71	1969–70
भारतीय उर्वरक निगम			
शुद्ध लाभ	अभी तक वार्षिक बैठक नहीं हुई	167	252
सकल लाभ		1707	1823
एफ० ए० सी० टी०			
शुद्ध लाभ	अभी तक वार्षिक बैठक नहीं हुई	—190	—167
सकल लाभ		133	111
नायवेली			
शुद्ध लाभ	—499	—350	—156
सकल लाभ	—192	— 50	+144
मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०			
शुद्ध लाभ	—107	संयंत्र में नवम्बर, 1971 में उत्पादन शुरू हुआ था ।	
सकल लाभ (मूल्य ह्रास से पहले)	143		
कारो मण्डल			
शुद्ध लाभ	168	55	—62 (दिसम्बर, 1971, 9-12-1970, 1969 को समाप्त हुए वर्ष के लिए)
सकल लाभ	924	834	
जी० एस० एफ० सी०			
शुद्ध लाभ	318	289	252
सकल लाभ (मूल्य ह्रास तथा डिवैल्पमेन्ट रिबेट से पहले)	1497	1182	748

इंडियन एक्सप्लोसिव्ज लि०

उर्वरक संयंत्र के लिये अलग लेखे उपलब्ध नहीं हैं ।

मैसर्स श्री राम कैमिकल्स इंडस्ट्रीज

कोटा में स्थित उर्वरक संयंत्र, जो दिल्ली क्लाथ/एण्ड जनरल मिल्लज का अंश है, के लिए अलग लेखे उपलब्ध नहीं हैं ।

हिन्दुस्तान स्टील लि० राउरकेला :

सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) सरकारी क्षेत्र के कुछ संयंत्रों में निम्नलिखित तथ्यों के कारण निर्धारित क्षमताएं प्राप्त नहीं की जा सकी :

(क) बिजली में कटौतियां तथा वोल्टेज में अस्थिरता;

(ख) श्रमिक समस्याएं जिनके परिणामस्वरूप कुछ संयंत्रों में हुई हड़तालें;

(ग) यांत्रिक खराबियों तथा अन्य समस्याओं के कारण कुछ पुराने संयंत्रों की क्षमता का कम प्रयोग;

(घ) कच्चे माल की कमी एवं अन्य स्थानीय समस्याएं;

(ङ) कुछ नई परियोजनाओं के चालू होने में हुआ विलम्ब ।

विवरण

(1000 मीटरी टनों में)

वर्ष	नाइट्रोजन		फास्फेट	
	स्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन	स्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन
1969–70				
सरकारी	684	418	105	42
गैर-सरकारी	660	298	316	180
कुल	1344	716	421	222
1970–71				
सरकारी	684	379	105	50
गैर-सरकारी	660	451	316	179
कुल	1344	830	421	229
1971–72				
सरकारी	824	444	184	70
गैर-सरकारी	640	508	316	208
कुल	1464 र	952	500 रा	278

र उन की वास्तविक क्षमता को ध्यान में रखते हुए कुछ यूनिटों की स्थापित क्षमता घटाकर 56,000 मीटरी टन नाइट्रोजन कर दी गई है ।

रा ट्राम्बे यूनिट में 6,000 मीटरी टन पी२ ओ५ द्वारा स्थापित क्षमता का समायोजन कर दिया गया ।

औषधियों का उत्पादन तथा आयात तथा आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए की गई कार्यवाही

4978. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने मूल्य की औषधियों का देश में उत्पादन किया गया तथा कितने मूल्य की औषधियों का आयात किया गया;

(ख) औषधियों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए गत तीन वर्षों में क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) अब तक की गई कार्यवाही के उत्पादन के रूप में क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गत तीन वर्षों में औषध तथा भेषज के देशीय उत्पादन और औषधियों ड्रग्ज इण्टरमीडियेट और गौण सामग्री का कुल मूल्य निम्न प्रकार है :

उत्पादन (अनुमानित)	1969	225 करोड़ रुपये
	1970	265 ,,
	1971	300 ,, ,,
	1969-70	26.19 ,, ,,
	1970-71	27.87 ,, ;,
	1971-72	35.08 ,, ,,

(ख) आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए फरवरी 1970 में सरकार की लाइसेंसिंग नीति में लागू की गई उदारता तथा क्षमता के पूर्ण प्रयोग के संबंध में 1972 में लागू की गई नीति जैसे कुछ कदम सरकार द्वारा उठाये गये हैं। इसके अतिरिक्त कच्चे माल के आयात के लिए औषध एवं भेषज उद्योग एक अग्रता प्राप्त उद्योग है और इन सामग्रियों की आवश्यकता पुनः पूर्ति के आधार पर पूरी की जाती है।

(ग) देश में इस उद्योग के विकास के लिए उठाये गये कदमों का परिणाम हुआ है कि कई महत्वपूर्ण औषधियों के उत्पादन में वृद्धि हुई है जो निम्नलिखित संलग्न विवरण द्वारा दर्शायी गई है;

प्रपुंज औषधियों का उत्पादन

क्रम सं. (1)	प्रपुंज औषधियों का नाम (2)	यूनिट (3)	1969 (4)	1970 (5)	1971 (6)
1.	पेनिसिलीन	एम एम यू	161	182	223
2.	टेट्रासाइकलीन	मीटरी टन	24	53	83
3.	क्लोरा एम्फोनीकोल	,,	30	38	47
4.	क्लोरो प्रोमामाइड	,,	6	6	12
5.	एस्पिरिन	,,	587	762	927
6.	फेनासिटीन	,,	84	101	186
7.	आई एन एच	,,	29	28	60
8.	पी. ए. एस. और इसके सालट्स	,,	297	466	486
9.	जाइलो काइन	किलोग्राम	2606	2200	4153
10.	क्लोरोविनन और एकीडिक्विन	मीटरीटन	30	42	19

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. अरेपियम (अफीम) एलकालायड	किलोग्राम	5931	6584	6659
12. सल्फा ड्रग्ज	मीटरीटन	975	780	1007
13. विटामिन 'ए'	एम. एम. यू.	32	37	42
14. विटामिन बी 12 ग्रुप	किलोग्राम	132	116	138
15. विटामिन सी	मीटरीटन	143	152	195
16. विटामिन सी 2	किलोग्राम	2167	1450	2245
17. विटामिन बी	,,	1943	5400	15735

माल डिब्बों के उपयोग को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव

4979. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल डिब्बों के अधिकतम तथा युक्ति संगत उपयोग के लिए अनेक प्रस्ताव भारतीय रेलवे के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हाँ ।

(ख) माल डिब्बा उपयोग को युक्तियुक्त बनाने के प्रस्तावों की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं :

(i) दुतरफा यातायात कम से कम हो;

(ii) यथा संभव अधिक से अधिक दूरी के लिए पूरी गाड़ियों में अधिक से अधिक यातायात हो;

(iii) इंजन या कर्मीदल को बदलने के लिए और गाड़ी परीक्षण के लिए मार्ग में गाड़ियों को कम से कम समय रोका जाये;

(iv) तेज सुपर एक्सप्रेस माल गाड़ियों को निर्धारित समय-सूची के अनुसार चलाया जाये;

(v) डीजलीकरण और विद्युतीकरण;

(vi) यातयात की आवश्यकताओं के अनुरूप लाइन क्षमता और यार्ड क्षमता का विकास ।

इन्सपेक्टर आफ वर्क्स, धनबाद, (पूर्व रेलवे) के बंगलों के साथ की भूमि को स्थानीय दुकानदारों को देना

4980. **श्री रामनारायण शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के अधिकारियों को इस आशय के अनेक अभ्यावेदन किये गये हैं कि धनबाद की मेन मार्किट में इन्सपेक्टर आफ वर्क्स के बंगलों के साथ वाली भूमि को दुकान खोलने के लिए स्थानीय दुकानदारों को दे दिया जाये;

(ख) क्या स्थानीय दुकानदारों ने इस बारे में अनेक आन्दोलन भी किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो दुकानदारों को खाली भूमि उपलब्ध कराने में क्या कठिनाई है जिससे कि रेलवे को किसी हानि के बिना वे अपनी जीविका अर्जित कर सकें ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) पूर्व रेलवे को उजड़ा गुमटी दुकानदार संघ के सचिव की ओर से तीन अभ्यावेदन मिले थे ।

(ख) रेल प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है ।

(ग) धनबाद के निर्माण निरीक्षण के बंगले के साथ की जमीन रेलवे के अपने विकास के लिए अपेक्षित है ।

तेल कम्पनियों द्वारा खाना आदि पकाने के काम आने वाली गैस के नये उपभोक्ताओं के नामों का पंजीकरण बन्द करना

4981. **श्री पी० ए० सामिनाथन् :**

श्री गिरधर गोमांगो :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कम्पनियों के एजेन्टों ने खाना आदि पकाने के काम आने वाली गैस की सप्लाई के लिए नये उपभोक्ताओं के नामों का पंजीकरण बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : **(क) और (ख)** : दो गैर-सरकारी तेल कम्पनियों, अर्थात् बर्मा-शैल तथा एस्सो, ने अपनी शोधनशालाओं में खाना पकाने वाली गैस की अतिरिक्ति मात्राएं उपलब्ध न होने के कारण नये ग्राहकों का फिलहाल पंजीकरण करना बन्द कर दिया है । तथापि, कालटैक्स एवं भारतीय तेल निगम इस उत्पाद तथा सिलैंडरों की उपलब्धि के अनुसार नये ग्राहक बना रहे हैं । नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये भारतीय तेल निगम ने गैर-सरकारी तेल कम्पनियों के कुछ ग्राहक ले लेने का निर्णय किया है ।

लीबिया से कच्चे तेल की सप्लाई के सम्बन्ध में समझौता

4982. **श्री पी० ए० सामिनायन :**

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने लीबिया से कच्चे तेल की सप्लाई करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रश्न पर उनके तथा लीबिया के उद्योग मंत्री के बीच, जिन्होंने 25 नवम्बर 1972 को भारत का दौरा किया था, बातचीत हुई थी; और

(ग) क्या इस बारे में भारत और लीबिया के बीच समझौता हुआ है और यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : **(क) से (ग)** : नवम्बर, 1972 के अन्तिम सप्ताह में लीबिया के उद्योग एवं खनिज मंत्री की (भारत में) यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में व्यापार के विस्तार के लिए सामान्य रूप में बातचीत हुई थी । किसी विशेष पदार्थ का उल्लेख नहीं किया गया था और अतः कोई व्यापार समझौता सम्पादित नहीं हुआ था ।

मीठापुर में टाटा द्वारा एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करना

4983. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा बंधु मीठापुर में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने पर सहमत हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा लगाई गयी शर्तों पर वे सहमत हो गये हैं; और

(ग) करखाना कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है और उसका वार्षिक उत्पादन कितना होगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री) दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : हाल ही में मैसर्स टाटा कैमिकल्स ने, मंजूर किये गये आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेन्स में परिवर्तित करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । यह विचाराधीन है । जैसा कि अब व्यवस्था की गई है योजना की स्थापित क्षमता 160,000 मीटरी टन नाइट्रोजन होगी ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के कर्मचारियों के वेतन से मंजूरी का काटा जाना

4984. **श्री पीलू मोदी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दिसम्बर, 1971 में दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के कर्मचारियों के वेतन से एक दिन की मंजूरी अनिवार्य रूप से काटने के बारे में उक्त उपक्रम के जनरल मैनेजर को गुप्त रूप से कोई अनुदेश जारी किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह आदेश केवल निम्न वर्ग के कर्मचारियों के लिए थे न कि 350/– रुपये प्रति मास तथा इससे अधिक वेतन लेने वाले इंजीनियरों जैसे उच्च वर्ग के कर्मचारियों के लिए;

इस प्रकार एकत्रित राशि को लगभग 9 महीनों के लिए कहां रखा गया और इसको उचित अधिकारियों को न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस राशि पर अर्जित ब्याज को किस प्रकार व्यय किया गया ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : **(क) और (ख)** : जी, नहीं । कोई गुप्त अनुदेश जारी नहीं किये गये थे । बहरहाल, कर्मचारियों के दो मान्यता प्राप्त संघों के अनुरोध पर वेतन बिलों से राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए धन इकट्ठा किया गया था ।

(ग) और (घ) : दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि कर्मचारियों के वेतन बिलों से राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए धन काटा गया था और दिल्ली के तत्कालीन उप-राज्यपाल को भेंट करने के लिए 31-3-1972 को 1,21,572.33 रुपये का एक चेक काटा गया था । चूंकि चेक तत्कालीन उप-राज्यपाल को भेंट न किया जा सका अतः रद्द कर दिया गया और 24-7-1972 को एक नया चेक काटा गया जिसे 2-9-1972 को उप-राज्यपाल को भेंट किया गया । यह धन दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के बैंक खाते में जमा था अतः उस पर ब्याज अलग से नहीं गिना गया ।

उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा में बिजली की कमी

4985. **श्री दलीप सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बिजली की कितनी कमी है;

(ख) इन राज्यों में 1973-74 में बिजली की कितनी कमी होने की संभावना है; और

(ग) क्या पंजाब और हरियाणा में 1973-74 में होने वाली बिजली की कमी का प्रभाव दिल्ली पर भी पड़ेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : **(क) और (ख)** : सातवें भार सर्वेक्षण पर आधारित 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के राज्यों में विद्युत की कमी नीचे दी जाती है :

राज्य का नाम	विद्युत कमी की मात्रा, मैगावाट में		
	1971-72	1972-73	1973-74
उत्तर प्रदेश	174	225	116
पंजाब	224	273	261
हरियाणा	73	171	276

(ग) 1973-74 के दौरान पंजाब और हरियाणा में विद्युत की कमी से दिल्ली में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

राजग्राम स्टेशन पर रेलगाड़ियों का रोका जाना

4986. **डा० सरदीश राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजग्राम स्टोन क० (प्राइवेट) लिमिटेड के कर्मचारियों ने 29 जुलाई, 1972 को पूर्व रेलवे के राजग्राम रेलवे स्टेशन पर कई घंटे तक रेलगाड़ियां रोकी थीं;

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्पनी के कर्मचारियों की मांगें क्या हैं; और

(ग) उनकी मांगे पूरी करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हाँ ।

(ख) यह मांग पत्थर के टुकड़ों के लदान के लिये पर्याप्त संख्या में माल डिब्बों के आबंटन के संबंध में है ।

(ग) राजग्राम स्टेशन को माल डिब्बों की सप्लाई पूर्व रेलवे पर माल डिब्बों की समग्र उपलब्धता के अनुसार और यातायात की किस्म तथा प्राथमिकता के अनुसार की जाती है ।

भारतीय उर्वरक निगम के कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए इसकी उच्च श्रेणियों में अधिक अनुशासन की आवश्यकता

4987. **श्री टी० सोहन लाल**:

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "दि इण्डियन एक्सप्रेस" दिनाँक 2 सितम्बर, 1972 में एफ-सी आई० डायरेक्टर्स एग्जिट सरप्राइजिज मिनिस्ट्री (भारतीय उर्वरक निगम के निदेशक के पद त्याग से मन्त्रालय को हैरानी) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय उर्वरक निगम का कार्य निष्पादन प्रशंसनीय नहीं रहा है और एक भूतपूर्व पैट्रोलियम मंत्री ने यह कहा है कि निगम की उच्च श्रेणियों में अधिक अनुसासन की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : **(क) और (ख)** : जी हां । सरकार द्वारा नियुक्त की गई कार्य समिति ने भारतीय उर्वरक निगम के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कुछ कदम उठाने का संकेत किया है। समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्ध निदेशक (उत्पादन तथा विपणन) के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच

4988. **श्री टी० सोहनलाल** :

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्ध निदेशक और उत्पादन तथा विपणन निदेशक के विरुद्ध जाँच के बारे में 14 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2883 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरोपों की जांच सरकार ने पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया, और यदि नहीं, तो इसे कब तक पूरा किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : **(क) और (ख)** : आरोपों पर सरकार अभी जांच कर रही है ।

समस्तीपुर, बनारस तथा इज्जतनगर (पूर्वोत्तर रेलवे) के कर्मचारियों को यात्रा भत्ता, समयोपरि भत्ता तथा रात्रि ड्यूटी भत्ते की बकाया राशि का भुगतान न किया जाना

4989. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में समस्तीपुर में 16 लाख, बनारस में 12 लाख तथा इज्जतनगर में 10 लाख रुपये की यात्रा भत्ते, समयोपरि भत्ते रात्री ड्यूटी भत्ते की बकाया राशि का भुगतान कर्मचारियों को नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो भुगतान में विलंब के क्या कारण हैं और बकाया राशि के भुगतान के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) समस्तीपुर में 32,878 रुपये के रात्री ड्यूटी बिलों को छोड़कर यात्रा भत्ते, समयोपरि भत्ते और राशि ड्यूटी भत्ते के कोई पिछले बिल समस्तीपुर, वाराणसी और इज्जतनगर मण्डल कार्यालयों में भुगतान के लिए नहीं पड़े हुए हैं ।

(ख) समस्तीपुर मण्डल कार्यालय में बहुत बड़ी संख्या में रात्री ड्यूटी भत्ते के बिल प्राप्त हुए थे और इस बकाया काम को निपटाने के लिए कर्मचारियों को अतिरिक्त घंटे काम करने के लिए कहा गया है ।

समस्तीपुर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टरों के कार्य के घंटे

4990. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर डिवीजन के सकरी-जयनगर, निरमाती और हसनपुर रोड सैक्शनों में सहायक स्टेशन मास्टरों के लिये एक दिन में कार्य के आठ घंटे के निर्णय को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसको कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : **(क) और (ख)** : सकरी-जयनगर-निर्मली और समस्तीपुर-हसनपुर रोड खंडों पर सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए एक दिन में कार्य के आठ घंटों का निर्णय सहायक स्टेशन मास्टरों की कमी होने के कारण क्रियान्वित नहीं किया जा सका । सकरी-जयनगर और सकरी-निर्मली खंडों पर अपेक्षित अतिरिक्त कर्मचारियों की मंजूरी अब रेल प्रशासन ने दे दी है । समस्तीपुर हसनपुर रोड खंड के संबंध में मामले पर विचार किया जा रहा है ।

समस्तीपुर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टरों को मकान किराया भत्ता न दिया जाना

4991. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर डिवीजन में, मुजफ्फरपुर के एक सौ से अधिक कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता नहीं दिया जा रहा और दरभंगा-नरकटियागंज सेक्शन के सहायक स्टेशन मास्टरों को क्वार्टर नहीं दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे इन्हें कब तक दिये जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) **और** (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पाण्डेय आयोग के प्रतिवेदन के निष्कर्षों पर अनवर्ती कर कार्यवाही

4992. **श्री टी० सोहनलाल** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पेट्रियट दिनांक 30 सितम्बर 1972 में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकार भारतीय उर्वरक निगम के आयोजन तथा विकास प्रभाग द्वारा किये गये अनुसंधानों में कथित हेराफेरियों के संबंध में पाण्डेय आयोग के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त हेराफेरियां किस प्रकार की थीं और पाण्डेय आयोग ने उन पर क्या निष्कर्ष निकाले हैं; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) योजना एवं विकास प्रभाग के ढांचे तथा कर्मचारी संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय उर्वरक निगम द्वारा नियुक्त की गई पांडेय समिति ने इस किस्म की कोई टिप्पणी नहीं की है जिस किस्म की इस बारे में प्रैस ने बताई है । दूसरी ओर, समिति ने इस प्रभाग में हो रहे काम की सराहना की है ।

(ख) **और** (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

Political Parties Involved in Recent Strike of Gorakhpur Fertilizer Factory

4993. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

Whether some political parties believing in violence were also involved in the recent strike in Gorakhpur Fertilizer Factory ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : Information is being collected and will be laid on the table of the House.

Selection and Promotion of S. C. & S. T. Employees in Laxmi Workshop and Kotah Workshop (Western Railway)

4994. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of employees promoted to higher posts in the Kotah and Laxmi Workshop during the year 1972-73 ; and

(b) the number of employees out of them who belong to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) 16 in Kota Workshop and 14 in Mahalaxmi Shop.

(b) 3 Scheduled Castes in Kota Workshop and one Scheduled Tribe in Mahalaxmi Workshop.

Compo ition of Selection Board for Railway Employees at Kotah (Western Railway)

4995. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether leaders of the employees and the M. Ps. are also invited to sit on the Selection Board for selecting employees in Western Railway Division, Kotah ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) No.

(b) The existing orders do not provide for M. Ps. and employees union leaders sitting on Selection Boards.

Allotment of Quarters to Employees of Railway Workshops at Kotah

4996. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of quarters under the Railway workshop at Kotah ;

(b) the number of employees thereof whom have been allotted quarters during the last three years ;

(c) whether there are employees in the said workshop who have rendered six or seven years service but have not been allotted quarters so far ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) 602.

(b) 59.

(c) The number of such employees is 1003.

(d) The allotment of quarters at a particular station is related to their availability. Quarters are constructed on a phased programme having regard to the limited availability of funds.

ग्राम विद्युतीकरण निगम के कार्यालय के कर्मचारी

4997. **श्री अम्बेश** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम विद्युतीकरण निगम के कार्यालयों कार्यालय-वार श्रेणी I, II, III तथा IV के पृथक-पृथक कितने कर्मचारी हैं;

(ख) निगम के प्रत्येक कार्यालय में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के श्रेणी I, II, III तथा IV के पृथक-पृथक कितने कर्मचारी हैं; और

(ग) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की प्रतिशतता निर्धारित से कम है, यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : **(क) और (ख)** : ग्राम विद्युतीकरण निगम के कार्यालय में कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या तथा उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या नीचे दी जाती है :

श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	द्वारा भरे गए पद	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
श्रेणी-एक	48	...	...
श्रेणी-दो	26	...	...
श्रेणी-तीन	157	9	1
श्रेणी-चार	52	15	5

(ग) उन पदों को छोड़ कर जो अन्य सरकारी विभागों से प्रति नियुक्ति द्वारा भरे गए हैं, निगम द्वारा सीधे भरती किए गए कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता श्रेणी-एक और श्रेणी-तीन में पूरी नहीं है। जबकि निगम इस कमी को पूरा करने के लिए सभी प्रयत्न कर रहा है, यह सूचित किया गया है कि कुछ पदों के लिए तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार, रिक्त स्थानों का विज्ञापन देने के पश्चात् भी, उपलब्ध नहीं होते हैं। निगम आरक्षित पदों को भरने के लिए इन श्रेणियों से प्रतिनियुक्ति पर उम्मीदवार प्राप्त करने का भी प्रयत्न कर रहा है।

नयी दिल्ली से हावड़ा तक चलने वाली डीलक्स रेलगाड़ी में तृतीय श्रेणी का यात्री डिब्बा

4998. **श्री अम्बेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली से हावड़ा तक चलने वाली डीलक्स रेलगाड़ी में कोई तीसरी श्रेणी का डिब्बा होता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस रेल गाड़ी में तीसरी श्रेणी का डिब्बा लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) 81/82 और 103/104 हावड़ा-नयी दिल्ली वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियों में तीसरे दर्जे के 3 टीयर वाले 2 शयनयान और 2 टियर वाला तीसरे दर्जे का एक शयनयान पहले से चल रहा है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

आसाम मेल तथा काल का मेल में श्रेणी-वार डिब्बों की संख्या

4999. **श्री अम्बेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम मेल तथा कालका मेल (दिल्ली से आसाम और दिल्ली से हावड़ा) में श्रेणी तीन दो और एक के वातानुकूलित श्रेणी के और दो टायर शयन और तीन टायर शयन डिब्बों की पृथक-पृथक क्या संख्या है ; और

(ख) क्या इन दो गाड़ियों में श्रेणी तीन के डिब्बों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4082/72]**

(ख) जी नहीं।

जम्मू रेलवे स्टेशन पर बुक स्टाल का ठेका

5000. **श्री मधुकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू रेलवे स्टेशन पर बुक स्टाल का ठेका देने के संबंध में कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ठेका किस व्यक्ति को दिया गया है; और

(ग) ठेके के लिये विभिन्न व्यक्तियों से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग) : जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर पुस्तकों के स्टाल का ठेका देने के लिए फिरोजपुर के मण्डल अधीक्षक द्वारा आवेदन पत्र मांगे गये थे। आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 14–8–1972 थी। 17 आवेदन पत्र आगे थे जिनमें से दो उस समय मिले जब आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख समाप्त हो गयी थी।

चूंकि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर पुस्तकों के स्टाल का ठेका देने का विज्ञापन जम्मू और कश्मीर राज्य के स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं हुआ था, अतः यह विनिश्चय किया गया है कि ठेके का विज्ञापन फिर से जम्मू और कश्मीर के स्थानीय समाचार-पत्रों तथा अन्य प्रमुख समाचार-पत्रों में दिया जाये। नये सिरे से आवेदन-पत्रों के प्राप्त होने पर ठेके के आबंटन को अंतिम रूप दिया जायेगा।

कृत्रिम धागे का उत्पादन

5001. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1969 से अब तक कृत्रिम धागे का कितना उत्पादन हुआ है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : 1969 से संश्लिष्ट तन्तुओं का मदवार उत्पादन निम्न मदवार है :

(मीटरी टनों में)

क्रम संख्या	मद का नाम	1969	1970	1971	1972 (जनवरी से जून)
1.	एक्रिलिक स्टेप्ल फाइबर	—	192	73	—
2.	नाइलोन स्टेप्ल फाइबर	—	—	20	31
3.	नाइलोन–6 फिलामैण्ट यार्न	7569	9797	10335	5529
4.	नाइलोन औद्योगिक यार्न टाय कार्ड	417	68	541	1098
5.	पौलिएस्टर फिलामैण्ट यार्न	204	574	562	218
6.	पौलिएस्टर स्टेप्ल फाइबर	5738	5333	5730	3406

दावा अनुभाग, दावा अधीक्षक कार्यालय, सिकन्दराबाद (दक्षिण मध्य रेलवे) के कार्यालय कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि

5002. **श्री मधुकर** :

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दावा अधीक्षक, कार्यालय, सिकंदराबाद (दक्षिण मध्य रेलवे) के दावा अनुभाग में कुछ समय पहले स्थिति का पुनर्विलोकन करने के बावजूद कार्य को निपटाने के लिए, कार्यालय कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नहीं की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उक्त कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाने जा रही है और कब तक ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : क्षतिपूर्ति दावों पर गठित एक सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के प्रकाश में दावा अनुभाग में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव रेल प्रशासन के विचाराधीन हैं ।

जोनल रेलवे के कार्मिक अधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदन

5003. **श्री मधु दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सभी रेलवे जोनों के कार्मिक अधिकारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) उनकी मांगों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : सरकार को कुछ रेलों के कार्मिक विभाग के राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें मुख्यतः यह मांग की गयी है कि उनकी पदोन्नति और अन्य अवसरों में सुधार के उद्देश्य से एक अलग कार्मिक सेवा का निर्माण किया जाये ।

(ग) सरकार ने सिद्धान्त रूप से रेलों में कार्मिक कार्य के लिये नयी सेवा के निर्माण की आवश्यकता को स्वीकार किया है और इससे सम्बन्धित ब्यौरों की जांच की जा रही है ।

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों में उत्पादन क्षमता का कम उपयोग

5004. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों की तुलना में सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों में उत्पादन क्षमता का बहुत कम उपयोग हो रहा है ; और

(ख) सरकारी क्षेत्र में उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है और सरकारी क्षेत्र में उत्पादन क्षमता के उपयोग के कारणों का पता लगाने के लिये क्या कोई अध्ययन किया गया है ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : कुछ पुराने उर्वरक संयंत्रों में क्षमता का प्रयोग उतना अधिक नहीं है जितना गैर-सरकारी क्षेत्र में है । उन तथ्यों का, जिन के कारण इन संयंत्रों में क्षमता का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं हो पाता है पता लगाने के लिये अध्ययन किये गये हैं । इन अध्ययनों पर आधारित होते हुये, उत्पादन बढ़ाने के लिये उपयुक्त उपचारी उपाय अपनाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं और कुछ सफलता प्राप्त हुई है ।

Production of Urea at Fertilizer Plants

5005. **Shri M. S. Purty :**
Shri Pampan Gowda :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state ;

(a) whether the progress of urea production has not been satisfactory in the fertilizer plants ;

(b) if so, the progress made in producing urea during the last three years ; and

(c) the steps being taken by Government to increase production thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) & (b) The production of urea has been steadily on the increase in the last 3 years ; i.e. from 772,000 tonnes in 1969-70, to 1066,000 tonnes in 1970-71 and to 1237,000 tonnes in 1971-72.

(c) Steps have been taken or are being taken to increase the capacity for production of urea in the country by setting up new fertilizer plants and by expansion of the existing plants where-ever feasible. These are in addition to measures that are being taken on a continuing basis to optimise production in the existing units.

Setting up of Oil Refinery in Rajasthan

5006. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government of Rajasthan are demanding setting up of another oil Refinery in Rajasthan ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Construction of Railway Line in Iraq

5007. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether survey for laying Railway line in Iraq is being conducted by the Indian experts ;

(b) the terms and conditions on which survey is being conducted by the experts ; and

(c) the length of Railway line in kilometres for which survey work has been undertaken by the Survey Team ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : **(a) to (c)** At the request of the Iraqi Government, the Indian Railways carried out a Preliminary Feasibility-cum-cost Study for a new railway line in Iraq to connect Baghdad with Hsaibah on the Syrian border (about 404 km. long standard gauge 14.35 mm). The cost of this study was borne partly by the Government of India from Indian Technical and Economic Co-operation (ITEC) Fund and the local expenses in Iraq were borne by the Government of Iraq. Recently a further request has been received from the Iraq Government for the extension of the Feasibility Study for a railway line (about 120 km. long) to connect Hsaibah with the phosphate mines at Akasha and also for an Economic Study of the composite project—Baghdad-Hsaibah-Akasha. The question of undertaking the study by the Indian Railways under the same terms as for the Preliminary Feasibility Study for the Baghdad-Hsaibah line carried out earlier, is under consideration.

डिवीजनल रेलवे कर्मचारी समन्वय समिति, धनबाद (पूर्व रेलवे) के तत्वावधान में रेल कर्मचारियों का प्रदर्शन

5008. **श्री भोला मांझी :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल रेलवे कर्मचारी समन्वय समिति, पूर्व रेलवे, धनबाद के तत्वावधान में रेलवे कर्मचारियों ने 17 नवम्बर, 1972 को डिवीजनल मेडिकल आफिसर तथा डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट के समक्ष प्रदर्शन किया था तथा ज्ञापन प्रस्तुत किये थे; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

तबादले की समान नीति के लिए कर्मचारी एसोसिएशनों की मांगें

5009. **श्री मधुकर :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन, अखिल भारतीय कर्मशियल क्लर्क्स एसोसिएशन तथा अन्य यूनियनों की लम्बे समय से चली आ रही माँग को देखते हुए सामयिक तबादलों पर लगी रोक को हटाकर तबादले के बारे में समान नीति अपनाई जायेगी;

(ख) ऐसे सामयिक तबादलों के लिए क्या सिद्धान्त अपनाया जायेगा; और

(ग) इस बारे में एसोसिएशनों द्वारा क्या सुझाव दिये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) **और (ख)** : सभी रेलों पर स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में किसी विशेष मापदण्ड के अनुसार एकरूपता सुनिश्चित करना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि स्थानीय परिस्थितियां और स्थानीय आवश्यकतायें प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न होती हैं। वर्तमान व्यवस्था जिसके अनुसार प्रत्येक रेल प्रशासन मान्यता प्राप्त यूनियनों के परामर्श से स्थानान्तरण के सम्बन्ध में एक उपयुक्त प्रक्रिया अपनाता है।

(ग) स्टेशनों के वर्गीकरण के चार्टों के अनुसार स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में एक सी नीति शीघ्र लागू करना।

पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन की मांगों की क्रियान्विति

5010. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेल** मंत्री पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन की मांगों के सम्बन्ध में 28 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2174 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे यूनियन के 19 अप्रैल, 1972 के पत्र में उल्लिखित 15 मांगों में से कौन सी विशिष्ट माँगें किस सीमा तक किस रूप में मान ली गई हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) :

(i) एक मांग यह थी कि सहायक इंजीनियर और सहायक सिगनल इंजीनियर, मुजफ्फरपुर को मुजफ्फरपुर में तैनात यांत्रिक कर्मचारियों को पास आदि जारी करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इन अधिकारियों को पहले ही आवश्यक अधिकार प्राप्त हैं लेकिन चूंकि वे प्राय: दौरे पर रहते हैं इसलिए अधीक्षक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूल, मुजफ्फरपुर को भी यांत्रिक कर्मचारियों को पास जारी करने का अधिकार दिया गया है।

(ii) एक और माँग यह थी कि रेल कर्मचारियों को पहचान पत्र दिये जाने चाहिये जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बाहरी व्यक्तियों को औषधियां जारी नहीं होतीं। समस्तीपुर मण्डल में पहचान-पत्र प्रणाली शुरू करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(iii) एक और मांग यह भी थी कि मानसी के रेलवे सुरक्षा दल के जिन कर्मचारियों को खगरिया में प्रतिनियुक्त किया गया है, उन्हें यात्रा भत्ता दिया जाये। अब यह दिया जा रहा है। कुछ और जो विषय उठाये गये थे, उन पर पहले ही सामान्य रूप में विचार हो रहा था और उनका समाधान हो चुका है।

भीलवाड़ा (राजस्थान) में भेजा फीडर परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि

5011. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भीलवाड़ा (राजस्थान) में भेजा फीडर परियोजना पर व्यय होने वाली धनराशि केन्द्रीय सरकार ने मंजूर कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है और अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या यह कार्य अभी भी अपूर्ण है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ) : भेजा फीडर सिंचाई परियोजना राजस्थान की विकासात्मक योजना में शामिल करने के लिए आयोग द्वारा 1969 में 166.3 लाख रुपये की लागत पर स्वीकार की गई थी । अब राज्य सरकार द्वारा इसकी लागत 400 लाख रुपये आंकी गई है ।

परियोजना का इस समय निर्माण हो रहा है । बांध पर कार्य चल रहा है और फीडर की लगभग 30 मील तक खुदाई हो चुकी है । मार्च, 1972 तक स्कीम पर राजस्थान सरकार द्वारा किया गया व्यय 75.2 लाख रुपये था । 1972-73 में प्रत्याशित परिव्यय 33 लाख रुपये तथा 1973-1974 में प्रस्तावित परिव्यय 80 लाख रुपये है ।

उपलब्ध संसाधनों तथा अन्य परियोजनाओं और विकास सेक्टरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा परियोजना के लिए धन की व्यवस्था की जा रही है। परियोजना के राज्य सरकार द्वारा पांचवी योजना के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

रेलवे के सतर्कता संगठन द्वारा दिल्ली और नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के आरक्षण कार्यालयों की अचानक जांच

5012. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के सतर्कता संगठन द्वारा नई दिल्ली तथा दिल्ली मेन स्टेशन के आरक्षण कार्यालयों में कदाचारों का पता लगाने के लिए उनकी 1972 में कितनी बार अचानक जांच की गई;

(ख) क्या इन कार्यालयों में कुछ कर्मचारी गत 12 वर्षों से कार्य कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) आठ ।

(ख) जी हां ।

(ग) दिल्ली मण्डल के लिए स्वीकृत कुल 181 पूछताछ और आरक्षण क्लर्कों में से 161 दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों के लिए और केलव 20 मण्डल के अन्यस्टेशनों के लिए स्वीकृति हैं। इस स्थिति को देखते हुए दिल्ली क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों का दिल्ली क्षेत्र से बाहर के स्टेशनों पर नियमित रूप से सामयिक स्थानान्तरण करना व्यावहारिक नहीं है । इसके अलावा, प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार सामयिक स्थानान्तरण की योजना समाप्त कर दी गयी है अब केवल सार्वजनिक हित में जहां आवश्यक होता है, गिने-चुने स्थानान्तरण किये जाते हैं ।

उर्वरकों के वितरण में हेरा फेरी करने के सम्बन्ध में बिहार सरकार द्वारा भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्धनिदेशक को कानूनी नोटिस दिया जाना

5013. **श्री अचल सिंह** :

श्री जगदीश नारायण मंडल :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम पर उर्वरकों के वितरण में हैराफैरी करने के आरोप लगाये हैं;

(ख) यदि हां, तो लगाये गये आरोपों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में बिहार सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्ध निदेशक को कानूनी नोटिस दिया है ; और

(घ) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : **(क) से (घ)** : 14-11-1972 को बिहार सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम के पांच अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया था जिसमें उनसे पूछा गया था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 के अधीन बिहार में उर्वरक की सप्लाई के आदेशों का पालन न करने के लिए उस अधिनियम के अधीन उनपर मुकदमा क्यों न चलाया जाये । निगम ने राज्य सरकार को बताया है कि गोरखपुर कारखाने में हड़ताल नाम-रूप में तालाबन्दी और परिणामस्वरूप बिजली की समस्याओं यातायात की कठिनाइयों प्लांट की खराबियों आदि जिन सब पर कोई वश नहीं था के कारण वचन वध मात्राएं नहीं दी जा सकी ।

रेलवे से चोरी गयी वस्तुओं का रेलवे सुरक्षा बल तथा राज्य पुलिस के कर्मचारियों के पास से बरामद होना

5014. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेल** मंत्री 28 नवम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 201 तथा 210 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने मामलों में रेलवे से चुराई गई वस्तुयें रेलवे सुरक्षा दल तथा राज्य पुलिस के कर्मचारियों के पास से बरामद हुई हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : जनवरी, 1972 से नवम्बर, 1972 तक की अवधि में, 90 मामलों में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों से रेलवे का चोरी का माल बरामद हुआ । राज्य पुलिस के कर्मचारियों से रेलवे का चोरी का माल जिन मामलों में बरामद किया गया उनकी संख्या के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

New Railway Lines in Chattisgarh Region of Madhya Pradesh

5015. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to lay a new railway line and increase the number of passenger trains in the Chattisgarh region of Madhya Pradesh; and

(b) if so, the main features thereof :

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) No.

(b) Does not arise.

Expenditure Incurred on Tawa Project of Madhya Pradesh

5016. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on the Tawa Project of Madhya Pradesh upto February, 1972 ;

(b) the total expenditure to be incurred on the said project ; and

(c) the progress made so far in the work of this project ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) About Rs. 19.7 crores.

(b) The scheme is estimated to cost Rs. 48 crores.

(c) About 38% of the masonry and 60% of the earthwork in the dam have been done. 47% of the earthwork and 48% of the masonry work on the first price of the left bank canal have also been done.

Out of Turn Allotment of Quarters on Medical Grounds to Employees of Bhusaval Division (Central Railway)

5017. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether quarters have not been allotted to those non-essential employees of Bhusaval Division (Maharashtra), who were sanctioned out-of-turn allotment on medical grounds ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) and (b) During the last five years, four employees requested for out-of-turn allotment of quarters on medical grounds. Quarters were provided in two cases. In the third case request was not agreed to on its merits. In the fourth case the employee requested for allotment of 'D' Type quarter to which he was not entitled. Since then he has not applied for allotment of a quarter to which he is entitled.

Expenditure on Development of Central Railway upto April, 1972 During Fourth Plan Period

5018. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the estimated expenditure incurred on the development of the Central Railway upto April, 1972 during the Fourth Five Year Plan ; and

(b) the amount of expenditure incurred on development of the lines falling in Madhya Pradesh ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) The Net expenditure incurred on the Central Railway upto April, 1972, during the Fourth Five Year Plan under Capital, Depreciation Reserve Fund, Development Fund and Open Line Works (Revenue) is as under :—

Year	Amount
1969-70	29.20 crores
1970-71	38.01 crores
1971-72	45.26 crores
April, 1972	0.08 crores
Total	112.55 crores

(b) Central Railway spent Rs. 12.59 crores out of Rs. 112.55 crores mentioned above in Madhya Pradesh. In additton, a part of the development expenditure on Western and south Eastern Railways during this period was also incurred in Madhy Pradesh. Further the expenditure incurred by these three Railways outside Madhya Pradesh also contributed to its development, in that it enabled more traffic to be carried in and out of Madhya Pradesh.

क्षेत्रीय प्रबंधको को और अधिक अधिकार देना

5019. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या रेल मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रेलवे के क्षेत्रीय प्रबन्धकों को और अधिक अधिकार देने के संबंध में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका साराँश क्या है तथा उसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) सरकार सदा क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबन्धकों को यथासम्भव अधिक से अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करने की आवश्यकता के प्रति सजग रही है ।

हाल में क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबन्धकों को अधिक शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने की सम्भावना

पर विचार करने के लिए महाप्रबन्धकों की एक समिति का गठन किया गया है।

(ख) महाप्रबन्धक भारतीय रेल सामान्य संहिता भाग-2 के परिशिष्ट-7 में उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

इन शक्तियों का प्रत्यायोजन सार्वजनिक कार्य का शीघ्र और कुशल निपटान सुनिश्चित करने के लिए है।

Exploration of Oil in Jaisalmer District of Rajasthan

5020. **Shri Panna Lal Barupal** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred so far on the work of exploration of oil in the District of Jaisalmer, Rajasthan ; and

(b) the results of the work of exploration of oil carried out so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) Total expenditure on exploration of oil in the Jaisalmer district of Rajasthan, upto 31-3-72, is Rs. 630.97 lakhs.

(b) A number of structures have been discovered as a result of seismic surveys. Of these, the structures in five areas have been tested by drilling but they have given no indication of the presence of oil/gas deposits of any commercial significance. Some of the wells drilled on the structure in the sixth area, at Manhera Tribba, have produced natural gas. However, considering the small production rate and the small size of the gas pool, the gas deposit is not considered commercial.

दक्षिण एक्सप्रेस के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में लगने वाले समय में कमी करना

5021. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण एक्सप्रैस (22 अप) के दिल्ली से हैदराबाद के बीच लगने वाले समय में कटौती करने की निरन्तर मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) 22 अप नयी दिल्ली-हैदराबाद एक्सप्रैस की रफ्तार बढ़ाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है क्योंकि यह गाड़ी पहले से ही अधिकतम रफ्तार से चलायी जा रही है और यातायात तथा परिचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुकूल उसके न्यूनतम ठहरावों की व्यवस्था की गयी है।

आंध्र प्रदेश से कुनटाला पनबिजली योजना

5022. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश से स्वीकृति के लिए कुनटाला पनबिजली योजना प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : **(क) और (ख)** : जी हां। परियोजना रिपोर्ट को केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में जांच की जा रही है।

रेलवे बोर्ड के सतर्कता निरीक्षक से विरुद्ध जांच

5023. **श्री लालजी भाई** : क्या रेल मंत्री रेलवे बोर्ड के सतर्कता निरीक्षक के विरुद्ध जांच के

बारे में 28 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2192 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच के निष्कर्षों पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हाँ ।

(ख) निरीक्षक के विरुद्ध पद का दुरुपयोग करने और भ्रष्ट तरीके अपनाने के आरोप सद्धि नहीं हो सके हैं । निरीक्षक को, जिसने सतर्कता निदेशालय में पहले ही पांच वर्ष से अधिक सेवा की है, निदेशालय से हटा दिया गया है ।

उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में गाजियाबाद के रेलवे कर्मचारियों को दूषित पानी सप्लाई किया जाना

5025. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली डिवीजन में गाजियाबाद के रेलवे कर्मचारियों ने यह शिकायत की है कि उन्हें अक्तूबर, 72 में पीने के लिये दूषित पानी सप्लाई किया गया;

(ख) क्या उन्होंने यह भी शिकायत की है रेलवे कालोनी का ठीक रख-रखाव नहीं किया गया; और

(ग) क्या दूषित पानी सप्लाई किये जाने तथा कालोनी के दोषपूर्ण रख-रखाव के बारे में खुली जांच कराई गई है, यदि हाँ, तो उसका निष्कर्ष क्या निकला ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : **(क) और (ख)** : जी ननीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरी रेलवे की स्टोर्स ब्रांच में तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण

5026. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक द्वारा स्टोर्स ब्रांच के तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची में 10-15 वर्ष बीत जाने के बाद परिवर्तन किये जाने के क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : जी नहीं । यह सही नहीं है कि भण्डार शाखा के सभी क्लर्कों की वरिष्ठता में संशोधन 10 से 15 वर्ष के बाद किया जाता है । कुछ कर्मचारियों और एक यूनियन से अभ्यावेदनों के प्राप्त होने पर कुछ कर्मचारियों की वरिष्ठता की पुंन; जांच की जा रही है ।

इलाहाबाद तथा दिल्ली डिवीजन में (उत्तर) सगचल कर्मचारियों को विश्राम एवं एवजी भत्ता

5027. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र संख्या ई (एल० एल०) 71/एच० ई० आर०/9, दिनांक 14 अप्रैल, 1972 में, जो पहली मई, 1972 को लागू होता था, यह निदेश जारी किया कि संगचल कर्मचारियों को मुख्यालयों में कम से कम 16 घटे का विश्राम दिया जाय;

(ख) क्या उत्तर रेलवे में इलाहाबाद जैसे कुछ डिवीजनों में उक्त आदेशों को क्रियान्वित नहीं किया गया ;

(ग) क्या डिवीजनल अधिकारियों ने संगचल कर्मचारियों के इस दावे को अस्वीकार कर दिया

है कि उन्हें विश्राम एवजी भत्ता दिया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो बोर्ड की नीति को सभी डिवीजनों में क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं तथा उत्तर रेलवे के विशेषकर दिल्ली डिवीजन के अधिकारियों द्वारा विश्राम एवजी भत्ते के दावे को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां; आठ घंटे या इससे अधिक समय तक काम करने पर मुख्यालय में 16 घंटे का विश्राम निर्धारित किया गया है ।

(ख) इलाहाबाद और जोधपुर मण्डलों के परिचालन कर्मचारियों और दिल्ली मण्डलों के लोको कर्मचारियों के मामलों को छोड़कर ये आदेश कार्यान्वित कर दिये गये हैं । इन मण्डलों पर भी इन आदेशों को अतिशीघ्र कार्यान्वित करने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(ग) **और** (घ) : अभी हाल में जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत रनिंग कर्मचारियों को अनुमत विश्राम का उल्लंघन भत्ता देय है यदि उन्हें आठ घंटे या अधिक समय की रनिंग ड्यूटी के तुरन्त उपरान्त, मुख्यालय पर 16 घंटे का विश्राम पूरा करने से पहले रनिंग ड्यूटी देने के लिए बुलाया जाता है । उत्तर रेलवे के सभी मण्डलों को इन आदेशों के अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

भैरोगढ़ में मालगाड़ी तथा पैट्रोल ले जाने वाली एक स्पेशल मालगाड़ी के बीच टक्कर

5028. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के गोधरा-रतलाम सेक्शन पर भैरोंगढ़ में 21 नवम्बर, 1972 को एक मालगाड़ी तथा पैट्रोल ले जाने वाली एक स्पेशल मालगाड़ी के बीच टक्कर हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप जन-धन की कितनी हानि हुई और क्या दुर्घटनाग्रस्त रेलवे कर्मचारियों को कोई मुआवजा दे दिया गया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) दुर्घटना के कारण का पता लगाया जा रहा है ।

(ग) किसी की मृत्यु नहीं हुई । रेल सम्पत्ति को हुई हानि का 1,52,000 रु० अनुमान लगाया गया है । चूंकि कर्मचारियों को केवल मामूली चोटें आयी थीं इसलिए कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन उन्हें मुआवजा नहीं देना पड़ा ।

नई दिल्ली स्टेशन के पार्सल कार्यालय को पुराने किस्म की ठेलियों का सप्लाई किया जाना

5029. **श्री अजीज इमाम** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दस वर्षों से नई दिल्ली स्टेशन के पार्सल कार्यालय को पुराने किस्म की तथा टूटी-फूटी ठेलियां सप्लाई की गई हैं;

(ख) क्या व्यापारी अपने माल को लाने-ले-जाने के लिए अपनी ठेलियों का उपयोग कर रहे हैं; **और**

(ग) यदि हां, तो उक्त स्टेशन पर उपयुक्त ठेलियां सप्लाई न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) **से** (ग) : नयी दिल्ली स्टेशन पर कुछ हथ-ठेलों की मरम्मत

हो रही है। काम में न आने योग्य हथ-ठेलों को बदलने के लिये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कुछ नश्य परेषणों की शीघ्र निकासी के लिए निजी हथ-ठेलों का उपयोग किया जा रहा है।

नई दिल्ली स्टेशन को 'ट्रांजिट' स्टेशन घोषित किया जाना

5030. **श्री अजीज इमाम** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से नई दिल्ली स्टेशन पर उतारे जाने के लिए विभिन्न स्टेशनों से भारी संख्या में पार्सल बुक किये जाते हैं जिनमें सामान तथा ताजी सब्जी आदि होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्टेशन को 'ट्रांजिट' स्टेशन घोषित किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन स्टेशनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो नई दिल्ली पर उतारे जाने के लिये ऐसा माल बुक करते हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : यद्यपि नई दिल्ली स्टेशन को, जो जंक्शन स्टेशन नहीं है, पारवहन स्टेशन के रूप में घोषित नहीं किया गया है, तो भी नयी दिल्ली स्टेशन पर समाप्त होने वाली गाड़ियों से प्राप्त पारवहन पार्सलों को उनके निश्चित गन्तव्य स्टेशनों को प्रेषित किया जा रहा है। उत्तर रेल प्रशासन से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि नई दिल्ली स्टेशन पर पारवहन पार्सलों को सम्हालने के लिए समुचित सुविधाओं की व्यवस्था की जाये।

Supply of Diesel in Rural Area By I. O. C.

5031. **Shri Shiv Shankar Prasad Yadav** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Indian Oil Corporation supplies diesel besides Kerosene oil to the rural oil agents ; and

(b) if not, whether Government have any proposal to arrange for the supply of diesel to the rural oil agents for the benefit of those citizens who have tractors, pumps and other engines operated by diesel oil ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) Yes, Sir, Indian Oil Corporation has a large network of kerosene/and light diesel oil agents who also cater to the requirements of rural areas. It also has a very wide network of Retail Outlets operated by Dealers dispensing High Speed Diesel oil in the rural areas.

(b) Does not arise.

इलाहाबाद के लोकोशेड के अत्यन्त कुशल फिटरों द्वारा अभ्यावेदन दिया जाना

5032. **श्री जनन्नाथ राव जोशी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968-71 की अवधि में वरिष्ठता, पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि और वेतनमान आदि के बारे में इलाहाबाद लोकोशेड के कुछ ऐसे फिटरों की ओर से रेलवे अधिकारियों को कई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं जिन्हें वर्ष 1947 में गलती से सेवा से निकाल दिया गया था तथा जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 1964 में उन्हें सेवा से निकाले जाने के आदेशों को अवैध करार दिये जाने के बाद पुनः सेवा में ले लिया गया था ; और

(ख) यदि हां तो प्रत्येक अभ्यावेदन की तिथि क्या है तथा उनमें से प्रत्येक में क्या-क्या बातें उठाई गई हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): **(क) और (ख)** : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कलकत्ता में दामोदर घाटी निगम के कार्यालय से फाइलें जब्त की जाना

5033. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों तथा महालेखापरीक्षक (केन्द्रीय कार्यालय) ने हाल में दामोदर घाटी निगम के कलकत्ता में भवानी भवन स्थित कार्यालय में छापा मार कर कुछ महत्वपूर्ण फाइलें जब्त की हैं जैसा कि दिनांक 24 नवम्बर, 1972 के 'हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड' कलकत्ता संस्करण में छपा है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले से संबंधित पूरे तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, नहीं ।

(ख) **और** (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में सीनियर ग्रुप इंस्पैक्टर, स्पेशल टिकट एक्जामिनर के पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण

5034. **श्री लालजी भाई** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में 10 वर्षों के पश्चात 1972 के अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में सीनियर ग्रुप इंस्पैक्टर और स्पेशल टिकट एक्जामिनर के पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो गतचयन के समय आगे के लिए रखे गये पदों के सहित उक्त चयन में अनुसूचित जाति और अनूसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने पद आरक्षित रखे गये तथा वास्तव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कितने कर्मचारियों का चयन किया गया तथा उक्त पदों पर उन्हें नियुक्त किया गया; और

(ग) यदि नियुक्त किये गये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की संख्या उनके लिये आरक्षित पदों की संख्या से कम है तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) अन्तिम प्रवरण 1964 में हुआ था ।

(ख) अग्रानीत कोटे सहित

आरक्षित पद		चुने गये कर्मचारियों की संख्या	
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
8	2	1	*कोई नहीं (*अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे ।)

(ग) अनुसूचित जन-जाति का कोई उम्मीदवार नहीं था । अनुसूचित जाति के सभी छः उम्मीदवार, जो उपलब्ध थे, प्रवरण के लिए बुलाये गये थे । इनमें से केवल एक ही अर्हता प्राप्त कर सका और उसे पैनल पर रख लिया गया है । वर्तमान अनुदेशों के अनुसार इस कमी को अग्रेनीत किया जा रहा है ।

तीसरे दर्जे के यात्रियों की भारी भीड़-भाड़ वाली रेलवे लाइनें

5035. **श्री ई० वी० बिख़े पाटिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की किन लाइनों पर तीसरे दर्जे के यात्रियों की भारी भीड़-भाड़ रहती है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन क्षेत्रों में (केवल तीसरे दर्जे के डिब्बों वाली) विशेष रेल-गाड़ी चलाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो भीड़-भाड़ को कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) : स्पेशल गाड़ियां विशेषकर गर्मी और मेलों के दिनों में सामान्यत: अतिरिक्त यातायात की गाड़ी-भर भीड़ को सम्हालने के लिए चलायी जाती हैं जिसे कि गाड़ी में डिब्बे बढ़ाकर नहीं ढोया जा सकता ।

प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित खण्डों में से कुछ की भीड़ कम करने के लिए निम्न-लिखित उपाय किये गये हैं या करने का प्रस्ताव है :

(i) 1-5-1972 से बम्बई वी० टी० और वीना के बीच हफ्ते में दो बार चलने वाली एक जोड़ी जनता एक्सप्रेस गाड़ियां चलायी गयीं । वर्ष 1973-74 में इसका चालन क्षेत्र लखनऊ तक बढ़ने का प्रस्ताव है ।

(ii) लखनऊ और आगरा कैण्ड के बीच 10-5-72 से तीसरे दर्जे का एक अतिरिक्त डिब्बा लगाया गया 1 जनवरी, 73 में इन्हीं स्टेशनों के बीच तीसरे दर्जे का एक और सवारी डिब्बा चलाने का प्रस्ताव है ।

(iii) डीजल कर्षण से चलाकर 1 अप/2 डाउन दिल्ली–अहमदाबाद मेल में 1-5-72 से 5 सवारी डिब्बे बढ़ा दिये गये हैं ।

(iv) डीजल कर्षण से चलकर 41 डाउह/11 अक्तूबर–मदुरे मारहान एक्सप्रेस और 103 डाउन/104 अप मद्रास तूतीकोरिन एक्सप्रेस, में मद्रास और तिरुच्चिरापल्लि के बीच 15-8-72 से 6 सवारी डिब्बे बढ़ा दिये गये ।

(v) 2-10-1972 से पुरी-खडगपुर—राउरकेला खण्ड पर हफ्ते में दो बार चलने वाली एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां चलायी गयीं ।

(vi) 1-11-1972 से मुख्य लाइन होकर पटना और धनबाद के बीच एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलायी गयी हैं ।

(vii) 1-11-1972 से लखनऊ और कटिहार के बीच 1 अप/2 डाउन अवध तिरहुत मेल को डीजल से चलाकर उसमें 5 सवारी डिब्बे बढ़ा दिये गये हैं ।

(viii) 26-1-1973 से नयी दिल्ली और कोच्चिन/मंगलोर के बीच डीजल कर्षण से हफ्ते में दो बार चलने वाली एक जोड़ी एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव है ।

विवरण

निम्नलिखित खण्डों पर चलने वाली गाड़ियों के तीसरे दर्जे के अनारक्षित कक्षों में भारी संख्या में यात्री यात्रा करते हैं

बड़ी लाइन

1. दिल्ली	बम्बई सेंट्रल
2. दिल्ली	बम्बई वी. टी.
3. दिल्ली	मद्रास
4. दिल्ली	अमृतसर
5. मद्रास	कोच्चिन
6. मद्रास	बेंगलूरु
7. बम्बई वी. टी.	लखनऊ
8. लखनऊ	आगरा
9. हवड़ा	पटना/बरौनी
10. हवड़ा	पुरी
11. पटना	धनबाद

मीटर लाइन

1. दिल्ली	अहमदाबाद
2. लखनऊ	कटिहार
3. मद्रास	तिरुवनन्तपुरम/तुतीकोरिन
4. दिल्ली	जोधपुर
5. जयपुर	जोधपुर
6. सिकन्दराबाद	बेंगलूरु

सिंचाई आयोग की सिफारिशो की क्रियान्विति के लिए की गई कार्यवाही

5036. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए सरकार ने सिंचाई आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : **(क) और (ख)** : केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग से कहा गया है कि वे और अध्ययन करें और एक विस्तृत योजना तैयार करें ।

नर्मदा, कृष्णा तथा गोदावरी नदियों पर सिंचाई परियोजनायें

5037. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी नदियों पर कितनी सिंचाई परियोजनायें स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) अन्तर्राज्यीय विवादों के कारण कितनी परियोजनायें रुकी पड़ी हैं; और

(ग) चौथी योजना के अन्त तक गोदावरी और नर्मदा बेसिनों में कितना पानी उपलब्ध होगा और विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई के लिए कितना पानी दिया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) राज्य सरकारें नर्मदा बेसिन में 3 वृहद् और 2 मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कर रही हैं—कृष्णा बेसिन में 14 वृहद् तथा 14 मध्यम नई स्कीमें और गोदावरी बेसिन में 9 बृहद् तथा 14 मध्यम परियोजनायें निर्माणाधीन हैं।

(ख) राज्य सरकार ने कृष्णा बेसिन में भी 8 वृहत् तथा 22 मध्यम नई सिंचाई परियोजनाओं और गोदावरी बेसिन में 13 वृहद् तथा 33 मध्यम स्कीमों के लिए भी प्रस्ताव किया है। इन स्कीमों को स्वीकार करने पर इन बेसिनों के जल-विवादों के हल होने के पश्चात् ही विचार किया जाएगा।

राज्य सरकार ने नर्मदा बेसिन में 3 बृहत् तथा 2 मध्यम नई स्कीमें प्रस्तावित की हैं। इस बेसिन के जल-विवाद के निकट-भविष्य में ही हल होने की आशा है, जिसके पश्चात् इनको स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

(ग) विभिन्न राज्यों से किये गये मूल्यांकन के अनुसार गोदावरी बेसिन की विश्वसनीय जल-प्राप्ति 57 मिलियन एकड़ फुट से 70 मिलियन एकड़ फुट है। नर्मदा बेसिन की विश्वसनीय जल-प्राप्ति 28 मिलियन एकड़ फुट है।

यह अनुमान लगाया गया है कि छोटे कार्यों तथा निर्माणाधीन कार्यों सहित, पहले से प्रचलित परियोजनाओं से, उनके पूर्ण होने तथा सिंचाई का पूर्णतः विकास होने पर, गोदावरी के 18.8 मिलियन एकड़ फुट जल तथा नर्मदा के 2.4 मिलियन एकड़ फुट जल का समुपयोजन किया जायेगा।

उत्तर रेलवे के डिवीजन सुपरिंटेडेंट कार्यालय, इलाहाबाद में बारी-बारी ड्यूटी लगाने (रोटेशन) की नीति का क्रियान्वयन

5038. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद स्थित डी० एस० कार्यालय के कामर्शियल सेक्शन में बारी-बारी ड्यूटी लगाने की नीति को दृढ़ता से क्रियान्वित किया गया है ;

(ख) क्या बारी-बारी ड्यूटी लगाने की नीति को क्रियान्वित न किये जाने के बारे में संसद सदस्यों और अन्य व्यक्तियों ने शिकायतें की हैं; और

(ग) कुछ सीटों पर जैसे कि केटरिंग, हैंडलिंग वेंडिंग और कांफीडेंशियल बारी-बारी ड्यूटी लगाने की नीति को क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : **(क) और (ग)** : प्रक्रिया के रूप में कर्मचारियों की बारी-बारी से ड्यूटी लगाने के लिए फिलहाल कोई आदेश नहीं हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप आवधिक स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में पहले की हिदायतें रद्द कर दी गयी हैं। काम की आवश्यकताओं को देखते हुए इस समय केवल चयनात्मक स्थानान्तरण ही किये जाते हैं।

(ख) संसद् सदस्यों द्वारा कुछ शिकायतें की गयी हैं किन्तु नियमित ड्यूटी परिवर्तन की कोई नीति बनाना प्रशासनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ग्रामों में बिजली लगाया जाना

5039. **श्रीमती कृष्णा कुमारी जोधपुर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि क्या चालू वर्ष में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को कुल कितनी परियोजनाएं स्वीकार की गई हैं तथा उनके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कुल कितने ग्रामों में बिजली लगाई जानी हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : 1972–73 के दौरान, ग्राम विद्युतीकरण निगम ने अब तक 11,449 गांवों के विद्युतीकरण और 98,056 पम्पसेटों के उर्जन के लिए 5796.248 लाख रुपये की ऋण सहायता से राज्य बिजली बोर्डों को 119 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं। इन स्कीमों के अन्तर्गत आने वाले गांवों/पम्पसेटों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :

क्रम सं०	राज्य का नाम	विद्युतीकृत किए गए	
		गांवों की संख्या	पम्पसेटों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	428	5,570
2.	असम	148	92
3.	बिहार	1,007	11,505
4.	गुजरात	248	7,005
5.	हरियाणा	239	4,927
6.	हिमाचल प्रदेश	1,236	216
7.	केरल	80	966
8.	मध्य प्रदेश	623	14,800
9.	महाराष्ट्र	656	9,327
10.	मैसूर	263	2,517
11.	उड़ीसा	761	4,141
12.	पंजाब	918	8,480
13.	राजस्थान	389	9,518
14.	तमिलनाडु	628	6,430
15.	उत्तर प्रदेश	1,981	5,250
16.	पश्चिम बंगाल	1,844	7,312
	कुल योग	11,449	98,056

Expansion of Diesel Locomotive Workshop at Varanasi

Shri Sudhakar Pandey : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

her Government have approved any scheme in regard to the expansion of Works located at Manduadih, Varanasi ;

· cost thereof and the extent of expansion like by to take place as a result

anufacturing capacity of the D. L. W. in respect of Diesel engines roduction is not being increased to its full capacity ; and

(d) the measures being adopted to remove the difficulties ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) The optimum targetted production with the present infra-structure is 160 diesel electric locomotives subject to adequate inputs of indigenous and imported components and manpower.

In 1972-73, the targetted production of Diesel Electric Locomotives from D. L. W. is 110 and this level of production was planned taking into consideration the present level of productivity.

The outturn of 160 locomotives per year is planned for 1973-74 and 'inputs' to achieve this production are being ensured both with regard to indigenous as well as imported components and manpower.

माल पर कम वसूल की गई बकाया राशि

5041. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मन्त्री रेलवे में बुक की जाने वाली कम और अधिक खराब होने वाली सब्जियों के वर्गीकरण के आधार के बारे में 13 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न सख्या 4695 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट, जबलपुर ने अपने पत्र संख्या जे० बी० पी०/ई०/360/पी०/को/सी० एच० जी०, दिनांक 26 मई, 1970 के अनुसार यह निदेश परिचालित किया कि आलू, हरी मिर्च, अदरक आदि पर पाँचवी अनुसूची में उल्लिखित अन्य सब्जियों की दर से शुल्क लिया जाए तथा इन आदेशों की मुख्य वाणिज्य सुपरिंटेंडेंट, बम्बई वी० टी० ने अपने पत्र संख्या सी०/636/आर०/536, दिनांक 20 अप्रैल, 1970 में पुष्टि की थी ।

(ख) यदि हां, तो इन आदेशों को अन्य रेलवे में लागू न किए जाने के क्या कारण हैं,

(ग) प्रत्येक जोनल रेलवे में इस सम्बन्ध में कम वसूल की गई कुल बकाया राशि कितनी है, और

(घ) उस राशि को वसूल करने के लिए रेल प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां । मध्य रेल प्रशासन ने 20-4-1970 को इस तरह के अनुदेश जारी किये थे । मण्डल अधीक्षक, जबलपुर का 26-5-1970 का पत्र तत्पश्चात् लिखा गया था और इसलिये मुख्य वाणिज्य अधीक्षक द्वारा इसकी पुष्टि किये जाने का प्रश्न नहीं उठा ।

(ख) मुख्य वाणिज्य अधीक्षक, मध्य रेलवे के आदेश भ्रान्त धारणा वश जारी किए गये थे, इसलिए बाद में इन्हें रद्द कर दिया गया । अत: अन्य रेलों द्वारा इसी तरह के आदेश जारी करने का प्रश्न नही उठा ।

(ग) और (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Number of Foreign Oil Companies and Capital invested therein

5042. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2621 on the 18th August, 1972 regarding the number of foreign Oil Companies functioning in India and the capital in ested therein and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ; and

(b) if so, the gist thereof and if not, the reasons for delay and the time by which the same would be laid on the Table of the House ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) & (b) : The following ten foreign oil companies are functioning in India :—

Branches

1. Assam Oil Company.
2. Burmah-Shell Oil Storate & Distributing Company of India Limited.
3. Caltex (India) Limited.
4. Esso Eastern Inc.
5. Burmah Oil Company (India Trading) Limited.
6. Castrol Limited.

Subsidiaries

7. Burmah Shell Refineries Limited
8. Caltex Oil Refining (India) Limited.
9. Esso Standard Refining Company of India Limited.
10. Gulf Oil India (Pvt.) Limited.

The question of issue of share capital by the Indian Branches of the foreign oil companies does not arise. The details of foreign and Indian investments in the capital of the subsidiaries are as follows :—

(Rs./Lakhs)

S. No.	Name of Company	Total paid up capital		Investments	
		*Equity	Preference	Foreign capital	Indian capital
1.	Caltex Oil Refining	450.00	—	450.00 (Eq)	—
2.	Esso Standard Refining Co.	225.00	75.00	225.00 (Eq) 0.72 (Pref.)	74.28 (Pref)
3.	Burmah-Shell Refineries.	1453.83	—	1453.83 (Eq)	—
4.	Gulf Oil (India) Ltd.	15.00	—	15.00 (Eq)	—

Arrangement of Drinking Water through Tubewells at Railway Stations

5043. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Stations of Indian Railways where there is no arrangement of pure drinking water supplied through tubewells ; and

(b) the plans of Govrnment in this regard ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : **(a) & (b)** Drinking water supply arrangements is one of the basic amenities to be provided at all stations (excluding halts) on Indian Railways, and the same exists at all such stations. The arrangements for water supply may be, not only through tubewells. but through other sources also.

However, at 3270 stations (excluding the South Central and Western Railways for which information is not readily available) water is supplied through sources other than tubewells. Augmentation of the existing water supply arrangements is a continuing process wherever necessary.

इलाहाबाद डिवीजन में माल डिब्बों पर परिचालन सम्बंधी प्रतिबंध और उनकी बुकिंग सम्बन्धी प्राथमिकता का उल्लघन

5044 **श्री अजीज इमाम** : क्या रेल मन्त्री इलाहाबाद डिवीजन में माल डिब्बों पर परि-

*Entire equity capital held by foreign principals.

चालन सम्बन्धी प्रतिबन्ध और उनकी बुकिंग सम्बन्धी प्राथमिकता के उल्लघन के बारे में 21 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न सख्या 947 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बात क्या हैं, और

(ख) यदि नहीं, तो जानकारी कब तक एकत्र कर ली जायेगी तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : पता चला है कि इलाहाबाद मण्डल के केवल मंजूरगढ़ी स्टेशन से बाकायदा मंजूरी लिए बिना परिचालनिक प्रतिबन्धों के विरुद्ध 1970-71 में 315 माल डिब्बे बुक किए गये थे ।

दिल्ली स्थित विदेश यातायात लेखा कार्यालय (पश्चिम रेलवे) के कर्मचारियोंका उच्च ग्रेड में वेतन निर्धारित करते समय विशेष वेतन का ध्यान में रखा जाना।

5045 **डा० कर्णी सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के दिल्ली स्थित विदेश यातायात लेखा कार्यालय में कम्पटोमीटर मशीन आपरेटरों को मशीन पर कार्य करने के लिए दिये जाने वाले 15 रुपये के विशेष वेतन को उच्च ग्रेड में वेतन निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाता है,

(ख) यदि हां, तो ऐसे काम्पटोमीटर मशीन आपरेटरों की संख्या कितनी है जिन्हें उच्च ग्रेड में अर्थात् क्लर्क ग्रेड एक में उनका वेतन निर्धारित करते समय उक्त लाभ दिया गया है तथा क्लर्क ग्रेड एक के ऐसे कर्मचारियों की कुल सख्या कितनी है जिन पर उनके कनिष्ठों के त्रुटिपूर्ण ढग से वेतन निर्धारित करने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, और

(ग) रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या पी० सी० 60 पी० पी०-1, दिनांक 19 मार्च, 1966 के अनुसार कनिष्ठ कर्मचारियों के विषमतापूर्ण वेतन निर्धारण से क्लर्क ग्रेड-एक के कमचारियों के लिए उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) ग्रेड II के क्लर्कों को काम्पटोमीटर मशीन आपरेटर के रूप में काम करने के लिए 15 रुपये प्रति मास का जो विशेष वेतन दिया गया था, उसे 1-4-61 से 9-4-63 तक की अवधि में उन्हें क्लर्क ग्रेड-I के पदों पर पदोन्नत करते समय उनके वेतन के निर्धारण के लिए गिना गया था । लेकिन 10-4-63 के बाद से नियम बदल दिये गए और इस विशेष वेतन को केवल उसी हद तक संरक्षण दिया जाता है जितन कि क्लर्क ग्रेड I के उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति की तारीख को निर्धारित वेतन (विशेष वेतन को गिने बिना) और मशीन आपरेटर के निम्नतर पदों पर भविष्य की वेतन वृद्धियों में समाहित किए जाने वाले वैयक्तिक वेतन के रूप में लिए गये विशेष वेतन सहित लिये जाने वाले वेतन में अन्तर होता है ।

(ख) इतर यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे, दिल्ली में तीन काम्पटोमीटर मशीन आपरेटर हैं, जिन्हें 15 रुपये के विशेष वेतन को ध्यान में रखकर वेतन निर्धारण का लाभ दिया गया है क्योंकि उनके मामले 1-4-61 से 9-4-63 की अवधि के बीच के थे । चूंकि इन तीन काम्पटोमीटर मशीन आपरेटरों के वेतन का निर्धारण उपर्युक्त अवधि में लागू नियमों के अनुसार किया गया था, इसलिए उनके वेतन निर्धारण को गलत नहीं माना जा सकता । तथापि ग्रेड I के 72 क्लर्क ऐसे थे जो काम्पटोमीटर मशीनों पर काम कर रहे ग्रेड II के/क्लर्कों की वेतन-अवस्थाओं से ऊपर की अवस्थाओं पर वेतन पा रहे थे लेकिन वेतन निर्धारण के लिए 15 रुपये के विशेष वेतन को हिसाब में लेने

पर इन 3 क्लर्कों को ग्रेड-I के अपने से वरिष्ठ क्लर्कों के वेतन से ऊपर की वेतन-अवस्था का वेतन मिलने लगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि एक तो, जैसा कि उपर्युक्त (ख) के उत्तर में कहा गया है, इस मामले में कोई गलत वेतन निर्धारण नहीं हुआ है और दूसरे ग्रेड I के वरिष्ठ क्लर्कों के वेतन में वृद्धि नहीं की जा सकती क्योंकि बोर्ड के 19 मार्च, 1966 के पत्र सं० पी सी/60/गीपी/ I के पैरा 3 (ग) में निर्धारित शर्त पूरी नहीं हुई है।

पश्चिम रेलवे के लेखा विभाग में ग्रेड एक के क्लर्कों का स्थायी किया जाना

5046. **डा० कर्णी सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के लेखा विभाग में पहली अप्रैल, 1968 तथा उसके पश्चात् ग्रेड एक में स्थानापन्न क्लर्कों को स्थायी बनाकर 130-300 रुपयों के ग्रेड में कितने पदों को स्थायी रूप से भरा गया है,

(ख) क्या सरकार द्वारा न्यायाधीश शंकर सरन के पंचाट को स्वीकार किये जाने के परिणाम-स्वरूप उक्त रिक्त पदों को एप० 2-ए परीक्षा पास करने वाले कर्मचारियों तथा वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर 3:1 के अनुपात से भरा गया है, और

(ग) यदि नहीं तो अनियमितता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) 362

(ख) जी नहीं, 3:1 का अनुपात स्थायीकरण के लिए लागू नहीं होता।

(ग) चूंकि इस मामले में कोई अनियमितता नहीं है अतः परिशोधन का प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा के रेंगाली और भीमकुण्ड परियोजनाओं में स्थलों के परिवर्तन के लिए अभ्यावेदन

5047. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में रेंगाली और भीमकुण्ड परियोजनाओं के स्थलों को बदलने के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां।

(ख) विकल्पों, संचयन-आवश्यकताओं, लागतों तथा लाभों पर उचित विचार करने के पश्चात् उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा रंगाली और भीमकुण्ड बांधों की परियोजना रिपोर्टों को अन्तिम रूप दे दिया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा आंध्र प्रदेश के गांवों में बिजली लगाने के लिए ऋण को मन्जूरी

5048 : **श्री पी० गंगादेव** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश में कितने गांवों के विद्युतीकरण के लिए अब तक स्वीकृति दी गई है तथा अब तक आंध्र प्रदेश को कितना ऋण मंजूर किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : ग्राम विद्युतीकरण निगम, जुलाई, 1969 में अपनी स्थापना से अब तक, आंध्र प्रदेश के लिए 22 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वी-

कृत कर चुका है, जिसमें पाइलट सहकारी परियोजना के लिए भी एक स्कीम शामिल है और इनमें 1553.550 लाख रुपये की ऋण सहायता से, 1438 ग्रामों के विद्युतीकरण, 35,248 पम्पसेटों का ऊर्जन और 2144 लघु तथा कृषि उद्योगों को विद्युत सप्लाई करना परिकल्पित है।

निगम ने आन्ध्र, प्रदेश की ऐसी चार स्कीमें भी स्वीकृत की हैं जिनमें पहले से विद्युतीकृत ग्रामों के 596 हरिजन व्यक्तियों के विद्युतीकरण के लिए 20. 574 लाख रुपये की ऋण सहायता परिकल्पित है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

हाथरस उत्तर प्रदेश में एक हरिजन छात्र की हत्या का समाचार

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : ir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of Urgent Public Importance and I request that he may make a statement thereon :

"The reported murder of a Harijan student in Hathras, Uttar Pradesh."

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :श्रीमान्, 13 दिसम्बर, 1972 को सायं लगभग 7.00 बजे मुर्लीधर गजानन्द तकनीकी संस्था, हाथरस के अनुसूचित जाति के कुछ छात्रों पर, जो राधास्वामी बगीची नामक एक स्थान पर ठहरे हुए थे, उसी संस्था के कुछ अन्य छात्रों द्वारा आक्रमण किया गया था। घटना के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुँची और अनुसूचित जाति के एक जख्मी छात्र, नाम राजेन सिंह को बेहोश पड़ा पाया। श्री राजेन सिंह को सिविल अस्पताल में भर्ती कर दिया गया किन्तु वह फिर होश में नहीं आया और 14 सितम्बर को प्रातः चल बसा।

पुलिस में लिखाई गई रिपोर्ट में से दो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गये हैं, दो अन्य अभी फरार बताये जाते हैं। आक्रमण में एक पक्ष होने के सदेह में दस छात्र भी गिरफ्तार कर लिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति के कुछ छात्रों से शिकायत प्राप्त होने पर शांति भंग होने की आशंका से निवारक उपाय के रूप में दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 107/117/151 के अधीन 75 छात्र गिरफ्तार किए गए। सस्था के प्रिंसिपल, प्रौक्टर तथा वार्डन को भी अस्पृस्यता (अपराध) अधिनियम 1955 की धारा 5/7 के अधीन तथाकथित अपराधों के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर मुक्त कर दिया गया। आयुक्त तथा उप महानिरीक्षक समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने हाथरस का दौरा किया और स्थिति नियंत्रण में बताई जाती है।

Shri Shankar Dayal Singh : It is not that such incidents have not taken place elsewhere. A similar incident relating to Ghaziabad Police Station has been discussed in this House yesterday. Infact such incidents are taking place all over the country. The Constitution provides for the right to equality and moreover after Independence the main accent has been placed on the principle of equality particularly in the case of the Harijan community. It is regretted that Govt. has failed to take strict measures in this regard.

Gandhiji had said that in order to usher in Swaraj in letter and spirit, equal status would bave to be given to the Harijans. Unfortunately, this ideal has largely been confined to theory and has not been translated into practice even after 25 years of Independence. The Harijans are still victims of hatred and oppression. I understand that Govt. is not singly responsible for this. Our political leaders and above all our social set up are equally responsible for this state of affairs. But Govt. can certainly take strict measures wherever such incidents occur. The untouchability (Offences) Act was enacted in 1955, which provides for strict

measures in case such offences are commit ed. I would like to know what strict measures have been taken by Government since 1955.

In reply to a question in Rajya Sabha Mr. Mirdha had admitted that in 1969-70, 5 Harijans were burnt alive, the houses of 83 Harijans were set on fire and about 1500 cases were still pending. Govt. is aware of these ghostly incidents has been done.

I would now like to put a few questions to the Minister for Home Affairs. According to newspapers the tension between the caste Hindu students and the Harijan students of Murlidhar Gajanand Technical Institute, Hathras had been brewing since the 11th December itself. Why didn't Govt. take precautionary measures to avoid the occurance of this incident ?

Secondly, why has Govt. not been able to give practical shape to the provisions of the untouchability (Offences) Act, 1955 ? Thirdly, why don't Govt. take strong steps on the sensitive places in the light of the unpleasant incidents taken place elsewhere ? Further, what is the present condition of the family of the deceased student Rajendra Singh ? Lastly, I would request the Govt. to appoint a small Parliamentary committee headed by the Hon. Speaker, himself to go into the incident.

Shri Ram Niwas Mirdha ; It is really very regrettable that such incidents continue to take place. The untouchability (Offences) Act is there and the Central Govt. has all along been impressing upon the State Governments the need for the strict enforcement of the law so that the constitutional safeguards are ensured to the Harijans. The State Governments are asked to furnish data in this regard from time to time and are advised about the ways and means to enforce the law strictly.

As for the information asked for by the Hon. member, certain incidents took place on the 11th December and some Harijan students left the hostel as a result thereof. On the 13th some of the students who had left for Aligarh came back and reported to the police that on the 14th the students were expected to come back and that they needed protection. On the same evening, the students who were staying at Radhaswami Bagichi were assaulted by some other students with the result that Shri Rajendra Singh was killed and some others wounded. The District Administration took sufficient steps in this regard. Under the Preventive Provisions 75 students were arrested.

As for the suggestion of setting up of a Parliamentary Committee headed by the speaker it would not be proper to do so as the necessary legal action is being taken.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I do not intend to criticise the Uttar Pradesh Government. But the way the Police acted while dealing with the incidents that took place at Balia, Hathras or Ghaziabad, has shaken my faith in the Police investigation. I think there should be no objection to the suggestion put forward by Shri Shankar Dayal Singh that a Parliamentary Committee headed by the speaker should be constituted to go into the incident. The Chief Minister should also not raise objection to the proposal of getting the incident examined by a central agency.

The treatment being meted out to the Harijans has led to growing disillusionment in the Harijan community about the promises made by our leaders in the past. I would therefore submit that a high power commission should be appointed which should be headed by a serving Judge of the Supreme Court or a High Court and not by a retired Judge. The Commission should go to the root of the problem to see whether there are certain elements at work behind the science generating a feeling of hatred in Caste Hindus against the Harijans.

In case the Minister does not agree to the setting up of a Parliamentary Committee in this regard, he may consider persuading the Chief Minister of Uttar Pradesh to appoint a high power Commission in this connection, so that Government could regain the confidence of the Harijans.

यदि सरकार संसदीय समिति द्वारा घटना की जांच नहीं करवाना चाहती तो किसी उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग की नियुक्ति की जाये ताकि देश के करोड़ों हरिजनों के मन में जो आशंकायें हैं वे दूर हो सकें ।

Shri Ram Niwas Mirdha : As for the suggestion to have a Central agency to inquire into such incidents, it is not possible to accept the suggestion because under the constitution the State Governments and their police alone can make such inquiries.

As regards the suggestion for the appointment of a commission under the Chairmanship of a Supreme Court Judge to inquire into such incidents, there appear to be no need for doing so. The Elaya Perumal Committee had already gone into those things in detail and made some recommendations and they are being implemented.

A reference has been made to the incidents which took place at village chharara in District Balia. Action is being taken against those found guilty. They have been arrested. The Head constable has been suspended.

As regards the Ghaziabad incident the four constables involved in the incident have been arrested and they are being prosecuted.

Shri Chandra Shaliani (Hathras) : The heart rending incident of the murder of a sheduled caste student took place in my constituency. I went these for on the spot study of incident. The origin of the incident that took place on the 13th, dates back to some 5 months hence. During admission days in the month of July, One of the scheduled caste hostler was abused and humiliated on the Introduction night. He lodged a complaint to the Warden of the hostel but neither the warden nor the Principal took any action on his complaint. Consequently, he had to leave the hostel. One day in the month of August some caste Hindu students residing in the hostel beat up the scheduled caste students near a cinema hall. The matter was reported first to the police and then to the Principal and the warden but no action was taken. On November 24, a tea party was arranged at the annual function, where a scheduled caste student was beaten up by other students. His fault was that he picked up a biscuit from one of the plates. When the matter was reported to the warden and the Principal, they admonished the scheduled caste student saying that he should realize that he belonged to low caste and he should learn to behave accordingly.

On the 11th, a scheduled caste student was beaten up badly when he was having his meal at the Mess. At night the scheduled caste students went to the Principal and told him that they were leaving the hostel as they could not put up with the humiliation they were being subjected to. The Principal told them that they must put up with all that if they wanted to pursue their studies. Thereafter on the 12th they went to their elder brothers, who were studying in the University, for guidance. On 13th they came to Hathras and met the police Kotwal and then the Principal Then they stayed in the Radhaswami Bagichi for the night halt The boy who was murdered was a student of Saraswati College and not a student of the Polytechnical Institute. He was preparing food, when some students came to him with deadly weapons and asked him where the students of Aligarh were staying. On his replying that he had no knowledge about it, he was physically dragged and fatally stabbed When the police was informed of the deadly assault, two constables reached the spot and took him away on a rickshaw. In the hospital he was not attended on by the Doctor with the result that he succumbled to the injuries.

I want to know why his dying declaration was not taken. I want to know why the Principal and the warden, who were instigating the students to make deadly assaults, were not arrested under Section 302. Another question is whether Govt. is giving any compensation to the bereaved family. Moreover, is there any propos l before Govt. of imposing collective fine on those found guilty in such incidents ?

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker, you will appreciate that the House is discussing a serious matter and incidents which are taking place or should not be given political touch.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमड हार्बर) : सरकार एक जांच आयोग का गठन क्यों नहीं करती

है जिससे कि वह देशभर में हरिजनों और अन्य अल्पसख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की जांच कर सके।

श्री रामसहाय पांडे (राजनन्द गांव) : हमारी मारे जाने वाले व्यक्यि के साथ पूरी सहानुभूति है। यदि सरकार मरने वाले व्यक्ति को संरक्षण नहीं दे सकी है तो सरकार की निन्दा की जानी चाहिए।

श्री समरगुह (कन्टाई) : यह मामला पूरे देश के लिए गम्भीर है। मैं चाहता हूं कि सदन की भावनाओं को देखते हुए मामले की जांच के लिए एक संसदीय समिति बनाई जानी चाहिए। ऐसी घटनाओं का अन्त होना ही चाहिए।

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs and in the Department Personnet (Shri Ram Niwas Mirdha) : It seems there was some tension going on for a long time between Harijan and other students and the concerned incident has taken place as a result thereof. Mr. Shailani has said that the Principal, Warden and the Professor who have been arrested in connection with untouchability are involved in the murder also. We will ask the U.P. State Govt. to make a detailed inquiry in this regard and if found guilty, they should be punished severely according to the law.

It has been disputed time and again in the House that in such matters everything should not be left to the State Governments and that the Central Govt. should also interfere. I would request the House in all seriousness that we are ready to have a meeting with the opposition in this regard.....We are to act within the constitional limtis.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : माननीय मन्त्री ने कहा है कि केन्द्र और राज्य के उत्तरदायित्वों का निर्धारण करने के लिए वह सभी दलों के साथ बैठक करने को तैयार हैं किन्तु वह हमें यह बतायें कि प्रश्नाधीन मामले में केन्द्र सरकार कौन से उत्तरदायित्व को पूरा कर रही है।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप जानते हैं कांग्रेस सरकार ने अल्पसख्यकों के सरक्षण की माग को हमेशा अस्वीकार कर दिया है। राज्य पुनर्गठन समिति की सयुक्त समिति की बैठक में मैंने सुझाव दिया था कि एक 'सांविधिक अल्पसंख्यक बोर्ड' की स्थापना की जाये किन्तु सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया था। सरकार अल्पसख्यकों के संरक्षण के लिए क्या कर रही है ? देश में अल्पसख्यकों को समाप्त किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। संविधान के अनुसार इस मामले में केन्द्र का भी कुछ उत्तरदायित्व है। हम मांग करते हैं कि केन्द्र मामले में हस्तक्षेप करे क्योंकि उत्तर प्रदेश में हरिजनों को पुलिस में कोई विश्वास नहीं रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : हरिजनों पर हुये अत्याचारों को रोकने में उत्तर प्रदेश सरकार की असफलता पर की गई आलोचना पर मन्त्री जी ने आपत्ति की है और यह भी कहा है कि यह मामला पूरी तरह से राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है किन्तु मैं मन्त्री जी का ध्यान अस्पृश्यता अपराध (संशोधन) विधेयक की ओर दिलाना चाहता हू जो कि संयुक्त समिति के विचाराधीन है। यदि यह मामला पूर्णतया राज्य सरकार का है तो अनुसूचित जातियों के विरुद्ध किये गये अपराधों पर विचार करने के लिए केन्द्र सरकार और संसद किस प्रकार सक्षम है ? अत: मेरा निवेदन है कि अस्पृश्यता की समस्या पर विचार करने के लिए केन्द्र और संसद को भी अधिकार है।

श्री आर० डी० भण्डारे (बम्बई मध्य) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह पूछना

चाहता हूं कि जब भी सदन में अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर हुये अत्याचार का मामला उठाया जाता है तो सरकार इस सम्बन्ध में कोई समिति इत्यादि क्यों नहीं बनाती ताकि ये लोग जीवन में कुछ सुरक्षा का अनुभव कर सकें। मैं जानता हूं कि राज्य सरकार और पुलिस असफल रही है और मैंने यह भी नोट किया है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं अर्थात् ऐसी कोई समिति आदि नहीं बनाई गई है जिसके माध्यम से केन्द्र सरकार आवश्यक पूछताछ कर सके। अतः राज्य प्राधिकारियों और पुलिस की असफलताओं की जांच करने के लिए या तो सरकार किसी केन्द्रीय अभिकरण की नियुक्ति करे या फिर केन्द्रीय असूचना ब्यूरो को इसकी जांच के लिए भेजे।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय वसु : प्रतिदिन हरिजनों पर बलात्कार हो रहे हैं, उन्हें जलाया और पीटा जा रहा है। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये।

श्री रामनिवास मिर्धा —श्री शैलानी द्वारा यह पूछा गया है कि क्या मृतक का मृत्युकालिक बयान लिया गया था। इस सम्बन्ध में हमें सूचित किया गया है कि मृत व्यक्ति बेहोशी की हालत में रहा और ऐसी स्थिति में मृत्युकालिक बयान लेना सम्भव नहीं था।

जहाँ तक इस बात का सम्बन्ध है कि क्या हस्पताल में उस व्यक्ति की ठीक से देखभाल की गई थी या नहीं, मैं इस बारे में कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूं।

सामूहिक जुर्माना किये जाने के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यह सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार के सामने है और मेरा विचार है कि वह इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही करेगी।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : इस सदन में पिछले पांच वर्षों में जब से मैं यहां हूं, विभिन्न प्रकार के अत्याचारों पर चर्चा की गई है। मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूं और वह यह कि ये सब निःसन्देह प्रशासनिक असफलता के कारण हुआ है। प्रश्न यह नहीं कि मरने वाले अनुसूचित जाति के हैं अथवा किसी अन्य जाति के। ध्यान देने की बात यह है कि दिन-दहाड़े एक आदमी को जानवर की तरह कत्ल कर दिया गया है। जिस प्रकार से हम पिछले वर्षों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की रक्षा नहीं कर पाये हैं, मैं कह सकता हूं कि वह समय दूर नहीं जब इन लोगों का अंधाधुंध कत्लेआम किया जायेगा।

जहां तक सदन में रखी गई रिपोर्ट का सम्बन्ध है, मुझे पता नहीं वह कितनी सही है क्योंकि रिपोर्ट उन अधिकारियों ने भेजी है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इस मामले से सम्बद्ध हो सकते हैं। हमें इस समस्या के प्रति वास्तविक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। ऐसा वातावरण पैदा किया जाना चाहिये कि पूरे देश का जनमानस ऐसी घटनाओं से उद्वेलित हो उठे।

मेरा सुझाव है कि इस मामले में गृह मन्त्रालय के एक विशेष दल द्वारा स्वतन्त्र रूप से जांच की जानी चाहिये और उसकी रिपोर्ट सदन में पेश की जानी चाहिये।

केन्द्र में स्थायी और काफी शक्तिशाली सरकार है तथा जनमत भी पूरी तरह से इसके साथ है। इतना होने पर भी केन्द्र कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। मैं जानना चाहता हू कि सरकार ने इस मामले में क्या किया है। प्राधिकारी और पुलिस बेचारे हरिजनों को रक्षा नहीं कर पाती है। कांस्टेबलों में भी अनुसूचित जातियों के प्रति भेदभाव बरता जाता है। मैं तो यह कहूंगा कि रंग और जाति भेद की नीति का प्रदर्शन सबसे अधिक हमारे देश में ही देखने को मिलता है।

मेरा निवेदन है कि कानूनों में परिवर्तन किये जाने चाहियें और दोषी व्यक्तियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। यदि पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारी सुचारू रूप से काम नहीं कर

पाते हैं तो ऐसे कृत्यों के लिए उन्हें ही उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। वे अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते हैं। सरकार और जनता दोनों द्वारा ही ऐसे लोगों की निन्दा की जानी चाहिए।

श्री रामनिवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने कानून में परिवर्तन करने और उन्हें और अधिक कड़ा बनाने के लिए कहा है। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में अस्पृश्यता अपराध संशोधन विधयक पहले ही सदन के विचाराधीन है और इसके उपबंध इलायापेरुमल समिति की सिफारिशों के आधार पर ही तैयार किये गये है।

Shri Shambhu Nath (Saidpur) : A matter of so much concern cannot at all be done away with simply by giving a reference to the Untouchability Act.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने विधि में परिवर्तन के बारे में कहा और मन्त्री महोदय इसका उत्तर दे रहे है।

श्री रामनिवास मिर्धा : मैं केवल यह कह रहा हूं कि यह वह कानून है जिसके अन्तर्गत इस घटना से सम्बन्धित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मैं तो केवल इस कानून के सम्बन्ध में उत्तर दे रहा था।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : How many persons have been arrested under Article 302 ? .....**Interruptions**..... Why donot you institute an enquiry ? Government does not agree to this. The Hon'ble Minister is misleading the house.

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs, Minister of Information and Broad Casting and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : Nobody is misleading. Please sit down and listen.

श्री रामनिवास मिर्धा : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को इस बात का उल्लेख किया गया। वह संविधान के अन्तर्गत कार्य करता है। वह व्यक्तिगत मामलों के बारे में जांच करता है और पिछड़ी जातियों को उपलब्ध सरक्षणों के बारे में प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार करता है। यह प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया जाता है और इस पर चर्चा होती है। इस विशेष सम्बन्ध में और पता लगाऊंगा कि आयुक्त ने क्या कहा है और यदि और कुछ भी करने की आवश्यकता हुई तो सरकार अवश्य करेगी।

Shri Hukam Chand Kachwai : These are daily happenings. A commission should be appointed to go into these. It is a matter of great concern. The Prime Minister should make an announcement in this regard.....**Interruptions**.....

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : क्या मैं पूछ सकता हूं कि इसका उत्तर देने से प्रधानमन्त्री के सम्मान को धक्का लगता है ?

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : जब कोई बोल रहा हो तो उस समय नहीं।

श्री रामनिवास मिर्धा : मैं कहना चाहता हूं कि ये मामले दर्ज किए जा चुके हैं और इनके बारे में जांच चल रही है। जांच समिति इसके बारे में जाच नहीं कर सकेगी। सम्बन्धित अधिकारी हत्या के इस मामले की जांच कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि यह समिति इस मामले में क्या करेगी।

Shri Ram Kanwar (Tonk) : Mr. Speaker I condemn the Government for murder of a Harijan student in Hathras. These things are happenings all over the country. This happened in Rajasthan also when a Harijan peon was murdered in Sanskrit College at Dosa. Culprits remain untraceable. I demand the arrest of Principal in this regard.

This also happened in Shri Mirdha's constituency when Harijans were killed in Chhoti

Khatu. There is a great hue and cry about concessions to Harijans. But, in reality, nothing is given. May I know whether Chief Minister Shri Kamlapati Tripathi is shielding a Brahmin student in Hathras incident.Will the Home Minister appoint a Parliamentary Committee to go into Patna incident ?

Shri Ram Niwas Mirdha : Had the Hon'ble Member given a notice about these incidents, I would have placed the facts in the House.

I would say that there is no need of a Parliamentary Committee when criminal proceedings are in progress I believe if the Principal and others are found guilty in this regard serve action will be taken against them.

अध्यक्ष महोदय—पत्र सभा पटल पर रखे जाने हैं···**(व्यवधान)** मैंने किसी को बोलने को नहीं कहा। रिकार्ड में कुछ नहीं आएगा। **(व्यवधान)***

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULS 377

उत्तर वियतनाम पर अमरीका द्वारा हाल ही में की गई बमबारी

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : उठकर खड़े हुए :—

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रतीक्षा करें। पहले उन्हें मामला उठाने दें। श्री इन्द्रजीत गुप्त।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं सरकार और सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि विदेश मन्त्री की इस घोषणा, कि हम उन्हीं आदर्शों और लक्ष्यों से सहमत हैं जिनसे अमरीका सहमत है, के कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि अमरीकी सरकार ने उत्तर वियतनाम पर पूरे पैमाने पर बमबारी की है। मैं इस पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। क्या हम भारत के प्रेम-सन्देश के बारे में ही लगातार सुनते रहेंगे और क्या ये आदर्श और लक्ष्य हैं जिनसे सरकार अमरीका के साथ सहमत है जो इस तरह का बर्बर आक्रमण कर रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस वर्ष अक्तूबर के अन्त में पैरिस में हुई शान्तिवार्ता के फलस्वरूप ठोस समझौता होने का समाचार मिला और वियतनाम समस्या के शीघ्र ही शान्तिपूर्ण ढंग से समझौता होने की आशा की गई थी। ये आशायें नवम्बर में पुनः वार्ता करने और 4 दिसम्बर को शुरू किए गए वार्ता के दूसरे दौर से और अधिक बढ़ गई। समूचा विश्व शान्ति स्थापित करने के सुखद समाचार की प्रतीक्षा में था, किन्तु अकस्मात् ही नये गतिरोध की सूचना मिली। इससे वियतनाम समस्या के समझौते पर तो कुप्रभाव पड़ा ही है, साथ ही समूचे हिन्द चीन में पुनः शान्ति स्थापित करने की समस्या भी खटाई में पड़ गई है। इससे अधिक दुःखद समाचार तो यह है कि अमरीका ने वियतनाम के क्षेत्रों में पुनः बमबारी करना तथा वहाँ के समुन्द्री क्षेत्रों में सुरंगें बिछाना शुरू कर दिया है।

भारत सरकार को इन घटनाओं से अत्यधिक निराशा हुई है और आशा की जाती है कि वहां बमबारी तथा युद्ध सम्बन्धी कार्यवाहियां तुरन्त बन्द हो जायेंगी। यह भी आशा है कि पैरिस शान्ति वार्ता की प्रगति में कोई बाधा नहीं पड़ेगी और अब अविलम्ब ही वियतनाम में शान्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए जायेंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त कृपा करके बैठ जाएं। अब पत्र सभा पटल पर रखे जाने हैं—श्री दलबीर सिंह।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, two members had given a notice under Rule 115 as the Minister had given a wrong reply. He should be asked to answer.

---

* रिकार्ड में नहीं रखा गया।

Mr. Speaker : It will be sent to you. There was a mistake in translation.

सभा के कार्य के बारे में
RE. BUSINESS OF THE HOUSE

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैंने सिद्धान्त सम्बन्धी एक प्रश्न करने के लिए आपकी अनुमति माँगी है। इस प्रश्न का सम्बन्ध गैर सरकारी कार्य के लिए समय के नियतन से है।

अध्यक्ष महोदय। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक तो स्पष्ट विनिर्णय दें कि स्वीकृत प्रस्ताव के बारे में क्या होता है। दूसरी बात यह है कि स्वीकृत गैर सरकारी प्रस्ताव के लिए समय का नियतन कौन करता है।

अध्यक्ष महोदय : आपने कल यह मामला उठाया था और मैंने विनिर्णय दे दिया था।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : नियम 190 में केवल दो शर्तें हैं। एक तो यह है कि अध्यक्ष सदन के नेता के साथ परामर्श करेगा और दूसरे सभा के कार्य को ध्यान में रखा जाएगा। अतः अध्यक्ष को कृपा करके अपने मत में परिवर्तन करना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि बहुत से प्रस्ताव सामने होने पर यह निर्णय कौन करता है कि कौन सा प्रस्ताव चर्चा के लिए लिया जाए। यह कार्य पहले एक उप-समिति करती थी। क्या आप यह कार्य मन्त्री महोदय और सरकार पर छोड़ देंगे।

अतन्तः, क्या सरकार किसी प्रस्ताव को कार्य सूची से निकाल सकती है ?

अतः मैं चाहूंगा कि आप इस पर सोच विचार कर निर्णय दें।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : कृपया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार करके चर्चा का मौका दिया जाए।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैंने जो मामले उठाए हैं उनके बारे में आपका क्या विनिर्णय है। इनका सम्बन्ध संसदीय प्रणाली और कार्यविधि से है।

श्री पीलू मोदी : क्या हम यह समझ लें कि आपने अपनी शक्तियां सरकार को दे दी हैं और संसदीय कार्य मन्त्री का मत ही मान्य होगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : प्रस्तावों की स्वीकृति के सम्बन्ध में हमें अध्यक्ष महोदय का मत पूर्णतः मान्य है। नियम 184 और नियम 193 के अन्तर्गत बहुत से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि नियम 184 के अन्तर्गत लगभग 50 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कार्य मन्त्रणा समिति की पहली बैठक में 8 अथवा दस विषय चुने गए। उन्हें समय दिया जा सकता था। हमारे पास नियम भी है और उप-समिति भी। तत्काल महत्व के आधार पर विषयों का चयन होगा। हमने सी० आई० ए०, राज्य व्यापार निगम और छात्र आन्दोलन इत्यादि पर चर्चा की है। योजना पर भी चर्चा की जाएगी। मुझे समय और अस्पष्टता के सम्बन्ध में दोहरी आपत्ति है।

श्री पीलू मोदी : आप नहीं कह सकते कि क्या अस्पष्ट है। मैं कहता हूं कि यह स्पष्ट है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल इस पर विनिर्णय दे दिया था। मैं बता देना चाहता हूं कि सरकारी और गैर सरकारी कार्य सम्बन्धित समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जब मैं उप-समिति नियुक्त करने जा रहा था तो उपस्थित सदस्यों ने कहा कि इसकी क्या आवश्यकता है।

परामर्श का क्या अर्थ हैं ? एक तरफ आदरणीय सदस्य बैठे हैं और दूसरी तरफ सरकार के लोग और समय निश्चित किया जाता है। इसमें मेरे द्वारा शक्ति छोड़ने की बात कहां से आ गई।

श्री पीलू मोदी : मुख्य मामले से ध्यान हटाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रथा के अनुसार नियम 193 अथवा नियम 184 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव चयन हेतु उप-समिति के पास भेजे जाते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : हमने इस प्रस्ताव का चयन किया था।

अध्यक्ष महोदय : नियमों में इसकी व्यवस्था न होने पर पिछली दो लोक सभा द्वारा स्थापित परम्परा का पालन करते हुए मैंने इसकी अनुमति दे दी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे खेद से कहना पड़ता है कि आप ठीक बात नहीं बता रहे।

अध्यक्ष महोदय : तब समिति ने कुछ प्रस्तावों का चयन किया। सामान्य प्रथा के अनुसार मंत्री महोदय को समय का नियतन करना होता है।

श्री पीलू मोदी : समय निकालना होता है।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष ने दोनों पक्षों की उपस्थिति में उनसे परामर्श किया था···

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह अध्यक्ष महोदय का उत्तरदायित्व था।

अध्यक्ष महोदय : ··· कुछ का चयन किया गया और मन्त्री महोदय को समय निकालना था।

श्री पीलू मोदी : जब आप कहते हैं कि मन्त्री महोदय को समय निश्चित करना होता है तो इसका अर्थ हुआ कि मन्त्री महोदय को समय निकालना होता है।

अध्यक्ष महोदय : समय न होने पर मैं कार्य निश्चित नहीं कर सकता। मन्त्री महोदय को बताना होता है कि समय उपलब्ध है अथवा नहीं।

श्री पीलू मोदी : आपके कहने का अर्थ हुआ कि मन्त्री महोदय न चाहे तो समय न निकाले, मन्त्री महोदय को समय निकालना होता है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : नियम 190 स्पष्ट है। आपको समय का नियतन करना होता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : जहां नियमों में स्पष्ट उपबन्ध न हो वहां मामला अन्ततः नियम 190 के अनुसार निपटाया जाता है, जो इस प्रकार है।

"अध्यक्ष, सभा के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद और सभा नेता के परामर्श से, ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत कर सकेगा।"

अध्यक्ष महोदय : कार्य मन्त्रणा समिति में आदरणीय सदस्यों की उपस्थिति में मन्त्री महोदय से परामर्श किया गया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार को मत बचाइए।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें ऐसा मत बोलने दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कार्य मन्त्रणा समिति में श्री बसु मारूति लिमिटेड पर चर्चा के पक्ष में थे और मैं इस बात पर जोर दे रहा था कि पांचवी योजना के दृष्टिकोण-पत्र पर चर्चा हेतु समय का नियतन किया जाए।

श्री पीलू मोदी : मैं भी यही कहता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कोई समझौता नहीं हो सका। अब आपको नियम 190 के अन्तर्गत निर्णय करना है··· ।

अध्यक्ष महोदय : सदन के नेता के साथ परामर्श करके।

श्री इद्रजीत गुप्त : ···यह बात श्री राजबहादुर की मर्जी पर नहीं छोड़ी जा सकती।

श्री राजबहादुर : मैंने पहले ही कहा है कि हम योजना पर चर्चा के लिए तैयार हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हम जानना चाहते हैं कि क्या नियम 190 के अन्तर्गत आपने सभी प्रकार का परामर्श पूरा कर लिया है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई नई बात नहीं है इन वर्षों में कार्य मन्त्रणा समिति में आदरणीय सदस्यों की उपस्थिति में परामर्श होता रहा है। मैं अकेले में परामर्श नहीं करता। यह सदस्यों की उपस्थिति में किया जाता है।

श्री पीलू मोदी : मैं नियमों के सम्बन्ध में, जिनमें लिखा है कि मन्त्री महोदय को समय निकालना होता है, आपकी कानूनी राय जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक बात में कानूनी राय नहीं चलती। हमें सदन की प्रथाओं और परम्पराओं के अनुसार चलना होता है।

श्री पीलू मोदी : मन्त्री महोदय हमें चर्चा के अधिकार से वंचित नहीं रख सकते।

श्री सेझियान (कुम्ब कोणम) : मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय इस पर अपना निर्णय दें। इसके दो पहलू हैं। एक तो प्रस्ताव स्वीकृत करने और सदन में इस पर चर्चा के लिए अनुमति देनी। दूसरा पहलू यह है और श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी कहा है कि नियम 190 के अन्तर्गत आपके पास परामर्श करने का विकल्प है···

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं यह नहीं कर सकता।

श्री सेझियान : और तब समय नियत करना होता है जहां तक प्रस्ताव के अनुमत्य होने का सम्बन्ध है, अध्यक्ष महोदय को इस बारे में निर्णय करना होता है कि प्रस्ताव ठीक रूप में है या नहीं। मन्त्री महोदय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए···

अध्यक्ष महोदय : अब यह क्या हो रहा है ? यह बात गत वर्षों में कभी नहीं उठाई गई।

श्री सेझियान : मन्त्री महोदय को समय निकालने को कहा जा सकता है परन्तु श्रीमान् जी यह आपको निर्णय करना है कि किस प्रस्ताव को लिया जाए। मन्त्री महोदय को केवल समय निकालना होता है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें समय निकालने दो। मैं इसकी अनुमति दे दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मारूति लिमिटेड पर चर्चा के लिए मन्त्री महोदय तैयार नहीं। चक्रवात और बाढ़ पर ऐसे स्थान के बारे में चर्चा के लिए भी समय निकल सकता है जहां ये घटनायें न हों। परन्तु मारूति लि० पर चर्चा हेतु समय नहीं मिलता।

श्री राजबहादुर : इस सम्बन्ध में मैं पूर्वोदाहरण देकर स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं।

"पहले यह बात सरकार पर छोड़ दी गई थी कि स्वीकृत प्रस्तावों में से किस पर सदन में चर्चा हो। इस प्रक्रिया से सदस्य सन्तुष्ट नहीं थे···

वे अब भी सन्तुष्ट नहीं हैं

"यह मामला कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक में 14 नवम्बर, 1960 को उठाया गया और तब ऐसे प्रस्तावों के चयन हेतु एक उप-समिति नियुक्त की गई।"

प्रस्तावों का चयन करते समय विषय की तात्कालिकता और महत्व की ओर ध्यान दिया जाता है। उप-समिति ने एक या दो प्रस्तावों का चयन किया और गत सप्ताह सरकार ने उन पर चर्चा हेतु समय की व्यवस्था कर दी। अनियत दिन वाले प्रस्तावों पर इस प्रकार चर्चा की व्यवस्था की जाती है कि कोई भी सदस्य एक सत्र के दौरान एक से अधिक प्रस्ताव पेश नहीं कर सकता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री बसु ने नियम 193 के अन्तर्गत ऐसे तीन प्रस्तावों और एक अन्य नियम के अन्तर्गत ऐसे एक प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य व्यापार निगम, विद्यार्थी आन्दोलन और दिल्ली विश्वविद्यालय सम्बन्धी प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जो उनके नाम पर थे। आज गुरु गोविन्दसिंह मेडिकल कालेज, फरीदाबाद पर चर्चा भी उनके नाम पर ही हो रही है।

कुछ माननीय सदस्य उठकर खड़े हो गए

Some hon. Members rose

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर सदन में चर्चा नहीं कर सकते। यह कार्य तो कार्य मन्त्रणा समिति ने करना है या मन्त्री महोदय को समय की व्यवस्था करनी होगी।

श्री पीलू मोदी : समय की व्यवस्था हेतु मन्त्री महोदय को निर्देश दिया जाय।

श्री सेझियान : हम तीन दिन तक भोजन का समय दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : भोजन का समय छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सेझियान : सरकार के विचारार्थ यह सुझाव है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि भोजन का समय छोड़ने की बात है तो योजना पर चर्चा का क्या होगा। मैं उस पर जोर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : हम भोजन का समय नहीं दे रहे।

श्री पीलू मोदी : श्री राज बहादुर ने सदन को अभी गुम राह किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने इस सत्र में एक भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मछली बाजार मत बनाए।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अध्यक्ष महोदय को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस मामले में उन्हें ही निर्णय का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सरकार को समय की व्यवस्था करने के लिए कहा था और ऐसा होने पर मैं चर्चा हेतु समय नियत कर दूंगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

पैट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं कम्पनी, अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (i) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड का वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 4073/72]

याचिका का प्रस्तुत किया जाना
Presentation of Petition

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच बिहार) : मैं कृषि स्नातकों एवं स्नातकोत्तरों तथा कृषि इन्जीनियरों की बेरोजगारी के बारे में एक याचिका प्रस्तुत करता हूं, जिस पर श्री टी० टी० जगताप तथा अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं ।

खान (संशोधन) विधेयक
Mines (Amendment) Bill

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय बढ़ाना

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि यह सभा खान अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का समय 9 मार्च, 1973 तक और बढ़ाती है ।"

सभा के कार्य के बारे में जारी
Re: Business of the House

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : अध्यक्ष महोदय, यह कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जायेगा

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यदि मन्त्री महोदय ने गलत वक्तव्य दिया है तो माननीय सदस्य को उसका खंडन करने का पूरा अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मन्त्री महोदय से जानकारी प्राप्त करूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह रिकार्ड किया जाये कि मैंने इस सत्र के दौरान एक भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है और श्री राजबहादुर जानबूझ कर सभा को गुमराह कर रहे हैं ।‡

श्री राजबहादुर : मैंने रिकार्ड देखे बिना कुछ नहीं कहा । मैंने ऐसा कहने से पूर्व रिकार्ड देखा है । राज्य व्यापार निगम के बारे में प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्यों की सूची में उनका भी नाम है । दिल्ली में छात्र आन्दोलन सम्बन्धी प्रस्ताव रखने वाले चार या पांच अन्य सदस्यों के साथ भी उनका नाम है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मन्त्री महोदय को गलत वक्तव्य देने के लिए खेद प्रकट करना चाहिए। मन्त्री महोदय का यह कहना गलत है कि माननीय सदस्य ने वह प्रस्ताव पेश किया है ।

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक्स, गृह मन्त्री, सूचना और प्रसारण मन्त्री

---

‡**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही वृतांत में नहीं जायेगा ।

Expunged as ordered by the Chair.

तथा अंतरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : आप इसकी जांच क्यों नहीं कर लेते ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : ** **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय ने जो कुछ कहा है उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाये। माननीय सदस्य मन्त्री महोदय की किसी बात का भद्र भाषा में विरोध कर सकते हैं। माननीय सदस्य को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

कार्य मन्त्रणा समिति के 21 वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

Motion Re. Twenty first report of Business A visory committee

संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के 21 वें प्रतिवेदन से, जो 18 दिसम्बर, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : अब मैं राय जानने के लिए यह प्रस्ताव सभा के सामने रखता हूं।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : समिति की यह सर्वसम्मत राय थी कि दण्ड प्रक्रिया संहिता पर इस सत्र में विचार न किया जाये। पहले इसके लिए चार घन्टे का समय दिया गया। बाद में इसे बढ़ाकर आठ घन्टे कर दिया गया। समिति में विपक्षी प्रतिनिधियों ने कहा था कि 8 घन्टे का समय अपर्याप्त होगा। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है।

अध्यक्ष महोदय : आप समिति की कार्यवाही का यहां रहस्योद्घाटन नहीं कर सकते।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : आप इस पर पुनः विचार करें। कार्य मन्त्रणा समिति की सर्वसम्मत राय थी कि इस सत्र के दौरान इस विषय पर विचार न किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के 21वें प्रतिवेदन से, जो 18 दिसम्बर, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

कुछ सदस्य : पक्ष में।

अध्यक्ष महोदय : वे सदस्य जो इसका विरोध करते हैं, 'नहीं' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं पक्ष में अधिक हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, विपक्ष में अधिक हैं। **(व्यवधान)**

श्री राजबहादुर : कार्य मन्त्रणा समिति में इसके लिए समय निर्धारित किया गया था। इस लिए मैंने इसे शामिल कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप को सन्देह है तो मैं कार्यवाही वृत्तान्त देखूंगा। जहां तक मुझे याद है, इसके लिए 6 घन्टे का समय रक्खा गया था परन्तु सदस्यों के कहने पर इसे दो दिन कर दिया गया। कुछ सदस्यों ने इस पर अगले सत्र में विचार करने के लिए कहा तो कुछ ने इस पर इसी सत्र में विचार करने की राय दी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यद्यपि इसके लिए समय निर्धारित किया गया है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस पर अवश्य ही इस सत्र में विचार किया जायेगा। श्री फ्रैंक एन्थनी ने विशेष

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

Expunyed as ordered by the chair.

रूप से कहा था कि यह एक जटिल विधेयक है और इसके खण्डों पर विचार करने के लिए कई घन्टों के समय की आवश्यकता होगी। दण्ड प्रक्रिया संहिता में आमूल परिवर्तन किया जा रहा है। इसे इतनी सरलता से नहीं निपटाया जा सकता।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : May I know whether time is being allotted right now for the next sitting ? What was the necessity to include the Bill in it ?

श्री राज बहादुर : यदि आप कार्य मन्त्रणा समिति में इस पर पुन: विचार करना चाहते हैं तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

[मुल्की नियम विधेयक
Mulki Rules Bill]

अध्यक्ष महोदय : कल कई सदस्यों ने कानूनी तथा संवैधानिक आधार पर इस विधेयक का विरोध किया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह प्रस्ताव पेश करने का प्रयास किया कि इस विधेयक के कानूनी पहलुओं पर अपनी राय देने के लिए अटार्नी जनरल को यहां बुलाया जाये।

जहां तक सभा की कानून बनाने की शक्ति का सम्बन्ध है, लोक सभा का अध्यक्ष कोई ऐसा विनिर्णय नहीं देता कि सभा संवैधानिक दृष्टि से किसी विधेयक पर विचार कर सकती है या नहीं। सभा ऐसा कोई निर्णय नहीं लेती। सदस्य महोदय इसके पक्ष या विपक्ष में अपना तर्क दे सकते हैं।

जहां तक महा न्यायवादी को बुलाने का सम्बन्ध है, मैंने मन्त्री महोदय, श्री मिर्धा को यह मामला भेजा था। श्री मिर्धा ने सूचित किया है कि इस विधान पर विचार करने के बारे में सभा की शक्ति के सम्बन्ध में सरकार को कोई सन्देह नहीं हैं। अत: सरकार महा न्यायवादी को सभा के समक्ष बुलाना आवश्यक नहीं समझती। अत: मेरी राय यह है कि विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए अनुमति देने के प्रस्ताव के बारे में सभा की राय ली जाये।

[खान (संशोधन) विधेयक-जारी
Mines (Amendment) Bill-Contd.]

अध्यक्ष महोदय : श्री ए० पी० शर्मा ने खान अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा खान अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का समय 9 मार्च, 1973 तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

कार्य मंत्रणा समिति के 12 वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव — जारी

Motion re : Twenty—first Report of Business Advisory Committe—Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं पुन: कार्य मन्त्रणा समिति का प्रतिवेदन सभा के सामने रखता हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : चालू सत्र में इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का विपक्ष के सभी सदस्य विरोध कर रहे हैं। फिर भी आप इसके बारे में सभा का मत लेना चाहते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : आप ने कार्य मन्त्रणा समिति का कार्यवाही-वृतान्त देखने का आश्वासन दिया है। अतः इसे कार्य मन्त्रणा समिति के पास पुनः भेजा जाये। हम सब की यह राय थी कि इस पर विचार अगले सत्र तक स्थगित कर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक को छोड़कर कार्य मन्त्रणा समिति की शेष रिपोर्ट को पारित की जाये।

प्रश्न यह है :—

"कि इस रूपभेद के साथ कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, विधेयक, 1972 सम्बन्धी प्रतिवेदन के पैरा 2 की मद (6) हटा दी जाये, यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के 21 वें प्रतिवेदन से, जो 18 दिसम्बर, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था। सहमत है।"

[प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted]

मुल्की नियम विधेयक—जारी
Mulki Rules Bill—Contd.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मुल्की नियमों के प्रवर्तन को परिसीमित करने के लिए कुछ संशोधन करने का, कुछ नियुक्तियों को विधिमान्य करने का और क्रमानुसार उक्त नियमों का निरसन करने का और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

[प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted]

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं :

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : विधेयक पुरःस्थापित कर दिया गया है। अब प्रधान मन्त्री मेरे सुझाव पर विचार करें। आप दोनों कैम्पों में पृथकतावादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा क्यों देते हैं ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक्स मन्त्री, गृह मन्त्री, सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैंने माननीय सदस्य को बता दिया है कि हम कुछ करेंगे परन्तु यह उचित अवसर नहीं है।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 3·30 म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirty minutes Past fifteen of the clock.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.33 म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at Thirty—three minutes Past fiften of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the chair]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : मैं चीथड़े कांड की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि एक महत्वपूर्ण तथा गम्भीर प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते।

रिचर्डसन एण्ड क्रूड्डास लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) विधेयक

RICHARDSON AND CRUDDAS LTD. (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKING) BILL

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रण्यम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लिमिटेड के उपक्रम के अर्जन और अन्तरण, उसके सदस्यों का रजिस्टर पुनः तैयार करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लिमिटेड के उपक्रम के अर्जन और अन्तरण उसके सदस्यों का रजिस्टर पुनः तैयार करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् — मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) विधेयक

MYSORE STATE (ALTERATION OF NAME) BILL

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मैसूर राज्य का नाम परिवर्तन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मैसूर राज्य का नाम परिवर्तन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

रुग्ण कपड़ा उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक

SICK TEXTILE UNDERTAKINGS (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम रुग्ण कपड़ा उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण होने तक, उनके इस दृष्टि से शीघ्र पुनर्वास के लिए कि ऐसे पुनर्वास से सस्ते किस्म के कपड़े के उत्पादन में वृद्धि और उचित कीमतों पर उसके वितरण द्वारा जन साधारण का हित साधन हो सके, उनका लोक हित में, प्रबन्ध-ग्रहण करने का और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर खण्डवार तथा 18 दिसम्बर, 1972 को पेश किये गये प्रथम अनुसूची सम्बन्धी संशोधन संख्या 1 पर भी आगे विचार करेंगें।

कल हमने सभी खण्डों पर विचार कर लिया था तथा हम प्रथम अनुसूची पर विचार कर रहे थे जिसके लिए केवल एक सदस्य ने अपना संशोधन पेश किया था। मैं अन्य सदस्यों की राय जानना चाहूंगा। श्री एच० एम० पटेल

श्री पीलू मोदी : खड़े हुए

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम नहीं है ।

श्री पीलू मोदी : कृपया मुझे सुने ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण करें ...अब आप बतायें कि आप क्या चाहते हैं ?

श्री पीलू मोदी : हमने आपसे अनुरोध किया था कि चूंकि श्री एम० एम० पटेल बीमार हो गये हैं, अत: उनके स्थान पर मेरा नाम रख दिया जाये। इस बात की सूचना हमने बहुत समय पूर्व दे दी थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी राय में नियमाधीन ऐसा नहीं हो सकता ।

श्री पीलू मोदी : 24 अथवा 36 घन्टे पूर्व इसकी सूचना दे दी गयी थी ।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : मैं अपना संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं अपना सशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नटवर लाल पटेल (मेहसाना) : मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया था और मैं उस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा है कि एक सदस्य द्वारा अपना संशोधन प्रस्तुत किया गया है । उनका संशोधन प्रस्तुत हो गया है । क्या वे बोलना चाहेंगे ?

श्री नटवर लाल पटेल : जी हाँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना वक्तव्य दें ।

श्री नटवर लाल पटेल : कल मैंने अपना एक संशोधन स्वीकार करने के लिए मन्त्री महोदय से अनुरोध किया था तथा एक मिल विशेष को श्रमिकों के, जो गत 8 वर्षों से बेरोजगार हैं, हित में सूची में सम्मिलित करने के लिए भी अनुरोध किया था । यह एक बहुत बढ़िया उपक्रम है । इसकी मशीनरी बहुत अच्छी है और इसमें 12 हजार करघे तथा 25 हजार तकलियां हैं । बड़े दु ख की बात है कि यह मिल गत आठ वर्षों से बन्द पड़ी हुई है । कोई भी इसे चलाने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है । इस मिल के बन्द हो जाने से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 6 हजार लोगों पर कुप्रभाव पड़ा है । इस मिल में कार्य कर रहे 1500 श्रमिकों में से अधिकांश श्रमिक हरिजन समुदाय से सम्बन्धित हैं । इन हरिजन श्रमिकों के पास भूमि भी नहीं है । अत: इन लोगों के पास अपने जीविकोपार्जन के लिए अन्य कोई विकल्प नहीं है । अत: मैं मन्त्री महोदय से पुन: अनुरोध करूंगा कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये ।

श्री पी० जी० मावलंकर : उपाध्यक्ष महोदय, कहा गया है कि इस विधेयक का उद्देश्य समूचे कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना नहीं है । किन्तु इसका उद्देश्य उन सभी मिलों को अपने नियन्त्रण में लेना है जो कि आर्थिक दृष्टि से सकटग्रस्त हैं ताकि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और बेरोजगारी न बढ़े तथा श्रमिक वर्ग के लिये कठिनाइयाँ पैदा न हों । यह उद्देश्य सराहनीय है । मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं ।

अहमदाबाद में स्थित 'दि फाइन निटिंग मिल्स' जो प्रथम सूची की मद संख्या 13 है, को रुग्ण मिलों की सूची से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह मिल कदापि एक कपड़ा उपक्रम नहीं है । यह तो एक हौजरी उपक्रम है जो कि 1908 में आरम्भ हुआ था और बुनाई के लिये अपना मिल

स्थापित करने हेतु इस में बुनाई का कार्य 1924 में आरम्भ किया गया था। बाद में पता चला कि वहां 9,000 तकलियाँ 1924 से 1966 तक निष्क्रिय पड़ी रहीं।

तत्पश्चात् 1967 में इस कम्पनी ने कताई विभाग बन्द करने की अनुमति मांगी और नवम्बर, 1971 में सरकार ने यह अनुमति प्रदान कर दी। तदनुसार वहां कताई कार्य बन्द कर दिया गया। पुरानी मशीनरी बेच दी गई। अब स्थिति यह है कि एक प्रवेश शैड में 24 रिंग फ्रेमों में 9,000 तकलियाँ रखी हुई हैं, जिनकी स्क्रैप के रूप में अनुमानित लागत लगभग 50,000 रुपये है। यदि इन्हें प्रयोग में लाना है और इस उपक्रम को समुचित ढंग से चलाना है तो इसके लिए अतिरिक्त मशीनरी की आवश्यकता पर कम से कम 30 से 40 लाख रुपये व्यय करने पड़ेंगे। इस विधेयक का सम्बन्ध केवल रुग्ण मिलों से है न कि नये उपक्रमों से। मेरी राय में यह उपक्रम, जिसे पहले एक हौजरी उपक्रम के रूप में आरम्भ किया गया था और जो आज भी एक हौजरी उपक्रम के रूप में कार्य कर रहा है, को रुग्ण कपड़ा मिलों की सूची में सम्मिलित नही किया जाना चाहिए। अत: मेरा अनुरोध है कि मन्त्री महोदय को यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए और इस मिल को रुग्ण कपड़ा मिलों की सूची से हटा देना चाहिए।

इस मिल द्वारा बिजली प्रभार, वेतन, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, सामग्री इत्यादि के जो बकाया बिल थे उनका भुगतान कर दिया गया है और अगस्त, 1972 में कर्मचारियों को वर्ष 1971 का बोनस भी दे दिया गया है। आजकल यह मिल विदेशों को लाखों रुपयों के माल का निर्यात भी कर रही है अत: इसे रुग्ण कपड़ा मिलों की सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपने मित्र श्री पटेल द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन का बिना शर्त समर्थन करता हूं और इस अवसर पर दो अन्य मिलों का उल्लेख करना चाहूंगा जिन्हें राष्ट्रीय वस्त्र निगम अथवा सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में ले लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उक्त मिलें सूची मे शामिल नहीं हैं तो आप उनके विषय में कैसे बोल सकेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : उनके द्वारा सूची में संशोधन करने के लिए यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है और मन्त्री महोदय ने सभा को आश्वासन दिया था कि इस पर विचार किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तर्क संगत नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह एक संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब वह कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकते। पहले मेरी स्वीकृति लेनी होगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : यदि आप स्वीकृति दें। मैंने और श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक कपड़ा मिल अर्थात् लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर का उल्लेख किया था। इस सम्बन्ध में जाँच की गई थी। एक केन्द्रीय दल कानपुर गया था और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि इस मिल की अवनति का मूल कारण वहां का कुप्रबन्ध है। इस दल ने अपना प्रतिवेदन दिया था जिस पर केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को निदेश दिया था कि लक्ष्मी रतन काटन मिल को उत्तर प्रदेश सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

श्री पीलू मोदी : उक्त मिल का कुप्रबन्धक कांग्रेसी संसद सदस्य है।

श्री एस० एम० बनर्जी : उक्त मिल के श्रमिकों को गत 3 वर्षों से बोनस नहीं दिया गया है।

इस मिल ने कई वर्षों से अपने कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी बीमा की राशियां तथा आयकर की बकाया राशियों का जो कि 31 लाख रुपये बैठती हैं तथा भविष्य निधि राशियों का, जो कि 4-5 लाख रुपये बैठती है, भुगतान नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, बिक्रीकर और रेल विभाग की बकाया राशियों का भी भुगतान नहीं किया गया है। अतः हम चाहते हैं कि इस मिल को अपने नियन्त्रण में ले लेना चाहिए।

दूसरी बात हिन्दुस्तान एम्ब्राईडरी मिल, छहारटा, अमृतसर के बारे में कही गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मिल को सूची में शामिल करने के लिए आप संशोधन क्यों प्रस्तुत नहीं करते।

श्री एम० एम० बनर्जी : मेरे विचार में संशोधन स्वीकृत नहीं होगा और केवल आश्वासन ही दिया जाएगा। मैं चाहता हू कि लक्ष्मी रतन काटन मिल्स्, कानपुर और हिन्दुस्तान एम्ब्राईडरी मिल, छहरटा, अमृतसर सरकार को अपने हाथ में ले ले।

श्री बी० आर० शुक्ल : मैंने इस आशय का एक संशोधन पेश किया है कि गया काटन एण्ड जूट मिल्स लिमिटेड से सम्बन्धित मद संख्या 14 को, जिसे सूची में सम्मिलित किया गया है ' सूची से हटा दिया जाना चाहिए। यह मिल घाटे में चल रही थी और एक स्थिति ऐसी भी आ गई थी जब यही उचित समझा गया कि इस मिल को रुग्ण मिलों के वर्ग में सम्मिलित कर दिया जाये। किन्तु बाद में पट्टाधारियों ने इस पर काफी धन व्यय किया और यह कार्य करने की स्थिति में आ गई। अतः उन्हें इस मिल को ठीक ढग से चलाने के लिए अवसर दिया जाना चाहिये। अतः यदि इस मिल को सूची से अलग कर दिया जाता है तो इससे पट्टाधारियों के साथ न्याय होगा और जनता को इससे कोई हानि नहीं होगी।

Shri Tarkeshwar Pandey (Salempur) : Mr. Dy. Speaker, according to my information the Gaya cotton and jute Mills Ltd., is now in running order and it is not a fact to consider it a sick mill. I request that the honourable Minister should give an opportunity to this mill to function properly and it might not be included in the list of sick mills.

Shri Chandrika Prasad (Banlia) : Mr. Dy. Speaker, before the notification was issued, the Gaya cotton and jute Mills Ltd , was functioning properly and it would not be logical to call it a sick mill. It is, therefore, requested that it should be excluded from the list of sick mill.

श्री ललित नारायण मिश्र : महोदय मैंने विभिन्न सशोधनों पर बड़े ध्यानपूर्वक विचार किया है ''

उपाध्यक्ष महोदय : आपके विधेयक द्वारा बहुत सी मिलें स्वस्थ मिलें बनाई गई हैं।

श्री ललित नारायण मिश्र : अनुसूची में उल्लिखित सूची काफी विचार करने के बाद तैयार की गई है। जहाँ तक गया काटन एण्ड जूट मिल का सम्बन्ध है, मैं इस बात का पूर्णतया इच्छुक हूं कि इस मिल का अधिग्रण किया जाये क्योंकि गत् 10 वर्षों से यह मिल ठीक काम नहीं कर रही है। मैं हाल ही में 3½ महीने से पूर्व गया के दौरे पर गया था। वहाँ के लोगों ने मुझे बताया है कि यह मिल पिछले 10-11 वर्षों से बन्द है। अब कुछ लोगों ने इसके मूल स्वामी से इसे पट्टे पर लिया है और वे इसे चलाना चाहते हैं। उन्होंने कुछ पूंजी भी लगाई है। किन्तु मेरे लिए इस समय ऐसा करना कठिन होगा। इस समय किसी मिल को सूची से निकालना न तो सम्भव है और न ही वाँछनीय।

कादी दुर्गा काटन मिल लिमिटेड के बारे में मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाता हू कि यदि हम वास्तव में ऐसा महसूस करते हैं कि यह मिल रुग्ण है और इसे समुचित रूप से चलाया नहीं जा सकता तो हम इसका अधिग्रहण करने का प्रयास करेंगे ।

संशोधन प्रस्तुत किए गए और अस्वीकृत हुए

[The amendments were put and negatived]

उपाध्यक्ष महोदय : कोई और संशोधन नहीं है । मैं अनुसूची और शेष विधेयक सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करूँगा ।

प्रश्न यह है "कि पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, खण्ड 1, निर्वाचन सूत्र और शीर्षक विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, खण्ड 1 निर्वाचन सूत्र और शीर्षक विधेयक से जोड़ दिये गए

श्री एल० एन० मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, सशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है :

'कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार की प्रत्येक बात में, यहां तक कि कपड़ा मिलों के अधिग्रहण के मामले में भी, राजनीतिक चाल होती है और यह बात वहां होती है जहां कार्मिक संघ का नियन्त्रण एक ऐसे दल के हाथ में होता है, जो काँग्रेस दल का विरोधी है, उदाहरणार्थ, हावड़ा के आरती काटन मिल का अधिग्रहण इसलिए नहीं किया जा रहा, क्योंकि उस कार्मिक सघ पर एक ऐसे दल का नियन्त्रण है जो काँग्रेस का विरोधी है । परिणामस्वरूप यह मिल अच्छी स्थिति में होते हुए भी बर्बाद हो रही है और इसके 106 मजदूर बेरोजगार हो गये हैं । यह बहुत ही अनुचित रवैया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एस० एम० बनर्जी, नियमाधीन आप एक ही बात को बार-बार नहीं दोहरा सकते । मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूँगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं आपके आदेश का पालन करूँगा, किन्तु मेरे प्रश्न का सन्तोषजनक उत्तर मिलना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मन्त्री महोदय इनके प्रश्न का उत्तर देगें ?

श्री ललित नारायण मिश्र : जी हाँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय आपके प्रश्नों का उत्तर देगे ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं केवल दो मिलों का उल्लेख करूँगा जिनकी ओर मन्त्री महोदय का ध्यान नहीं गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मन्त्री महोदय उक्त मिलों के बारे में जानते हैं ।

श्री ललित नारायण मिश्र : जी हां ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर और हिन्दुस्तान एमब्राईडरी मिल, छहराटा को अपने नियन्त्रण में ले रहे हैं।

श्री पीलू मोदी : रुग्ण मिलों को अपने हाथ में लेने के लिये सरकार का स्वागत है, क्योंकि उनके द्वारा किये गये व्यवहार से वे और भी अधिक रुग्ण हो जायेंगी। किन्तु मैं स्वस्थ मिलों को सरकार के हाथ में लेने के लिये सरकार की कड़ी आलोचना करता हूं, क्योंकि जो बात होने वाली है, वह अवश्य ही होगी और ये स्वस्थ मिल रुग्ण हो जायेंगी। अतः जिस ढंग से अनुसूची तैयार की गई उस ढग से मैं सहमत नहीं हू। ऐसे भी मामले हैं जिनमें जांच किए बिना और किसी द्वारा इसके बारे में सुनिश्चित तथ्य बताये बिना, कि ये मिलें रुग्ण हैं अथवा स्वस्थ, सरकार ने उन्हें इस अनुसूची में शामिल कर लिया है। उदाहरणार्थ, बिजली काटन मिल, हाथरस को ही लें। तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा इस मिल को रुग्ण मिल नहीं माना गया है। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बिजली की पूर्ति न किये जाने के परिणामस्वरूप इस मिल को बन्द करना पड़ा था। बिजली बोर्ड द्वारा बिजली की पूर्ति करने के लिए सहमत हो जाने पर इस मिल को अध्यादेश लागू होने से पूर्व 2 अक्तूबर से पुनः चालू करने का नोटिस लगाया गया था।

श्री एल० एन० मिश्र : श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा है कि सरकार ने राजनीतिक कारणों से इन मिलों को अपने हाथ में लिया है, लेकिन इन मिलों के चयन में किसी प्रकार की राजनीति नहीं है।

गत वर्ष चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने सरकार से कुछ रुग्ण मिलों को नियन्त्रण में लेने अथवा इन मिलों को पुनः चालू करने के लिए सहायता देने को कहा था क्योंकि, नौकरी न मिलने के कारण श्रमिक बेरोजगार थे। सरकार ने छः मिलों को अपने नियन्त्रण में लिया और हजारों श्रमिकों को नौकरी मिल गई। ये मिलें न केवल चल ही रही हैं अपितु लाभ भी अर्जित कर रही हैं। इसी अनुसूची में छः अन्य मिलें भी हैं। बगाल मिल के सम्बंध में मैं विचार करूंगा, श्री० एस० एम० बनर्जी ने भी दो मिलों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे और उनमें से एक लक्ष्मी रतन मिल है। मैं आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी जांच करूंगा। हमें देखना यह है कि क्या वह रुग्ण मिल है अथवा बन्द है या घाटे में चल रही है। श्री एस० एम० बनर्जी, लक्ष्मी रत्न मिल के सम्बन्ध में जानते हैं, इसलिये उन्होंने प्रश्न पूछा। हमने इस बारे में विचार किया और उक्त मिल को नियन्त्रण में लेने का विचार कर लिया गया था परन्तु राज्य सरकार 49 प्रतिशत वित्तीय दायित्व वहन करने के लिए सहमत नहीं हुई, इस कारण उसे नियन्त्रण में नहीं लिया जा सका। मैं इस मामले पर पुनः विचार करूंगा।

श्री पीलू मोदी ने बिजली कपड़ा मिल का मामला उठाते हुए कहा कि मैं जादुई-तमाशा करना चाहता हूँ – लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ।

श्री पीलू मोदी : मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन उक्त मिल रुग्ण नहीं है। जादुई-तमाशा मैंने सारे विधेयक के लिए कहा है।

श्री एल० एन० मिश्र : हमने दो वर्षों के दौरान 57 मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया है। उनमें से अधिकतर मिलें लाभ में चल रही है तथा उनमें एक लाख श्रमिकों को रोजगार मिला है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने 200 करोड़ रुपये मूल्य के कपड़े का उत्पादन किया।

श्री पीलू मोदी : कपड़ा मिलें पिछले वर्ष घाटे में चल रही थी और उनमें से मुश्किल से किसी ने इस वर्ष फायदा दिखाया होगा।

श्री एल० एन० मिश्र : 46 मिलों में से एक या दो को छोड़ कर किसी ने घाटा नहीं दिखाया इसमे जादुई तमाशे की कोई बात नहीं। श्री मोदी जी मैं आपको एक मित्र के नाते भी बता दूँ कि मैं जादुई तमाशे के खिलाफ हूँ। बन्द मिलों के सम्बन्ध में मैं इतना बता दूँ कि ये मिलें उसे अधिक महीनों से बन्द थी, इसका कारण बिजली न मिलना भी हो सकता है। मैं इसकी जांच करूंगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक

(Indian Tariff (Amendment) Bill)

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : श्री एल० एन० मिश्र की ओर से···

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय, जब मन्त्री महोदय सभा में उपस्थित हैं तो उनकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति विधेयक को कैसे प्रस्तुत कर सकता है ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई अन्य विधेयक को प्रस्तुत करता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं लेकिन उन्हें सूचित किया जाना चाहिए

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : चूंकि मैंने एक पत्र भेजा था। ईराक के मन्त्री आ रहे हैं इसलिये मुझे जाना था और इस कारण मैंने···

उपाध्यक्ष महोदय : एक मन्त्री स्वयं सभा में उपस्थित रहते हुए भी अपने से कनिष्ठ मन्त्री को विधेयक प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है, लेकिन अध्यक्ष को सूचित किया जाना चाहिये। इस मामले में सूचना नहीं भेजी गई है।

विदेश व्यापार मन्त्रालय में मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय टैरिफ अधिनियम 1937 में और संशोधन करने के लिये विधेयक पर विचार किया जाय।"

रंगाई मध्यवर्ती उद्योग का संरक्षण 31-12-72 को समाप्त हो रहा है। टैरिफ आयोग ने इस उद्योग के कार्यों की पुनरीक्षा की है और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

भारतीय उद्योग का एक अच्छा उदाहरण रंगाई मध्यवर्ती उद्योग है जिसका, संरक्षण के अन्तर्गत अच्छा विकास हुआ है। तैयार रंगाई सामग्री से कार्य शुरू करके हम उन मध्यवर्ती वस्तुओं का भी उत्पादन करने लगे हैं जिनसे रंगाई सामग्री तैयार होती है। तीन मध्य वर्ती वस्तुओं को 1964 में तथा 50 मध्यवर्ती वस्तुओं को 1968 में संरक्षण दिया गया था। 53 रंगाई मध्यवर्ती सामग्री सम्बन्धी वस्तुओं के संरक्षण की अवधि को समाप्त होने वाली है। आयोग ने इस उद्योग के विकास की प्रगति के सम्बन्ध में पुनरीक्षण किया और एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उसने इस उद्योग को दिये गये संरक्षण को 1971 के पश्चात् और 1974 के अन्त तक जारी रखने की सिफारिश की है।

आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन के आधार पर और उसके अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने तक 53 मध्यवर्ती सामग्री सम्बन्धी वस्तुओं को दिये गये संरक्षण की अवधि को पिछले वर्ष केवल एक वर्ष अर्थात् 31 दिसम्बर, 1972 तक बढ़ा दिया गया था। इस प्रतिवेदन में विभिन्न मध्यवर्ती सामग्री सम्बन्धी वस्तुओं पर शुल्क की संरक्षणात्मक दरों के स्तर के सम्बन्ध में टैरिफ आयोग ने इस उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता, वर्तमान तथा प्रत्याशित माँग को पूरा करने अथवा न करने की प्रवृत्ति और आयात की आवश्यकता आदि जैसे सभी संगत पहलुओं पर विचार किया है।

इन सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की तथा सरकार ने उन्हें स्वीकार किया। अर्थात् (1) 31 दिसम्बर 1974 तक के लिए।

(क) 31 मध्यवर्ती रंगाई सामग्रियों पर वर्तमान दर पर संरक्षण शुल्क, (ख) 2 मध्यवर्ती सामग्रियों पर बढ़ी हुई दर पर, तथा (ग) 4 मध्यवर्ती रंगाई सामग्रियों पर घटी दर पर संरक्षण शुल्क जारी रखा जाये।(2) 31 दिसम्बर 1972 के पश्चात् (क) 15 मध्यवर्ती रंगाई सामग्रियों पर वर्तमान दरों पर और (ख) एक मध्यवर्ती रंगाई सामग्री पर घटी दरों पर प्रशुल्क संरक्षण वापस लिया जाये और राजस्व, दरों पर शुल्क लगाया जाय, तथा (ग) मध्यवर्ती रंगाई सामग्री की 19 नई मदों पर 31 दिसम्बर 1974 तक के लिए संरक्षण दिया जाये।

आयोग ने अपने प्रतिवेदन में अन्य कई सिफारिशें भी की हैं। इन सिफारिशों के सम्बन्ध में किये गये निर्णयों की सभा पटल पर रखे संकल्प में घोषणा कर दी गई है। इनके कार्यान्वयन के लिए सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

मैं और अधिक समय न लेकर मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय टैरिफ अधिनियम 1934 में और संशोधन करने के लिये विधेयक पर विचार किया जाय।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : टैरिफ आयोग की हाल ही की गतिविधियों से यह सिद्ध हो गया है कि इसमें एकाधिकारी हैं, यह एकाधिकारियों की है और यह एकाधिकारियों के लिये है। 1967 में टैरिफ आयोग की पुनरीक्षा समिति ने कहा था कि इस समय विभिन्न उद्योगों को जो वास्तविक संरक्षण मिल रहा है उसकी जांच करने के लिये तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता है जिससे कि प्रत्येक को, जो अधिक सरक्षण अथवा कम संरक्षण मिल रहा है उसका निर्धारण किया जा सके। समिति ने यह भी कहा है कि इन मामलों की अविलम्ब जांच की जानी चाहिए ताकि आन्तरिक अर्थव्यवस्था पर इसका कुप्रभाव न पड़े।

आयोग ने दावा किया है कि जिन मामलों में उन्होंने मूल्य-निर्धारण की सिफारिश की उनके मूल्यों में स्थिरता आयी है। यह वास्तविकता नहीं है। चीनी, टायर, बनस्पति और मोटर कार की कीमतों में वृद्धि हुई है। वास्तव में आयोग एकाधिकारियों को बढ़ने और प्रगति करने में सहायता की है। रंगाई सामग्री एकाधिकारियों के नियन्त्रण में है।

श्री के० बालदण्डायुतम (कोयम्बटूर) : अतीत में टैरिफ आयोग की काफी आलोचना की गई है और यह जो संरक्षण दिया जा रहा है वह उपभोक्ताओं को नहीं अपितु एकाधिकारियों के साथ साथ घटिया किस्म के उत्पादों के लिये दिया जा रहा है। इस संरक्षण के अन्तर्गत जिस वस्तु का उत्पादन होता है उसमें अधिकांश घटिया किस्म की होती हैं और वे विदेशी उत्पादों का मुकाबला नहीं

कर सकती। दो वर्षों के लिए और संरक्षण देने का विधेयक लाने से पूर्व सरकार को यह जांच करनी चाहिए कि क्या वह कीमतें कम करने और बढ़िया किस्म का माल बनाने की गारन्टी दे सकता है। यदि सरकार इस प्रकार की गारन्टी नहीं दे सकती और यदि टैरिफ आयोग इस मामले में सरकार की सहायता नहीं कर सकता तो संरक्षण देने का कोई अर्थ नहीं। मैं संरक्षण देने का विरोधी नहीं हूं लेकिन इसके लिए सामान सस्ता और अच्छे किस्म का होना चाहिये। सरकार को इसके लिए कारगर उपाय करने चाहिये तथा इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि टैरिफ आयोग एकाधिकारियों से सांठ-गांठ न करे।

श्री जे० माता गौडर (नीलगिरि) : मन्त्रालय द्वारा परिचालित टिप्पणी में बड़े पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र में 18 रंगाई-मध्यवर्ती यूनिटें रखी गई हैं तथा लघु उद्योग क्षेत्र में कुछ थोड़ी यूनिटें हैं। जब सरकार बड़े उद्योगों के क्षेत्र के रंगाई यूनिटों की सही संख्या दे सकती है तो वह लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों की भी संख्या बता सकती है।

यह बताया गया है कि 14 रंगाई-मध्यवर्ती सामग्री बनाने वाले यूनिटों को सीमा शुल्क में कुछ रियायतें दी गई हैं। मन्त्री महोदय यह बतायें कि क्या रंगाई का सामान बनाने वाले ये 14 यूनिट बड़े पैमाने के उद्योग क्षेत्र में हैं अथवा ये रियायतें लघु उद्योग क्षेत्र की यूनिटों को दी गई हैं। सरकार को बड़े पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र की यूनिटों को सीमाशुल्क में किसी प्रकार की रियायत और टैरिफ सम्बन्धी संरक्षण नहीं देना चाहिए। टैरिफ आयोग द्वारा बार-बार पुनरीक्षा के बाद की गई सिफारिशों के आधार पर रंगाई का सामान बनाने वाली यूनिटों का संरक्षण प्रत्येक दो वर्ष बाद बढ़ाया जाता रहा है। टैरिफ आयोग ने यह जानने के लिये बार-बार विस्तृत पुनरीक्षा की है कि क्या रंगाई का सामान बनाने वाली यूनिटों को यह संरक्षण दिया जाता रहे अथवा इसे समाप्त कर दिया जाय तथा क्या किसी नये यूनिट को इस प्रकार का संरक्षण दिया जाना चाहिए। चूंकि सरकार को सिफारिशें भेजने से पूर्व मामले का पूरा अध्ययन किया गया है अतः सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह टैरिफ आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह स्वीकार करे और उन सिफारिशों को लागू करने के लिए उचित विधान बनाये। परन्तु सरकार ने टैरिफ आयोग की सिफारिशें पूरी तरह स्वीकार नहीं की है। 1968 में टैरिफ आयोग ने सिफारिश की थी कि 23 रंगाई सामग्रियों को सीमा शुल्क में रियायत दी जाय लेकिन सरकार ने केवल 18 रंगाई सामग्रियों पर सीमा शुल्क में रियायत दी। यदि सरकार ने टैरिफ आयोग की आंशिक सिफारिशों को लागू करना था तो टैरिफ आयोग की आवश्यकता ही क्या थी। मेरा सुझाव है कि सरकार को टैरिफ आयोग की सिफारिशों को नहीं बदलना चाहिए। जहां पर भी टैरिफ आयोग ने टैरिफ संरक्षण तथा सीमा शुल्क में रियायतों की सिफारिश की है, सरकार को चाहिए कि वह इस विधेयक में पूर्ण रूप से उन सभी सिफारिशों को सम्मिलित करें।

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था में टैरिफ संरक्षण इस सम्बन्ध में बनाये गये विनियमों के अनुसार दिये जाते हैं और उनका प्रयोग स्थिति के अनुसार किया जाता है। जब किसी विशेष समय पर उद्योग सुदृढ़ एवं स्वावलम्बी हो जाता है और उसका पूर्ण विकास हो जाताहै तो उसे इस प्रकार छोड़ दिया जाता है अथवा यदि उद्योग के विकास में कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयां हैं, तो उसके लिए निश्चित संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। इस उद्देश्य से विनियमों में प्रायः परिवर्तन किया जाता है तथा उसकी पुनरीक्षा की जाती है। आरम्भ में हम रंगाई का सामान आयात करते थे अब हम इस स्थिति में हैं कि हम

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

* Summarised Translated Version based on English translation of speech delivered in Tamil.

रंगाई में काम आने वाली वस्तुओं का निर्माण देश में ही करने लगे हैं तथा रंगाई के सामान का आयात करना बन्द कर सकते हैं। अत: ऐसी स्थिति में आवश्यक टैरिफ संरक्षण की आवधिक पुनरीक्षा नितांन्त आवश्यक है।

हम यह चाहते हैं कि जिस उद्योग के आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता है उसको उचित संरक्षण दिया जाये तथा यह सुनिश्चित करने के लिये सभी सम्भव प्रयत्न किये जायें कि आयात के कारण उसकी प्रगति में बाधा न पड़े।

जब तक हम स्वदेशी उद्योग को समुचित संरक्षण नहीं देंगे तब तक उसका वांछित विकास नहीं हो सकता और यदि हम संरक्षण नहीं देते तो उद्योग का विकास नहीं होगा।

संरक्षण देने की अवधि में यह किसी समय भी कहा जा सकता है कि उत्पाद का स्तर अभी अच्छा नहीं हुआ है। किन्तु भारतीय उत्पाद को घटिया कहना उद्योग विकास के लिये हितकर नहीं होगा। हो सकता है कि संरक्षण की अवधि में हमारे उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के न हों। इसलिये हम प्रारम्भ से ही उद्योग को उसके विकास के लिये संरक्षण देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय टैरिफ अधिनियम 1934 में और संशोधन करने के लिये विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय—अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। इसमें कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 2, खण्ड 1, विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खण्ड 2, खण्ड 1, विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clause 2, Clause 1, Title of the Bill and the Enacting Formula were added to the Bill.

श्री ए० सी० जार्ज : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशों के बारे में संकल्प
Rasolution regarding Recommendation of Railway Convention Committee

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं श्री टी० ए० पाई० की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की दर की और सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त सम्बन्धी अन्य संगत मामलों की समीक्षा करने के लिये नियुक्त की गई समिति के लेखे सम्बन्धी विषयों के प्रतिवेदन के, जो 15 दिसम्बर 1972 को संसद में प्रस्तुत किया गया था, पैरा 1.1, 2.31, 3.18, 3.19, 3.27, 3.28, 4.12, 4.13 तथा 5.11 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है।

कि यह सभा यह भी निदेश देती है कि उक्त प्रतिवेदन में की गई अन्य सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही इसी प्रकार के विषयों की समीक्षा करने के लिये इसके बाद नियुक्त की जाने वाली संसदीय समिति को प्रतिवेदित की जाये।"

श्री जगदीश भट्टाचार्य (घाटल)* : रेलवे अभिसमय समिति ने अपने प्रतिवेदन में कुछ सिफारिशें की हैं लेकिन जिस प्रस्ताव पर सभा में वाद-विवाद चल रहा है उसमें कुछ सिफारिशों पर ही जोर दिया गया है। मेरा विचार है कि इस प्रकार के प्रस्ताव पर रेलवे बजट प्रावधानों के समय चर्चा की जानी चाहिये।

रेलवे में सबसे अधिक सरकारी पूंजी लगी हुई है और इसका कुछ अंश सामान्य राजस्व में दिया जाना चाहिये।

स्वतन्त्रता से पूर्व तथा स्वतन्त्रता के बाद कुछ वर्ष तक की अवधि में रेलवे को लाभ होता रहा है, परन्तु पिछले कुछ वर्षों से रेलवे घाटे में जा रही है। यदि हम उन त्रुटियों को, जिनसे रेलवे को घाटा हो रहा है, सुधार लेते हैं तो हम रेलवे को होने वाले लाभ का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। रेलवे को मुख्यत. चोरी, उच्च अधिकारियों की बहुलता तथा अति पूंजीकरण के कारण हानि होती है।

रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन में बताया गया है कि भिन्न-भिन्न प्रकार की लगभग 35,000 वस्तुयें रेलवे के गोदामों में पड़ी हुई हैं और 1970—71 के दौरान स्टोर में पड़ी वस्तुओं का कुल मूल्य 363.7 करोड़ रुपये था। इस तरह से बहुत अधिक धन राशि रुकी हुई है जबकि यात्रियों के लिये उस अनुपात में सुविधायें उपलब्ध नहीं की जा रही हैं। इस समय यात्रियों को बहुत ही कम सुविधायें उपलब्ध हैं और वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए कुछ न कुछ किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवेदन में बताया गया है कि आई० सी० एफ० और जेसफ एण्ड कम्पनी को क्रमश: 443 और 347 सवारी डिब्बों का निर्माण करने के लिये आर्डर दिये गये थे परन्तु उन्होंने इसके मुकाबले क्रमश: 171 और 122 सवारी डिब्बे ही सप्लाई किये। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ये निर्माण एकक बकाया काम पूरा करें और इसके साथ-साथ वर्तमान आर्डरों के अनुसार अपना उत्पादन करें क्योंकि अब यात्री गाड़ियों में अधिक सवारी डिब्बे लगाये जायेंगे तो यात्रियों को वास्तव में कुछ राहत मिलेगी।

वेस्टीबुल में पहले दर्जे के डिब्बे को भोजनालय के साथ नहीं जोड़ा जाता है जबकि यह सुविधा वातानुकूलित 'चेयर कार' के यात्रियों को उपलब्ध है। इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

---

* बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का सक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

* Summerised translated Version based on Fnglish translation of speech given in Bengala.

यात्री किराये में भागीदारी के सम्बन्ध में प्रतिवेदन में बताया गया है कि राज्य के भाग में अधिक वृद्धि करना सम्भव नहीं है। मेरा विचार है कि इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। जब कभी हमने मार्टिन बर्न रेलवे चलाने के बारे में कोई तर्क दिया तो हमें बताया गया कि यह लाभप्रद संस्था नहीं है। यदि यात्री किराये में राज्य के भाग में वृद्धि की जाती है तो हम बहुत आसानी से यह समस्या हल कर सकते।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : The Catering Services on the stations are not satisfactory. The prices charged for the meals are much more as compared to the quality of the stuff supplied.

There is no arrangement of conductor in the Gujarat and Saurashtra Mail. An Attendant goes with the Ahmedabad bogi which is detached at Ahmedabad and then it is attached with another train. On the broad gauge lines we have long trains like De radun Express having eighteen or nineteen bogies. But the plateforms are so small that the train when halts at the Railway Station the last bogie remains outside the plateform in the dark and the bogie adjoining the engine goes ahead from the plateform. The passengers have to face great difficulties on this account. The shades are also small.

First class L.R.C. bogies run between Kota and Veena but if someone had to get down at Baran Station the bogie will not open. People go on knocking at the railway stations, but the bogies remain closed. A line should be laid between Kota to Boondi to facilitate the passengers.

An overbridge with a cost of Rs. 50 thousand was sactioned for Kota but it has not been constructed so far. The interest of Scheduled castes people have not been safe guarded in the matters of recruitment to various posts in the Railways. The Scheduled Caste people are not selected according to their quotas.

Rajasthan is a drought affected State. The Railways should provide more train services in such States so that necessary supplies are provided to the States at the time of need.

फरीदाबाद स्थित गुरु गोविन्द सिंह मेडिकल कालेज के बारे में चर्चा

Discussion regarding Guru Gobind Singh Medical College at Faridabad

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम निर्माण तथा आवास और स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री श्री उमाशंकर दीक्षित द्वारा 30 नवम्बर, 1972 को फरीदाबाद स्थित गुरु गोविन्द सिंह मेडिकल कालेज के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य पर चर्चा करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने एक पत्र में कुछ व्यक्तियों के नाम दिये हैं, इसी प्रकार के नाम चीथड़ा कांड के समय भी दिये गये थे और उस समय अध्यक्ष महोदय ने बताया था कि नाम भेजना ही पर्याप्त नहीं अपितु मामले का भी उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि मन्त्री मामले की उद्देश्यपूर्ण जांच कर सकें। इस मामले में भी नाम भेजे गये हैं। 30 नवम्बर के अपने वक्तव्य में मन्त्री महोदय ने कहा है कि इस कालेज के प्रतिष्ठान और प्रशासन में अनेकों अनियमितताएं हैं।

Dr. Laxminarain Pandey (Mandsaur) : The Guru Govind Singh Vidya Sevak Society, which is running the Guru Govind Singh Medical College, Faridabad has received Rs. 10,000 as capitation fees and Rs. 10 thousands on some other account from each student. There are 210 students and thus the society collected Rs. 40 lakhs. Inspite of this huge amount of collection the society have not provided even the basic facilities to the students. The library consists of hardly 40 books. There is no good laboratory in the college. The Minister's speech of the 30th November gives some idea that the Govt. of Haryana is also involved in it.

The Minister in his statement has stated that the chief Minister of Haryana has entrusted the matter to the vigilance authorities for a detailed enquiry. The Minister may please tell this house whether the detailed enquiry of the whole matter had been conducted and if so what are the names of the persons involved in it.

I think Haryana Government is also a party to it which did not object at the time of its opening and on the contrary provtded all the facilities necessary for a Medical College.

In a detailed statement the Guru Gobind Singh Vidya Sevak Society has admitted that they have collected Rs 26 lakhs and not Rs 44 lakhs. I do not know whether their figures are correct or not but I did not come across anything on a visit of the spot. They have only a rented building and no laboratory arrangement has been made for the students. The canteen of the college is very dirty.

The Haryana Government have not taken any action against the persons who have played with the lives of the young students. The Government could avert the disorder in the college by issuing an ordinance but Government have not taken any such action.

My submission is that Government should take stringent action against the persons involved. The Government should take under its control the money collected by the management as capitation fee from the students. The students should be allowed admission in some other medical college so that their future is not marred. Panjab University have not granted affiliation. The situation might improve if steps are taken in this regard without any delay.

Shri Sat Pal Kapur (Patiala) : I have some knowledge about the happenings in the college. I may be allowed to speak after Mr. Jyotirmoy Bosu finishes his speech. I would like to reply to some of the points made by Shri Jyotirmoy Basu.

उपाध्यक्ष महोदय : किसी माननीय सदस्य का यह कहना बहुत असामान्य बात है कि मुझे बाद में अवसर दिया जाये । यदि माननीय सदस्यों को इसमें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपका अनुरोध स्वीकार कर लूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : पिछले 25 वर्षों में कांग्रेस शासन में शिक्षा के धन्धे से लोगों ने बहुत लाभ उठाया है । शिक्षा के मामले में धोखे के कारण शिक्षा का स्तर गिर रहा है ।

गुरु गोविन्द सिंह कालेज का मामला सबसे बड़ा धोखा है। कालेज के विवरण पत्र की मुख्य बातों के अनुसार मेडिकल कालेज की सभी अपेक्षित आवश्यकताएं भावी उम्मीदवारों के आगे रखी गई थीं । इन छात्रों के प्रवेश के लिए आवश्यक मानदन्ड यह था कि जिस छात्र के कम से कम 45 प्रतिशत अंक होंगे उसे 20,000 रुपये एक मुश्त में देने होंगे । इस राशि में से 10,000 रुपये दान के रूप में लिये जाते हैं और 10,000 रुपये पूरे पाठ्यक्रम के लिए फीस के रूप में समायोजित किये जाने थे । हम जानना चाहते हैं कि यह राशि कहां है ।

पंजाब शरीर रचना विज्ञान अधिनियम, 1963•••, 449 की धारा 2 के अधीन अधिसूचना संख्या एस० ओ० 62/पी० ए० 14/63/एस० 2/72 दिनांक 19 अप्रैल, 1972 के अन्तर्गत गुरु गोविन्द सिंह मेडिकल कालिज की स्थापना के बारे में स्वीकृति दी गई थी । गुरु गोविन्द सिंह विद्या सेवक समिति के, जो इस कालेज को चलाती है, सचिव श्री ज्ञानसिंह पुरेवाल हैं और इस समिति में केवल उनके, भाई, पुत्र, बहनें और बहनोई ही सदस्य हैं । उनमें से एक का नाम सुरजीत सिंह अट्टवाल है जो पंजाब विधान मण्डल में आप के दल के मुख्य सचेतक हैं ।

कालेज की अपनी निजी कोई इमारत नहीं है और कक्षाएं एक सीमेंट के शेड जैसे भवन में लगती हैं । यह स्थान पहले रेडियो बनाने के एक छोटे से कारखाने द्वारा प्रयोग में लाया जाता था । डीसैक्शन हाल इमारत की एक ओर एक छोटी सी गैलरी में है । शरीर विज्ञान प्रयोगशाला सभी

दृष्टियों से नितान्त अपर्याप्त है। जीव रचायन प्रयोगशाला की हालत भी बहुत खराब है। मेडिकल कालेज में शरीर रचना विज्ञान संग्रहालय का होना बहुत जरूरी है परन्तु प्रबन्धकों को अभी तक इसकी जानकारी भी नहीं है। सामाजिक और निरोधक औषधि के अध्ययन के लिए छात्रों को ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में जाना पड़ता है और वहां उन्हें व्यवहारिक जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। कालेज में कोई अर्हता-प्राप्त प्रधानाचार्य नहीं है। वर्तमान प्रधानाचार्य को भी प्रबन्धक कोई ऐसी चीज नहीं करने देते जो छात्रों के हित में हो। कालेज में कोई रजिस्ट्रार नहीं है। कालेज तो हरियाणा में है परन्तु इसके लड़कों तथा लड़कियों के लिए छात्रावास क्रमशः फरीदाबाद और दिल्ली में है। सरकार की इन लोगों के साथ साँठगांठ है और सरकार इससे लाभ उठा रही है। विद्यार्थियों में अशान्ति तथा निराशा का एक मूल कारण यह है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उनको धोखा दिया जाता है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार राजनैतिक बातों को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर विचार न करे। सरकार को बेईमान, समाज विरोधी, धोखेबाज और विद्यार्थियों को धोखा देने वाले लोगों की रक्षा नहीं करनी चाहिए। सरकार को इन लोगों के विरुद्ध शीघ्र ही कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार को शीघ्र ही इस संस्था को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। इसकी गतिविधियों की जांच करनी चाहिए और अपराधी पाये जाने वाले लोगों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिये। इस कालेज के विद्यार्थियों को फिलहाल किसी अन्य कालेज में भेज दिया जाना चाहिए।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : जैसा कि पहले बताया गया है यह एक गम्भीर मामला है। यह संस्था एक परिवार ने बनाई है जिसमें गुरु गोविन्द सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह और श्री गुरुदियाल सिंह ढिल्लो के नाम की आड़ में इस तथाकथित कालेज की स्थापना की गई। इस कालेज को एक किराये के भवन में चालू किया गया। यह भवन एक शेड है जिसकी लम्बाई और चौड़ाई 60×200 है और इसमें सारा कालेज चलाया जाता है। इसी में जलपान गृह, प्रयोगशाला और लेक्चर हाल आदि लकड़ी के पार्टीशन से बनाये गये हैं। इसमें 200 छात्रों को शिक्षा दी जाती है। अभी तक छात्र अपना आन्दोलन शान्तिपूर्ण ढंग से चला रहे हैं यद्यपि छात्राओं को, जैसे कि पुलिस की रिपोर्ट में बताया गया है। प्रबन्धकों द्वारा किराये पर लाये गये कुछ एजेन्टों ने तंग किया और धमकाया।

पिछली बार मन्त्री महोदय द्वारा यहां वक्तव्य दिये जाने पर प्रबन्धकों ने एक पुस्तिका प्रकाशित कि जो सभी संसद सदस्यों और मन्त्री महोदय के पास भेजी गई। इस पुस्तिका में कालेज के प्रबन्धकों ने इन आरोपों का खण्डन करने का प्रयास किया। उन्होंने यह कहा कि स्वास्थ्य मन्त्री ने एक गलत वक्तव्य दिया है। इन सब लोगों ने कहा कि छात्रों ने अपने ज्ञापन में गलत जानकारी दी है। गुरू गोविन्द सिंह के चित्र के साथ एक विवरणिका छापी गई और इसके अन्दर प्रथम पृष्ठ पर सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लो का संदेश छापा गया था। यह बहुत ही सस्ते ढंग का शोषण है जिसमें देश के सम्मानित व्यक्तियों के नाम का दुरुपयोग किया गया है। इस तरह उन्होंने बहुत ही अपमानजनक और अनुचित ढंग से निर्धन छात्रों से धन वसूल किया है। मन्त्री महोदय के वक्तव्य में यह कहा गया है कि प्रबन्धकों ने 25 अक्तूबर से कालेज को अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया है और उन्होंने इस बात का खण्डन किया और कहा कि यह सही नहीं है। अतः उनके अपने वक्तव्य से यह मालूम होता है कि वे गलत वक्तव्य दे रहे हैं। छात्रों का ज्ञापन उनके ही वक्तव्य से सिद्ध हो जाता है।

इस संस्था ने धोखे से जितना धन एकत्र किया है और इसके पास जितनी भी भूमि है वह सरकार को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। यदि राज्य सरकार ने इसे अपने नियन्त्रण में लेना है तो

उसे सदैव केन्द्र से अनुदान मिलता रहेगा । क्या मन्त्री महोदय इसे अपने नियन्त्रण में लेने जा रहे हैं और क्या वह इसे समुचित ढंग से मेडिकल कालेज के रूप में चलायेंगे । क्या मन्त्री महोदय यह देखेंगे कि यह कालेज पंजाब विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है । इस कालेज के छात्रों का भविष्य खराब नहीं किया जाना जाहिए । उनके भविष्य के मामले में कोई राजनीतिक लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : It will not be exaggeration of the facts that the management of Guru Govind Singh Medical College consists of dishonest persons who have cheated the students with the blessings of the Government. The people are well aware of their activities.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shir K. N. Tiwary in the Chair]

Shri Dixit had & made a statement on the 30th November saying that the Government of Haryana have not accorded sanction to the Guru Gobind Singh Medical College at Faridabad. But in inspite of it, the Health Minister of Haryana, Shri K. C. Ahuja, had issued a statement in which he had said that Governor of Haryana have given approval to the College in accordance with the Punjab Anatomy Act, 1963. The students from abroad also have sought admission in this college. But the college i not properly equipped. It has a library with 20 books only. It does not have the apparatus necessary for practical training In the absence of all these things, the standard of teaching can be well imagined. Had the Minister not encouraged these dishonest men. The situation would not have arisen. The Government should do something for the students. They should also take stringent action against the members of Managing Committee. They should be arrested and put in jails.

The capitation fees realised from students should be returned to them. Haryana Government should be directed to take over this college, or the Union Government should take it over. Gorernment should not allow anybody to start his own private medical college. Those who have made it a profession to cheat students, should be punished. The recommendation of the Medical Council should be properly enforced,

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : इस पुस्तिका में जो कथन दिया गया है उससे हम केवल इसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि इस तरह के एक संगठन के बारे में सफाई देने में भी काफी गोल माल हुआ है । इसी तथ्य से कि किसी को इस प्रकार की सफाई तैयार करनी पड़ी, यही विश्वास होता है कि सारा मामला एक ढोंग हैं । मन्त्री महोदय हमें यह आश्वासन दें कि इस संस्था को पूरी तरह से अपने हाथ में लेने के लिए ठोस कदम उठाये जायेंगे । दूसरी बात मैं यह चाहता हूं कि संस्था तथा उसके वर्तमान प्रबन्ध का उचित मूल्यांकन तुरन्त किया जाये । यदि आवश्यकता हो तो इस संस्था में बाहर से प्रबन्धक लाये जायें । सरकार को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिये कि वर्तमान प्रबन्धक इस कालेज को अपने पैरों पर खड़ा करें ।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : सभापति महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि एक घाटिया स्तर का कालेज शुरू किया गया तथा दुर्भाग्यवश इसने हमारे देश के छात्र समुदाय के साथ पूरी तरह धोखा किया है ।

मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि किसी भी परिस्थिति में छात्रों का एक वर्ष नष्ट न होने पाये । मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि इस कालेज को दिल्ली या पंजाब विश्वविद्यालय से अस्थायी रूप से सम्बद्ध किया जा सकता है । इसका दूसरा विकल्प यह है कि जब तक यह कालेज अपने पावों पर खड़ा हो तब तक इस कालेज के छात्रों को पंजाब, दिल्ली तथा राज-

स्थान के मेडिकल कालेजों में स्थान दिया जाये ।

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : एक अन्य अपमानजनक बात यह है कि इस कालेज में न केवल हमारे देश के अपितु अन्य देशों के भी लगभग 221 लड़के तथा लड़कियों ने 20000 रुपये प्रतिछात्र शुल्क देकर प्रवेश लिया है । इसमें इन छात्रों तथा छात्राओं का कोई दोष नहीं है । इस सम्बन्ध में हरियाणा सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना भी जारी की जाती रही है । इस लिए मेरा सुझाव है कि इन लड़कों तथा लड़कियों की शिक्षा जारी रखने के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध किये जाने चाहियें । कालेज के सारे मामले की जाँच की जाय और इस प्रकार का व्यवहार करने वाले लोगों को दण्ड दिया जाना चाहिए ।

Shri Satpal Kapur (Patiala) : I also fully agree that this management has played a frand on the Student Commuuity and has. Thus, collected a huge amount of money by exploiting the religious sentiments of the public. Now the Government is not prepared to take over the college on this ground that a huge expenditure of Rs. 2 crores is involved. Even if the issue is tinged with political colour, it will not solve the problem of the students anyway. However of suggest that the medical college should be immediately taken over by the Government. The Government of Haryana has already allotted one crore of rupees for setting up a Five hundred-bed Hospital at Faridabad. This Hospital can be attached to this college. This would result in saving of one crore of rupees. Another 25 lacs of rupees can be raised through donations for the college. I will give this much of amount; that is my responsibility. Hence I appeal that the Central Government should take over the college.

प्रो० मधु दन्डवते (राजापुर) : इस तरह के मामलों में सत्तारूढ़ दल तथा विरोधी दलों को पृथक् रूप से नहीं अपितु मिल कर रचनात्मक ढंग से सोचना चाहिए तथा इन 221 छात्रों को शिक्षा दिलाने के लिए कुछ उपाय सोचना चाहिए । स्वास्थ्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया है कि हरियाणा राज्य सरकार ने 5 नवम्बर 1971 को एक प्रेस-नोट जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार ने फरीदाबाद में एक गैर-सरकारी मेडिकल कालेज स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया है । परन्तु उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि हरियाणा सरकार ने 19 अप्रैल 1972 को राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की थी जिस में कहा गया था कि "पंजाब शरीर रचना विज्ञान (एनाटोमी) अधिनियम, 1936 की धारा 2 के खण्ड 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल ने गुरु गोविन्दसिंह मेडिकल कालेज, फरीदाबाद का अनुमोदन किया है ।" अध्यापकों तथा छात्रों ने यह अधिसूचना देखी थी । उनमें से ही कुछ छात्रों ने मुझे बताया है कि इसके बाद वे पूर्णतः इस बात से आश्वस्त थे कि अधिकारी गण उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे । इसीलिए वे इस कालेज के छात्र बने रहे । अतः मैं इस सभा से अपील करता हूं कि छात्रों की पुनः शिक्षा व्यवस्था के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । मैं सरकार से पुनः यही अपील करता हूं कि सरकार इस मामले में कानूनी और तकनीकी दृष्टिकोण न अपनाये बल्कि यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करे कि सभी 221 छात्रों को पूर्ण रूप से पुनः शिक्षा मिलती रहे ।

अन्त में मुझे यह कहना है कि प्रबन्धकों ने जो ज्ञापन दिया है वह भी एक धोखा ही है । अतः इस ज्ञापन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए तथा सभी 221 छात्रों के लिए फिर से शिक्षा देने की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाये ।

श्री आर० डी० भण्डारे : जब से छात्रों को धोखा दिया गया है तब से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर धक्के खा रहे हैं । वे मानसिक पीड़ा से ग्रस्त है । कुछ छात्र मन्त्री महोदय के घर के सामने

धरना दे रहे हैं। मन्त्री महोदय को छात्रों की सहायता करके स्वयं अपनी मानसिक पीड़ा दूर करनी चाहिए।

मन्त्री महोदय के इस मामले में कानूनी या सांविधानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। केन्द्र और राज्य सरकारों को छात्रों की सहायता करनी चाहिए।

छात्रों के साथ धोखा करने वाले प्रबन्धकों को दोषी ठहराया जाना चाहिये। प्रबन्धकों के विरुद्ध मुकदमे चलाये जाने चाहिए।

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : मैं उन सदस्यों से सहमत हूं जिन्होंने गुरु गोविन्द सिंह मेडिकल कालेज फरीदाबाद के प्रबन्ध की अनुत्तरदायित्वपूर्ण कार्यवाही और छात्रों को दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में रखने के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। किन्तु इस सामाजिक महत्व के मामले को राजनीति के साथ जोड़ना दुःख की बात है।

हमें इस मामले पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार करना चाहिए। यह सच है कि इस मामले पर केवल तकनीकी या कानूनी दृष्टिकोण से विचार नहीं करना चाहिए। किन्तु प्रश्न यह है कि मेडिकल कालेज चलाने के लिए हमें धन की आवश्यकता होगी। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए लगभग 130 छात्रों को डाक्टरी की शिक्षा में प्रवेश देने के सम्बन्ध में जो समिति नियुक्त की गई थी उसने सुझाव दिया है कि चिकित्सा महाविद्यालय के आवर्ती और अनावर्ती खर्च के लिए साढ़े चार करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। श्री सतपाल कपूर ने हमें आश्वासन दिया है कि वह 25 लाख रुपये दान के रूप में जुटायेंगे। यदि कोई ट्रस्ट बनाया जाय और शिक्षा में रुचि रखने वाले पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली के दानी लोग आगे आये तो इस दिशा में ठोस काम किया जा सकता है।

जहाँ तक गुरु गोविन्द सिंह मेडिकल कालेज सोसायटी का सम्बन्ध है पंजाब विश्वविद्यालय ने कहा है चूंकि सोसायटी के कालेज को विश्वविद्यालय से सम्बन्द्ध कराने के लिए एक साल पहले आवेदन पत्र नहीं भेजा था इसलिए विश्वविद्यालय इस कालेज को अपने साथ सम्बद्ध नहीं कर सकता। भारतीय चिकित्सा परिषद ने भी कुछ ऐसी ही बात कही है, यह सच है कि हरियाणा सरकार ने शरीर रचना विज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत इस कालेज को अनुमति प्रदान करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। किन्तु उसके बाद संसद में जब यह मामला उठाया गया तो हरियाणा सरकार ने अपनी अधिसूचना को वापिस ले लिया।

जहां तक कालेज के प्रबन्धकों का सम्बन्ध है, मैंने कालेज की प्रबन्धक समिति के सभापति और सचिव को बुलाया था किन्तु वे नहीं आये। उन्होंने कार्यालय-अधीक्षक को भेजा। इस व्यक्ति ने एक ही प्रकार के तीन सदस्यों के नाम दिए हैं तथा उसने हमारे अधिकारियों को बताया कि यही व्यक्ति इस कालेज के प्रबन्धक वर्ग के सदस्य हैं। उन्होंने एक सोसायटी भी बनाई है। कुछ पैसा इस सोसायटी के नाम पर जमा है तथा कुछ कालेज के नाम से।

भारत सरकार इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकती, भा सरकार केवल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा की ही व्यवस्था कर सकती है। केन्द्र सरकार स्नातक-पूर्व शिक्षा को विनियमित करने के लिए कोई कानून नहीं बना सकती।

जहां तक इस मामले की जाँच करने का सम्बन्ध है, मुख्य मन्त्री ने बताया है कि उन्होंने इस मामले की जाँच करने के लिए एक उच्च अधिकारी की नियुक्ति की है। इस मामले में विधि मन्त्रालय ने यह सलाह दी है कि अगर छात्रों द्वारा दिये गये ज्ञापन के तथ्य तथा हरियाणा सरकार तथा

विश्वविद्यालय द्वारा बताई गई बातें सही हैं तो यह कानूनी अपराध है। अतः इस मामले में हरियाणा सरकार ही मुकदमा चला सकती है। यदि उचित हुआ तो केन्द्र सरकार शीघ्र ही हरियाणा सरकार को यह सलाह देगी।

जहां तक धनराशि वसूल करने का ताल्लुक है, प्रबन्धकों का कहना है कि 161 छात्रों से रकम वसूल की गई है। सभी छात्रों से एक ही रकम वसूल नहीं की गई है। किसी छात्र से 10,000 रुपये लिये गये हैं तो किसी से 15,000 रुपये, किसी से 12,000 रुपये और किसी से 5,000 रुपये, सरकार को जो संपरीक्षित लेखे प्रस्तुत किये गये हैं उन पर केवल श्री ज्ञान सिंह सचिव, श्री इन्द्रजीत सिंह, लेखपाल और श्री हिंगोरानी, चार्टर्ड लेखपाल के ही हस्ताक्षर हैं। उससे यह पता चलता है कि कालेज के पास अब केवल 14.45 लाख रुपये बकाया हैं जिनमें से साढ़े नौ लाख रुपये बैंक में हैं और 5 लाख रुपये एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के पास हैं। यह कहना संभव नहीं है कि यह रकम मिल भी सकती है या नहीं। लेखाओं में जो और जानकारी दी गई है वह इस प्रकार है—प्रास्पेक्टस फीस 70,17,955 रुपये, रजिस्ट्रेशन फीस 14,900 रुपये; फीस तथा अन्य प्रभार 4,44,900 रुपये और दान 4,49,000 रुपये। 89 छात्रों से प्रत्येक से 20,000 रुपये, 22 छात्रों से प्रत्येक से 15,000 रुपये, 1 छात्र से 18,000 रुपये, दो छात्रों से प्रत्येक से 18,500 रुपये, 1 छात्र से 14,500 रुपये, 1 छात्र से 16,000 रुपये, 6 छात्रों से प्रत्येक से 12,000 रुपये, 29 छात्रों से प्रत्येक से 10,000 रुपये, 1 छात्र से से 13,000 रुपये, 2 छात्रों से प्रत्येक से 8,000 रुपये, 6 छात्रों से प्रत्येक से 5,000 रुपये और 1 छात्र 2,500 रुपये लिए गये। छात्रों को प्रवेश देने और उनसे फीस लेने के बारे में कोई भी नियम या मानदण्ड नहीं है। छात्रों के साथ घोर अन्याय किया गया है और उन्हें सरासर धोखा दिया गया है। सरकार इस मामले में पूरी ईमानदारी और तत्परता से कार्यवाही करेगी।

हमें यह सुझाव दिया गया है कि सरकार को यह कालेज चलाने के लिए सहायता देनी चाहिये। मैं भी इस काम में सहायता देने के लिये तैयार हूं। लेकिन यह तभी हो सकता है जब कोई ट्रस्ट इस कालेज को अपने हाथ में लेने के लिये तैयार हो। यदि कोई ट्रस्ट आगे आता है तो मैं पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब और हरियाणा की सरकारों से सम्पर्क स्थापित करने को तैयार हूं ताकि इस कालेज के छात्रों के लिए कुछ किया जा सके। भारत सरकार के लिये इस कालेज को अपने हाथ में लेना संभव नहीं है।

केन्द्र शासित क्षेत्र दिल्ली में ही, जहाँ शिक्षा के लिए हमारी पूरी जिम्मेदारी है, हम कुछ नहीं कर सके हैं। योजना आयोग ने बताया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में 10 मेडिकल कालेजों की स्थापना की जाती थी। सभी 10 कालेजों की स्थापना की जा चुकी है। हरियाणा सरकार से भी कहा गया था कि वह अपने राज्य में एक मेडिकल कालेज की स्थापना करे, किन्तु हरियाणा सरकार ने धन के अभाव में और दूसरी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कालेज खोलने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। 10 कालेजों में से एक कालेज नेफा में खोला जा रहा है। अब चौथी पंचवर्षीय योजना में मेडिकल कालेज खोलने के लिए हमारे पास 4 करोड़ रुपये नहीं हैं, अभी जब हमने दिल्ली के 50 छात्रों को मेरठ के मेडिकल कालेज में भेजा था तो हमें उत्तर प्रदेश सरकार को 80 लाख रुपये देने पड़े थे।

जहां तक गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कालेज, फरीदाबाद का सम्बन्ध है मैं पूरी निष्ठा के साथ यह कहना चाहता हूं कि जैसे ही हमारा ध्यान इस कालेज में होने वाली धांधली की ओर आकर्षित किया गया था, हमने हर संभव तर्कसंगत तथा समुचित कार्यवाही की, और अब यदि इस कालेज का

प्रबन्ध चलाने के लिए कोई ट्रस्ट आगे आता है, जिसके पास पर्याप्त धन हो तथा जो चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम अपेक्षित मानदंडों की सुनिश्चित व्यवस्था कर सके, तो मैं सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके कालेज की सहायता करने के लिए तत्पर हूं।

इसके पश्चात लोकसभा बुधवार, 20 दिसम्बर, 1972/29 अग्रहायण, 1894 (शक) के ग्यारह म० पू० बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha than adjournd till eleven of the Clock on Wednesday Dec. 21/1972/Agrahayan 29, 1894 (Saka)

Ashoka Printing Works, Modinagar.